

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 542] No. 542] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ 7, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 10/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.663(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय जीएसटी नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जीएसटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 26 के पश्चात निमुनलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:--

## "अध्याय 4

# प्रदाय के मूल्य का अवधारण

- 27. माल और सेवाओं की प्रदाय का मूल्य, जहां प्रतिफल धन में नहीं है, जहां माल या सेवाओं की प्रदाय ऐसे प्रतिफल के लिए है, जो पूर्णत: धन में नहीं है, वहां प्रदाय का मूल्य-
- (क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मुल्य होगा ;

3964GI/2017 (1)

- (ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी और रकम होगा, जो ऐसे प्रतिफल के समत्ल्य है, जो धन में नहीं है, यदि ऐसी रकम प्रदाय के समय ज्ञात है;
- (ग) यदि प्रदाय का मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मुल्य होगा ;
- (घ) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल राशि और धन में ऐसी और रकम होगा, जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है।

# दृष्टांत

- (1) जहां किसी फोन की प्रदाय एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रुपए में की जाती है और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रुपए है, तो नए फोन का खुला बाजार मृल्य चौबीस हजार रुपए है ।
- (2) जहां किसी लैपटाप की प्रदाय ऐसे प्रिन्टर की अदला-बदली के साथ चालीस हजार रुपए है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और प्रदाय के समय प्रिन्टर का ज्ञात मूल्य चार हजार रुपए है किन्तु प्रिन्टर का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की प्रदाय का मूल्य चवालीस हजार रुपए है।
- 28. किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्रदाय किए जाने से भिन्न विभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य- धारा 25 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच या जहां अभिकर्ता के माध्यम से किए जाने के भिन्न प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं, वहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य-
- (क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा ;
- (ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं की प्रदाय का मूल्य होगा ;
- (ग) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) में अवधार्य नहीं है तो उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से यथा अवधारित मूल्य होगा : परंतु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है, वहां मूल्य, प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतल्य रकम होगा:
- परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां बीजक में घोषित मूल्य को माल या सेवाओं का खुला बाजार मूल्य समझा जाएगा ।
- 29. किसी अभिकर्ता के माध्यम से माल की, की गई या प्राप्त प्रदाय का मूल्य प्रधान या उसके अभिकर्ता के बीच माल की प्रदाय का मूल्य -
- (क) प्रदाय किए गए माल का खुला बाजार मूल्य होगा, या प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा, जहां उक्त प्राप्तिकर्ता द्वारा माल की आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है;
- दृष्टांत: जहां कोई प्रधान, उसके अभिकर्ता को मूंगफली की प्रदाय करता है और अभिकर्ता प्रदाय के दिन उसी प्रकार और उसकी क्वालिटी की मूंगफिलयों की प्रदाय पश्चातवर्ती प्रदाययों में पाचं हजार रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है। दूसरा स्वतंत्र प्रदायकर्ता उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की मूंगफिलियों की प्रदाय उक्त अभिकर्ता को चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है, वहां प्रधान द्वारा की गई प्रदाय का मूल्य चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल होगा या जहां वह विकल्प का प्रयोग करता है, वहां मूल्य पांच हजार रुपए का नब्बे प्रतिशत अर्थात चार हजार पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल होगा:
- (ख) जहां प्रदाय का मूल्य खंड (क) के अधीन अवधार्य नहीं है, वहां उसे उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 को लागू करके अवधारित किया जाएगा ।

- **30. माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का लागत पर आधारित मूल्य -** जहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती किसी नियम द्वारा अवधार्य नहीं है, वहां मूल्य उत्पादन या विनिर्माण की लागत या ऐसे माल के अर्जन की लागत या ऐसी सेवाओं के प्रदान किए जाने की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।
- **31. माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के मूल्य के अवधारण की अविशष्ट पद्धति -** जहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य नियम 27 से नियम 30 के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उसे धारा 15 और इस अध्याय के उपबंधों के सिद्धांतों या साधारण उपबंधों के संगत युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग करके अवधारित किया जाएगा:

परंतु सेवाओं की प्रदाय की दशा में, प्रदायकर्ता नियम 30 की अवज्ञा करते हुए इस नियम का विकल्प चुन सकेगा।

- **32. कतिपय प्रदाययों की बाबत मूल्य का अवधारण-** (1) इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट प्रदाययों की बाबत मूल्य प्रदायकर्ता के विकल्प पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा।
- (2) विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, सेवाओं की प्रदाय का मूल्य सेवा के प्रदायकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--
- (क) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रुपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अंतर को, मुद्रा की कुल इकाइयों का गुणा किए जाने के बराबर होगा :

परंतु उस दशा में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए भारतीय रुपए की सकल रकम का एक प्रतिशत होगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रुपए में दोनों में से किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला-बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि सेवाओं की प्रदाय करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए खंड (ख) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।

- (ख) सेवाओं के प्रदायकर्ता के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की प्रदाय के संबंध में मूल्य, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा-
- (i) दो सौ पचास रुपए की न्यूनतम रकम के अध्यधीन एक लाख रुपए तक की किसी रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत ;
- (ii) एक हजार रुपए और एक लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत ; और
- (iii) पांच हजार पांच सौ रुपए तथा छह हजार रुपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन दस लाख रुपए से अधिक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत।
- (3) वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में, आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "आधार किराया" से वायुयान के किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया जाता है ।

(4) जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य निम्नलिखित होगा-

- (क) किसी पोलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित रकम को घटा दिया जाएगा, होगा या पोलिसी धारक की ओर से बचत होगा, यदि ऐसी रकम की सूचना सेवा की प्रदाय के समय पोलिसी धारक को दे दी गई है ;
- (ख) खंड (क) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिक पोलिसियों की दशा में, पोलिसी धारक से प्रभारित एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत ; या
- (ग) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का पच्चीस प्रतिशत और पश्चातवर्ती वर्षों में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशत :

परंतु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पोलिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लेखे है ।

(5) जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात्, जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय प्रदाय उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां प्रदाय का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी प्रदाय का मूल्य नकारात्मक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा:

परंतु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुन: कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत में क्रय की तारीख और ऐसा पुन: कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन की तारीख के बीच प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा।

- (6) किसी टोकन या बाउचर या कूपन या स्टांप (डाक स्टांप से भिन्न), जो माल या सेवा या दोनों के विरुद्ध मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, बाउचर, कूपन या स्टांप के विरुद्ध मोचनीय माल या सेवा या दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा।
- (7) सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, जहां इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, शून्य समझा जाएगा।
- 33. केवल अभिकर्ता की दशा में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में उपगत व्यय या लागत को प्रदाय के मूल्य से अपवर्जित कर दिया जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :--
- (i) प्रदायकर्ता, तब प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब वह ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा दिए गए प्राधिकार पर तीसरे पक्षकार को संदाय करता है ;
- (ii) प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की ओर से केवल अभिकर्ता द्वारा किए गए संदाय को सेवा के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता द्वारा जारी बीजक में पृथकतया उपदर्शित किया गया है ; और
- (iii) केवल अभिकर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से उपाप्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में की गई प्रदाय, उन सेवाओं के अतिरिक्त है, जिनकी प्रदाय वह अपने स्वयं के खाते से करता है।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "केवल अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-

- (क) माल या सेवाओं या दोंनों की प्रदाय के दौरान व्यय या लागत उपगत करने के लिए प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसके साथ संविदात्मक करार करता है ;
- (ख) प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार उपाप्त या प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों का कोई भी शीर्षक न तो धारण करने का आशय रखता है, न धारण करता है ;
- (ग) इस प्रकार उपाप्त ऐसे माल या सेवाओं का अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं करता है ; और

(घ) ऐसी प्रदाय के लिए प्राप्त रकम के अतिरिक्त, जो वह अपने स्वयं के लेखे उपलब्ध कराता है, ऐसे माल या सेवाएं उपाप्त करने के लिए उपगत केवल वास्तविक रकम ही प्राप्त करता है।

दृष्टांत: कारपोरेट सेवाएं फर्म क, कंपनी ख के निगमन से संबंधित विधिक कार्य को करने में लगी हुई है। क, ख से उसकी सेवा के लिए फीस से भिन्न, कंपनी रजिस्ट्रार को संदत्त कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस और अनुमोदन फीस भी वसूल करता है, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए प्रभारित फीस अनिवार्य रूप से ख पर उद्गृहीत है। क, उन फीसों के संदाय में मात्र केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए क के ऐसे व्ययों की वसूली एक संवितरण है और क द्वारा ख को की गई प्रदाय के मूल्य का भाग नहीं है।

- **34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर -** कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी प्रदाय की बाबत प्रदाय के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी।
- **35. एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर प्रदाय का मूल्य-** जहां प्रदाय के मूल्य में, यथास्थिति, एकीकृत कर या केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सम्मिलित हैं, वहां कर की रकम को निम्निलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-- कर की रकम = (करों सहित मूल्य X यथास्थिति, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर) »

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए,-

(100+ कर दरों की राशि, जो प्रतिशत में लागू है)

- (क) माल, सेवा या दोनों की प्रदाय के "खुले बाजार मूल्य" पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकर को अपवर्जित करने पर आता है, जहां प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं हैं और उस समय, जब प्रदाय का मूल्य किया जाता है, ऐसी प्रदाय को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है;
- (ख) "उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की प्रदाय" पद से उन्हीं परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की, की गई कोई अन्य प्रदाय अभिप्रेत है, जो पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस प्रदाय के प्रकार की या निकटतम अथवा सारत: उसके सदश्य हैं।

### अध्याय 5

# इनपुट कर प्रत्यय

- **36. इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शर्तें** (1) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर इनपुट सेवा वितरक भी है, अर्थात :--
- (क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक ;
- (ख) कर के संदाय के अध्यधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बीजक ;
- (ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया नामे नोट;
- (घ) प्रवेश पत्र या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज ;
- (ड.) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज ।

- (2) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज में अध्याय 6 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-2** में दी गई हैं।
- (3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई है।
- **37. प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी -** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, किन्तु धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उस पर संदेय कर सिहत ऐसी प्रदाय के मूल्य का उसके प्रदायकर्ता को संदाय करने में असफल होता है, बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अविध के ठीक पश्चात् वाले मास के लिए, ऐसी प्रदाय, संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम प्रदायकर्ता को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-2** में देगा:

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा ।

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए, जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी प्रदाययों पर प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से उपनियम (2) में यथा उल्लिखित आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज कर संदाय करने का दायी होगा।
- (4) धारा 16 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुन: उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था।
- 38. किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा कोई बैंककारी कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की प्रदाय में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों की उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार अनुपालना नहीं करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :--
- (क) (i) उक्त कंपनी या संस्था इनपुटों और गैर कारबार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी ; और
- (ii) प्ररूप जीएसटीआर-2 में धारा 17 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्रदाययों के कारण किए गए प्रत्यय के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी।
- (ख) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग करेगी ;
- (ग) इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय होगा और **प्ररूप जीएसटीआर-2** में दिया जाएगा ;
- (घ) खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों के अध्यधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- **39. इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया -** (1) इनपुट सेवा वितरक इनपुट कर प्रत्यय का वितरक निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्यधीन करेगा, अर्थात् :--
- (क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटीआर-6** में दिए जाएंगे ;

- (ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन या अन्यथा पात्र) और पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा ;
- (ग) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा :
- (घ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्राप्तिकर्ताओं में किसी एक 'आर1' चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनको इनपुट कर प्रत्यय किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त प्रदाय करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाना अपेक्षित है, "सी1" रकम होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा,--

# सी<sub>1</sub> = (टी<sub>1</sub>+टी) x सी

जहां,

- "सी", वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है,
- "टी₁", आर₁ व्यक्ति का, सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और
- "टी", सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का, जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है ;
- (ङ) एकीकृत कर के मद्दे प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरण किया जाएगा ;
- (च) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,--
- (i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमश: केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ;
- (ii) इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में, वितरण एकीकृत रूप के रूप में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के उस योग के बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए सीमित है;
- (छ) इनपुट सेवा वितरक, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा, ऐसे बीजक में स्पष्टत: उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए जारी किया गया है ;
- (ज) इनपुट सेवा वितरक, किसी कारण से पहले वितरित इनपुट कर प्रत्यय को घटाए जाने की दशा में प्रत्यय को घटाए जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा;
- (झ) प्रदायकर्ता द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिक्त रकम का वितरण खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6 में विवरणी में सम्मिलत किया गया है;
- (ञ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,--
- (i) उस मास में, जिसमें **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी सम्मिलित किया जाता है, वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा ; या

- (ii) प्राप्तिकर्ता के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है।
- (2) यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा दिए गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के घटाए जाने के लिए उपनियम (1) के खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।
- (3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के खंड (5) में विनिर्दिष्ट इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक नामे नोट तथा इनपुट सेवा वितरक बीजक को उस मास के लिए, जिसमें ऐसा प्रत्यय नोट और बीजक जारी किया गया था, प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6 में विवरणी में सम्मिलित करेगा।
- **40. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय का दावा करने की रीति**—(1) स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर और उक्त उपधारा के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार पूंजी माल पर दावा किए गए प्रत्यय पर धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--
  - (क) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के निबंधनानुसार, पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा, ऐसे पूंजी माल पर संदत्त कर को, बीजक या ऐसे अन्य दस्तावेजों, जिनके आधार पर कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल प्राप्त किया गया था, की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करने के पश्चात, किया जाएगा ;
  - (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01** में, सामान्य पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है;
  - (ग) खंड (ख) के अधीन घोषणा में स्पष्टत:,--
- (i) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;
- (ii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दावे की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रदाय किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;
- (iii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह धारा 9 के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;
- (iv) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए प्रदाय कराधेय हुए है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को,
- यथास्थिति, स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पूंजी माल के संबंध में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
- (घ) यदि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे दावे का कुल मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है तो खंड (ख) के अधीन घोषणा में दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ;
- (ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय को तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा, यथास्थिति, प्ररूप जी.एस.टी.आर. 1 या प्ररूप जी.एस.टी.आर. 4 में, सामान्य पोर्टल पर, दिए गए तत्स्थानी ब्यौरों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।

- (2) धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, प्रत्यय की रकम, ऐसे माल के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे माल पर इनपुट कर को पांच प्रतिशत पांइट तक कम करके, संगणित की जाएगी।
- **41. कारबार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण--**(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण या परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में,** अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे या अंतरण के ब्यौरे देगा:
- परंतु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा।
- (2) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के अंतरण संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (3) अंतरिती, सामान्य पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।
- (4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को, अंतरिती द्वारा उसकी लेखा पुस्तक में सम्यक् रूप से हिसाब में लिया जाएगा।
- **42. इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति**—(1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का, जिन्हें धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है और भागत: अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका भागत उपयोग कराधेय प्रदायों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर प्रदाय भी हैं, प्रभाव देने के लिए और भागत: छूट प्राप्त प्रदायों को प्रभाव देने के लिए किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित रीति से कारबार के प्रयोजन के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित होगा, अर्थात :--
- (क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वलित कुल इनपुट कर 'टी' के रूप में द्योतक होगा ;
- (ख) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, 'टी₁' के रूप में द्योतक होगी ;
- (ग) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, 'टी₂' के रूप में द्योतक होगी ;
- (घ) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, 'टी<sub>3</sub>' के रूप में द्योतक होगी ;
- (ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'सी' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

# सी1 = टी - (टी1 + टी2 + टी3) ;

- (च) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी₄' के रूप में द्योतक होगी ;
- (छ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, 'टी₁', 'टी₂', 'टी₃' और 'टी₄' का अवधारण और उसकी घोषणा **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02 में** बीजक स्तर पर की जाएगी ;

(ज) खंड (छ) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो 'सी<sub>2</sub>' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

(झ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम 'डी₁' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

जहां,

'ई', कर अवधि के दौरान छुट प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य है, और

'एफ', रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के राज्य में कर अवधि के दौरान कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास के पूर्व की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, ऐसी अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी;

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम में से अपवर्जित किया जाएगा;

- (ञ) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए, निर्धारणीय प्रत्यय की रकम को, यदि सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग भागत: कारबार के लिए और भागत: गैर कारबार प्रयोजनों के लिए किया जाता है, 'डी<sub>2</sub>' के रूप में द्योतक होगी और 'सी<sub>2</sub>' के पांच प्रतिशत के बराबर होगी ;
- (ट) शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयोजनों के लिए और छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न प्रभावित प्रदायों के लिए, किंतु इसमें शून्य दर प्रदाय सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और 'सी3' के रूप में द्योतक होगा, जहां,--

- (ठ) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए रकम 'सी3' की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ;
- (ड) 'डी₁' और 'डी₂' के योग के बराबर रकम को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट कर की रकम की, जिसका भागत: उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और भागत: उपयोग प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमश: 'टी₁' और 'टी₂' में सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को 'टी₄' में सम्मिलित किया जाएगा।

- (2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन अवधारित इनपुट कर प्रत्यय की अंतिम रूप से संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा कर प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास में विवरणी देनेके लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,--
- (क) जहां 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में, अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमें, 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् है, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल से आरंभ होने वाली संदाय की तारीख तक की अविध के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ; और

- (ख) जहां 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में, उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमें, 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मास के लिए उसकी विवरणी में ऐसी आधिक्य रकम का दावा प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ।
- 43. पूंजी माल और कितपय मामलों में उसके विपर्यन के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति-- (1) धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए और भागत: उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या भागत: उपयोग शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए और भागत: प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, निम्नलिखित रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा, अर्थात :--
- (क) गैर कारबारी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम को प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02 में उपदर्शित किया जाएगा और उसे उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा नहीं किया जाएगा ;
- (ख) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए प्रयुक्त या अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित की जाएगी और उसे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा :
- (ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा :

परंतु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य प्रत्येक तीन मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और 'ए' की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण: खंड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है।

(घ) 'टी<sub>सी</sub>' के रूप में घोतक खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकमें किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होंगी :

परंतु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के अंतर्गत आता है, वहां प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 'ए' के मूल्य को 'टी<sub>सी</sub>' के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ;

(ङ) सामान्य पूंजी माल पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान किसी कर अवधि के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी<sub>एम</sub>' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

टीएम = टीसी ÷ 
$$60$$

- (च) ऐसे सभी सामान्य पूंजी माल पर, जिसका उपयोगी जीवन कर अवधि के दौरान अतिशेष है, कर अवधि के प्रारंभ पर इनपुट कर प्रत्यय की रकम **टी<sub>बर</sub> के रूप** में द्योतक होगी और वह सभी पूंजी माल के लिए संकलित '**टी<sub>एम</sub>'** होगी ;
- (छ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय समान प्रत्यय की रकम 'टीई' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

टीई = (ई + एफ) 
$$x$$
 टी<sub>बार</sub>

जहां,--

'ई' कर अवधि के दौरान किए गए छुट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य है, और

'एफ' कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास से पहले की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, उस अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, 'ई' और 'एफ ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा;

- (ज) संबंधित पूंजी माल के उपयोगी जीवन की प्रत्येक कर अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ रकम 'टीई' को, प्रत्यय का ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा ;
- (2) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के लिए रकम टीई की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ।
- **44. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्यन की रीति**—(1) धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 29 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों और स्टाक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--
- (क) स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपातत: ऐसे तत्स्थानी बीजकों के आधार पर की जाएगी, जिन पर रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा, ऐसे इनपुटों पर प्रत्यय का उपयोग किया गया है;
- (ख) स्टाक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्विलत इनपुट कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पांच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

## दृष्टांत :

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है।

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में = पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हए

ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय = सी,

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय = 5/60 द्वारा गुणज सी

- (2) एकीकृत कर और केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक् रूप से किया जाएगा।
- (3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा।
- (4) उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के संबंध में है, वहां प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 03 में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में है, वहां प्ररूप जी.एस.टी.आर. 10 में दिए जाएंगे।
- (5) उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित होंगे ।
- (6) पूंजी माल के संबंध में धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा, जो उपनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है और आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा।

परंतुक जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और उसे **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 01** में दिया जाएगा ।

- **45. छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शर्तें और निर्बंधन--** (1) इनपुटों, अर्ध परिरूपित माल या पूंजी माल, छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को प्रधान द्वारा जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है।
- (2) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।
- (3) तिमाही के दौरान किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए माल या छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से प्राप्त माल या किसी छुटपुट कर्मकार किसी अन्य को भेजे गए के संबंध में चालानों के ब्यौरों को तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर या पहले की अविध के लिए दिए गए **प्ररूप जीएसटी आईटीसी -1** में सम्मिलित किया जाएगा।
- (4) जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट या पूंजीमाल प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को, उस दिन पर जब उक्त इनपुट और पूंजीमाल भेजे गए, प्रदायित किए गए थे और उक्त प्रदाय प्ररूप जीएसटी आर - 1 में घोषित किया जाएगा और प्रधान कर के साथ लागू ब्याज के संदेय के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,--

- (1) "पूंजी माल" पद के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "संयंत्र और मशीनरी" भी है ;
- (2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य के अवधारण के लिए,--
- (क) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा, जैसे स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है ; और
- (ख) प्रतिभृति के मूल्य को, ऐसी प्रतिभृति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया जाएगा।

#### अध्याय 6

## कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

- **46. कर बीजक** नियम 54 के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं, जारी किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;
- (ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा
- (ग) उसके जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (ङ) प्राप्तिकर्ता का नाम पता और परिदान का पता, राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक है;
- (च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता और परिदान के पते के लिए राज्य का नाम और उसका कोड, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है और प्राप्तिकर्ता प्रार्थना करता है कि ऐसा ब्यौरा कर बीजक में अभिलिखित किया जाए;
- (छ) माल और सेवा का नामपद्धित की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली;
- (ज) मालों और सेवाओं का वर्णन;

- (झ) माल और ईकाई या उसके यूनिक मात्रा कोड की दशा में, मात्रा;
- (ञ) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कुल मूल्य;
- (ट) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का काराधेय मूल्य;
- (ठ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);
- (ड) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);
- (ढ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;
- (ण) परिदान का पता जहां वह प्रदाय के स्थान से भिन्न है;
- (त) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और
- (थ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा-

- (i) माल या सेवाओं के लिए नाम पद्धित कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अविद के लिए उल्लेख अपेक्षित होगा: और
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल और सेवाओं के लिए नामपद्धित कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आने वाले प्रदायों के लिए मास के अंत में समेकित बीजक जारी कर सकता है, जब एक दिन में किसी प्रदायकर्ता या सभी प्रदायकर्ताओं से ऐसे प्रदायों का समुचित मूल्य पांच हजार से अधिक है।

परन्तु, यह कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक में 'एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए प्रदाय' या एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए प्रदाय' जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा, और खंढ (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात:-

- (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता
- (ii) परिदान का पता और
- (iii) गंतव्य देश का नाम

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है; और
- (ख) प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और सभी ऐसी प्रदाययों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी प्रदाय के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा।
- **47. कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा** -नियम 46 में निर्दिष्ट कर बीजक, सेवाओं की कराधेय प्रदाय की दशा में, सेवा की प्रदाय की तारीख से तीस दिवस की अविध के भीतर जारी की जाएगी:

परन्तु जहां सेवाओं का प्रदायकर्ता एक बीमाकर्ता है या बैंकिग कंपनी है या वित्तीय संस्थान है जिसके अन्तर्गत एक गैर-बैंकिग वित्तीय संपनी भी है, वह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की प्रदाय की तारीख से पैंतालिस दिवस होगी:

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलिकाम प्रचालक या सेवा की प्रदायकर्ता का कोई अन्य वर्ग, जैसा भी मामला हो, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय प्रदाय के लिए, बीजक प्रदायकर्ता द्वारा लेखा बही में उसे अभिलिखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रिमास की समाप्ति से पूर्व जिसके दौरान प्रदाय की गई थी, जारी कर सकेगा।

- **48. बीजक जारी करने की रीति.-** (1) बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थातु:-
- (क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिह्नित किया जाएगा;
- (ख) दूसरी प्रति "परिवाहक के लिए द्वप्रतिक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और
- (ग) तीसरी प्रति "प्रदायकर्ता के लिए तिहरा" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (2) सेवाओं की प्रदाय की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात :-
- (क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और
- (ख) द्वितीय प्रति को "प्रदायकर्ता के लिए द्वप्रतिक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (3) कर अविध के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या **प्ररूप जीएसटी आर.11** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।
- **49. प्रदाय का बिल**-धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रदाय का बिल, निम्नलिखित ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा, अर्थात-
- (क) प्रदायकर्ता का नाम,पता और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या;
- (ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा ;
- (ग) उसके जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (ङ) माल और सेवा का नामपद्धित की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
- (च) मालों और सेवाओं या दोनों का वर्णन;
- (छ) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य;
- (ज); प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु नियम 46 का परन्तुक, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उस नियम के अधीन जारी प्रदाय के बिल को लागू होगा

परन्तु यह और कि किसी गैर-कराधेय प्रदाय की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी किसी कर बीजक या कोई अन्य समान दस्तावेज इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर बीजक के रूप में माना जाएगा ।

- **50. प्राप्ति वाउचर** -धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात
- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;
- (ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

- (ग) उसके जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (ङ) मालों और सेवाओं का वर्णन;
- (च) अग्रिम ली गई रकम;
- (छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);
- (ज) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस );
- (झ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;
- (ञ) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और
- (ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

परन्तु अग्रिम की प्राप्ति के समय,--

- (i) दर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत की दर पर संदेय किया जाएगा
- (ii) प्रदाय की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसे अन्तरराज्यीय प्रदाय के रूप में माना जाएगा
- **51. प्रतिदाय वाउचर** धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात :--
- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो ;
- (ङ) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख ;
- (च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है;
- (छ) प्रतिदाय की गई रकम ;
- (ज) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;
- (झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;
- (ञ) क्या कर विलोम प्रभार आधार पर संदेय है ; और
- (ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।
- **52. संदाय बाउचर**—धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--
- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिहन-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;
- (ङ) मालों या सेवाओं का विवरण ;
- (च) संदत्त रकम ;
- (छ) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;
- (ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;
- (झ) अंत:राज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में प्रदाय की दशा में राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान और उसका कूट ; और
- (অ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।
- **53. पुनरीक्षित कर बीजक और प्रत्यय या नामे टिप्पण**—(1) धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात :--
- (क) "पुनरीक्षित बीजक" शब्द, जहां लागू होता है वहां उसे स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;
- (ख) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर :
- (ग) दस्तावेज की प्रकृति ;
- (घ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिहन-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिहिनत किया जाएगा;
- (ङ) दस्तावेज जारी करने की तारीख;
- (च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;
- (छ) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ;
- (ज) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या ;
- (झ) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम ; और
- (অ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली कालावधि के दौरान की गई कराधेय आप्रदाययों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय आप्रदाययों के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा : परंतु यह और कि अंतराज्य आप्रदाययों की दशा में, जहां प्रदाय का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, एकीकृत पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा।

- (3) धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई बीजक या नामे टिप्पण में स्पष्ट रूप से **"इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं"** शब्द अंतर्विष्ट होंगे।
- **54. विशेष मामलों में कर बीजक**—(1) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी, यथास्थिति, कोई इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय टिप्पण में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :--
- (क) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिहन-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिहिनत किया जाएगा:
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता, जिसे प्रत्यय वितरित किया गया है, का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;
- (ङ) वितरित प्रत्यय की रकम ; और
- (च) इनपुट सेवा वितरक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर :

परंतु जहां इनपुट सेवा वितरक किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, का कार्यालय है तो किसी कर बीजक में उसके स्थान पर कोई दस्तावेज शामिल होगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं किंतु उसमें यथा उपरोक्त वर्णित सूचना अंतर्विष्ट हो ।

- (2) जहां इनपुट सेवा वितरक कोई बीमांकक या कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था है, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, तो उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिकी रूप से जारी किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो या क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं और चाहे उसमें कराधेय सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन वर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो।
- (3) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता कोई माल परिवहन अभिकरण है, जो किसी माल वाहक में सड़क द्वारा मालों के परिवहन के संबंध में सेवाओं की प्रदाय कर रहा है, उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा, जिसमें पारेषण का समग्र भाग, पारेषणकर्ता और पारेषिती का नाम, उस माल वाहक की रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसमें मालों का परिवहन किया जाता है, परिवहन किए जा रहे मालों के ब्यौरे मूल और गंतव्य स्थान के ब्यौरे, कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पारेषक या पारेषिती या माल परिवहन अभिकरण के रूप में, का माल और सेवाकर पहचान नंबर तथा अन्य सूचना, नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना भी अंतर्विष्ट होगी।
- (4) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता यात्री परिवहन सेवा की प्रदाय कर रहा है, कर बीजक में किसी भी रूप में टिकट सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो और चाहे उसमें सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी।
- (5) उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 49 या नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 53 के अधीन जारी दस्तावेजों को लागू होंगे।

# **55. बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन**—(1) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए—

(क) तरल गैस की प्रदाय, जहां प्रदायकर्ता के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,

- (ख) जो कार्य के लिए मालों का परिवहन,
- (ग) प्रदाय से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या
- (घ) ऐसी अन्य प्रदाय, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

के लिए पारेषक परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, जिसमें 16 से अधिक एक या बहुल श्रृंखलाओं में परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

- परिदान चालान की तारीख और नंबर :
- II. पारेषक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;
- III. पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;
- IV. नाम पद्धति कृट और मालों के विवरण की सुव्यवस्थित प्रणाली ;
- V. मात्रा (अनंतिम, जहां प्रदाय की जा रही वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है) ;
- VI. कराधेय मूल्य ;
- VII. कर दर और कर रकम केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को प्रदाय के लिए है :
- VIII. अंत:राज्य संचलन की दशा में प्रदाय का स्थान ; और
  - IX. हस्ताक्षर।
    - (2) निम्नलिखित रीति में मालों की प्रदाय की दशा में परिदान चालान को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात :--
    - (क) मूल प्रति को **पारेषिती के लिए मूल** के रूप में चिह्नित किया जाएगा ;
    - (ख) अनुकृति को **परिवहनकर्ता के लिए** अनुकृति के रूप में चिह्नित किया जाएगा ; और
    - (ग) तीसरी प्रति को **पारेषणकर्ता के लिए** के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
    - (3) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर परिदान चालान पर किया जा रहा है, वहां उसे नियम 138 में विनिर्दिष्ट के अनुसार घोषित किया जाएगा ।
    - (4) जहां परिवहन किए जा रहे मार्ग प्राप्तिकर्ता को प्रदाय के प्रयोजन के लिए हैं, किंतु प्रदाय के प्रयोजन के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो प्रदायकर्ता मालों के परिदान के पश्चात् कर बीजक जारी करेगा।
    - (5) जहां मालों का परिवहन सेमी नाक्ड डाउन या पूर्णतया नाक्ड डाउन स्थिति में किया जा रहा है--
    - (क) प्रदायकर्ता पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा ;
    - (ख) प्रदायकर्ता प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान जारी करेगा ;
    - (ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्स्थानी परिदान चालान की प्रतियों के साथ बीजक की सम्यकता भरी हुई प्रति संलग्न होगी ; और
    - (घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा।

#### अध्याय 7

## लेखे और अभिलेख

- **56. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा--**(1) प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा **35** की उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टयों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदाय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजक, प्रदाय के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, प्राप्ति बाउचर, संदाय बाउचर तथा प्रतिदाय बाउचर हैं, रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त किए गए और प्रदाय किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं में अतिशेष, प्राप्ति, प्रदाय, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बट्टे खाते में डाले या उपहार या नि:शुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां, तैयार माल, स्क्रैप और उनकी छीजन सम्मिलत है, की विशिष्टियां सम्मिलत होंगी।
- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक् लेखे रखेगा और उनका अन्रक्षण करेगा ।
- (4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर, दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्राप्त किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है।
- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा,--
- (क) प्रदायकर्ताओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों या सेवाओं को प्राप्त किया है;
- (ख) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता, जिनको उसने मालों या सेवाओं की प्रदाय की है, जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है;
- (ग) उन परिसरों का पूरा पता, जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक की विशिष्टियां हैं।
- (6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो समुचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की प्रदाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है।
- (7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलैक्ट्रानिकी युक्ति में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा।
- (8) रजिस्टरों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को सत्यापन के अधीन काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलैक्ट्रानिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई प्रत्येक प्रविष्टि का लॉग रखा जाएगा।
- (9) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित किया जाएगा।
- (10) जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अन्रक्षण किया जा रहा है।
- (11) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा--

- (क) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या प्रदाय करने के लिए उसके द्वारा पृथकत: प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां ;
- (ख) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;
- (ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;
- (घ) प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे ; और
- (ङ) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त कर ।
- (12) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा, जिनमें विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उप उत्पाद हैं, को दर्शित किया जाएगा।
- (13) सेवाओं की प्रदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखाओं को रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के ब्यौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे तथा प्रदाय की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे।
- (14) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखे रखेगा--
- (क) उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है ;
- (ख) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों);
- (ग) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों);
- (घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के ब्यौरे ; और
- (ङ) उन प्रदायकारों के नाम और पते, जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं।
- (15) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिलेखों को इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (16) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान, आवक प्रदाय और जावक प्रदाय के संबंध में रखे गए लेखे, सभी बीजकों, प्रदाय बिलों, प्रत्यय और नामे टिप्पण का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजीटल रूप से किया जाता है।
- (17) वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तिकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए, उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा।
- (18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है।
- **57. इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का सृजन और अभिरक्षण**—(1) अभिलेखों के समुचित इलैक्ट्रानिकी बैक-अप का अनुरक्षण और परिरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों के दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने की दशा में सूचना को युक्तियुक्त कालाविध के भीतर पुन: बहाल किया जा सके।

- (2) इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का अनुरक्षण करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उसके द्वारा सम्यकत: अधिप्रमाणित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों को हार्ड कापी या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी रूप से पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत करेगा ।
- (3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लेखाओं और अभिलेखों का इलैक्ट्रानिकी रूप में भंडारण किया जाता है तो वह मांग किए जाने पर ऐसी फाइलों के पासवर्ड के ब्यौरों और पहुंच के लिए, जहां आवश्यक हो, इस्तेमाल किए गए कूटों के स्पष्टीकरण और किसी अन्य सूचना को, जो ऐसी पहुंच के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी फाइलों में भंडारित सूचना की मुद्रित रूप में नमुना प्रति प्रस्तुत करेगा।
- **58. गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख**—(1) धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार के संबंध में **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।
- (2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा ।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो, **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** में प्रस्तुत ब्यौरों का सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से संशोधन करेगा।
- (4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--
- (क) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ अभिलेख रखेगा।
- (ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में, जिसमें भांडागार में विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण, संचलन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं।
- (5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर सम्चित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भौतिक सत्यापन को सुकर बनाएगा।

#### अध्याय 8

# विवरणियां

- **59. जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदाययों या दोनों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में या **प्ररूप जीएसटी आर-1** में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसुचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के प्ररूप जीएसटी आर-1 में प्रस्तृत ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल होंगे—
- (क) निम्नलिखित के बीजक-वार ब्यौरे—
- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंत:राज्य प्रदाय ; और
- (ii) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मृत्य के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय ;
- (ख) निम्नलिखित के एकीकृत ब्यौरे--
- (क) प्रत्येक कर दर के लिए गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंत:राज्य प्रदाय ; और
- (ख) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए के बीजक मूल्य तक के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय ;

- (ग) पूर्व में जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हों।
- (3) पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाययों के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (प्राप्तिकर्ताओं) को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग क, **प्ररूप जीएसटी आर-4क** और **प्ररूप जीएसटी आर-6क** के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आर-1** फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-2 या धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-4 या प्ररूप जीएसटी आर-6 में जोड़ी गई, सही की गई या लोप की गई आवक प्रदाययों के ब्यौरों को प्रदायकर्ता को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप जीएसटी आर-1क के माध्यम से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा प्रदायकर्ता प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और प्रदायकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत प्ररूप जीएसटी आर-1 उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा।
- **60. आवक प्रदाययों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं की आवक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्ररूप जीएसटी आर-2क के भाग क, भाग ख और भाग ग में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर ऐसे ब्यौरे तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक प्रदाययों के ब्यौरों को सम्मिलित करके, यदि कोई हों, जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्यौरों, यदि कोई हों, जिनकी **प्ररूप जीएसटी आर-2** में इलैक्ट्रानिकी रूप में धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदाययों को, जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागत: पात्र नहीं है, को **प्ररूप जीएसटी आर-2** में इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है।
- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जावक प्रदाययों, जो गैर-कराधेय प्रदाययों से संबंधित हैं या कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका **प्ररूप जीएसटी आर-2** में बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा।
- (4क) किसी गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-5** में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग क में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटी आर-2** में सम्मिलित कर सकेगा।
- (5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 66 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-6** में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2** में सम्मिलित कर सकेगा।
- (6) किसी स्रोत पर कटौतीकर्ता द्वारा धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-7** में कटौती किए गए कर के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ग में, जिसकी कटौती की गई है उसको सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटी आर-2** में सम्मिलित कर सकेगा।
- (7) किसी ई-कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-8** में स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ग में संबंधित व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटी आर-2** में सम्मिलित कर सकेगा।
- (8) **प्ररूप जीएसटी आर-2** में प्रस्तुत मालों या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदाययों के ब्यौरों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर-राज्य और अंत:राज्य प्रदाययों के बीजकवार ब्यौरे ;
- (ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात ; और
- (ग) प्रदायकर्ता से प्राप्त नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हो।

- **61. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक या गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी **प्ररूप जीएसटी आर-3** में इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी के भाग क को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटी आर-1, प्ररूप जीएसटी आर-2** के माध्यम से प्रस्तुत सचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर सुजित किया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही को या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही को नामे डालकर निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख में प्ररूप जीएसटी आर-3 में ब्यौरों को सम्मिलित करेगा।
- (4) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का **प्ररूप जीएसटी आर-3** में विवरणी में भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी को धारा 54 के अधीन फाइल किया गया आवेदन समझा जाएगा।
- (5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-2** में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि **प्ररूप जीएसटी आर-3** के स्थान पर **प्ररूप जीएसटी आर-3ख** में विवरणी को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए।
- **62. सिमश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी आर-4क** में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़कर, उन्हें सही करके या उनका लोप करके **प्ररूप जीएसटी आर-4** में इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही के नामे डालकर करेगा
- (3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तृत विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे—
- (क) रजिस्ट्रीकृत और गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाययों के अंतर-राज्य और अंत:राज्य के बीजकवार ब्यौरे ;
- (ख) की गई जावक प्रदाययों के एकीकृत ब्यौरें ;
- (4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने वित्त वर्ष के आरंभ से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लिया है, जहां अपेक्षित हो, उस अविध से संबंधित आवक और जावक प्रदाययों और नियम 59, नियम 60 और नियम 61 के अधीन विवरणी के ब्यौरे, जिसके दौरान वह व्यक्ति ऐसे ब्यौरे और विवरणियों को पश्चातवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करने के लिए दायी था, प्रस्तुत करेगा।
- **स्पष्टीकरण**—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यक्ति प्रदायकर्ता से उसके द्वारा समिश्र स्कीम का विकल्प लेने से पूर्व अवधि के लिए बीजकों या नामे टिप्पणों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (5) कोई रजिस्ट्रीकृत ब्यक्ति, जो स्वेच्छा द्वारा समिश्र स्कीम से हटने का विकल्प लेता है या जहां समुचित अधिकारी की पहल पर विकल्प को वापिस ले लिया जाता है वहां आवश्यकता होने पर धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररूप जीएसटी आर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अविध से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तक के ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा।
- **63. गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आर-5** में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत जावक प्रदाययों और आवक प्रदाययों के ब्यौरे सम्मिलित हैं तथा वह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस

अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का कर अवधि के अंत से 20 दिन के पश्चात् या रजिस्ट्रीकरण अवधि की विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात् 7 दिन के भीतर, जो भी पूर्वत्तर हो, संदाय करेगा ।

- **64. ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति कलैंडर मास या उसके भाग के पश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी आर-5क में विवरणी फाइल करेगा।
- 65. इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक प्ररूप जीएसटी आर-6क में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़ने के पश्चात् सही करने या ब्यौरों का लोप करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप जीएसटी आर-6 में विवरणी, जिसमें कर बीजकों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिन पर प्रत्यय प्राप्त किया गया है तथा जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- **66. ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) **प्ररूप जीएसटी आर-7** में इलैक्ट्रानिकी रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आर-4क** में प्ररूप **प्ररूप जीएसटी आर-7** फाइल करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (3) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को, **प्ररूप जीएसटी आर-7क** के सामान्य पोर्टल द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप में जिसकी कटौती की गई है को उपलब्ध कराया जाएगा।
- **67. ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों के विवरण को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.-** (1) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर-8** में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसे प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों के ब्यौरे तथा धारा 52 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार संग्रहीत कर की रकम अन्तर्विष्ट होगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे **प्ररुप जीएसटीआर-8** के फाइल किए जाने की देय तारीख के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटीआर-2क** के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- **68. विवरणियों के फाइल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना.-प्ररुप जीएसटीआर-3क** में सूचना ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या 55 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।
- **69. इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण.**-आवक प्रदायों, जिनके अन्तर्गत धारा 41 के अधीन अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे, **प्ररुप जीएसटीआर-**3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात्, धारा 42 के अधीन सुमेलित होंगे-
- (क) प्रदायकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
- (ख) प्राप्तकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
- (ग) बीजक या नामे नोट संख्या;
- (घ) बीजक या नामे नोट तारीख; और
- (ङ) कर रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट **प्ररुप जीएसटीआर-1** और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट **प्ररुप जीएसटीआर-2** को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख भी तद्नुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) प्ररुप जीएसटीआर-2 में उन बीजकों और नामे नोटों, जिन्हें संशोधन के बिना प्ररुप जीएसटीआर-2क के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी प्रदायकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है;
- (ii) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे नोट पर संदत्त उत्पादन कर के बराबर है या उससे कम।
- **70. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना-** (1) धारा 42 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अविध की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे की अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा, जिसे बेमेल के रूप में संसूचित किया गया है किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात्, सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- 71. इनपुट कर प्रत्यय के दावे की संसूचना और उसमें विसंगित का परिशोधन तथा इनपुट कर प्रत्यय दावे का उलट दिया जाना.- (1) धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी कर अविध की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे में कोई विसंगित तथा ऐसी विसंगित के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने के लिए दायी उत्पादन कर के ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले प्राप्तिकर्ता और प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-3** में प्रस्तुत की जाने वाली उसकी विवरणी में प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों को जोड़ना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
  - **72. एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा:-** आवक प्रदायों के ब्यौरों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-1** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।
  - **73. उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावों का सुमेलीकरण:-** उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे **प्ररुप जीएसटीआर-3** में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात् धारा 43 के अधीन सुमेलित किए जाएंगे:-
  - (क) प्रदायकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
  - (ख) प्राप्तिकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
  - (ग) जमा पत्र संख्या;

- (घ) जमा पत्र की तारीख; और
- (ङ) कर की रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-2** को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा उत्पादन कर दायित्व के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) प्ररुप जीएसटीआर-1 में उन जमा पत्रों, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क में बिना संशोधन के तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे, के जारी किए जाने के कारण उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि उक्त प्राप्तिकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है।
- (ii) उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा वहां सुमेलित समझा जाएगा जहां उत्पादन कर दायित्व की रकम दावा की गई कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, उसकी विधिमान्य विवरणी में तत्स्थानी प्राप्तकर्ता दवारा ऐसे जमा पत्र पर स्वीकृत और उन्मोचित कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, इनपुट कर दायित्व के दावे के बराबर है या उससे अधिक है।
- **74. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना-** (1) धारा 43 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे के अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) किसी ऐसी कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा, जिसे बेमेले दावे के रूप में संसूचित किया गया था किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप कोई जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- 75. उत्पादन कर दायित्व की कटौती में विसंगित की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे का उलट दिया जाना:- (1) धारा 43 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे में कोई विसंगित और ऐसी विसंगित के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने वाले उत्पादन के कर दायित्व ब्यौरे प्ररुप जीएसटी एमआईएस-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को और प्ररुप जीएसटी एमआईएस-2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित की जाएगी तथा उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-3** में दर्शायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- **76. एक बार से अधिक उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा:-** जावक प्रदायों के ब्यौरों में उत्पादन कर दायित्व में कटौती के लिए दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस-1** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

- 77. उलट दिए गए दावों का पुनः दावा करने पर संदत्त ब्याज का प्रतिदाय- धारा 42 की उप-धारा (9) या धारा 43 की उप-धारा (9) के अधीन प्रतिदाय किए जाने वाले ब्याज का दावा प्ररूप जीएसटीआर-3 में उसकी विवरणी में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05 में उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा तथा जमा की गई रकम ब्याज के लिए किसी भागीदारी के संदाय के लिए उपलब्ध होगी या कराधेय व्यक्ति धारा 54 के अधीन रकम के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।
- 78. प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों सिहत ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण- प्ररूप जीएसटीआर-8 में यथा-घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे-
- (क) प्रदाय के स्थान का राज्य; और
- (ख) शुद्ध कराधेय मूल्य:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तद्नुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

- 79. ई-वाणिज्य प्रचालक और प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में विसंगित की संसूचना और उसका परिशोधन (1) प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगित और प्रदायकर्ता द्वारा घोषित विसंगित प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को और प्ररूप जीएसटी एमआईएस-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वाणिज्य प्रचालक को सामान्य पोर्टल पर उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) ऐसा प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) कोई प्रचालक, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन कोई विसंगति परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते हैं, से उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में उसकी विवरणी में प्रदायकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और उत्पादन कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।
- **80. वार्षिक विवरणी**:-(1) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-9** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

- (2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक **प्ररूप जीएसटीआर-9ख** में उक्त धारा की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और वह प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर-9ग** में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- **81. अन्तिम विवरणी.-** धारा 45 के अधीन अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-10** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

- 82. विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक प्रदायों के ब्यौरे:-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक प्रदायों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ प्ररूप जीएसटीआर-11 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- (2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनकी कोई **प्ररूप जीएसटीआर-11** में उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।
- 83. जीएसटी व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध:- (1) प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा जो –
- (क) (i) भारत का नागरिक है;
  - (ii) स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है;
  - (iii) दिवाला के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है;
  - (iv) सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है;-
- (ख) जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्:-
- (i) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अविध तक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था; या
- (ii) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है;
- (ग) उसने-
- (i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि, बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन भी है, में डिग्री रखता हो:
- (ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जो उप-खंड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समत्तल्य है, उत्तीर्ण की हो; या
- (iii) इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या
- (iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात्:-
  - (क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की अन्तिम परीक्षा: या
  - (ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या
  - (ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-02** में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां उसके आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किया गया अभ्यावेशन उसके रह किए जाने तक विधिमान्य होगा:

परंतु जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं, संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंध लागू होते हैं, अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

- (4) यदि कोई जीएसटी व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरूद्ध उसे **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-03** में कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी पीसीटी-04 में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि वह अब से आगे जीएसटी व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरर्हित होगा।
- (5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप-नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा।
- (6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने विकल्प पर, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में सामान्य पोर्टल पर किसी जीएसटी व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अविधि के दौरान उक्त प्राधिकार में उपदर्शित हो।
- (7) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई-मेल या एसएमएस पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा:

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि के लिए किए गए अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है।

- (8) जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया-कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो-
- (क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तृत करना;
- (ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;
- (घ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रहकरण के लिए आवेदन फाइल करना:

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।

- (9) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तृत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-
- (च) किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में अपनी सहमित देगा;
- (छ) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतिकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।
- (10) जीएसटी व्यवसायी-

- (ज) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और
- (झ) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।
- (11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा।
- **84. हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शर्तै-**(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जीएसटी व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो।
- (2) किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला जीएसटी व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

#### अध्याय-9

#### कर का संदाय

- **85. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर:-** (1) धारा 49 की उप-धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01** में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।
- (2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा-
- (क) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;
- (ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम:
- (ग) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम:
- (घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय-समय पर प्रोद्भृत हो।
- (3) धारा 49 के अधीन उपबंधों के रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तद्नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तद्नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी।
- (6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसुचित करेगा।
- **86. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता-** (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।

- (2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक विकलित किया जाएगा।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।
- (4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।
- (5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।
- (6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर समझा जाएगा, यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता समुचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

- **87. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता** -(1) धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में रखा जाएगा जो जमा की गई रकम को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है।
- (2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात:-
  - (i) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;
  - (ii) प्राधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;
  - (iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि-निर्धारण;
  - (iv) नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रुपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर:

परंतु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा:-

- (क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों, जिनके अन्तर्गत जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है;
- (ग) किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया-कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए समुचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी:

परंतु यह और कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय सामान्य पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा। (5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तिवक समय सकल निपटान ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु अनिवार्य प्ररूप चालान किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

- (6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।
- (7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।
- (8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।
- (9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी, **प्ररूप जीएसटीआर-02** में दावा की गई कोई रकम नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसके इलेक्टॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।
- (10) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।
- (11) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप-नियम (10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।
- (12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसुचित करेगा।

स्पष्टीकरण: प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार समुचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

- **88. प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या.- (1)** विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।
- (2) किसी दायित्व के उन्मोचन से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी।
- (3) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

## अध्याय-10

## प्रतिदाय

- 89. कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन.-
- (1) धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई व्यक्ति, जो किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय से भिन्न भारत के बाहर निर्यातित माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा

करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा:

परंतु धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर-**3 या **प्ररूप जीएसटीआर-4** या **प्ररूप जीएसटीआर-7** में सुसंगत कर अविध के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा:

परंत् यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन-

- (क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के प्रदायकर्ता द्वारा;
- (ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि निर्यात के रुप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत, आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगाः

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय, रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में दावा की जाएगी ।

- (2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन, **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01** के उपाबंध-1 में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में जो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगाः-
- (क) आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रुप में दावा की गई धारा 107 की उप धारा (6) और धारा 112 की उप धारा(8) में विर्निद्ष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो. द्वारा पारित आदेश की प्रति:
- (ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय है;
- (ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;
- (घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 26 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा(1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठाकंन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है;
- (ङ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप नियम (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्टाकंन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्राप्तकर्ता किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ, उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है:
- (च) इस आशय की घोषणा की विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनो के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत्त करके निवेश कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है:
- (छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है;
- (ज) कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है;

- (झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रुप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;
- (ञ) अंतर-राज्य प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन लेकिन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर-राज्य प्रदाय माना गया है ;
- (ट) ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो ;
- (ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहींदी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

(इ) **प्रारुप जीएसटी आरएफडी** – **01** के उपाबंध -2 में प्रमाण-पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक हो;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए –

- (i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद "बीजक" से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है :
- (ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है।
- (3) जहां आवेदन निवेश कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा।
- (4) माल या सेवा या दोनों के शून्य-दर प्रदाय की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

प्रतिदाय रकम = माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त + सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त x सकल आई टी सी  $\div$  समायोजित कुल व्यापारआवर्त

## जहां :

- (अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ;
- (आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है ;
- (इ) "माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अविध के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है ;
- (ई) सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अविध के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

''सेवा के शून्य दर प्रदाय, सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों का योग है और सेवा के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संदाय अग्निम में किसी अवधि के पूर्व सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्निमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है;

- (उ) "समायोजित कुल व्यापारआवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अविध के दौरान शुन्य दर प्रदायों से भिन्न छुट प्रदायों के मुल्य को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है ;
- (ऊ) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है।
- (5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जाएगा

अधिकतम प्रदिदाय रकम :{(व्युतक्रमित दर के माल के प्रदाय की आवर्त) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} – ऐसे व्युतक्रमित दर के माल के प्रदाय पर संदेय कर

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्द आईटीसी और समायोजित कुल व्यापारआवर्त " से वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।

- 90. अभिस्वीकृति-- (1) जहां आवेदन ईलैक्ट्रानिक बही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02 में पावती समान पोर्टल ईलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रदिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी।
- (2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है समुचित अधिकारों के अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की अविध में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपिनयम (2) (3)और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02 में एक पावती आवेदक को समान पोर्टल इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अविध का समय से फाइल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा।
- (3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03** में समान पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से कमियों को संसूचित करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाइल करने की उससे अपेक्षा करेगा।
- (4) जहां किमयां **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03** में राज्य जीएसटी नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित किमयों सहित इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा।
- 91. अंनितम प्रतिदाय को प्रदान करना-- (1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम प्रतिदाय इस दशा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है कर तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है।
- (2) समुचित अधिभारी दावो की संविक्षा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्या यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, प्ररुप जीएसटी आरएफडी-04 में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनिधक अविध में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा।
- (3) समुचित अधिकार उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05** में संदाय सूचना जारी करेगा और उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय करेगा।
- 92. प्रतिदाय मंजूरी आदेश -- (1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदक को संदेय है; तो वह प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06 में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश करेगा; यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन अंनतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी:

परंतु यहिक उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णत: समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग क में जारी किया जाएगा।

(3) जहां समुचित अधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं हैं, वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पद्रंह दिनों की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 में उत्तर देने की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद, प्ररूप एमजीएसटी आरएफडी-06 में एक आदेश करने के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के दावे को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमित दी जाएगी

परंत् यह यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

- (4) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उप-धारा (8) के अधीन देय है, जो वह प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्ररुप जीएसटी आरएफडी-95 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय किया जाएगा।
- (5) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उप-धारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05** में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की सूचना जारी करेगा।
- **93. अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय** (1) जहां नियम 90 की उप-नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप-नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा।
- (2) जहां किसी प्रतिदाय के रुप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रुप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, **प्ररुप जीएसटी पीएमटी-03** में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज या समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

- 94. विलंबित प्रतिदार्यों पर ब्याज मंजूरी आदेश-- जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य है और संदेय योग्य है तो समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरफडी-05 में संदाय सूचना के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रजिस्ट्रकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा।
- 95. कितपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय-- (1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित साहयता केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-11 में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के कथन सहित प्ररूप जीएसटीआर-1 में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं द्वारा आंतरिक प्रदायों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा।
- (2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-02** जारी की जाएगी।
- (3) आवेदक द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि--
- (क) माल या सेवा या दोनों के आंतरिक प्रदायों का एक कर बीजक के विरुद्ध रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त हुआ है और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़कर यदि कोई है एकल कर बीजक के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य;
- (ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक में निर्दिष्ट है ; और
- (ग) ऐसे अन्य निर्बधंन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों पूरी करता हो।
- (4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजरी और संदाय को लाग होंगे।
- (5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार है जिसमें राष्ट्रपित या भारत सरकार पक्षकार है इस अध्याय के उपबंधों से असंगत है तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा।

- 96. भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) किसी निर्यातकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया गया समझा जाएगा जब :--
- (क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है ; और
- (ख) आवेदक ने प्ररूप **जीएसटी आर-3** में विधिमान्य विवरणी दी है।
- (2) प्ररूप **जीएसटी आर-1** में अन्तर्विष्टि सुसंगत निर्यात बीजकों के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर परेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है।
- (3) सामान्य पोर्टल से प्ररूप **जीएसटी आर-3** में विधिमान्य विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत्त एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जीएगी।
- (4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,--
- (क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है : या
- (ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है।
- (5) जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा।
- (6) उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर अचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-07** के **भाग ख** में आदेश पारित करेगा।
- (7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी **जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने पश्चात् प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा।
- (8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा।

#### 97. उपभोक्ता कल्याण निधि--

- (1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (4) के अधीन किए जाएंगे।
- (2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या समुचित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी।
- (3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा।
- (4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के समुचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी।
- (5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किंतु तीन मास में एक बार से कम नहीं।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषत: महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीव्य और उपयोगी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण

निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी।

- (7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत ब्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे।
- (8) समिति को शक्तियां होंगी-
- (क) किसी आवेदक को अपने समक्ष, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के सम्चित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।
- (ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी:
- (ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले सकेगी;
- (घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में सिमिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकेगी ;
- (ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी ;
- (च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान के समुचित प्रयोग को दर्शित करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी:
- (छ) ताथ्यिक असंगततओं या सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी;
- (ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरुउपयोग नहीं होगा न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी :
- (झ) लाभकारी और सुरक्षित सैक्टरों जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है को पहचान कर तदनुसार सिफारिश करेगी ;
- (ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल करे सकेगी;
- (ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी।
- (9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले ब्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकेगी।

#### अध्याय 11

### मूल्यांकन और संपरीक्षा

- **98. अनंतिम मूल्यांकन-**(1) धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अनंतिम आधार पर कर के संदाय के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से कोमन पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 01** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से स्वयं उपस्थित होने या अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने हुए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 02 में नोटिस जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 03 में नोटिस का जवाब फाइल करेगा।
- (3) उचित अधिकारी या तो आवेदन अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए आवेदन निरस्त करने या अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए आदेश जारी करेगा जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए मूल्यांकन अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है और वह प्रतिभूति जो दी जानी है जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 05** में एक बंधपत्र उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए बैंक प्रत्यभूति के रूप में प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा :

परन्तु केन्द्रीय/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंध पत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रकम" पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा ।

- (5) उचित अधिकारी धारा 60 की उपधारा (3) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित जानकारी और अवलेखों को मांगने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 06 में नोटिस जारी करेगा जिसमें प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 07 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय या लौटाए जाने वाली कोई रकम यादि कोई हो, विनिर्दिष्ट होगी।
- (6) आवेदक उपनियम (5) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए **प्ररूप** जीएसटी एएसएमटी 08 में आवेदन फाइल कर सकेगा।
- (7) उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रकम आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 09 में एक आदेश जारी करेगा।
- 99. विवरिणयों की संवीक्षा-- (1) जहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी संवीक्षा के लिए चयन की जाती है वहां उचित अधिकारी धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध जानकारी के संदर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगती की दशा में वह उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 10 में नोटिस जारी करेगा और उसको ऐसी विसंगती के बारे में जानकारी देगा तथा नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और कर, ब्याज की रकम और ऐसी विसंगती के संबंध में संदेय अन्य किसी रकम का मात्रांकन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगती को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी विसंगती से उद्भूत कर, ब्याज या किसी अन्य रकम का संदाय करेगा और उचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 11** में विसंगती के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा।
- (3) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 12 में तद्नुसार उसे सूचित करेगा।
- **100. कितपय मामलों में मूल्यांकन.--** (1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन किया गया मूल्यांकन का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 13** में जारी किया जाएगा।
- (2) उचित अधिकारी धारा 63 के उपबंधों के अनुसार कराधेय व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 14** में नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन में प्रस्तावित हैं और ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर देने के लिए पन्द्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 15** में आदेश जारी करेगा।
- (3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त मुल्यांकन का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 16 में जारी किया जाएगा।
- (4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 17** में संक्षिप्त मूल्यांकन को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा।
- (5) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन के अस्वीकार होने या यथास्थिति, वापस लेने का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18** में जारी किया जाएगा।
- **101. संपरीक्षा** (1) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष या उसका गुणक होगी।
- (2) जहां धारा 65 के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की संपरीक्षा करने का विनिश्चय किया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी 1** में नोटिस उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार जारी करेगा।
- (3) उचित अधिकारी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा वहियों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है, अधिकारियों की टीम और उसके साथ के पदधारियों की सहायता से वह दस्तावेज सत्यापित करेगा जिसके आधार पर लेखा विहयां अनुरक्षित की जाती हैं और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी और कथन, अवर्त की सत्यता, दावा की गई छूटें और कटौतियां, मालों की प्रदाय या सेवाओं या दोनों के संबंध में लागू कर की दर, उपयोग और उपयोजित इनपुट कर प्रत्यय, दावा किया गया प्रतिदाय और अन्य सुसंगत मुद्दे तथा उसके संपरीक्षा टिप्पणों में अभिलेख और प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।
- (4) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विसंगतियां यदि कोई हों के बारे में सूचित कर सकेगा और उक्त व्यक्ति अपना उत्तर फाइल कर सकेगा तथा उचित अधिकारी दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् संपरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा ।
- (5) संपरीक्षा के समाप्त होने पर उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी –2** में धारा 65 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा।

- **102. विशेष संपरीक्षा** (1) जहां धारा 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी 3** में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निदेश में विनर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निदेश देगा।
- (2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एडीटी 4** में विशेष संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा।

#### अध्याय 12

#### अग्रिम विनिर्णय

- **103. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी।
- **104.** अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रारूप और रीति—(1) धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एआरए-1 में किया जाएगा और उसके साथ पांच हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित होंगे।
- **105. प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण**—अग्रिम विनिर्णय की प्रति को, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा उसके मूल की सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
- **106. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति—(1)** आवेदक द्वारा, धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी आरए-2** में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी।
- (2) धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी एआरए-3** में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारित अधिकारी को कीजाएगी और अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपली के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,--
- (क) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ; और
- (ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से,

हस्ताक्षरित होंगे।

- **107.** प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों की प्रमाणीकरण-- अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए और सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अग्रिम विनिर्णय की प्रति,--
- (क) आवेदक और अपीलार्थी को ;
- (ख) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंधित अधिकारी को ;
- (ग) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता वाले अधिकारी को ; और
- (घ) प्राधिकरण को,

अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भेजी जाएगी।

#### अध्याय 13

#### अपील और पुनरीक्षण

- **108. अपील प्राधिकारी को अपील.** (1) धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील **प्ररूप जीएसटी एपीएल 1** में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (2) **प्ररूप जीएसटी एपीएल 1** में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (3) प्ररूप जीएसटी एपीएल 1 में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् प्ररूप जीएसटी एपीएल 2 अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा:

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल – 1** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के उपबंधों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

- **109. अपील प्राधिकारी को आवेदन**.— (1) अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल 3** में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए।
- (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल 3 में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या दी जाएगी।
- **110. अपील अधिकरण को अपील.--** (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल 5** में सुसंगत दस्तावेज़ के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।
- (2) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल 6** में अपील अधिकरण को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा
- (3) अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (4) प्ररूप जीएसटी एपीएल 5 में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल 2 में जारी किया जाएगा:

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल – 5** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

- (5) अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन करने की फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या अन्तर्वलित इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय के अन्तर अथवा अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्याधीन, एक हजार रुपए होगी ।
- (6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।
- **111. अपील अधिकरण को आवेदन.**-- (1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल-7** में अपील अधिकरण को कोमन पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपील की जाएगी।
- (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल 7 में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपील संख्या दी जाएगी।

#### 112. अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना

अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न कोई साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात् :--

- (क) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जो स्वीकृत किए जाने चाहिए थे ; या
- (ख) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा ; या
- (ग) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा ; या
- (घ) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी को अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश किया ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण अभिलेख में लिखित रूप में उसे स्वीकार करने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं करता है।
- (3) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया जाता है :--
- (क) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण या किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा ; या
- (ख) उपनियम (1) के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करना ।
- (4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण की अपील को निपटाने में उसे समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह के परीक्षण को निदेशित करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।
- **113**. **अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण का आदेश**.-- (1) अपील प्राधिकारी धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन अपने आदेश के साथ **प्ररूप जीएसटी एपीएल 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पृष्टि हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा।
- (2) अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा।
- **114. उच्च न्यायालय को अपील.-- (1)** धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील **प्ररूप जीएसटी एपीएल 8** में फाइल की जाएगी।

- (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल 8 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- **115**. **न्यायालय द्वारा मांग की पृष्टि.--** अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पृष्टि यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा हो गई है, कथन जारी करेगा।
- **116. अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता.--** जहां अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच करने पर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषी पाया जाता है, वहां आयुक्त उसे सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से निर्हरित कर देगा।

#### अध्याय 14 संक्रमणकालीन उपबंध

117. नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का अग्रेषण— (1) धारा 140 के अधीन निवेश कर के प्रत्यय को लेने का अधिकार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से निवेश कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनिधिक और अविधि द्वारा नब्बे दिन की अविधि की सीमा बढ़ा सकेगा।

परंतु यह और कि जहां निवेश निर्यात उद्देशयित इकाई या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क में अवस्थित इकाई से प्राप्त हुआ है, वहां प्रत्यय सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का उपनियम (7) में यथाउपबंधित सीमा तक अनुज्ञेय होगा ।

- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में--
- (क) धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी—
- (i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम ; और
- (ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम ; और
- (ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक का ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :--
- (i) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने तारीख या कोई दस्तावेज़ जिसके आधार पर निवेश कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था ;
- (ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;
- (iii) माल की दशा में मात्रा और उस पर इकाई या इकाई मात्रा कोड;
- (iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्य वर्धित कर या (प्रवेश शुल्क) जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है : और
- (v) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है।
- (3) प्ररूप **जीएसटी ट्रान-1** में आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-2** में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रतयय बिह को प्रत्ययित की जाएगी।
- (4) (क) (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, धारा 140 की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसरण में नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल जिसके बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदाय करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़ उसके पास नहीं है

माल पर निवेश कर प्रत्यय को लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा (जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या यथास्थिति सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमा-शुल्क की अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत है)।

(ii) उपखंड (i) में निवेश कर प्रत्यय ऐसे माल पर जिस पर केन्द्रीय कर नौ या अधिक प्रतिशत की दर से है, छह: प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगा और नियत दिन के पश्चात् ऐसे माल के प्रदाय पर लागू केन्द्रीय कर का अन्य माल पर चालीस प्रतिशत की दर से होगा तथा ऐसे प्रदाय के संदत्त किए जाने पर केन्द्रीय कर के संदाय के पश्चात् प्रत्ययित किया जाएगा।

परंतु यह कि जहां समेकित कर ऐसे माल पर संदत्त है वहां प्रत्यय की रकम तीस प्रतिशत और उक्त कर के बीस प्रतिशत की दर से क्रमश: अनुज्ञेय होगी ;

- (iii) यह स्कीम नियत दिन से छह: कर अवधियों के लिए उपलब्ध होगी।
- (ख) केन्द्रीय कर का प्रत्यय निम्नलिखित दशाओं को पूरा करने के अध्यधीन प्राप्य होंगी, अर्थात्:--
- (i) ऐसा माल केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के संपूर्ण शुल्क से अप्रतिबंध रूप से छूट प्राप्त नहीं होगा या उक्त अनुसूची में शून्य दर नहीं होगा ;
- (ii) ऐसे माल के प्रापण के लिए दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलबध है;
- (iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का ब्यौरा प्ररूप **जीएसटी ट्रान-2** में छह: कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित माल की ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे इंगित करते हैं कथन प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-2 में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बिह को प्रत्ययित की जाएगी: और
- (v) माल का स्टॉक जिसको प्रत्यय उपलब्ध है, इस प्रकार भंडारित है कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।

### 118. धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा—

प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि में **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद किया गया है और उस पर अनुज्ञेय निवेश कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

- **119.** प्रधान और **अभिकर्ता द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा--** प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 141 के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में एक घोषणा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियत दिन पर रखे निवेश का स्टॉक, अर्ध तैयार माल या तैयार माल जो लागू हो विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा।
- **120. अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे--** प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- **121. गलत रूप से प्राप्त किए गए प्रत्यय की वसूली--** नियम 97 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की गई रकम सत्यापित की जाएगी और धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां यथास्थिति चाहें वह पूर्णत: या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्राप्त किसी प्रत्यय के बाबत शुरु की जाएंगी ।

#### अध्याय 15

### मुनाफाखोरी-रोधी नियम, 2017

- **122.** प्राधिकरण का गठन.-- प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--
  - (क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतल्य पदधारण किया है या किया हो
- (ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो

- **123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन:--**(1) परिष्द्, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।
  - (2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—
  - (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और
  - (ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी ।
- **124.** प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें:-- (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद्/बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी।
- (2) अध्यक्ष को 2,25,000 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे यथाग्राहृय है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पदधारण किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे हैं।

परंतुक यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रु. 2,25000/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा।

(3) तकनीकी सदस्य को 2,05,400 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते निकालने का हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूह 'क' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राहृय है।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे रु. 2,05,400/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आय का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पन:नियक्ति के लिए पात्र होगा।

परंत् यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।

(5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंन कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।

- **125.** प्राधिकरण का सचिव.-- बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा।
- **126.** पद्धित और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति:-- प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धित और प्रक्रिया को अवधारित कर सकता है।
- **127. प्राधिकरण के कर्तब्य:--** (1) प्राधिकरण का कर्तब्य होगा कि यह अवधारित करे कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर दी दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं;
- (2) प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;
- (3) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि—
- (क) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दें;
- (ख) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तिकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; या

वसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापस की गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में समान रूप से जमा करेगा ।

- (ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और
- (घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना।
- 128. स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण:-- (1) स्थायी समिति, किसी हितबद्ध पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टिया साक्ष्य है।
- (2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों का प्रथमत: राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा, यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफरिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा।
- **129. आरंभ और कार्यवाहियों के परिचालन के सिद्धांत:--** (1) जहां स्थायी समिति ने अपना समाधान कर लिया है कि वहां दिखाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि प्रदायकर्ता द्वारा माल और सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती का फायदा या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, मामले को ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए रक्षोपाय महानिदेशालय को निर्दिष्ट करेगी।
- (2) रक्षोपाय महानिदेशालय अन्वेषण संचालित करेगा और क्या माल या सेवाओं के किसी प्रदाय पर कर की दर में कोई कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुंचा है, आवश्यक साक्ष्य संग्रहित करेगा।
- (3) रक्षोपाय महानिदेशालय, अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथायोग्य सूचना अंतर्विष्ट है, अर्थात् :--
- (क) माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई है;
- (ख) तथ्यों के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित है;
- (ग) हितबद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समय-सीमा।
- (4) रक्षोपाय महानिदेशालय ऐसे अन्य व्यक्तियों जो मामले में ऋजु जांच के लिए उपयुक्त समझे गए हैं, को सूचना जारी कर सकेगा।
- (5) रक्षोपाय महानिदेश, उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हिबद्ध पक्षकारों को दिए गए साक्ष्यों को को उपलब्ध करवाएगा
- (6) रक्षोपाय महानिदेशालय स्थायी समिति से निर्देश की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक हो के लिए स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा और अन्वेषण के पूर्व होने पर, सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा।
- **130. सूचना की गोपनीयता:--** (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 11 के उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 133 के उपनियम (2) में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, किसी जानकारी के सपष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
- (2) रक्षोपाय महानिदेशालय, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैर-गोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशालय को, कि क्यों सार करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं;

- **131.** अन्य अभिकरणों या कानूनी प्राधिकरणों के साथ सहयोग:-- जहां रक्षोपाय महानिदेशालय ठीक समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य अभिकरण या कानूनी प्राधिकारण की राय मांग सकता है।
- 132. साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति: (1) रक्षोपाय महानिदेशालय को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के लिए या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज़ के लिए आवश्यक है, के लिए उचित अधिकारी समझा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228 और 193 के अर्थ के अंतर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझी जाएं।
- **133. प्राधिकरण का आदेश.--** (1) प्राधिकरण, रक्षोपाय महानिदेशालय से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाऐं हैं।
- (2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा।
- (3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मृल्यों में कटौती की अनुस्पता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण :--
- (क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा;
- (ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड (ख) के अधीन वापिस नहीं की गई रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा।

- (ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और
- (घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रहकरण।
- **134**. **बहुमत द्वारा विनिश्चय.**-- यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा
- **135. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना.--** इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपने-अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी।
- **136. आदेश की मानीटरी.--** प्राधिकरण, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर प्राधिकरण की अपेक्षा कर सकता है।

**137. प्राधिकरण की अवधि.--**परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

- (क) "प्राधिकरण" से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ख) "समिति" से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "हितबद्ध पक्षकार" जिसके अंतर्गत—
  - क. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता ; और
  - ख. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता;
- (घ) "छानबीन समिति" से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत है।

#### अध्याय 16

#### ई-वे नियम

**138. ई-वे नियम--** सरकार, ऐसे समय तक जब तक कि ई-वे बिल प्रणाली परिषद् द्वारा विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती है, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हे उस व्यक्ति द्वारा जो प्रवहण जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भंडारण में माल ले जाने के दौरान अपने पास रखेगा।

# प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01

### [नियम 40(1) देखें]

धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के दावे की घोषणा

निम्नलिखित के अधीन द	ावा
धारा 18 (1)(क)	
धारा 18 (1)(ख)	
धारा 18 (1)(ग)	
धारा 18 (1)(घ)	

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	तारीख जिससे धारा 9(3) और धारा 9(4) को छोड़कर धारा 9 के अधीन कर के संदाय का दायित्व उद्भूत होता है	
	[धारा 18(1)(क) और धारा 18(1)(ग) के अधीन दावे के लिए]	
5.	ऐच्छिक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख	
	[धारा 18 (1)(ख) के अधीन किए गए दावे के लिए]	
6.	तारीख जिसके माल और सेवाएं कराधेय हुई हैं	
	[धारा 18 (1)(घ) के अधीन किए गए दावे के लिए]	

7. धारा 18 (1) (क) या धारा 18 (1) (ख) के अधीन दावा

ऐसे इनपुट के स्टाक और ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल में, जिस पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रमसं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	बीज	क *	स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक - में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट का	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/जमा खाता द्वारा समायोजित)	दावा कि केन्द्रीय कर	ए गए इ राज्य कर	नपुट कर के प्र संघ राज्यक्षेत्र कर	प्रत्यय की रव् एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 (क)	स्टाक में धारित इनपु	e e						1				
7 (ख) स	स्टाक में धारित अर्धप	रिरूपि	ोत माल य	ा परिरूपित माल	में अतंरविष्ट	इनपुट						
									_			

<sup>\*</sup>यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

### 8. धारा 18 (1) (ग) या धारा 18 (1)(घ) के अधीन दावा

ऐसे इनपुट के स्टाक, ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल और पूंजीमाल में, जिन पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रमसं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण		क */ ा पत्र तारीख	स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट, पूंजी माल का	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य (नामे नोट/जमा खाता द्वारा समायोजित)	दावा वि केन्द्रीय कर	राज्य कर	नपुट कर के प्र संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 (क)	स्टाक में धारित इनपु	, c										
8 (ख))	। ) स्टाक में धारित अर्ध ।	ोपरिरू 	पित माल	। या परिरूपित मार	। न में अतंर्विष्ट ा	इनपुट		1		I	<u> </u>	
8 (ग) स	ा त्टाक में धारित पूंजी ।	माल			T					Ι	<u> </u>	

\*यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

\*\* पूंजी माल का मूल्य किसी वर्ष की प्रति तिमाही या बीजक की तारीख से उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

- 9. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां [जहां लागू हों]
- (क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम
- (ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट /लागत लेखापाल का नाम
- (ग) सदस्यता संख्यांक
- (घ) प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
- (ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

10.	सत्यापन	
मैं _ जान	कारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य अ	सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।
	्रेकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर	
नाम		
	ाम/प्रास्थिति	
तारी	ख दिन/मास/वर्ष	
		प्ररूप जीएसटी आईटीसी -02
		[नियम – 41(1)देखें]
	ा 18 की उपधारा (3) के अधीन किसी कारबार तरण की घोषणा	र के विक्रय, विलयन, निर्वलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण की दशा में इनपुट कर प्रत्यय
1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
<b>7</b> 3	। गंतरित किए जाने वाले इनपट कर प्रत्यय के ब्य	nti di mananananananananananananananananananan

कर	उपलब्ध सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की	
	रकम	कर प्रत्यय की रकम
1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र		
कर		
एकीकृत कर		
उपकर		

8. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल की वि	ोशिष्टियां	
(क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम		
(ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट /लागत लेखापाल का ना	म	
(ग) सदस्यता संख्यांक		
(घ) अंतरक को प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख		
(ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)		
9. सत्यापन		
मैं सत जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और	यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा क इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।	रता हूं कि ऊपर दी गई
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर		
नाम		
पदनाम/प्रास्थिति		
तारीख दिन/मास/वर्ष		
प्ररूप जीए	सटी आईटीसी -03	
[नियम	- 44(4) देखें]	
धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन विपर्यन इनपुट कर प्रत्यय परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर कर के संदाय की घोषणा	की सूचना <b>/</b> स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में ध	ारित अर्धपरिरूपित और
1. जीएसटीआईएन		
2. विधिक नाम		
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों		
4(क). संरचना स्कीम के विकल्प के लिए फाइल किए गए आवेदन	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)	
के ब्यौरे	(ii) फाइल करने की तारीख	
[केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]		
4(ख). तारीख जिससे छूट प्रभावी होगी		
[केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]		

5. स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल के स्टाक के ब्यौरे जिन पर धारा 18(4) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय किया जाना अपेक्षित है

	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	*बीर प्रवेश सं.	जक ा पत्र तारीख	स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल का विवरण	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य** (नामे नोः जमा खाः द्वारा समायोजि	ता ह	दावा वि केन्द्रीय कर				म (रु.) उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	स्टाक में धारित इनप्				नें अतंर्विष्ट इः	नपुट (जहां	बीजक उपल	गब्ध है)					
												ı	
5 (ग) स	टाक में धारित पूंजी	<u>।</u> माल (	जहां बीज	क उपलब्ध है)									
5 (ग) स	टाक में धारित पूंजी	माल (	जहां बीज	क उपलब्ध है)									
5 (ग) स	टाक में धारित पूंजी	माल (	जहां बीज	क उपलब्ध है)									
	टाक में धारित पूंजी टाक में धारित और				पित माल में	यथाअंतर्वि	ष्ट इनपुट (ज	नहां बीज	नक उपल	गब्ध नहीं	है)		
					पित माल में	यथाअंतर्वि	ष्ट इनपुट (ज	नहां बीज	नक उपल	गब्ध नहीं	है)		
					पित माल में	यथाअंतर्वि	ष्ट इनपुट (ज	तहां बीज	नक उपल	गब्ध नहीं	है)		
5 (घ) स		स्टाकः	में धारित ः	अर्धपरिरूपित/परिरू		यथाअंतर्वि	ष्ट इनपुट (ज	नहां बीज	नक उपल	ाब्ध नहीं	है)		
5 (घ) स	-टाक में धारित और :	स्टाकः	में धारित ः	अर्धपरिरूपित/परिरू		यथाअंतर्वि	ष्ट इनपुट (ज	नहां बीज	नक उपल	ाब्ध नहीं	है)		

# \*(1)यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

(2) यदि कतिपय इनपुट के लिए बीजक उपलब्ध नहीं है तो मूल्य का प्राक्कलन अधिभावी बाजार कीमत के आधार पर किया जाएगा।

\*\*पूंजी माल का मूल्य किसी वर्ष की प्रति तिमाही या बीजक की तारीख से उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

# 6. संदेय और संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम (सारणी 5 के आधार पर)

क्रम	विवरण	संदेय कर	नकद / जमा खाता	विकलन		संदत्त इनपु	ट कर प्रत्यय र्व	<u> त</u> े रकम	
सं.			द्वारा संदाय	प्रविष्टि सं.	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
2.	राज्य कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
3.	संघ राज्यक्षेत्र कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
4.	एकीकृत कर		नकद खाता						
	7.,5		जमा खाता						
5.	उपकर		नकद खाता						
			जमा खाता						

### 7. सत्यापन

मैं	सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी ग त्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।	रई
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर		
नाम		
पदनाम/प्रास्थिति		
तारीख दिन/मास/वर्ष		

### प्ररूप जीएसटी आईटीसी 04

### [नियम 45(3) देखें]

कार्य कर्मकार को भेजे गए और वापस प्राप्त माल/पूंजी माल का ब्यौरा

- 1. जीएसटीआईएन -
- 2. (क) विधिक नाम -
  - (ख) व्यापार नाम, यदि कोई है –
- 3. अवधि:
- तिमाही -

वर्ष -

4. कार्य-संकर्म के लिए भेजे गए इनपुट/पूंजी माल का ब्यौरा

जीएसटीआईएन/अरजिस्ट्रीकृत कार्य-कर्मकार के मामले में अवस्था	चालान सं0		माल का विवरण	यूक्यूसी	परिमाण		माल का प्रकार (इनपुट/पूंजी माल)	केन्द्रीय कर	कर की दर ( राज्य/राज्यक्षेत्र कर		उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. कार्य कर्मकार से वापिस प्राप्त या कार्य-संकर्म के कारबार स्थान से बाहर भेजे गए इनपुट/पूंजी माल का ब्यौरा

अवस्था	कर्मकार से वापिस प्राप्त/भेजा गया/कार्य कर्मकार के परिसर से		तारीख	भे	ोजा गय <sup>ढ</sup> तारीख	ज्यौरा जी <b>एसटीआईएन</b>	के प प्रद वी	ारिसर से ायित की इशा में जक का ज्यौरा	विवरण	यूक्यूसी	परिमाण	कराधेय मूल्य
	गया/कार्य						बी	जक का				
	परिसर से प्रदायित			सं0		जीएसटीआईएन /अरजिस्ट्रीकृत	सं0	तारीख				
						कार्य-कर्मकार के मामले में अवस्था						
1	2	3	4	5	6	<b>जयस्या</b> 7	8	9	10	11	12	13

6. सत्या	पन			
मैं, सत्या नहीं गई		हूं कि उ	प्रपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात	त छिपाई
				हस्ताक्षर
स्थान:			प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
तारीख:				
			पदनाम/प्रास्थिति	
			प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01	
			[नियम 58(1) देखिए]	
		धारा	35(2) के अधीन नामांकन के लिए आवेदन	
		(7	केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)	
1.	(क) विधिक नाम			
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो			
	(ग) स्थायी खाता संख्या (पैन)			
	(घ) आधार (केवल संबद्ध स्वत्वधारिः मामले में लागू)	ता के		
2.	नामांकन का प्रकार			
	परिवाहक ोोदाम स्वामी/प्रच	गलक	भांडागार स्वामी/प्रचालक	
	शीतागार स्वामी /प्रचालक	$\subset$		
3.	कारबार का गठन (कृपया समुचित चयन	करें)		
(i) स्वत्व	धारिता	0	(ii) भागीदारी	0
(iii) हिन्	दू अविभक्त कुटुंब	0	(iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	0
(v) पव्लि	नक लिमिटेड कंपनी	0	(vi) सोसाइटी/क्लब/न्यास/व्यक्तियों का संगम	0
(vii) सर	कारी विभाग	0	(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम	0
(i <b>x</b> ) अर्स	ोमित कंपनी	0	(x) सीमित दायित्व भागीदारी	0
(xi) स्था	नीय प्राधिकारी	0	(xii) कानूनी निकाय	0
(xiii) विदे	क्शी लिमिटेड दायित्व भागीदारी	0	(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	0

जिला

(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

4.

5.

राज्य का नाम

अधिकारिता के ब्यौरे

	केन्द्र					राज्य							
6.	कारबार प्रारंभ कर	ने की तारीख								1			
7.	कारबार का मुख्य स	थान की विशिष्टय	†			l							
(ক)	पता												
भवन सं0./प	<u>.</u> लैट सं0.			तल सं0.									
परिसर/भवन	Г				सड़क/गली								
शहर/नगर/प	रिक्षेत्र/ग्राम				जिला								
तलुका/ब्लाक	5												
राज्य					पिन कोड								
अक्षांश					देशांतर रेखाः	श							
(평)	संपर्क सूचना			<u> </u>				1					
कार्यालय ई-	म् मेल पता			कार्याल	ाय टेलीफोन	नं0	एस	टीडी					
मोबाइल नं0	1			कार्याल	ाय फैक्स नं0		एस	टीडी					
(ग)	परिसर का स्वरूप			1			l		1				
स्वामि		पट्टे पर		किराए पर सम्मति अंशित				अन्य	(विनिद्धि	ष्टि करें)			
(ঘ)	ऊपर उल्लिखित परि	सर पर किए जा	रहे क्रियाकलाप के	कारबार	की प्रकृति								
भांडागार/डि	पो		गोदाम	) खुदरा कारबार									
कार्यालय/वि	क्रय कर्मचारी	0	शीतागार 🔘			प	रिवहन सेवाएं	<u>.</u>					
अन्य (विनि	र्देष्ट करें)	0											
8. क	गरबार के अतिरिक्त स	थान और ब्यौरे		। हारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के लिए जो़ड़े यदि कोई हो									
a,			(मद 7(क), (ख	r), (ग) औ ———	र (घ) के अनु	ुसार वही	सूचना भरें)						
9. <sup>র</sup>	क खाते के ब्यौरे												
कारबार के	संचालन के लिए अ	ावेदक द्वारा अनु	रक्षित कुल बैंक	खाता सं	ख्या								
(10 तक बैंग	(10 तक बैंक खातों की रिपोर्ट की जाए <i>)</i>												
बैंक खाते क													
खाता संख्य	Т												
खाता के प्रव	भार			•	•	आईए	फएस सी	•	•	•			
बैंक का नाग	T					1							
शाखा का प	ाता	स्वतः भ	नरा जाना चाह <u>ि</u>	ए (संपा	दकीय रूप म	<del>Ť</del> )							

			$\overline{}$	->->:
टिप्पण	1	आर	खात	जाड़

10.	स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की समिति प्रबंध के सदस्य/न्यासियों के बोर्ड आदि
	के ब्यौरे ।

विशिष्टियां	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग निंग	<पुरूष, स्त्री, अन्य >
मोबाइल नं0		ई-मेल पता	
टेलीफोन नं0, एसटीडी सहित			
पदनाम /प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई	हो)
स्थायी खाता संख्या (पैन)		आधार सं0	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/ नहीं	पासपोर्ट सं0. (विदेशियों के मामर	ने में)
निवास का पता :			,
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0	
परिसर/भवन		सड़क/गली	
शहन/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
ब्लाक/तलुका			
राज्य		पिन कोड	
देश (केवल विदेशी के मामले में)		जिप कोड	

11.	प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के ब्यौरे									
विशिष्टियां		पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम						
नाम										
फोटो										
पिता का ना	म									

जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग		<पुरूष, स्त्री	ा, अन्य >
मोबाइल सं0		ई-मेल पता			
टेलीफोन सं0, एसटीडी सहित					
पदनाम /प्रास्थिति			निदेशक पहचान संख् कोई हो)	या (यदि	
स्थायी खाता संख्या (पैन)			आधार सं0		
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/ नहीं		पासपोर्ट सं0. (विदेर्ष मामले में)	शेयों के	
भारत में निवास का पता					
भवन सं0/फ्लैट सं0		7	ाल सं0		
परिसर/भवन का नाम		ŧ	नड़क/गली		
ब्लाक/तलुका					
शहन/नगर/परिक्षक्षेत्र/ग्राम		f	जेला		
राज्य		f	पेन कोड		
12.			सम्मति		
मैं, प्रमाणीकरण के प्रयोजन केलिए	 ए यूआईडीएआई से मेरे	ब्यौरे अभिप्रा	 प्त करने के "माल और से	 वा कर नेटवर्क	
   में उपबंधित आधार संख्या पर आ					
है कि पहचान आधार घारक के पह कोष के साथ साझा किया जाएगा	हचान विधिमान्यता के		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · ·
<ul><li>13. अपलोड किए गए दस्तावेजों</li></ul>		र पता की सबर	 ਜ\		
14. सत्यापन	(16 11 311		~,		
ाय. सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता	। हूं और घोषणा करता	हूं कि ऊपर दी	ाई सूचना मेरी सर्वोत्तः -	म जानकारी ३	और विश्वास से सही है और इसमें
कोई बात छिपाई नही गई है।					
			_		हस्ताक्षर
स्थान :			प्राधिकृत	ा हस्ताक्षरी का	। नाम
तारीख :			पदनाम/प्रासि	ध्थिति	
कार्यालय उपयोग के लिए –					
नामांकन सं0				त	ारीख

# प्ररुप जीएसटी आर-1 [नियम 59 (1) देखें]

		माल और सेवाओं के सार्वजनिक	प्रदाय	के ब्य	रि						
वर्ष											
माह											
1.		जी एस टी आई एन									
2.	(ক)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम				•					
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो									
3.	(क)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन									

# 4. सारणी 6 में आने वाली प्रदाय से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (यू आई एन-धारक सहित) को सार्वजनिक कराधेय प्रदाय

(ख) संकलित आवर्तन – अप्रैल से जून, 2017

(सभी सारणियों के लिए रकम रु. में)

जीएसटी	ढ	ीजक के ब्	यौरे	दर	कराधेय		रका	<u> </u>		आपूर्ती का
आईएन/ यूआइएन	संख्या	तारीख	मूल्य		मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ	उपकर	स्थान
यूजा २८५								राज्यक्षेत्र कर		(राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का
										नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4अ. प्रदाय	ं (i) पर्ति	वर्ती प्रभा	र से संबंधी	और (ii) ई	-वाणिज्य प्रच	ालन के माध्यम	के		I	
4आ. प्रतिव	वर्ती प्रभा	र के आधा	र पर प्रदाय							

4इ. टीसीए	4इ. टीसीएस (प्रचालक वार, दर वार) से संबंधित ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से प्रदाय												
ई-वाणिज्य	प्रचालन	का जीएस	ाटीआईएन -										

5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को सार्वजनिक कराधेय की अंतरराज्यिक प्रदाय, जहाँ बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो

प्रदाय का स्थान	9	बीजक के ब्य	<u> </u> गैरे	दर	कराधेय	रक	म
(राज्य/ संघ	संख्या	तारीख	मूल्य		मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
राज्यक्षेत्र का नाम)					सख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8
5अ. सार्वजनिक प्रदा	य (ई-वाणि	ज्य दर वा	र के माध्यम	से की गई प्रदा	ाय से भिन्न)		
5आ. टीसीएस से संब	ांधी ई-वारि	गेज्य प्रचाल	न के माध्यम	। से की प्रदाय			
ई-वाणिज्य प्रचालन	का जीएसट	ी					

# 6. शून्य दर से प्रदाय और समझा गया निर्यात

प्राप्तकर्ता का जीएसटी आईएन	र्ब	ोजक के ब्ल	<u>यौरे</u>		न/निर्यात का वेल		एकीकृत कर	-
	संख्या	तारीख	मूल्य	संख्या	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6अ. निर्यात	I					L		
6आ. एस ईजेड ईकाई या एस	ई जेड वि	  कासकर्ता	को की गई	प्रदाय				
6इ. समझा गया निर्यात	,			•		•		

[भाग II — खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

# 7. सारणी 5 में आने वाली प्रदाय से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय (शुद्ध नामे नोट और जमापत्र)

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य			रकम	
		एकीकृत	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7अ. राज्यांतरिक प्रदाय					
7अ (1). एकीकृत दर वार सार्वजनिव	त प्रदाय  [ई-वाणिज्य प्रच	वालक टीसीएस संबं	धी प्रदाय सहित ]		
7अ (2) 7 आ (1) में प्रदाय से हर र्जा	ल्लिखित किया गया, टीर	नीएस संबंधी ई-वार्षि	गेज्य प्रचालन के ग	नाध्यम से की गई प्रदाय सहित	
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी अ	ाई एन				
7आ. अन्तरराज्यिक प्रदाय, जहां बीज	नक मूल्य 2.5 लाख रु. त	कि है (दर वार)			
7आ (1). प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ	त्र राज्यक्षेत्र का नाम)				
7आ (2). 7 आ (1) मे उल्लिखित प्रद	ाय से बाहर, ई-वाणिज्य	। प्रचालन के माध्यम	से की गई प्रदाय	(प्रचालक वार, दर वार )	
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी अ	॥ई एन				

### 8. शून्य दर, छूट-प्राप्त और गैर जीएसटी सार्वजनिक प्रदाय

विवरण	शून्य दर प्रदाय	छूट-प्राप्त शून्य दर/गैर जी एस टी से	गैर-जीएसटी प्रदाय
		भिन्न प्रदाय	
1	2	3	4
8अ रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय			
8आ.रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को राज्यांतरिक प्रदाय			
8इ.अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय			
8ई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को राज्यांतरिक प्रदाय			

9. सारणी 4, 5 और 6 में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए कराधेय जावक प्रदाय के ब्यौरों का संशोधन (नामे नोट, जमापत्र, चालू अवधि के दौरान जारी गिए गए प्रतिदाय वाउचर और उसका संशोधन)

मूल दस्त	तावेज व	h ब्यौरे					रे या मूल		दर	कराधेय		प्रदाय का			
			नोट/ज	समापत्र	प्र के ब्यं	रिया !	प्रतिदाय व	ाउचर		मूल्य					स्थान
			जीएसटी	बी	जक	पोत	परिवहन	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर	
आईएन	संख्या.	तारीख	आईएन				पत्र					कर	राज्यक्षेत्र		
				संख्या	तारीख	संख्या.	तारीख						कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9अ. यवि	दे बीजव	फ /पोत	परिवहन	पत्र मे	भें दिए	गए ब्यौ	रे गलत थे	<u> </u>						I	
9आ. ना	मे नोट/	' जमाप	त्र/ प्रतिद	ाय वा	उचर(म्	्लतः)					l			I	
9इ. नामे	ो नोट/	जमापत्र	त/ प्रतिदा	य वार	उचर(उ	सके संश	गोधन)	1			I			1	

10. सराणीय 7 में पूर्व कर अवधियों के लिए अरजिस्टर्ड व्यक्तियों को किए गए कारधेय जावक प्रदायों के संशोधन

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य			रकम	
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
कर अवधि जो ब्यौरे के लिए पुनरीधि	न्नेत किए जा रहे है	माह			
10अ. राज्यांतरिक प्रदाय (टीसीएस	के संबंधी ई-वाणिज्य प्र	ाचालन के माध्यम	से की गई प्रदाय	सहित) (दर वार )	
10अ. (1) 10अ मे उल्लिखित प्रदाय	से बाहर, टी सी एस से	ो संबंधी ई-वाणिज्य	प्रचालन के माध	यम से की गई प्रदाय का मूल्य	। (प्रचालक वार,
दर वार )					
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी अ	आई एन				
10आ. अंतरराज्यिक प्रदाय [टी सी ए	एस से सम्बन्धी ई-वाणि	ज्य प्रचालक के मा	ध्यम से की गई प्र	दाय सहित] (कर वार)	
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					
10आ (1).में उल्लेखित प्रदाय से बाह	हर टी सी एस से सम्बन्ध	धी ई-वाणिज्य प्रचा	।लक के माध्यम से	ों की गई प्रदाय का मूल्य (प्रच	गलक वार, दर

वार)									
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन									

# 11. आग्रेम प्राप्ति का एकीकृत विवरण/चालू कर अवधि में आग्रेम समायोजन/पूर्वतर कर अवधि में सूचना का संशोधन किया जाना

दर	कुल अग्रिम	प्रदाय			रकम			
	प्राप्त/समयोजित	(राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क	τ	उपकर	
1	2	3	4	5	6		7	
चालू	् कर <mark>अवधि के लि</mark> ए सूच	।  ना				l		
11अ. क		म की प्राप्ति जि	सके लिए बीजक न	हीं जारी किया ग	या (कर रकम को निवेश कर	दायित्व को	ा जाड़ा जाए	एगा)
11अ (1		कर वार)						
11अ (2	<u>                                     </u>	   (कर वार)						
 11आ.	। <u>       ।                            </u>	। ग्रोम रकम की प	 प्राप्ति और सारणी	 संख्या 4,5,6 और	। 7 में दिखायें गये कर अवधि	में प्रदाय वे	विरुद्ध सम	ायोजन
11आ (1	). राज्यांतरिक प्रदाय	(कर वार)						
 11आ (2	। '). अन्तरराज्यिक प्रदा	 य (कर वार)			I			
 II पूर्वतर	। कर अवधि के लिए र्ज	 ो एस टी आर-1	 1 विवरणी में सार	 णी सं० 11 (1) मे	 दी गई सूचना का संशोधन	[पुनरीक्षित	सूचना देना	 r]
माह	क्रम	सं० (चयन) में	दी गई सूचना से स	तम्बन्धित संशोधन	11अ(1)	11अ(2)	11आ(1)	11आ(2)
		1						

# 12.जावक प्रदाय का एच एस एन-वार संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	-	विवरण (वैकल्पिक,यदि एच एस एन प्रदान किया	यू क्यू सी	कुल परिमाण	कुल मूल्य	कुल कराधेय		रव	<b>हम</b>	
	•	गया हो)	\(\)	41/41/41		मूल	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# 13. कर अवधि के दौरान जारी किए गये दस्तावेज

क्रम	दस्तावेज को प्रकृति	क्रम	सं०	कुल संख्या	रद्द	शुद्ध जारी किया गया
संख्या		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	जावक प्रदाय के लिये बीजक					
2	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक प्रदाय के लिए बीजक					
3	पुनरीक्षित बीजक					
4	नामे नोट					
5	जमापत्र					
6	प्राप्ति वाउचर					
7	भुगतान वाउचर					
8	वापसी वाउचर					
9	वापसी वाउचर छुटपुट नाम के लिए वितरण चालान					
10	अनुमोदन पर प्रदाय के लिए वितरण चालान					
11	द्रव गैस के मामले में वितरण चालान					
12	प्रदाय से भिन्न मामलों में वतरण चालान (क्रम सं० 9 से 11 को छोड़कर)					

H	त्य	١ч	11

में,	सत्यो	रेष्ठा र	पे प्रो	तेज्ञान	और	घोषणा	करता ह	र् वि	ह ऊपर	दी	गई	सूच	ना मे	रे सव	त्तिम	ज्ञान	और	विश्व	ास मे	सही	है	और	इसमे	कोई	बात	छिपाई
न ई	ों गई	है औ	र उत	पाद व	न्र पर	: दायित्व	ा में किस	ी व	टौती	की	दशा	में उ	सके	फायदे	रे प्रद	ाय क	रने व	ाले प्र	गप्ति	कर्ता	को	पहुंचे	ा/पहुंच	त्राए ज	गएंगे	1

	9 9 , ,
	हस्ताक्षर
स्थान	प्राधिकृत का नाम
	पदनाम
हस्ताक्षरी	
तारीख	
प्रास्थिति	

अनुदेश -

1. प्रयुक्त शब्द :

(क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन: यूनीक पहचान संख्या(ग) यूक्यूसी: यूनीक परिमाण कोड

(घ) एचएसएन: नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(ड) पीओएस: प्रदाय का स्थान (अपने अपने राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र)

(च) बी से बी: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

(छ) बी से सी: रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

2. जीएसटी आर-1 के ब्यौरे मास की 10 तारीख को उत्तरवर्ती सुसंगत कर अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- 3. करदाता का सम्मिलित आवर्त ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए सारणी 3 की प्रारंभिक सूचना में प्रकाशित किया जाएगा । यह सूचना केवल प्रथम वर्ष में करदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जायेगी । पश्चातवर्ती विवरणियों में तिमाही आवर्त सूचना नहीं आयेगी । पश्चातवर्ती वर्षों में सम्मिलित आवर्त स्वत: वासित कहे जाएंगे।
- 4. कर अवधि से सम्बंधित बीजक स्तर की सूचना सभी प्रदाय के लिए प्रकाशित होनी चाहिए जो निम्नलिखत है:--
- (i) सभी बी से बी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक या अंत:राज्यिक हो बीजक स्तर के ब्यौर दर कर, साथ ही साथ प्रतिवर्ती प्रकार संबंधी प्रदाय और ई वाणिज्य प्रचारक से जो प्रावित है सारणी 4 में अपलोड किया जाना चाहिए इन प्रवर्गों में जावक प्रदाय सूचना सारणी प्रथृक दी जाएगी।
- (ii) सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदाय के लिए, जहां बीजक मूल्य 2,50,000/- रू से आधिक है (बी से सी बृहद बीजक स्तर के ब्यौरे दर-वार सारणी 5 में अपलोड किया जाना चाहिए; और
- (iii) सभी बी से सी प्रदाय (चाहे अंतरराज्यिक या अंत:राज्यिक हो जहां बीजक मूल्य 2,50,000 रू तक हो प्रदाय का राज्यवार संक्षिप्त विवरण, दर-वार, सारणी 7 में अपलोड किया जाना चाहिए ।
- 5. सारणी 4 में जाने वाली सूचना जो बी से बी प्रदाय से सम्बंधित है:
- (i) (क) प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न ई-वाणिज्य प्रचारक, दर-वार के माघ्यम के किए गऐ प्रदाय सारणी 4क में आएगा
- (ख) प्रतिवर्ती प्रभार, दर-वार से समबधी प्रदाय सारणी 4ख में आएगा; और
- (ग) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन, कर, सग्रहण से समबधी,प्रचापर के माध्यम से किए गऐ प्रदाय सारणी 4ग में आएगा।
- (ii) यहां वह केवल प्राप्तिकर्ता के स्थान से भिन्न है तो प्रदाय का स्थान होगा।
- 6. बी से सी बृहद बीजक की सूचना और सूचना जो सारणी 4 के समरूप होगी वें सारणी 5 में आएंगी इस सारणी में प्रदाय के स्थान का स्तंभ आज्ञापक है।
- 7. सारणी 6 में वह सूचना आएगी जो निम्नलिखित से संबंधित है:
  - (i) भारत से बाहर निर्यात
  - (ii) विशेष आर्थिक जोन ईकाई और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय
  - (iii) समझे गए निर्यात।

- 8. सारणी 6 में पोत परिवहन पत्र और उसकी तारीख के बारे में सूचना दिया जाना आवश्यक है। यद्यपि कि, यदि पोत परिवहन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी सारणी 6 में ही सूचना देना होगा। लेकिन उक्त बीजक से संबंधित किसी प्रतिदाय/छूट से पूर्व कर अवधि में, सारणी 9 में संशोधन के संबंध में, जिसके ब्यौरे उपलब्ध हों, सूचना के माध्यम से अद्यतन किया जा सकता है। पोत परिवहन पत्र के ब्यौरे पत्तन कोड (छ: अंक) के साथ 13 अकों में दिये जाएंगे, जो पोत परिवहन पत्र की संख्या द्वारा अनुसारित किया जाएगा।
- 9. विशेष आर्थिक जोन द्वारा डी टी ए को प्रवेश पत्र के आवरण के बिना किया गया कोई भी प्रदाय, जैसा कि जी एस टी आर-2 में आयातित है, उसके जीएसटी आर-2 में डी टी ए ईकाई द्वारा रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है । सेवाओं के प्रदाय से संबंध में आई जीएसटी के संदाय के लिए दायित्व का सृजन इस सारणी से किया जाएगा ।
- 10. निर्यात संव्यवहारों के मामले में प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआई एन नहीं होगा, अतः यह रिक्त रहेगा।
- 11. निर्यात संव्यवहारों को, जीआईजीएसटी (बंधपत्र/वचनबंध पत्र के अधीन) में संदाय के बिना है, उन्हें सारणी 6अ और 6आ में "0" कर रकम शीर्षक के अधीन रिपोर्ट करना आवश्यक है।
- 12. कराधेय प्रदाय के बारे निम्नलिखित सूचना सारणी 7 में दी जाएगी :
- (i) बी से सी प्रदाय (चाहे वह अन्तरराज्यिक या अन्तःराज्यिक हो) जिसका बीजक मूल्य 2,50,000 रु0 तक हो ;
- (ii) विशिष्ट कर अवधि में बनाये रखे गए नामे नोट/जमापत्र का शुद्ध कराधेय मूल्य और पूर्ववर्ती कर अवधियों से संबंधित सूचना, जिसे पूर्व में रिपोर्ट नहीं किया गाय था, उसे सारणी 10 में रिपोर्ट किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो नकारात्मक मूल्य इस सारणी में उल्लिखित किया जा सकता है ।
- (iii) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक से प्रभावित संव्यवहार जिसे प्रचालकवार और दर वार प्रावधानित किया गया है :
- (iv) स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल अंतःराज्यिक प्रदाय, दर वार सारणी 7 अ(1) में आते हैं, और कुल प्रदाय से बाहर स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ(2) में आते हैं, जो सारणी 7 अ(1) में रिपोर्ट किए जाएंगे।
- (V) स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल अंतःराज्यिक प्रदाय, दर वार सारणी 7 आ(1) में आते हैं, और कुल प्रदाय से बाहर स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 आ(2) में आते हैं, जो सारणी 7 आ(1) में रिपोर्ट किए जाएंगे : और
- (VI) राज्य वार और दर वार सूचना सारणी 7आ में आयेगी।
- 13. सारणी 9 में निम्नलिखित सूचना आएगी:
- (i) सारणी 4 में रिपोर्ट की गई बी से बी प्रदायों का संशोधन, सारणी 5 में रिपोर्ट की गई बी से बी बृहद् प्रदाय और सारणी 6 में रिपोर्ट किए गए निर्यातों/ विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्त्ता/ समझे गए निर्यात से सम्मिलित प्रदाय ;
- (ii) दर वार दी गई सूचना ;
- (iii) जारी किए गए नामे नोट /जमापत्र की मूलतः सूचना और इसके संशोधन, जो पूर्वतर कर अवधियों में प्रकाशित किए गये थे, भी आते हैं। जब सूचना प्रस्तुत की जा रही हो, तब मूलतः नामे नोट /जमापत्र, बीजक के ब्यौरे प्रथम तीन स्तंभों में उल्लिखित किए जाएगें, जब नामे नोट/ जमापत्र का पुनरीक्षण किया जा रहा हो, तब मूलतः नामे नोट/ जमापत्र के ब्यौरे इस सारणी में प्रथम तीन स्तंभो में उल्लिखित किए जाएंगे ;
- (iv) यदि वह केवल प्राप्तकर्ता के स्थान से भिन्न है, तो प्रदान करने का स्थान होगा ;
- (v) जारी किए गए बीजकों से संबंधित कोई भी नामे नोट/जमापत्र विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व सारणी में भी प्रकाशित की गई थी; और
- (vi) केवल निर्यात संव्यवहार संशोधन के मामले में पोत परिवहन पत्र प्रदान करने के लिए;

- 14. सारणी 10, सारणी 9 के समरुप है लेकिन बी से सी प्रदायों से संबंधित संशोधन सूचना सारणी 7 में प्रकाशित की गई है
- 15. कर अवधि में अग्रिम प्राप्तियां, दर कर से संबंधित सूचना और अपने-अपने प्रदाय के स्थान के साथ संदत्त कर सारणी 11 अ में आते हैं। अग्रिम प्राप्ति पर संदत्त कर के समायोजन के लिए और चालू कर अवधि में जारी किए गए बीजकों के लिए पूवर्तर कर अवधि में जारी किए गए बीजकों के लिए पूर्वतर कर अवधि में प्रकाशित की गई सारणी 11 ख में सूचना भी सम्मिलत करता है। केवल यदि उसी कर अवधि में, जिसमें अग्रिम प्राप्त किया गया था, बीजक जारी नहीं किया गया है, तो अग्रिम से संबंधित सूचना के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 16. प्रदायों का संक्षिप्त विवरण, जो विशिष्टियां एच एस एन कोड से प्रभावित है, केवल संक्षिप्त विवरण सारणी में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसे करदाताओं के लिए जिसकी वार्षिक आवर्त 1.5 करोड़ तक है, उसके लिए यह वैकल्पिक होगा, परंतु उन्हें मालों के विवरण की सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
- 17. ऐसे करदाताओं के लिए जिनका पूर्वतर वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.5 करोड़ रु. से 5.00 करोड़ रु. तक था, उन्हें दो अंकीय स्तर में, और ऐसे करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रु. से अधिक था, उन्हें चार अंकीय स्तर में एच एस एन कोड की रिपोर्ट करना आज्ञापक है।

### प्ररूप जीएसटी आर-1क

### [नियम 59(4) देखें]

### स्वतः प्रारूपित प्रदायों के ब्यौरें

(प्ररूप जी एस टी आर 2, जी एस टी आर 4 या जी एस टी आर 6)

मारु									
1.	जी एस टी आई एन								
2.	(अ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम								

### 3. सारणी सं 4 में आने वाली प्रदाय से भिन्न प्रतिवर्ती प्रभार सम्बन्धी प्रदाय सहित की गई जावक कराधेय प्रदाय

व्यापार नाम, यदि कोई हों

वर्ष

जी	3	बीजक के ब	यौरें	दर	कारधेय		रकम			प्रदाय का स्थान
एस टी आई	संख्या	तारीख	मूल्य		मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर	(राज्य/ संघ
एन/ यू								राज्यक्षेत्र		राज्यक्षेत्र का नाम)
आई								कर		,
एन										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3अ. प्रति	तेवर्ती प्रभ	। गर से भिद	त्र प्रदाय (जी	एस टी आ	र-2 की प्ररूप	सारणी 3)			I	
3आ. प्रा	तेवर्ती प्र	भार से भि	न्न प्रदाय (र्ज	ो एस टी अ	ार-2 की प्ररूप	सारणी 4)				

70				Т	HE (	GAZETTI	E OF IND	IA : EX	TRAOI	RDI	NARY	[	PART II—S	EC. 3(i)]
4. विशे	। ष आर्थि	्। कि जोन	और सम	झे गये	निर्यात	 ा के लिए शू	्न्य दर से प्रदा	ाय						
प्राप्तकत		ी एस ट	ो आई		र्ब	ीजक के ब्य <u>ं</u>	ौरें				एकी	कृत कर		
	ए	न	-	संख्य	या	तारीख	मूल्य	दर	τ		कराधेय मूल	य	कर	रकम
	1			2		3	4	5	,		6			7
4अ. वि प्रदाय	शेष आ	र्थिक ज	ोन ईकाई	या वि	षेश अ	ार्थिक जोन	विकासकर्ता व 	को की गई 	<u> </u>					
4आ. स	 मझे गये													
7 911. (1	-181 11	171710												
		- <del></del>		<del></del>		· <del>-}-</del>	 पत्र (उसके सं	<u> </u>	<u> </u>					
	•		दस्तावेज	के पून	रिक्षित	। नाट, जमा । ब्यौरें या ग ।त्र के ब्यौरें			। <b>हत)</b> प्रदाय स्थान (राज्य	<del>1</del>		कर र्व	ो रकम	
जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	जी एस टी आई एन	संख्या	तारीस	ब मूल्य	Г		संघ राज्यक्षे का ना	नेत्र	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	निष्ठा से					• •	• • •				गौर विश्वास में ने वाले प्राप्तिक			
-	-											`		हस्ताक्षर
स्थान													प्राधिवृ	ृत का नाम

हस्ताक्षरी.....

प्रास्थिति....

तारीख

पदनाम

# प्ररूप जीएसटी आर-2

[नियम	60	(1)	2	वें 1
111197	oo	'''	4	<i>a 1</i>

माल और सेवाओं की आवक प्रदाय के ब्यौरें	

वर्ष		
माह		

1.	जी एस	ाटी आई एन							
2.	(क)	रजिस्टर्ट व्यक्ति का विधिक नाम							
	(ख)	व्यापाप नाम, यदि कोई हों							

3. प्रतिवर्ती प्रकार प्रभार से सम्बन्धी प्रदाय से सम्बंधी प्रदाय से भिन्न रजिस्टर्ड व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदायों

(सभी सारणियों के लिए रकम रूपये में)

प्रदायकर्ता	बीज	कि के ब	यौरें	दर	कराधेय		कर की र	्कम		प्रदाय	जहां निवेश या	आई टी	सी उपव	त्रब्ध की र	कम
का जी एस टी					मूल्य					का स्थान	निवेश <del>रेक्ट कंटी सरक</del>	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर
200	गंकार	तारीख	пал			गकीकत कर	केन्द्रीय	L	जाकर	(राज्य/	सेवा/पूंजी माल (संयंत्र और	कर	कर	राज्य	
	तख्या	લારાજ	मूल्य			एकीकृत कर	कर कर	राज्य/संघ राज्य		संघ	मशीनरी			क्षेत्र कर	
								क्षेत्र कर		राज्यक्षेत्र का नाम)	साहत)/ आइ टा				
											सी के लिए आपत्र हों				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						-	_								

### 4. प्रतिवर्ती प्रभार संदत्त किये जाने वाले कर की आवक प्रदाय

प्रदायकर्ता	बीज	कि के ब	यौरें	दर	कराधेय		कर की	रकम		प्रदाय	जहां निवेश	आई टी	सी उपल	ब्ध की रव	कम
का जी					मूल्य					का	या निवेश	गकीकर	केन्द्रीय		उपकर
एस टी										स्थान	सेवा/पूंजी	एकाकृत कर	कन्द्राय कर	राज्य/संघ	उपकर
आई एन	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ उप	गकर	(राज्य/ संघ	माल (संयंत्र			राज्य क्षेत्र कर	
								राज्यक्षेत्र		त्तप	और मशीनरी			पान भार	

						कर	कर	कर		राज्यक्षेत्र का नाम)	लिए आपत्र				
											हों मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4अ. रजिस	-ट्रीकृत	प्रदाय	कर्ता से	आः	वक प्रदार	य की प्राप्ति (	प्रतिवर्ती	प्रभार सम	बन्धी) -						
4आ. अरि	जेस्ट्रीवृ	<u>क</u> ृत प्रदा	यकर्ता	सि	आवक प्र	दाय की प्राप्ति	ने		•						
4इ. सेवा	का आ	यात													

# 5. विदेश से या विशेष आर्थिक जोन ईकाई से प्रवेश-पत्र के लिए निवेश/पूंजी माल की प्राप्ति

प्रदायकर्ता	प्रवेश	ापत्र के	ब्यौर <del>े</del>	दर	कराधेय	7	(कम	जहां निवेश/पूंजी	आई टी सी उप	लभ्य की रकम
का जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	मूल्य		मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	माल (संयंत्र और मशीनरी सहित) आई टी सी के लिए अपात्र हैं	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5अ. आया	त त									
5आ. विशे	ोष आर्थि	त जाने से	ने प्राप्ति							
पत्तन कोड	+ प्रवेश	पत्र की स	iख्या = 1	3 अंक		निर्धारणीय	मूल्य			

# 6. सारणी 3, 4 और 5 में पूर्वतर कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए आवक प्रदाय के ब्यौरें का संशोधन (जारी किए गये (जमापत्र और उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों सहित)

	मूलत	:	बीजक	के पुन	रीक्षित	ब्यौरे	दर	कराधेय		रक	म		प्रदाय	जहां	आई व	टी सी की	ो उलभ्य र	कम
	क/प्रवे							मूल्य						निवेश या		T		
संख	या के	ब्यौरे											स्थान	निवेश सेवा/पूंजी				उपकर
जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	का जी एस टी आई एन		तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		स्वा/पूजा माल/आई टी सी के लिए अपात्र है		एकीकृत कर	राज्य/सघ राज्यक्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		के आया यौरे ग		त्रेशेष <sup>ः</sup>	आर्थिक	जोन	से प्रा	ाप्त माल	से भिन्न प्र	दाय [पू	र्वतर विव	रणियों	में सा	रणी 3 औ	र 4 में व	दी गई सू	चना] यवि	(दिये
		का आय गलत		विशेष	आर्थिव	क जोन	सेऽ	प्राप्त मार	त्र के रूप ग	में प्रदाय	[पूर्वतर वि	त्रेवणिय	गों के ग	सारणी 5	में दी गई	सूचना]	यदि दिये	गये
6इ. न	ामे नो	ट/जमा	पत्र [मूर	नतः]	I		ı						ı			ı		
6ई. <del>न</del>	गमे नो	ट/जमा	पत्र [पूर्व	तिर क	र अर्वा	धेयों म	नें ना	मे नोट/	साखपत्रों व	का किय	ा गया संश	ोधन]	ı				1	
7.	ए	कीकृत	कराधेय	व्यक्ति	ह से प्रा	प्त प्रदा	य अं	ौर अन्य	ख्रूट/शून्य	दर/गैर	जी एस टी	से प्रा	स प्रद	ाय				

विवरण		प्राप्ति से प्रदायों व	<b>ा</b> मूल्य	
	एकीकृत कराधेय व्यक्ति	प्रदाय से छूट	शून्य दल से प्रदाय	गैर जी एस टी प्रदाय
1	2	3	4	5
7अ. अन्तरराज्यिक प्रदाय				
7आ. राज्यांतरिक प्रदाय				

#### 8. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय

आईएसडी का जीएसटीआईएन		ो दस्तावेज त्ररण	आईएसडी	प्रत्यय			पाः	पात्र आईटीसी की रकम						
	संख्या	तारीख	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर				
			कर	कर	राज्यक्षेत्र		कर	कर	राज्यक्षेत्र					
					कर				कर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
8अ. आईएसडी बीजक														
8आ. आईएसडी जमापत्र														

## 8 प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय

कटौती कर्ता का जीएसटीआईएन / ई- वाणिज्यिक आपरेटर का	सकल मूल्य	ब्रिक्री वापसी	कुल कीमत	एकीकृत कर	रकम केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
जीएसटीआईएन				-		
1	2	3	4	5	6	7
9अ. टीडीएस						
9आ. टीसीएस						

# 10. प्रदाय का प्राप्ति के खाते में अग्रिम संदेय /अग्रिम समायोजन का एकीकृत विवरण

दर	सकल अग्रिम	प्रदाय का स्थान			रकम										
	संदेय	/——/ <u>-</u> —————													
		(राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर									
		का नाम)	का नाम)												
1	2	3	4	5	6	7									
(ऐ) चालू माह	्र्ष) चालू माह की जानकारी														
10अ. संदेर	य कर में प्रभारी	य प्रदाय के उत्क्रम के लि	ाए संदेय अग्रिम	रकम (आउटपुट क	र दायित्व में जोडा जाने वाला कर	की रकम)									
10आ (1). र	राज्यातरिक प्रदा	य (दर वार)													

10अ (2). अंग	तरराज्यिक प्रदा	य (दर वार)						
10आ. अग्रि	म राशि जिस प	र कर पहले की अवधि	में भुगतान किय	ा गया था, लेकिन	चालान वर्तमान	अवधि में प्राप्त हो	गया है	
( ऊपरसारणी	ो 4 में परिलक्षित	т)						
10आ (1). रा	ाज्यातरिक प्रदा	य (दर वार)						
10आ (2). अं	ांतरराज्यिक प्रदा	य (दर वार)						
॥ पूर्व माह में	सारणी संख्या 1	0 (1) में तैयार जानका	री का संशोधन	(तैयार पुनरीक्षित	जानकारी )			
माह	)10(आ1)	10आ(2)						

## 11. इनपुट कर प्रत्यय उल्टाव/वापस लेना

	आईटीसी के उत्क्रमण के लिए विवरण	आउटपुट दायित्व से		आईटीर	आईटीसी की रकम								
		जोड़ा या कम करने के लिए	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर							
	1	2	3	4	5	6							
अ.	वर्तमान कर अवधि के लिए जानकारी												
(क)	नियम 37(2) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए											
(ख)	नियम 39(1) (ञ) (ii) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए											
(ग)	नियम 42(1) (ड) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए											
(ঘ)	नियम 43(1)(ड) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए											
(ङ)	नियम 42(2) (क) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए											
(च)	नियम 42(2) (ख) के संदर्भ में राशि	कम किया जाए											
(छ) राशि	आईटीसी के उत्क्रमण के बाद भुगतान की गई के कारण	कम किया जाए											
(ज)	कोई अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)												

ख. किसी पूर्व विवरणी में क्रम संख्या क पर सारणी संख्या 11 में तैयार जानकारी का संशोधन

माह में प्रस्तुत जानकारी के संबंध में संशोधन किया						
गया है						
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
जानकारी जो आप संशोधन करना चाहते हैं निर्दिष्ट						
करें) (ड्रॉप डाउन)						

#### 12. बेमेल और अन्य कारकों के लिए सार्वजनिक कर में रकम का घटाया जाना और जोड़ा जाना

	विवरण	सार्वजनिक दायित्व से जोड़ा जाना या		रका	Ŧ	
		कम किया जाना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
(क)	बेमेल / बीजक का डुप्लीकेट / नामेनोट्स पर दावा किया गया आईटीसी	जोड़ना				
(ख)	बेमेल जमापत्र पर कर दायित्व	जोड़ना				
(ग)	बेमेल बीजक / नामेनोट्स के सुधार के कारण पुनः दावा	कम करें				
(ঘ)	बेमेल जमापत्र के सुधार के कारण पुनः दावा	कम करें				
(ङ)	पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर दायित्व	कम करें				
(च)	पूर्व में कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और वर्तमान कर अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजित	कम करें				

#### 13. आवक प्रदाय का एचएसएन सारांश

संख्या	एचएसएन	विवरण	यूक्यूसी	कुल मात्रा	कुल मूल्य	कुल कर योग्य		रक	रकम						
		(वैकल्पिक यदि				मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर					
		एचएसन							राज्यक्षेत्र कर						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

	हस्ताक्षर
स्थानः	अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख:	पदनाम / स्थिति

#### अनुदेश-

1 प्रयोग की गई शर्तें:

(क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन: विशिष्ट पहचान संख्या

(ग) युक्यूसी: यूनिट मात्रा कोड

(घ) एचएसएन: नामकरण की प्रणाली

(ङ) स्थिति: (प्रदाय की जगह) संबंधित राज्य

(च) बी से बी: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तक

(छ) बी से सी: रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

#### 2. सारिणी 3 और 4 की जानकारी प्राप्त करने के लिए

- (i) जीएसटीआर-2क में प्राप्त स्वतः बनाए गए ब्यौरे पर आधारित जीएसटीआर-2 में उपलब्ध किए जाने के लिए जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई गई कर की अवधि से संबंधित दर वार बीजक स्तरीय आवक प्रदाय जानकारी
- (ii) सारिणी 3 में प्रतिप्रदाय प्रभार को प्रभावित करने वाले के सिवाय आवक प्रदाय को पकडने वाले और प्रतिप्रदाय प्रभार को आवक प्रदाय को पकडने वाला
- (iii) प्राप्तकर्ता कर दाता के पास स्वतः जानने वाली जानकारी पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित विकल्प है:
- (क) स्वीकार करना,
- (ख) अस्वीकार.
- (ग) उपान्तंरण (यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत है), या
- (घ) कार्रवाई के लिए लंबित लेन-देन रखें (यदि सामान या सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं)
- (iv) कार्रवाई करने के बाद, प्राप्तकर्ता करदाता का यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं और अगर वह प्रत्यय का लाभ लेने के योग्य है, तो बीजक में उल्लिखित कर के खिलाफ पात्र प्रत्यय की राशि दर्ज की जानी चाहिए:
- (v) प्राप्तकर्ता करदाता भी बीजक जोड सकता है (प्रतिपक्ष प्रदायकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया है) यदि उसका बीजक पर कब्जा है और माल या सेवाओं का प्राप्त हुआ है;
- (vi) सारणी 4 क को स्वतः तैयार किया जाना है;
- (vii) प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा बीजक को जोडने के मामले में, प्रदाय (पीओएस) का स्थान प्रदाय के मामले को छोड़कर सदैव रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त है, जहां यह बीजक के स्थान से भिन्न है के लिए अपेक्षिति है;
- (viii) बीजककर्ता के पास प्रतिप्रदाय के प्रभार से होने वाले बीजकों के अतिरिक्त स्वतः बनने वाले बीजक को स्वीकार करने का विकल्प होगा जब अधिनियम की धारा 12 या धारा 13 के निबंधन में प्रदाय के समय उत्पन्न होता है
- (ix) प्राप्तकर्ता कर दाता को स्तंभ संख्या 12 में घोषित करना आवश्यक है कि क्या आवक प्रदाय इनपुट या इनपुट सेवाओं या पुंजीगत माल है (पौधे और मशीनरी सहित) है।

- 3. किसी एसईजेड यूनिट द्वारा प्रदाय किए जाने का साथ-साथ भारत के बाहर माल/पूंजीगत माल के आयात से संबंधित विवरण को सारणी 5 में प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा रिपोर्ट किया जाता है।
- 4. प्राप्तकर्ता को बिल की प्रविष्टि की जानकारी प्रदान करने के लिए छह अंक पोर्ट कोड और प्रविष्टि संख्या के सात अंकों का बिल सम्मिलित है।
- 5. सारणी 5 में कर योग्य मूल्य का अर्थ सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मान है जिस पर आईजीएसटी की गणना की जाती है (आईजीएसटी मूल्य के साथ निर्दिष्ट सीमा शुल्क पर लगाया जाता है)। आयात के मामले में, जीएसटीआईएन प्राप्तकर्ता कर दाता का होगा।
- 6. नामे या जमापत्र की मूल/संशोधित जानकारी के साथ-साथ सारणी 3, 4 और 5 में पहले कर की अवधि में दी गई, दर-वार, सूचना संशोधन करने के लिए सारणी 6 में है निर्यात लेनदेन के मामले में जीएसटीआईएन प्रदान नहीं किया जाता है।
- 7. सारणी 7 सकल मूल्य स्तर पर जानकारी लेता है।
- 8. सारणी 3 के समान सारणी 8 के समान विकल्प उपलब्ध नहीं है और आईएसडी द्वारा वितरण के रुप में प्रत्यय (चाहे पात्र या अयोग्य) को प्राप्तकर्ता इकाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए पात्रता के साथ-साथ इसे फिर से आईटीसी के रूप में योग्य रकम के साथ-साथ निर्धारित करने की अपेक्षा होगी
- 9. टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय सारणी 9 में स्वतः बनाई जाएगी । बिक्री वापसी और शूद्ध मूल्य कॉलम सारणी 9 में स्रोत पर कर के कटौती के मामले में लागू नहीं हैं।
- 10. आवक प्रदाय सारणी 3, सारणी 4 और सारणी 8 से पात्र प्रत्यय को प्ररुप जीएसटीआर-3 में अपनी विवरणी की प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता बही में भरी जाएगी ।
- 11. प्राप्तकर्ता इसके उपयोग पर अर्थात व्यावसायिक उद्देश्य या गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। निर्भर होते हुए एक बीजक पर आईटीसी से कम पर दावा कर सकता है।
- 12. प्रतिप्रदाय प्रभार प्रदाय से संबंधित अग्रिम भुगतान की जानकारी और जारी किए गए कर के समायोजन सहित बीजक द्वारा दिया गया कर सारणी 10 में सूचित किया जाना चाहिए।
- 13. तत्काल पूर्ववर्ती कर अवधि के जीएसटीआर-3 के फाइल करने के कारण बेमेल के सुधार के कारण सार्वजनिक दायित्व में कमी के साथ-साथ बेमेल के कारण अतिरिक्त दायित्व को प्राप्त करने सारणी 12 में दिया जाएगा।
- 14. एचएसएन के रिपोर्टिंग का मानदंड जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट के अनुसार होगा।

# प्ररुप जीएसटी आर-2क [नियम 60(1) देखें]

		स्वतः प्रारुपित प्रदाय र्जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 5, जीएसटी आर -6 व		τ <b>-7</b>	औ <sup>*</sup>	र ज	गिए	सर्ट	ो आ	र -	8 <del>i</del>	<b>a</b> )			
					र्ष ाह										
1.	जीएस	टीआईएन													
2.	(क) (ख)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम व्यापार नाम, यदि कोई हो													

#### <u>भाग-क</u>

# 3. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाले प्रदाय के सिवाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय

## (सभी सारणी के लिए रकम रुपए में )

प्रदाय कर्ता का जीएसटी आईएन		बीजक के ब्य	गैरे	दर	कर योग्य मूल्य		प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)			
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य/संघ उपकर राज्यक्षेत्र			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 4. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर प्रतिप्रदाय प्रभार पर कर देय है

प्रदायकर्ता जीएसटी आईएन		बीजक के ब	यौरे	दर	कर योग्य मूल्य		प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का			
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	तज्य/संघ उपकर राज्यक्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# 5. चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त अतिशेष/जमापत्र (उसके संशोधनों सहित)

मूल दस्त	ावेज के ब	यौरे	दस्तावेजों	के पुनरी	क्षेत ब्यौरे त्यय ब्यौरे	या मूल	दर	कर योग्य	कर की रकम				प्रदाय का
			) आर 	। शाप का प्र	त्यय ब्या	•		मूल्य					स्थान
जीएसटी	संख्या	तारीख	जीएसटी	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर	(राज्य का नाम)
आईएन			आईएन						, .	कर	राज्यक्षेत्र कर		((1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### <u>भाग-ख</u>

# 6. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय(उसके संशोधनों सहित)

आईएसडी का जीएसटी आईएन	आईएसडी क	ा दस्तावेज ब्यौरे	अंर्तवलित आईटीसी रकम					
	संख्या	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर		
					कर			
1	2	3	4	5	6	7		
आईएसडी बीजक –पात्र आईटीसी								
आईएसडी बीजक –अपात्र आईटीसी								
आईएसडी जमापत्र –पात्र आईटीसी								
आईएसडी जमापत्र –अपात्र आईटीसी								

#### <u>भाग -ग</u>

## 7. प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय (उसके संशोधनों सहित)

कटौतीकर्ता का	प्राप्त रकम/	ब्रिक्री वापसी	कुल कीमत		रव	<b>р</b> म
जीएसटी आईएन / ई- वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	सकल मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
7अ. टीडीएस						
7आ. टीसीएस						

प्ररुप जीएसटी आर-3 [नियम 61(1) देखें] मासिक विवरणी

वर्ष		
मास		

1.	जीएर	प्तटी आईएन														
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated													
	(ख)	व्यापार नाम यदि कोई हो	Auto Populated													

#### भाग- क (स्वत:वासित के लिए)

# (सभी सारणी के लिए रकम रुपए में )

3. आवर	F										
.संख्या	आवर्त का प्रकार	रकम									
1	2							3			
(i)	कर योग्य (शून्य दर के अलावा]										
(ii)	कर के भुगतान पर शून्य दर प्रदाय										
(iii)	कर के भुगतान के बिना शून्य दर प्रदाय										
(iv)	समझा गया निर्यात										
(v)	छूट प्राप्त										
(vi)	श्न्य दर										
(vii)	गैर जीएसटी प्रदाय										
	कुल										

## 4. सार्वजनिक प्रदाय

## 4.1 अंतरराज्यीय प्रदाय (महीने के लिए शुद्ध प्रदाय)

दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम						
		एकीकृत कर	उपकर					
1	2	3	4					
अ. कर योग्य	य प्रदाय) प्रतिवर्ती प्रभार और शून्य दर प्रदाय के सिवाय ((द	र कर बार )						
<b>आ</b> . प्रदाय प्र	।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।	ाली प्रदाय						
<b>इ</b> . ए	कीकृत कर के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय							
ई. अ	में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने	वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के	माध्यम से प्रदाय का मूल्य (दर वार)					
- ई-वाणिज्य	u ऑपरेटर के जीएसटी आईएन							

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 83

# 4.2 अंतर-राज्य की प्रदाय (महीने के लिए शुद्ध प्रदाय)

दर	कर योग्य मूल्य		कर की रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
अ. करये	ाग्य प्रदाय (प्रतिवर्ती प्रभार) [कर दर के अनुसार]			
आ. प्री	तेवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाली प्रदाय- प्रदाय के	प्राप्तकर्ता द्वारा देय कर	_	
इ. एमें उ	ल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने	वाले ई-वाणिज्य ऑपरे	टर के माध्यम से प्रदाय का मूल	य (दर वार)
ई-वाणिज्य	ऑपरेटर के जीएसटी आईएन			

# 4.3 सार्वजनिक प्रदाय के संबंध में किए गए संशोधनों का कर प्रभाविता

		ı			
दर	कुल भिन्नता मूल्य		कर	की रकम	
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(l) रा	ज्यातरिक प्रदाय				
क.कर योग्य	प्रदाय (प्रतिवर्ती प्रभार और एकीकृत दरों के भुगत	नान के साथ शून्य <b>द</b>	र प्रदाय के अलावा	ा) (दर वार)	
ख. शून्य दर	प्रदाय एकीकृत कर के भुगतान के साथ (दर वार)				
ग. क में उलि	लखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित कर	ने वाले ई-वाणिज्य	ऑपरेटर के माध्य	म से की जाने वाली प्रदाय	का मूल्य
(।।) अं	तरराज्यिक प्रदाय				
क. कर योग्य	प्रदाय (प्रतिवर्ती प्रभार के अलावा) (दर वार)				
ख. क में उति	- लिखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित क	रने वाले ई-वाणिज्य	ऑपरेटर के माध्य	म से की जाने वाली प्रदाय	का मूल्य
		•			

## 5. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाली आवक प्रदाय जिसके अंतर्गत आयात सेवाए है (शुद्ध अग्रिम समायोजन)

5अ. आवक प्रदाय जिस पर प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर देय है

कर की दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम									
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर						
1	2	3	4	5	6						
(I) आवक अंतरराज्यिक प्रदाय (दर वार)											
(II) आवक राज्य	पातरिक प्रदाय (दर वार	·)									

#### 5आ. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाले प्रदाय के संबंध में संशोधनों का कर प्रभाविता

कर की दर	भिन्नता के आधार	कर की रकम								
	पर कर योग्य मूल्य 🗕	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर					
1	2	3	4	5	6					
(I) आवक अंत	रराज्यिक प्रदाय (दर वार	)								
(II) आवक राज	यातरिक प्रदाय (दर वार)									

#### 6. इनपुट कर प्रत्यय

## आवक कर योग्य प्रदाय पर आईटीसी जिसके अंतर्गत आईएसडी से प्राप्त आयात और आईटीसी है (शुद्ध नामे नोट/जमापत्र)

विवरण	कर योग्य	कर की रकम					आईटीसी की रकम			
	मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(l) चालू कर अवधि के दौ	रान प्राप्त प्रव	द्मय और नामे	नोट / जमाप	त्र के कारण						
(क) इनपुट										
(ख) इनपुट सेवाओं										

(ग) पूजीमाल								
(ii) संशोधनों के कारण (पहले के कर अवधि में प्रस्तुत विवरण)								
(क) इनपुट								
(ख) इनपुट सेवाओं								
(ग) पूजीमाल								

## 7. बैमेल और अन्य कारणों के लिए सार्वजनिक कर में रकम का जोड़ा जाना और घटाया जाना

	विवरण	सार्वजनिक		रकम	Γ	
		दायित्व से	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर
		जोड़ा जाना	कर	कर	राज्यक्षेत्र	
		अथवा घटाया			कर	
		जाना				
	1	2	3	4	5	6
(क)	बीजक/नामे नोट के बैमेल/ दोहराव पर दावाकृत आईटीसी	जोड़ना				
(ख)	बेमेल नामे नोट्स पर कर दायित्व	जोड़ना				
(ग)	बेमेल बीजक / नामे नोट्स के सुधार पर पुनः दावा	कम करें				
(ঘ)	बेमेल जमापत्र के सुधार पर पुनः दावा	कम करें				
(ङ)	पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर देयता	कम करें				
(च)	पहले कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और चालू कर अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजन	कम करें				
(छ)	इनपुट कर प्रत्यय उत्क्रमण / पुनः दावा	जोड़ें / कम				

# 8. कुल कर देयता

कर की दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम					
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6		
8अ सार्वजनिक प्रदाय पर							
8आ प्रतिवर्ती प्रभार प्रभ	ावित करने वाला आवक प्रदाय						
8इ इनपुट कर प्रत्यय के	कारण प्रतिवर्ती/पुनः दावा						
8ई. बेमेल / सुधार / अन्य	कारणों के कारण	8 घ					

## 9. टीडीएस और टीसीएस का प्रत्यय

		रकम					
		एकीकृत कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर				
	1	2	3	4			
(क)	टीडीएस						
(ख)	टीसीएस						

# 10. ब्याज दायित्व (----- तारीख को ब्याज)

निम्नलिखित के स्थान	बैमेल पर	बैमेल बीजक	रिवर्सल	अनुचित	बैंमेल के सुधार	ब्याज	कर के देय	कुल ब्याज
पर	सार्वजनिक	पर दावाकृत	आईटीसी	आधिक्य	पर प्रत्यय ब्याज	दायित्व को	में बिलंव	दायित्व
	दायित्व	आईटीसी	के कारण	दावा या		आगे बढाना		
				आधिक्य को				
				कम करना				
				धारा 50(3) का निर्देश				
				यम । गप्र				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) एकीकृत कर								
(ख) केन्द्रीय कर								
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र								
कर								
(घ) उपकर								

## 11. विलंब फीस

निम्नलिखित के स्थान पर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3
विलंब फीस		

#### भाग-ख

#### 12. देय और संदत्त कर

विवरण	देय कर मूल्य	नगद में देय		आईसीटी के माध्यम से देय				
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	
(क) एकीकृत कर								
(ख) केन्द्रीय कर								
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर								
(घ) उपकर								

## 13. देय और संदत्त किया जाने वाला ब्याज, बिलंव फीस और अन्य रकम

विवरण	देय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित के स्थान पर ब्याज		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

## 14. इलैक्ट्रानिक रोकड़ खाता से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	प्रत्यय प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						

(घ) उपकर			
बैंक खाता विवरण (नीच करें)			

#### 15. कर/देय ब्याज के लिए इलैक्ट्रोनिक रोकड़/प्रत्यय खाता में नामें प्रविष्टियां (कर के संदाय और विवरणी को सौपे जाने के पश्चात बनाया जाना

विवरण	नगद में देय		आईटीसी के द्वारा देय कर						
	कर	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		शुल्क		
1	2	3	4	5	6	7	8		
(क) एकीकृत कर									
(ख) केन्द्रीय कर									
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर									
(घ) उपकर									

सत्यापन
---------

मैं सत्यनिष्ठा	पूर्वक प्रतिज्ञान	करता हूं औ	र घोषणा	करता हूं '	कि ऊपर	दी गई	सूचना में	रे ज्ञान अं	ौर विश्वास	से सत्य और	:सही है और	इसमें
कोई भी बात	छिपाई नहीं गई	ई है।										

	हस्ताक्षर
स्थानः	अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख:	पदनाम / स्थिति

#### अनुदेशः-

- 1. प्रयुक्त शब्द:--
- (क) जीएसटीआईएम माल और सेवा कर पहचान संख्या
- (ख) टीडीएस स्रोत पर कर कटौती
- (ग) टीसीएस स्रोत पर कर संग्रहण
- 2. जीएसटी आर-3 को केवल तभी सृजित किया जा सकेगा जब कर अवधि के जीएसटी आर-1 और जीएसटी आर-2 फाईल कर दिये गये हों।
- 3. कर दाता के इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्ट्रर, इलैक्ट्रॉनिक खातें और इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते को कर दाता द्वारा जीएसटी आर के सृजन पर अद्यतन किया जा सकेगा।
- 4. जीएसटीआर -1, जीएसटीआर-1अ और जीएसटी आर-2 के आधार पर जो एसटीआर-3 का भाग अ स्वतः ही भर जायेगा ।
- 5. जीएसटी आर-3 का भाग-आ इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते और नकद खाते में उपलब्ध प्रत्यय के उपयोग द्वारा कर, ब्याज, विलंब फीस आदि के संदाय से संबंधित है ।

- 6. सारणी 1 में बाह्य प्रदाय से संबंधित कर दायित्व बीजकों, नामें/जमा पत्रों और प्राप्त अग्रिम का शुद्ध है।
- 7. सारणी 4.1 में शून्य की दर से कर का संदाय किये बिना किए गए प्रदाय शामिल नहीं होगी।
- 8. सारणी 4.3 में प्रतिवर्त्ती प्रभार के आधार पर किए गए मूल प्रदायों का संशोधन शामिल होगा।
- 9. सारणी 5 में आगम प्रदाय पर प्रतिवर्ती प्रभार के कारण कर दायित्व बीजकों, नामें/जमा पत्रों, संदत्त अग्रिम और पूर्व के अग्रिम पर संदत्त कर के समायोजन का शुद्ध है ।
- 10. निवेश कर प्रत्यय का उपयोग धारा 49 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाना चाहिए।
- 11. पूर्ण दायित्व के उन्मोचन किये बिना फाईल किये गये जीएसटी आर-3 को विधिमान्य विवरणी के रूप में नहीं माना जायेगा ।
- 12. यदि करदाता ने एक ऐसी विवरणी फाईल की है जो पूर्व में या उसके बाद विधिमान्य नहीं थी, वह बाकी दायित्व का उन्मोचन करना चाहता है, तो उसे जीएसटी आर-3 के भाग आ को दोबारा फाईल करना पडेगा।
- 13. नकद खाते से प्रतिदाय के लिये केवल तभी दावा किया जा सकेगा जब उस कर अविध के लिय दायित्व संबंधी सभी विवरणीयों का उन्मोचन हो गया हो।
- 14. सारणी 14 के माध्यम द्वारा नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय का परिणाम जीएसटी आर-3 फाईल करने पर इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी नामें की प्रविष्टि होगी ।

#### प्ररूप जीएसटी आर- 3क

[नियम 68 देखिए)]

सदभ स०:	
तारीख:	
सेवा में,	
जीएसटी	प्राईएन
	नाम
	_ पता

#### विवरणी फाइल नऐ करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी का व्यक्तिक्रम करने वाले को सूचना

#### कर अवधि- विवरणी का प्रकार -

एक रजिस्ट्रीकृत कर दाता होने के कारण आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित अवधि तक उपरोक्त कर अवधि के लिए किए गए या प्राप्त किए गए प्रदायों के लिए कर दायित्व के परिणाम स्वरूप उनका उन्मोचन करने के लिए विवरणी प्रस्तुत करें

- 1. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर उक्त विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा । कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होगें।
- 2. कृपया नोट करें कि दायित्व निर्धारण के लिए ओर कोई संसूचना जारी नहीं की जाएगी।
- 3. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त निर्देशित विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को वापिस लिया माना जाएगा।

या

#### रजिस्ट्रीकरण के रद होने पर अन्तिम विवरणी फाइल न करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी का व्यतिक्रम करने वाले को सूचना

रदकरण आदेश संख्या -- तारीख ---

आवेदन संदर्भ संख्या - तारीख-

आदेश में विनिर्दिष्ट कारणों से रजिस्ट्रेशन को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन या आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आवेदन के फलस्वरूप, आप अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा अपेक्षित जी एस टी आर- 10 के प्ररूप में एक अन्तिम विवरणी देने के अपेक्षित थे।

- 2. यह नोटिस किया गया है कि आप ने निर्धारित तारीख तक अंतिम विवरणी फाइल नहीं की गई है।
- 3. इसिलए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अंतिम विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध या संग्रहित संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उपरोक्त कर अविधि के लिए के कर दायित्व का अवधारण किया जाएगा। कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होगें।
- 4. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को वापिस लिया माना जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

## प्ररूप जीएसटीआर - 3ख

*[*नियम 61(5) देखें *]* 



1.	जीएसटीआईएन											
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	А	uto	Po	pul	ate	d					

## 3.1 विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी जावक प्रदायों और आवक प्रदाय के ब्यौरे

प्रदाय की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर
1	2	3	4	5	6
(क) जावक कराधेय प्रदाय (शून्य दर पर, शून्यांक दर पर और छूट प्राप्त से भिन्न)					
(ख) जावक कराधेय प्रदाय  (शून्यांक दर पर)					
(ग) अन्य जावक प्रदाय (शून्य दर पर, छूट प्राप्त)					
(घ) आवक प्रदाय (विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी)					
(ङ) गैर-जीएसटी जावक प्रदाय					

## 3.2 ऊपर 3.1(क) में दर्शित प्रदायों के लिए, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, सम्मिश्रित कराधेय व्यक्तियों और यूआईएन धारकों को किए गए अन्तरराज्यिक प्रदायों के ब्यौरे

	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर की रकम
1	2	3	4
अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया प्रदाय			
सम्मिश्रित कराधेय व्यक्ति को किया गया प्रदाय			
यूआईएन धारक को किया गया प्रदाय			

## 4. पात्र आईटीसी

ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
(अ) उपलब्ध आईटीसी (पूर्ण रूप में या उसका कोई भाग)				
(1) माल का आयात				
(2) सेवाओं का आयात				
(3) विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी जावक प्रदाय (उपरोक्त 1 और 2 से भिन्न)				
(4) आईएसडी से आवक प्रदाय				
(5) अन्य सभी आईटीसी				
(आ) विपर्यय आईटीसी				
(1) सीजीएसटी नियम के नियम 42 और नियम 43 के अनुसार				
(2) अन्य				
(इ) उपलब्ध शुद्ध आईटीसी (अ) – (आ)				
(ई) अपात्र आईटीसी				
(1) नियम 17(5) के अनुसार				
(2) अन्य				

# छूट प्राप्त, शून्यांक दर पर और गैर-जीएसटी आवक प्रदायों का मूल्य

प्रदायों का प्रकृति	अन्तरराज्यिक प्रदाय	अन्तःराज्यिक प्रदाय
1	2	3
सम्मिश्रित स्कीम के अधीन किसी प्रदाय का प्ररूप, छूट प्राप्त और शून्याकं दर पर प्रदाय		
गैर-जीएसटी प्रदाय		

#### 6.1 कर का संदाय

	संदेय कर	आ	ईटीसी के माध	यम से संदत्त		संदत्त कर	नकद में	ब्याज	विलम्ब
विवरण		एकीकृत कर	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर	टीडीएस/टीसीएस	संदत्त		शुल्क
			कर	राज्यक्षेत्र			कर/उपकर		
				कर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एकीकृत कर									
केन्द्रीय कर									
राज्य/संघ									
राज्यक्षेत्र कर									
उपकर									

#### 6.2 टीडीएस/टीसीएस प्रत्यय

ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4
टीडीएस			
टीसीएस			

#### **े 🗗 📑 '**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊ]र दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छि]ाई नहीं गई है।

#### अनुदेश:

- 1) कराधेय प्रदायों का मूल्य = प्रात बीजकों का मूल्य+नामेनोटों का मूल्य-जमा] त्रों का मूल्य+अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए उसी मास में बीजक जारी किए गए हैं बीजकों के लिए समायोजित अग्रिमों का मूल्य
- अग्रिमों और बीजकों के लिए उसके लिए समायोजन के ब्यौरे, जिन्हें समायोजित किया जाना है और जो पृथक रूप से दिर्शत नहीं है
- 3) समायोजित किए जाने वाले और पृथक रुप से दिर्शत नहीं किए गए किन्हीं ब्यौरों का संशोधन।

## प्ररूप जीएसटी आर-4

## **{नियम** 62 देखें}

## प्रशमन उपग्रहण को चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए तिमाही विवरणी

वर्ष		
तिमाही		

1.		जीएसटीआइएन							
2.	क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम							
	ख	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
3.	क	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन							
	ख	संकलित आवर्तन-अप्रैल से जून, 2017							

## 4. आवक प्रदाययां जिसमें वें प्रदाययां भी शामिल है जिन पर प्रतिप्रदाय प्रभार पर कर का संदाय किया जाना है

प्रदायकर्ता की जीएसटीआइएन		जिक के ब्	यौरें	दर	कराधेय		र	कम		प्रदाय का स्थान
जा एसटा जा इए ग					मूल्य					(राज्य/संघ
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	राज्यक्षेत्र का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 क- किसी रजि	। स्ट्रीकृत प्र	दायकर्ता	से प्राप्त आ	वक प्रव	। शय प्रतिवर्ती	प्रभार से संबंधि	प्रेत प्रदायों से <sup>'</sup>	भिन्न		
4 ख - (प्रतिवर्त	प्रिभार से	संबंधित	)							
4 ग- किसी अर्रा	जेस्ट्रीकृत	प्रदायकत	सि प्राप्तः	आवक प्र	पदाय					
4 घ- सेवा का अ	गयात			•		•		,	•	

## 5. सारणी 4, में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गये कराधेय आवक प्रदाय के ब्यौरों का संशोधन {नामे नोट, जमा पत्र, चालू अवधि के दौरान जारी किये गये प्रतिदाय वाउचर और उसका संशोधन}

मूल	दस्तावेज	के ब्यौरें	बी	जिक के	पुनरीक्षि	त ब्यौरें	दर	कराम्चेय मूल		रकम		प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	
जीएसटी आईएन	संख्या	तारीख	जीएस टीआईएन		तारीख	मूल्य			<b>एकीकृत</b> कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 क- प्रदा	ार्थों (पूर्व ी	विवरणी के र	सारणी 4 में	दी गई	सूचना) व	यदि पूर्व मे दि	ये गये ब	यौरे गलत थे	. 1				
 5 ख - ना	में नोट/ज	मा पत्र/ मूल	रूप में										
	ों नोट/जम	n पत्र [पूर्व	कर अवधिय	ों में दि	 ये गय ना	मे नोट/जमाप	  त्रकास	iशोधन					

## 6. जावक प्रदायों पर कर (अग्रिम और वापिस किया गया माल का शुद्ध)

कर की दर	आवर्तन	प्रशमन कर की रकम		
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	
1	2	3	4	

#### 7. सारणी 6 में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणी में दिये गय जावक प्रदाय के ब्यौरें में संशोधन

तिमाही	दर		मूल ब्यौरें		पुनरीक्षित ब्यौरें			
		आवर्तन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	आवर्तन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	

# 8. प्रदाय की प्राप्ति के कारण संदत्त अग्रिम/समायोजित अग्निम का एकीकृत विवरण

दर	सकल संदत्त अग्रिम	प्रदाय का स्थान			रकम			
		(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7		
(I) चार	ब्रू तिमाही की सूचन	Т	1	I				
8अ- कर अवधि	धे में प्रतिवर्ती प्रभार	प्रदाय के लिए संदत्त अ	ग्रेम रकम (कर रक	म को निर्गम कर	दायित्व मे जोडा जायेगा	)		
8अ (1). पूरे	राज्य में प्रदाय (दर	वार)						
8आ (2). স	न्तरराज्यीय प्रदाय (	दर वार)						
	• •	ो अवधि कर का संदाय ी ायित्व में से घटाया जाए	_	बीजक चालू अ	वधि (उपरोक्त सारणी 4 ः	में निर्देशित) में प्राप्त		
8 आ (1). पू	रे राज्य में प्रदाय (द	र वार)						
8 आ (2). अ	न्तरराज्यीय प्रदाय	(दर वार)						
ll किसी पूर्व तिमाही के लिए सारणी सं0 8 1 में दी गई सूचना में संशोधन								
वर्ष	-तिमाही	धारा सं0 (चुनें) में दी ग	ई सूचना से संबंधित	त संशोधन	8अ (1) 8आ (2)	8आ (1) 8आ (2)		

## 9. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय

जीएसटीआई एन का कटौती कर्त्ता	सकल मूल्य	रकम			
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
1	2	3	4		

## 10. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदेय कर रकम	संदत्त कर रकम
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
(घ) उपकर		

## 11. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस आदि

विवरण	संदेय कर रकम	संदत्त कर रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित से ब्याज-		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		

## 12. इलैक्ट्रानिक नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं0
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
(घ) उपकर						
बैंक खाता विवरण (नीचे खीचें)						

#### 13. कर/ब्याज संदाय के लिए नकद खाते में नामें प्रविष्टियां

[कर संदेय और विवरणी जमा करने के पश्चात् भरा जाए]

विवरण	नकद में संदत्त कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			
(घ) उपकर			

#### सत्यापन:-

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर	
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
पदनाम/प्रास्थिति	

स्थान

तारीख

#### अनुदेश -

1. प्रयुक्त शब्द:

(क) जी एस टी आई एन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) टी डी एस: स्रोत पर कटौती

- 2. जी एस टी आर-4 में ब्यौरे संबंधित कर अवधि के उत्तरवर्ती माह कि 11वीं और 18वीं तारीख के बीच दिए जाने चाहिए।
- 4. सारणी-4, दर वार आवक प्रदायों से संबंधित सूचना का प्रग्रहण :
- (i) सारणी-4अ, प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्त्ताओं से आवक प्रदाय का प्रग्रहण । वह सूचना जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-5 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि गई सूचना से स्वत: भरी जाएगी ।

- (ii) सारणी-4आ, प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्त्ताओं से आवक प्रदाय का प्रग्रहण । वह सूचना जी एस टी आर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि गई सूचना से स्वत: भरी जाएगी ।
- (iii) सारणी-4इ, अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों के प्रग्रहण के लिए।
- (iv) सारणी-4ई, सेवा के आयात के प्रग्रहण के लिए
- (v) कर प्राप्त करता को स्वत: भरे गए बीजकों/ प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित अतिरिक्त बीजकों को स्वीकार करने का विकल्प केवल तभी होगा जब अधिनियम की धारा 12 या 13 की शर्तों में व्यृत्पन्न प्रदाय के समय होगा ; और
- (vi) प्रदाय का स्थान (पी.ओ.एस) केवल यदि वह प्राप्तिकर्ता के अवस्थिति से भिन्न है।
- 5. सारणी 5, दर-वार, पूर्व कर अवधियों में दी गई सूचना का संशोधन और प्राप्त नामे और जमा पत्र की मूल संशोधित सूचना का प्रग्रहण के लिए है। प्रदाय के स्थान को केवल तभी रिर्पोट किया जाना है जब वह प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से भिन्न है। मूल नामें/जमा पत्र की सूचना देते समय बीजक के ब्यौरें का पहले तीन स्तंभों में उल्लेख किया जाएगा। किसी नामें/जमा पत्र का पुनरीण देते समय, मूल नामें/जमा पत्र के ब्यौरें का इस सारणी के प्रथम तीन स्तंभों में उल्लेख किया जाएगा।
- 6. सारणी 6, जावक प्रदायों, जिसमें अग्रिम और चालू कर अवधि के दौरान वापिस किये गये माल का शुद्ध भी है, के ब्यौरें के प्रगृहण के लिए है ।
- 7. सारणी 7, पूर्ववर्त्ती विवरणियों की सारणी 6 में रिपोर्ट किये गये गलत ब्यौरों के संशोधन ब्यौरे के प्रगृहण के लिए है ।
- 8. प्रतिवर्ती प्रभार प्रदायों से संबंधित संदत्त अग्रिम और इस पर संदत्त कर की सूचना जिसमें जारी बीजकों के सापेक्ष समायोजन भी शामिल है को सारणी 8 में रिर्पोट किया जायेगा।
- 9. टीडीएस प्रत्यय सारणी 9 में स्वतः भरा होगा।

#### प्ररूप जीएसटी आर-4क

#### [नियम 59(3) और 66(2) देखें]

समझौता उद्गहण का विकल्प चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्वप्रारूपित ब्यौरे

(जीएसटी आर-1, जीएसटी आर-5 और जीएसटी आर-7से स्वप्रारूपित)

वर्ष		
तिमाही		

1.	जीएस	तटीआईएन													
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Αι	uto	Po	pu	late	d							
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	Αι	uto	Po	pu	late	d							

## 3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसके अंतर्गत प्रतिकूल प्रभार वाले प्रदाय भी है

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बी	जक के ब्य	गैरे	दर	कराधेय मूल्य		कर की रकम							
	सं.	तारीख मूल्य				एकीकृत कर	एकीकृत कर   केन्द्रीय कर   राज्य/संघ   उपक   राज्यक्षेत्र कर							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3अ. रजिस्ट्रीकृत	प्रदायकत	र्ग (प्रतिकृ	ल प्रभार	वाले प्र	दायों से भि	न्न) से प्राप्त आवव	क प्रदाय							
3आ. रजिस्ट्रीकृत	। प्रदायकः	। र्ता (प्रतिकू	ल प्रभार	वाले <b>)</b>	। से प्राप्त आव	। क प्रदाय				1				

## 4. चालू अवधि के दौरान प्राप्त नामेनोट/जमा पत्र (इसके अंतर्गत उसके संशोधन भी है)

मूल दस्तावे	ोजों के		दस्तावेज मूल नामेन	_			दर	कराधेय मूल्य		कर की	रकम		प्रदाय का स्थान
जीएसटी	सं.	तारीख	जीएसटी	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर	(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
आईएन			आईएन								राज्यक्षत्र कर		कानाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### 5. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय

कटौतीकर्ता की	सकल मूल्य	कर की रकम					
जीएसटीआईएन		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर				
1	2	3	4				

## प्ररूप जीएसटी आर-5

*(*नियम *63* देखें)

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के लिए विवरणी

वर्ष		
मास		

1.	जीएस	तटीआईएन										
2.	(ক)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Α	uto	Po	ри	late	ed				
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	Α	uto	Po	pu	late	ed				
	(ग)	रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्य अवधि	Α	uto	Po	pu	late	ed				

3. विदेश से प्राप्त इनपुट/पूंजी (माल का आयात)

(सभी सारणियों के लिए रकम रुपए में)

प्र	वेशपत्र के ब्य	ौरे	दर	कराधेय	रकम		उपलब्ध आईटीसी की रकम		
सं.	तारीख	मूल्य	मूल		एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत रकम	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

4. किसी पूर्ण विवरणी में दिए गए ब्यौरों में संशोधन

Ŧ	पूल ब्यौरे		पुनरीक्षित ब्यौरे												
7	प्रवेशपत्र	प्रवेशपत्र			दर	कराधेय मूल्य	रकम		उपलब्ध आईटीसी की रकम			)			
सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत कर	उपकर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

5. (यूआईएस धारकों सहित) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए जावक प्रदाय

जीएसटीआईएन/यू आईएन	2	गिजक के ब्य	ौरे	दर	कराधेय		रव	म		प्रदाय का
आईएन	सं.	तारीख	मूल्य		रकम	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य /	उपकर	स्थान
						कर	कर	संघ		(राज्य/संघ
								राज्यक्षेत्र		राज्यक्षेत्र का
								कर		नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. जहां बीजक का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है वहां अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक अंतरराज्यिक प्रदाय

प्रदाय का		बीजक के व	व्यौरे	दर	कराधेय मूल्य	रकम				
स्थान	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर			
(राज्य)										
1	2	3	4	5	6	7	8			

7. सारणी 6 में वर्णित प्रदायों से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय (शुद्ध नामे नोट और जमापत्र)

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम					
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	उपकर		
				कर			
1	2	3	4	5	6		
7अ. अंतःराज्यिक प्रदाय (एव	ा तिकृत, दर वार)	I		1			
7आ. अंतरराज्यिक प्रदाय ज	हां बीजक का मूल्य 2.	5 लाख रुपए तक हैं (ब	हर वार)				
प्रदाय का स्थान (राज्य का न	ाम)						

8. सारणी 5 और सारणी 6 में पूर्ववर्ती दर अवधियों के लिए विवरणियों में दिए गए कराधेय जावक प्रदायों के ब्यौरों का संशोधन [जिसके अंतर्गत नामेनोट/जमापत्र और उनके संशोधन भी है]

मूल दस्त	ावेज के	ब्यौरे	दस्तावेज वे नामेन	•	क्षित ब्यौरे ⊓पत्र के ब्यं	• •	दर	कराधेय मूल्य	रकम			प्रदाय का स्थान	
जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत रकम	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	(राज्य/सं घ राज्यक्षेत्र का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8अ. यदि पह	हले दिए	गए बीज	क ब्यौरे गल	त थे	•	ı	I	I			I.		
8आ. नामेन	ोट/जम	ापत्र [मूल)	]										
8इ. नामेनो	ट/जमा	पत्र [पूर्वव <i>त</i>	र्ती टैक्स कर	अवधिय	गों में दिए ग	ाए नामेन	ोट/जम्	गपत्रों का सं	iशोधन]		1		

9. सारणी 7 में पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए दिए गए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक प्रदायों का संशोधन

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम					
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	उपकर		
				कर			
1	2	3	4	5	6		
कर अवधि जिसके लिए ब	यौरों को पुनरीक्षित वि	केया जाना है		1			
9अ. अंतःराज्यिक प्रदाय	[दर वार]						
9आ. अंतरराज्यिक प्रदाय	[दर वार]		•				
प्रदाय का स्थान <b>(</b> राज्य क	ा नाम)						

## 10. कुल कर दायित्व

			ৰ	<sub>कर</sub> की रकम	
कर की दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
10अ. जावक प्रदाय के महे	•				
10आ. सारणी 4 में नकार	ात्मक होने के कारण अंत	रीय आईटीसी के मद्दे			

#### 11. संदेय और संदत्त कर

	विवरण	संदेय कर	नकद में संदाय	आईटीसी के माध्यम से संदाय		संदत्त कर
				एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3	4	5	6
(क)	एकीकृत कर					
(ख)	केन्द्रीय कर					
(ग) कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र					
(ঘ)	उपकर					

## 12. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस और कोई अन्य रकम

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज के मद्दे		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
<b>(II)</b> विलंब फीस के मद्दे		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर		

# 13. इलैक्ट्रानिक जमा खाते से दावा किया गया प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	विकलन प्रविष्टि सं.
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						

(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
(घ) उपकर					
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे दें)	बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे दें)				

14. कर/ब्याज संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक नकद/जमाखाते में विकलन प्रविष्टियां [कर का संदाय करने और विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् बनाया गया]

	विवरण	नकद में संदत्त कर	आईटीसी के माध्यम से संदत्त कर		ब्याज	विलंब शुल्क
			एकीकृत कर	उपकर		
	1	2	3	4	5	6
(क)	एकीकृत कर					
(ख)	केन्द्रीय कर					
(ग) कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र					
(ঘ)	उपकर					

#### सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख	
	पदनाम/प्रास्थिति

#### अनुदेश :-

1. प्रयुक्त किए गए पद:

(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

- (ग) युक्यूसी : इकाई मात्रा कोड
- (घ) एचएसएन: नामपद्धिति सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
- (ङ) पी ओ एस: प्रदाय का स्थान (संबंधित राज्य)
- (च) बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को
- (छ) बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को
- 2. जीएसटी आर-5 अनिवासी कराधेय व्यक्ति को लागू होगा और यह मासिक विवरणी है।
- 3. जीएसटी आर-5 में की विवरणियां सुसंगत कर अवधि के उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख तक या रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दी जानी होगी।
- 4. सारणी-3 में माल के आयात के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और करदाता को माल के ऐसे आयात पर उपयुक्त आईटीसी की रकम विनिर्दिष्ट करनी होगी।
- प्राप्तिकर्ता को छह अंकीय पत्तन कोड सिहत प्रवेशपत्र और सात अंकीय प्रवेशपत्र संख्यांक देनी होगी।
- 6. सारणी 4 में ऐसे माल के आयात का संशोधन अंतर्विष्ट होगा जिन्हें पूर्ववर्ती कर अवधि की विवरणियों में घोषित किया गया है।
- 7. माल और सेवाओं के लिए पृथक् रूप से कर अवधि संबंधित बीजक स्तरीय सूचना दर वार निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट की जाएगी:
- i. सभी बी से बी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय), बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 5 में अपलोड किए जाएंगे ;
- ii. सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदायों के लिए, जहां बीजक मूल्य रु. 2,50,000/- से अधिक है (बी से सी अधिक है) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 6 में दिए जाएंगे ; और
- iii. सभी बी से सी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय) जहां बीजक मूल्य रु. 2,50,000/- प्रदायों का राज्य वार सारांश सारणी 7 में फाइल किया जाएगा।
  - 8. सारणी 8 में निम्नलिखित के संबंध में संशोधनों के रूप में होगी -
- i. पूर्ववर्ती कर की अवधि में घोषित बी से बी जावक प्रदाय ;
- ii. पूर्ववर्ती कर अवधि में रिपोर्ट किए गए बी से सी अंतरराज्यिक बीजक, जहां बीजक मृल्य 2.5 लाख रु. से अधिक है ; और
- iii. मूल नामेनोट और जमापत्र और उसके संशोधन।
  - 9. सारणी 9 के अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रदायों से भिन्न बी से सी जावक प्रदायों के संबंध में संशोधन होंगे जहां बीजक मूल्य रु. 250000/- से अधिक है।
  - 10. सारणी 10 चालू कर अवधि में घोषित जावक प्रदायों के मद्दे और चालू कर अवधि में माल के आयात में संशोधन के मद्दे नकारात्मक आईटीसी कर दायित्व के रूप में होगी।

जीएसटीआर 5 प्रस्तुत करने पर सिस्टम कर दायित्व की संगणना करेगा और आईटीसी उसे संबंधित खाते में पोस्ट करेगा।

#### प्ररूप जीएसटी आर-5क

(नियम 64 देखिए)

#### ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगामन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पुन: प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे

- 1. प्रदायकर्ता का जी एस०टी०आई०एन -
- 2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-
- (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई हो -
- 3. विवरणी फाइल करने वाले भारत के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम –
- 4. अवधि: मास वर्ष -
- 5. भारत में उपभोक्ताओं से की गई प्रदाय का कराधेय जावक

(रकम, रुपए में)

प्रदाय का स्थान	कर का दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
(रकम/संघ राज्यक्षेत्र)				
1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय व्यक्तियों से कराधेय जावक प्रदाय का संशोधन

(रकम, राज्य में)

मास	प्रदाय का स्थान	कर का दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
	(रकम/संघराज्यक्षेत्र)				
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम की संगणना

क्र०. स०.	विवरण	शोध्य कर की रकम	
		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4
1.	ब्याज		
2.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

7. कर, ब्याज, देर से फीस और संदेय और सदत्त कोई अन्य रकम

क्र०. सं०.	विवरण	संदेय रव	<del>л</del> म	विकलन प्रविष्टि	ŧ	ंदत्त रकम
		एकीकृत कर	उपकर	सं०	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर उत्तरदामित्व (सारणी 5 और 5क पर आधारित)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

T	त्य	ΤŪ	1

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इस प्रकार में कोई बात छुपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख	पदनाम /प्रास्थिति

## प्ररूप जीएसटी आर-6

[नियम 65 देखें]

निवेश सेवा वितरक के लिए विवरणी

वर्ष		
मास		

1.	्र जीएसटीआईएन (क्) रजिस्टीकत व्यक्ति का विधिक नाम										
2.	(ক)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम									
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो									

# 3. वितरण के लिए प्राप्त निवेश कर मुजरा

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई		ोजक व्यौरे		दर	कराधेय मूल्य	कर का रकम					
एन	सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

# 4. कर अवधि के लिए वितरित कुल आई टी सी/पत्र आई टी सी/अपात्र आई टी सी (सारणी सं०3 से)

विवरण	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
(क) वितरण के लिए उपलब्ध कुल आई टी सी				
(ख) पात्र आई टी सी० एच० बी० रकम				
(ग) अपात्र आई टी सी की रकम				

# **5.** सारणी **4** में दिए गए निवेश कर मुजरा का वितरण

यदि प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत हो तो प्राप्तिकर्ता/राज्य का जी एस टी आई	आई एस	डी बीजक	आई एस डी द्वारा आई टी सी का वितरण						
प्राप्तकता/राज्य का जा एस टा आइ एन	सं०	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			
1	2	3	4	5	6	7			
5क. पात्र आई सी टी की रकम का वि	तरण								
5ख. अपात्र आई सी टी की रकम का	वितरण								

			1
			1
			1
			1
			1
			1

# **6.** सारणी सं**ं3** में पूर्वतर विवरणियों में दी गई जानकारी में संशोधन

आरंभि	नेक व्यौ	रि						पुनर	ीक्षित व्यौरे					
प्रदायकर्ता		तारीख	प्रदायकर्ता				दर	कराधेय		कर व	का रकम			
का जी एस टी आई एन			का जी एस टी आई एन	बीजक	के ब्यौ	ट/जमापत्र रे		मूल्य						
				सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6क. किसी	पूर्वतर	अवधि	में सारणी	3 में र्द	ो गई गल	त जानका	ी							
6ख. नामे न	ोट/प्राप	न्त जमा '	पत्र [आरंधि	भेक]										
6ग. नामे न	6ग. नामे नोट/जमापत्र  [संशोधन]													

# 7. कर अवधि में वितरित निवेश मुजरा बेमेल और सुधार

विवरण	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5
7क. निवेश कर मुजरा बेमेल				
7ख. बेमेल के सुधार पर सुधार किए गए निवेश कर मुजरा				

# 8. सारणी सं० 6 और 7 में दिए गए ( +/-) निवेश कर मुजरा का वितरण

जी एस टी आई एन प्राप्त कर्ता का	-	डी मुजरा io	आई एस	डी बीजक	निवेश का वितरण आई एस डी द्वारा							
	सं०	तारीख	सं०	तारीख	एकीकृत कर	त कर   केन्द्रीय कर   राज्य कर   उप						
1	2	3	4	5	6 7 8 9							
8क. पत्र आई टी सी र्व	8क. पत्र आई टी सी की रकम का वितरण											

8ख. अपत्र आई टी सी की रकम का वितरण												

# 9. गलत प्राप्तिकर्ता को वितरित आई टी सी का पुन:वितरण

	आरंभिक ी	निवेश बीजक	व्यौरा			सही प्राप्तिकर्ता को निवेश कर मुजरा का पुन:वितरण									
आरंभिक प्राप्तिकर्ता का जी एस		त डी बीजक यौरा		एस डी मापत्र	नया प्राप्तिकर्ता	आई एस बीजक	ा डी	पु	न:वितरित	निवेश कर	मुजरा				
का जा एस टी आई एन	सं०	तारीख	सं०	तारीख	का जी एस टी आई एन	सं०	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9क. पात्र	आई टी स	ो की रकम व	ना वितर	ण											
9ख. अपा	त्र आई टी	सी की रकम	—— । का वित	 गरण											
					·										

# 10. देर से फीस

मद्दे	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नाम प्रविर्ष्टि सं०
		कर	
1	2	3	4
देर से फीस			

# 11. इलेक्ट्रोनिक नकद खाता से दावा किया गया प्रतिदाय

विवरण	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं०
1	2	3	4
(क) केन्द्रीय कर			
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे उ	तरना)		

#### सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इस प्रकार में कोई बात छुपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख	पदनाम /प्रास्थिति

## अनुदेश :-

1. प्रयुक्त शब्द :-

(क) जी एस टी आई एन :- माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) आई एस डी :- इनपुट सेवा वितरक

(ग) आई टी सी - इनपुट कर प्रत्यय

- 2. जी एस टी आर-6 उत्तरवर्ती कर अवधि के केवल 10 मास पश्चात् और 13 मास पहले जी एस टी आर-6 फाइल की जा सकती है।
- 3. आई एस डी ब्यौरे जी एस टी आर-6 के फाइल किए जाने पर रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता यूनिट को जी एस टी आर-2क के भाग ख के अनुसार आई एस डी ब्यौरे देने होंगे।
- 4. आई एस डी में कोई प्रदाय रद्दकरण प्रभार नहीं देना होगा। यदि आई एस डी प्रदाय रद्दकरण प्रभार लेना चाहता है। तो आई एस डी उस दशा में आई एस डी को सामान्य कर दाता के रूप में अलग से रजिस्टर कराना होगा।
- 5. आई एस डी केवल लेट फीस देना होगा और कोई दायित्व नहीं
- 6. आई एस डी उसी कर अवधि में, जिसमें भावक वितरण प्राप्त किया जाना है अपनी यूनिट से पात्र और अपात्र आई टी सी दोनों की वितरण किया है ।
- 7. अपात्र आई टी सी की प्रदाय धारा 17(5) के अनुसार की जाएगी।
- 8. जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-6 के बीच बेमेल उत्तरदायी को आई एस डी से जोड़ना होगा और आगे आइ एस डी क्ररदाता को अपने अपने रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता से पूर्वतर वितरित आई टी सी से कम करके आई एस डी जमापत्र जारी करना होगा।
- 9. बेमेल उत्तरदायी की बाबत सारणी 7 में पद्धति द्वारा आवदित होगा।
- 10. सारणी 11 के माध्यम से नकद खाता से दावाकृत विवरण इलैक्ट्रानिक नकद खाता में एक ऋण प्रविष्टि का परिणाम होगा।

# प्ररूप जीएसटी आर -6क

# [**नियम** 59(3) और **65** देखें]

प्रदाय के स्वत∶प्रारूपित प्ररूप के ब्यौरे
(स्वत:प्रारूपित से जीएसटी आर-1)

वर्ष		
मास		

1.	जीएर								
2.	(क)								
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो							

3. वितरण के लिए प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	ਰ	ोजक ब्यौ	रे	दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम										
	सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							

4. नामे नोट/जमापत्र (जिसके अन्तर्गत उसका संसोधन भी है) चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त

आरंभिक द	स्तावेज व	के ब्यौरे		दस्तावेज के प्राप्त ब्यौरे या नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे												
प्रदायकर्ता का जी एस टी	सं०	तारीख	प्रदायकर्ता का जी एस	सं०	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय	कर की रकम							
आई एन			का जा एस टी आई एन					कर	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकर				
											कर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

# प्ररूप जीएसटी आर -7

[नियम 66(1) देखें]

स्त्रोत पर काटे गए कर की विवरणी

वर्ष		
मास		

1.	जीएसटीआईएन														
2.	(क) कटौतीकर्ता का विधिक नाम	Auto Populated													
	(ख) व्यापार का नाम, यदि कोई हो	Auto Populated													

## 3. स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

	जिसकी कटौती की गई है की संदत्त रकम जिससे कर काटा गया है।	स्त्रोत पर काटा गया कर की रकम					
एस टी आई एन	वर्गान स्वा है।	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			
1	2	3	4	5			

# 4. किसी पूर्वतर कर अवधि की बाबत स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे का संशोधन

	आरंभिक	ब्यौरे	पुनरीक्षित ब्यौरे				
मास		जिसकी कटौती की गई है की संदत्त रकम					
		जिससे कर काटा गया है		11 311 3/1 31 3112 3/1	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8

## 5. स्त्रोत और संदत्त पर कर कटौती

विवरण	कर कटौती की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

# 6. संदेय और संदत्त ब्याज, देर से फीस

विवरण	कर कटौती की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित की बाबत टी डी एस के मद्दे		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(II) देर से फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

# 7. इलैक्ट्रानिक नकद खाता में दावाकृत विवरणी

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं०
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे करें)						

# 8. टीडीएस/ब्याज संदाय के लिए इलैक्ट्रानिकी नकद खाते में नामे प्रविष्टियां [कर संदाय और विवरणी जमा करने के पश्चात् भरा जाए]

विवरण	नकद में कर संदाय	ब्याज	देर से फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

#### सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इस प्रकार में कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश:-

1. प्रयुक्त शब्द :-

(क) जी एस टी आई एन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) टीडीएस :- स्रोत पर कर कटौती

- 2. कर कटौती के ब्यौरे को अभिग्रहण करने के लिए सारणी 3।
- 3. सारणी 4 पूर्व कर अवधियों में उपबंधित सूचना के संशोधन को अंतर्विष्ट करेगा।
- 4. दायित्व के पूर्ण संदेय के बिना विवरणी फाइल नहीं की जा सकती।

# प्ररूप जीएसटी आर-7क

## [नियम 66(3) देखें]

#### स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र

- 1. टीडीएस प्रमाणपत्र सं. -
- 2. कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन-
- 3. कटौतीकर्ता का नाम-
- 4. जिसकी कटौती की गई है का जीएसटीआईएन-
- 5. (क) जिसकी कटौती की गई है का विधिक नाम
- (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है-
- 6. कर अवधि जिसमें जीएसटी आर-7 में के लिए लेखा और कर कटौती--

## 7. कर कटौती की प्रदाय रकम का ब्यौरा—

मूल्य जिस पर कर कटौती है	स्रोत पर कर कटौती की रकम (रुपए में)								
	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
1	2	3	4						

ਟਰਮ	П	24	7

नाम

पदनाम

कार्यालय

# प्ररुप जीएसटी आर-8

# *[*नियम *67(1)* देखें/

# स्रोत पर कर संग्रहण के लिए विवरण

वर्ष		
मास		

1.	जीएस	टीआईएन															
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated														
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	Auto Populated														

## 3.ई-कामर्स आपरेटर के माध्यम से की गई प्रदाय के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का	संबंधित र्ट	ोसीएस से की गई प्र	दाय के ब्यौरे	स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम									
जीएसटी आईएन	की गई प्रदाय का		टीसीएस के लिए दायी निवल रकम	केन्द्रीय कर									
3112511	सकल मूल्य	मूल्य	।नवल रकम			<u>कर</u>							
1	2	3	4	5	6	7							
] 3क. रजिस्ट्रीव	्राप्त प्रकार के प्रकार क												

3ख. अरजिस्ट्र	3ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय										

# 4.किसी पूर्वतर विवरण की बाबत प्रदाय के ब्यौरे का संशोधन

आरंभिक व	ब्यौर <u>े</u>	पुनरीक्षित ब्यौरे						
मास	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन		त्तय के ब्यौरे टीसीएस के लिए दायी निवल रकम		र संग्रहीत कर केन्द्रीय कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4क. रजिस्ट्रीकृत व	त्र्यक्तियों से की	गई प्रदाय						
4ख. अरजिस्ट्रीकृत	। व्यक्तियों से	की गई प्रदाय						

# 5. ब्याज के ब्यौरे

मद्दे	व्यतिक्रम में		ब्याज की रकम	
	रकम	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5
टीसीएस रकम का देर से संदाय				

# 6. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदाय कर	संदत्त रकम
1	2	3
एकीकृत कर		
केन्द्रीय कर		
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

## 7. संदेय और संदत्त ब्याज

विवरण	संदाय ब्याज की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

# 8. इलैक्ट्रोनिक नकद खाता से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	नामे प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4	5	6
(क) एकीकृत कर					
(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे करें)					

# 9. संदेय टीसीएस 1 ब्याज के लिए नकद खाता में विद्यमान प्रविष्टि [कर के संदाय और विवरणी को प्रस्तुत करने के पश्चात वासित किया जाए]

विवरण	नकद में संदत्त कर	ब्याज
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

## सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता ; और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।	हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है
<b>Q</b>	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख:	पदनाम/प्रास्थिति
WI (19)	

अनुदेश: -

- 1. प्रयुक्त शब्द: -
- (क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्यांक
- (ख) टीसीएस: स्रोत पर संग्रहीत
- 2. कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर केवल तब जीएसटी आर- 8 फाइल कर सकेगा जब पूरा टी सी एस दायित्व निर्वहन कर लिया हो।
- 3. टी सी एस दायित्व का सारणी 3 और सारणी 4 के आधार पर संगठित की जाएगी।
- 4. इलैक्ट्रॉनिक नगद खाता से केवल तभी प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है जब उस अवधि के लिए सभी टीसीएस उन्मोदित किया गया हो।
- 5. उक्त खाता से दावाकृत प्रतिदाय के लिए नगद खाता से विकलित की जाएगी।
- 6. स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम जीएसटी आर-8 के फाइल किए जाने पर कर दाता के जीएसटी आर-2क के भाग ग से अनुसरण किया जाएगा।
- 7. प्रदायकर्ता जीएसटीआर-1 से ब्यौरे का मिलान प्रदायकर्ता के जीएसटीआईएन के स्तर पर किया जाएगा।

## प्ररुप जीएसटीआर -11

## [नियम 82 देखें]

## विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदाय आवक का विवरण

वर्ष		
माह		

	यू एन आई								
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम	Auto							
		populat							
		ed							

## 3. प्राप्त प्रदाय आवक के ब्यौरे

प्रदायकर्ता का जीएसटी	बीजक	/नामे नोत के ब्यौरे	ट/जमापत्र र	दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम					
आईएन आईएन	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3क. प्राप्त बी	जक ा										
3ख. प्राप्त ना	ामे नोट/	जमापत्र									
							·				

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में )

## 4. प्रतिदाय रकम

एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे करें)	<u> </u>		

स	ζ.	या	Ч	न

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख:	पदनाम/प्रास्थिति
अनुदेश: -	
1. प्रयुक्त शब्द: -	

(क) जीएसटीआई एन: - माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

[भाग II – खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 123

## (ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक

- 2. यूआईएन धारक को त्रैमासिक आधार पर प्रतिदाय दावा करने के लिए जीएसटी आर-11 फाइल करना होगा या अन्यथा जब कभी आवश्यक के समुचित अधिकारी द्वारा फाइल करना होगा।
- 3. जीएसटीआईआर-11 की सारणी 3 जीएसटीआर-1 से आबंटित होगा।
- 4. यू आई एन धारक को जीएसटी आर-11 में किन्हीं ब्यौरों को जोड़ने या उपांतरण करने की अनुमित नहीं होगी।

## प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 1

[नियम 83(1) देखें]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन

#### <u>भाग - अ</u>

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - 🚃 जिल	त्रा - ▽
(i)	माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम	
	(स्थायी खाता संख्या में यथा उल्लेखित)	
(ii)	स्थायी खाता संख्या	
(iii)	ई-मेल पता	
(iv)	मोबाइल नं.	

टिप्पण –उपरोक्त दी गई सूचना भाग –आ को भरने की कार्रवाई से पहले ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है ।

## <u>भाग - आ</u>

1.	नामांकन प्राधिकारी	केन्द्र		
		राज्य		
2.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र			
3.	आवेदन की तारीख			
4	नामांकन की मांग करने वाले :	(1)	सी ओ पी धारित चार्टेड अकाउन्टेंट	
		(2)	सी ओ पी धारित कंपनी सचिव	
		(3)	सी ओ पी धारित लागत और प्रबंधन अकाउन्टेंट	
		(4)	अधिवक्ता	
		(5)	वाणिज्य में स्नातक या परास्नातक डिग्री	
		(6)	वैंकिंग में स्नातक या परास्नातक डिग्री	

		(7) कारबार प्रशासन में स्नातक या परास्नातक डिग्री
		(8) कारबार प्रबंधन में स्नातक या परास्नातक डिग्री
		(9) किसी विदेशी विश्वविद्यालय की परीक्षा की डिग्री
		(10) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण
5.	सदस्यता संख्या	
5.1	सदस्यता का प्रकार (नीचे करने पर चुने गए संस्थान पर आधार में परिवर्तन होगा।	
5.2	नामांकन/सदस्यता की तारीख	
5.3	सदस्यता की विधिमान्यता अवधि	
6	बार में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता (बार काउंसिल का नाम)	
6.1	बार द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकण संख्या	
6.2	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
6.3	तक विधिमान्य	
7	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण	केन्द्रीय/राज्य सरकार से सेवानिवृत्त
7.1	सेवानिवृत्ति की तारीख	
7.2	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का पदनाम	ए जी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पेंशन प्रमाणपत्र की या सेवानिवृत्त का साक्ष्य देने वाला किसी अन्य दस्तावेज की स्कैन प्रति
8.	आवेदन का ब्यौरा	
8.1	स्थायी खाता संख्या के अनुसार पूरा नाम	
8.2	पिता का नाम	
8.3	जन्म की तारीख	
8.4	फोटो	
8.5	लिंग	
8.6	आधार	<वैकल्पिक>
8.7	स्थायी खाता संख्या	< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ>
8.8	मोबाइल नं.	<भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >
8.9	लैंडलाइन नं.	
8.10	ई-मेल पता	< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >
9.	वृत्तिक पता	(कोई तीन आवश्यक होंगे)

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 125

9.1	भवन सं./फ्लैट सं./द्वार सं.	
9.2	तल सं.	
9.3	परिसर/भवन का नाम	
9.4	सड़क/मार्ग लेन	
9.5	परिक्षेत्र/क्षेत्र/ग्राम	
9.6	जिला	
9.7	राज्य	
9.8	पिन कोड	
10.	योग्यता के ब्यौरे	
10.1	अर्हक डिग्री	
10.2	विश्वविद्यालय/संस्थान की मान्यता	
	सहमति	
	में,	आधार सं. < प्ररूप में उपबंधित आधार सं. पर आधारित पूर्व में भरा हुआ> में
		्र आई डी ए आई से मेरा ब्यौरे प्राप्त करने की "माल और सेवा कर नेटवर्क" को
		चित किया है कि पहचान सूचना का उपयोग केवल आधार धारक की पहचान
	की विधिमान्यता के लिए किया जाएगा और केवल प्र	माणीकरण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पहचान आंकड़ा कोष के साथ साझा किया
	जाएगा।	
	सत्यापन	
	मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करत है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	।। हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही
	स्थान	< डीएससी आवेदनक के ई-हस्ताक्षर/ईवीसी>
	तारीख	< आवेदक का नाम>

# अभिस्वीकृति

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) -आपने सफलतापूर्वक आवेदन भर दिया है: जीएसटीआईएन, यदि उपलब्ध है:

विधिक नाम:

प्ररूप सं. :
प्ररूप विवरण:
फाइल करने की तारीख:
फाइल करने का समय:
केन्द्रीय अधिकारिता:
राज्य अधिकारिता:
जिसके द्वारा फाइल किया गया:
अस्थायी संदर्भ संख्या, (टीआरएन) यदि कोई है:
स्थान:
यह एक संयत्र जनित अभिस्वीकृति है और जिस पर कोई हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।
टिप्पण – आवेदन की प्रास्थिति को जीएसटी पोर्टल पर डेस बोर्ड पर "आवेदन प्रास्थिति खोज" के माध्यम से देखा जा सकेगा
प्ररूप जीएसटी पीसटी - 02
[नियम 83(2) देखें]

# माल और सेवा कर व्यवसायी का नामांकन प्रमाणपत्र

1.	नामांकन संख्या	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम	
4.	पता और संपर्क सूचना	
5.	जीएसटीपी के अनुसार नामांकन की तारीख	
तारीख		नामांकन प्राधिकारी का नाम
नामः	भौर पदनाम	
		केन्द्र/राज्य

# प्ररूप जीएसटी पीसटी - 03

*[*नियम 83(4) देखें*]* 

<i>[</i> ानयम 83(4) दख <i>]</i>	
संदर्भ सं.	तारीख
सेवा में,	
नाम	
आवेदक का पता	
जीएसटी व्यवसायी की नामांकन सं.	
निरर्हता के लिए कारण बताओ स्	<del>र्</del> चना
यह मेरी अवेक्षा में आया है कि आप अवचार के दोषी हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिय	ा गया है -
1.	
2.	
इसलिए आपको कारण बताओ सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कथित कारणों के नामंजूर कर दिया जाए। आपसे निवेदन है कि अपना जवाब इस सूचना की प्राप्ति दें।	
[ (तारीख) (समय) पर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष हाजि	र हों।
यदि आप नियत तारीख के अन्दर उत्तर देने में असफल रहते हों या नियत तारीख रहते हों, मामले का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथा गुणागुण अनुसार एक	
	हस्ताक्षर
	नाम
	(पदनाम)

(पदनाम)

# प्ररूप जीएसटी पीसटी - 04

*[*नियम 83(4) देखें*]* 

संदर्भ सं.	तारीख-
सेवा में	
नाम	
पता	
नामांकन सं.	
	जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन की नामंजूरी का आदेश
यह, कारण बताओ सूचनातारीख	के जवाब में आपके उत्तरतारीख के संदर्भ में है।
🛘 जहां कारण बताओ सूचना का को	ई उत्तर नहीं दिया गया है; या
□जहां आप नियत तारीख पर सुनवा	ई हेतु हाजिर नहीं हुए हैं; या
जहां अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई वे कारणों से आपका नामांकन रद्द किए ज	के समय आपके उत्तर के निवेदनों का निरीक्षण कर लिया है और उनकी यह राय है कि निम्नलिखित ाने का दायी है।
1.	
2.	
आपके नामांकन रद्दकरण की प्रभावी त	ारीख <<दिन/मास/वर्ष >> है।
	हस्ताक्षर
	नाम

## प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 05

/नियम 83(6) देखें /

## माल और सेवा कर व्यवसायी के प्राधिकरण/प्राधिकरण का वापस लिया जाना

#### <u>भाग - अ</u>

महोदय/महोदया

मैं/हम(स्वत्वधारी का नाम, /सभी साझीदार/कर्ता प्रबंधन निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंधन समिति के सदस्य/न्यासियों का बोर्ड आदि) -

- 1. \*सत्यनिष्ठापूर्वक प्राधिकृत करते हैं,
- 2. \*<<जीएसटीआईएन>> सम्बन्धित.....(विधिक नाम) की ओर से निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए धारा 48 के साथ पठित नियम 83 के प्रयोजन के लिए नामांकन....... से सम्बन्धित...... (माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम).......... प्राधिकरण वापस लेते हैं।

क्र. सं.	गतिविधियों की सूची	जांच बॉक्स
1.	जावक और आवक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करना	
2.	मासिक, तिमाही, वार्षिक या अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना	
3.	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना	
4.	दावे या प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन फाइल करना	
5.	रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करना	

2. ....(माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम) की सहमति इसके साथ संलग्न है। \*

\*जो भी लागु न हो उसे काट दें।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

स्थान

## <u>भाग - आ</u>

## माल और सेवा कर व्यवसायी की सहमति

नाम).		द्वारा वि	वेनिर्दिष्ट	! गतिविधि		जी एस	टी आई ए	न	केवल जी ए (विधिक ।	-	-		-	
हस्ताक्ष	<b>ा</b> र													
										नाम				
तारीख	ſ								नामांकन	सं.				
						्मिलान			अक्तूबर तक फाइल वि	ज्या जान	ा चाहिए)			
				सं/बीजक/नामे					ती/निर्गम दायित्व		_	ब्याज		
		तारीख			कराधेय मूल्य	एकीकृत	त केन्द्रीय	₹	ाज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य	उपकर
अ .1			_	निवेश कर प्रव और जमापत्रो	त्यय का <i>व्यौरा, जिन</i> क	का मिलान	न किया गया	है						
1	सितम्बर										शून्य			
2	सितम्बर										शून्य			
अ .2					न व्यौरा, जो 20 रिणी में परिश्रुद्धी			की गई	ि अगस्त माह की विव	रणी से	वेमेल पाया गयः	ा है लेकिन	जिसकी	<del>† 20</del>
1	अगस्त										शून्य			
2	अगस्त										शून्य			
अ.3	जुलाई माह अ युग्मकप्रदायक सुधार को ब्या	र्ता/प्राप्तकता	<sup>ने</sup> 20 ब	क्तूबर तेक फा	इल की गई सितम	मप्रैल से पू बर माह (	र्व नहीं, के उ तक अपनी वि	ान बी वेबरण	जकों, नामे और जमाप गिमें तत्सम्बन्धी दस्ता	ात्रों का व वेजों का	व्यौरा, जो संदेव व्यौरा शामिल	हो गया । कर लिया	है लेकिन है और	न इसके
1	माह										प्रतिदाय			
2	माह										प्रतिदाय			

आ

अक्तूबर तक फाइल की गई विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर होने वाले बेमेल/अनुप्रतियां

आ.1 जुलाई माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 अगस्त तक फाइल की गई जुलाई माह की विवरणी में बेमेल पाए गए हैं लेकिन बेमेल को 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी में परिशुद्ध नहीं किया था और जो 20 अक्तूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है

				ı					1		
1	जुलाई								दो माह		
2	जुलाई								दो माह		
आ.2	अगस्त माह के उन बीजक विवरणी में संदेय हो गया		र जमापत्रों क	ा व्यौरा, जो अनुकृति व	हे रूप में प	ाए गए ह	अीर जो 20 अक्तूबर त	क फाइर	न की जाने वाली सितम्ब	र माह की	
1	अगस्त								एक माह		
2	अगस्त								एक माह		
आ.3	अगस्त माह के उन बीजक जाने वाली सितम्बर माह				2/43 के ब	तिक्रमण	में किया गया सुद्यार प्रति	तेवर्तन १	था और जो 20 अक्तूबर र	क फाइल	की
1	अगस्त								एक माह-उच्च		
2	अगस्त								एक माह-उच्च		
₹.	20 नवम्बर तक फाइल की	जाने वा	ली अक्तूबर की	विवरणी में दायित्व र्क	ो वृद्धि की	ओर अग्र	सर करने वाले बेमेल/अ	नुप्रतिय	†		
<i>इ.1</i>	अगस्त माह के उन बीजक बक्तूबर तक फाइल की गई संदेय होगा	ों, नामे अ <b>िसत</b> म्ब	ौर जमापत्रों क र माह की विव	न ब्यौरा, जो 20 सितम् रिणी में परिशुद्ध नहीं पि	बर तक फ केया ग <b>या</b> १	ाइल की व था <b>औ</b> र व	गई अगस्त माह की विव तो 20 नवम्बर तक फाइ	रणी में लकी ज	बेमेल पाए गए हैं लेकिन गने वाली अक्तूबर माहः	ंबेमेल को . गि <b>विव</b> रणी	20 ो में
1	अगस्त								दो माह		
2	अगस्त								दो माह		
<i>इ.2</i>	सितम्बर माह के उन बीज विवरणी में संदेय होंगे	कों, नामे	और जमापत्रों	का ब्यौरा, जो अनुकृति	के रूप में	पाए गए	हैं और जो 20 नवम्बर	तक फा	इल की जाने वाली अक्तू	बर माह की	r
1	सितम्बर								एक माह		
2	सितम्बर								एक माह		
<i>इ.3</i>	सितम्बर माह के उन बीज जाने वाली अक्तूबर माह व	कों, नामे ठी विवरष	और जमापत्रों गी में संदेय होंग	का व्यौरा, जहां धारा गे	<i>42/43</i> 市	अतिक्रम	ण में किया गया सुधार प्र	।तिवर्तन	या और जो 20 नवम्बर	तक फाइल	न की
1	सितम्बर								एक माह-उच्च		
2	सितम्बर								एक माह-उच्च		
<b>લે</b> કે 1	20 दिसम्बर तक फाइल र्व सितम्बर माह के उन बीज परिसुद्ध न किए जाने की	कों, नामे	और जमापत्रों	का व्यौरा, जो बेमेल प	गए गए हैं	और 20	नवम्बर तक फाइल की र	•		में बेमेल क	7
1	सितम्बर								शून्य/दो माह		
2	सितम्बर								शून्य/दो माह		
				<del></del>							

## प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 01

(नियम 85(1) देखिए)

## रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर

					(भाग	1 : दा	यित्व से	ो संबंधि	त विवर	णी)							
					(₹	गमान्य	य पोर्टल	पर रख	ा जाए)								
															जीए	सटी आ	ईएन
															न	ाम (वि	धिक)
													व्य	ापार का	नाम,	यदि को	ई हो
																कर अ	विधि
						अधि	नियम-	—केन्द्र <u>ी</u> य	। कर /र	ाज्य क	र/संघ	राज्यध	भ्रेत्र कर	/एकीकृत	ा कर/उ	.पकर/स	मस्त
																पए में र	
म	तारीखमाह/	संदर्भ	उन्मोचित -	विवरण	संव्यवहार	विका	लेत/जमा	की गई र	कम (केन	द्रीय कर	/राज्य			अति	शेष		
	वर्ष	सं.	दायित्व के लिए		के प्रकार [विकलन	कर/स	घ राज्य	क्षेत्र कर/एवं	नेकृत कर	/उपकर/	कुल)	(केर्न्द्र	ोय कर/रा	ज्य कर/संध	त्र राज्यक्षे	त्र कर/ए	कीकृत
			खाता		(डीआर)							कर/उ	पकर/कुल	·)			
					(संदेय)]/ [प्रत्यय	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
					(सीआर												
					संदत्त)]												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### टिप्पण---

- 1. विवरणी और संदाय देय प्रोद्भृत सभी दायित्व इस खाते में उसी के सामने अभिलिखित किया जाएगा।
- 2. उपशीर्ष—दायित्वों के विवरण के अधीन समेकन, रजिस्ट्रीकरण, रद्दीकरण के लिए विकल्प के कारण दायित्व भी इस भाग में पूरा किया जाएगा । कर अवधि के दायित्व रजिस्टर वासित जिसे यथास्थिति, आवेदन या आदेश की तारीख पर आती है ।
- 3. विवरणी विधिमान्य के रूप में मानी जाएगी मानो अंतिम शेष सकारात्मक है । विकलन (संदेय रकम) से प्रत्यय (रकम संदत्त) कम कर के शेष लिखी जाएगी ।
- 4. माल सेवा कर (राज्यों के लिए प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन उद्गेहीत उपकर अभिप्रेत है।

## प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 01

(नियम 85(1) देखिए)

## कराधेय व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर

(भाग 2 : दायित्वों से संबंधित विवरणी अन्य से भिन्न) (सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी
नाम (विधिक)
व्यापार नाम, यदि कोई हो
अवधि सेतक (तारीख/माह/वर्ष)
स्थगन प्रास्थिति/स्थागित/अस्थगित
अधिनियम—केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	माह/वर्ष सं0 अवधि, दायित्व यदि के लिए				के प्रकार					अतिशेष संदेय (केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर/कुल)									
			कोई हो	खाता		(डीआर) (संदेय)]/ [प्रत्यय (सीआर मंदत्त प्रतिदाय समायोजित (आसएफ)]	कर	व्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	व्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	(प्रास्थिति (स्थगन/अस्थगन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### टिप्पण---

- 1. सभी दायित्वों में प्रोद्भूत दायित्वों से संबंधित उससे भिन्न विवरण, इस खाते में अभिलिखित किया जाएगा । संव्यवहार का पूरा विवरण तद्नुसार अभिलिखित किया जाएगा ।
- 2. दायित्वों के प्रतिकूल नकद या प्रत्यय सभी संदाय किए गए तद्नुसार अभिलिखित किया जाएगा । ।
- 3. अपील का निर्णय, परिशोधन, प्रतिवर्तन, पुनर्विलोकन आदि के कारण रकम संदेय में कमी या वृद्धि यहां प्रतिबिंबित किया जाएगा ।
- 4. एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आते हैं यदि भी अपील अनुज्ञा की जाती है/भागतः अनुज्ञा दीती है। समस्त अंतिम अतिशेष तक सकारात्मक हो सकेगा।

- 5. विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप का प्रतिदाय यदि अपील अनुज्ञा यद्यपि भी अनुज्ञा की जाती है समस्त अतिशेष, सकारात्मक तक हो सकता है। प्रतिदाय के समायोजन के अधीन समृचित अधिकारी द्वारा किसी दायित्व के विषय होगा।
- 6. इस भाग में अंतिम अतिशेष विवरण फाइल करने पर प्रभाव नहीं होगा।
- 7. अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट के भीतर कारण बताओ सूचना के पश्चात् किया गया संदाय पर आधारित शास्ति की रकम में कमी संदाय पर स्वतः होगा ।
- 8. प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से संदाय करने पर किसी समय में किया गया संदाय कारण बताओं सूचना या स्वैच्छिक रूप से किया गया कोई अन्य संदाय दर्शित किया जाएगा। विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि एकसाथ सृजित किया जाएगा।

9.

## प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 02

(नियम 86(1) देखिए)

## रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जाएसटा आइएन/अस्थाया आइडा
नाम (विधिक)
व्यापार नाम, यदि कोई हो
अवधि सेतक (तारीख/माह/वर्ष)
अधिनियम—केन्द्रीय /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र/एकीकृत कर/उपकर/समस्त
(रुपए में रकम)

क्रम सं0	तारीख/ माह/ वर्ष	संदर्भ सं0	कर अवधि, यदि कोई	विवरण (प्रत्यय के स्रोत और उपयोगिता	संव्यवहार प्रकार [विकलन		प्रत्यय/विकलन					अधिशेष उपलब्ध					
			काइ हो	उपयागिता का प्रयोजन)	(डीआर) [प्रत्यय (सीआर)]	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### अनंतिम प्रत्यय का अतिशेष

क्रम	कर की अवधि	अनंतिम प्रत्यय अतिशेष की रकम										
सं0		केन्द्रीय	राज्य	संघ	एकीकृत	उपकर	कुल					
		कर	कर	राज्यक्षेत्र	कर							
				कर								
1	2	3	4	5	6	7	8					

## बेमेल प्रत्यय (प्रतिवर्ती से भिन्न)

क्रम सं0	कर की अवधि		असुमेल प्रत्यय का रकम										
40	अवाध 	केन्द्रीय	राज्य	संघ राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	उपकर	कुल						
		कर	कर	कर									
1	2	3	4	5	6	7	8						

## टिप्पण---

- 1. विवरणी के अनुसार प्रत्ययों के प्रकार, विलयन के कारण, पूर्व-रजिस्ट्रीकरण उत्पादन आदि के कारण संघटक, स्कीम संव्यवहार आदि से विकल्प के सम्यक् के लिए अभिलिखित होगा।
- 2. विवरण प्रत्यय (जीएसटी आर-3, जीएसटी आर 6 आदि) प्रत्यय के स्रोत सम्मिलित होगा और विवरणी या मांग आदि के लिए संबंधित दायित्व के प्रति उपयोगिता है । प्रतिदाय खाते से दावा किए गए प्रतिदाय विकलित किया जाएगा और यदि दावा अस्वीकार किया जाता है तब अस्वीकार की सीमा तक खाते केलिए पीछे प्रत्यायित किया जाएगा।

# प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 03 (नियम 86(4) और 87(11) देखिए)

## दावा प्रतिदाय की अस्वीकृति पर नकद या प्रत्यय की रकम के पुनःप्रत्यय के लिए आदेश

संदर्भ संख्या. तारीख –

- 1. जीएसटीआईएन –
- 2. नाम (विधिक) -
- 3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो

4.	पता –	
5.	अवधि / कर अवधि जिसके लिए प्रत्यय से संबंधित है, यदि कोई हो–	से
6.	खाता जिसके विकलन से प्रविष्टि दावा प्रतिदाय के लिए किया गया था	(नकद / प्रत्यय खाता)
7.	विकलन प्रविष्टि संख्या और तारीख –	
8.	आवेदन संदर्भ संख्या और तारीख –	

9. संख्या और आदेश की तारीख द्वारा जिसे प्रतिदाय अस्वीकार किया गया था-

10. प्रत्यय की रकम

क्रम											
सं0	कर)/राज्य कर/संघ	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल				
	राज्यक्षेत्र कर /उपकर)										
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7					

हस्ताक्षर नाम

अधिकारी का पद नाम

#### टिप्पण---

 "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है।

# प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 04

(नियम 85(7), 86(6) और 87(12) देखें)

# इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता/नकद खाता/दायित्व रजिस्टर में विभेद की संसूचना के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन			
2.	नाम (विधिक)			
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
4.	जिसके लिए विभेद देखा गया है, में खाता/रजिस्टर	📗 प्रत्यय खाता	ि नकद खाता	🔲 दायित्व रजिस्टर
5.	विभेद के ब्यौरे			
	तारीख	कर का प्रकार	विदेभ का प्रकार	अन्तर्वलित रकम

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 137

	I	15.0	1	1				
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर						
		संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
6.	कारण, यदि कोई							
7.	सत्यापन							
	मैं सत्यानिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है ।							
				हस्ताक्षर				
	स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का	नाम					
	तारीख :	पदनाम/प्रास्थिति						

**टिप्पण---**"केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है।

# प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 05

(नियम 87(1) देखिए)

## इलैक्ट्रानिक नकद खाता

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी
नाम (विधिक)
व्यापार नाम, यदि कोई हो
अवधि सेतक (तारीख/माह/वर्ष)
स्थगन प्रास्थिति/स्थागित/अस्थगित
अधिनियम—केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	निक्षेप की तारीख/ माह/	की का तारीख सं0 अवधि, प्रकार तारीख/ समय (वैंक यदि [विकलन माह/ द्वारा) कोई (डीआर)						विकलित/प्रत्यय रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)				अतिशेष (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/ कुल)							
	वर्ष						[प्रत्यय (सीआर)]	कर	व्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### टिप्पण---

- संदर्भ संख्या जिसमें बीआरएन (बैंक संदर्भ संख्या)विकलन प्रविष्टि संख्या, आदेश संख्या यदि कोई हो और टीडीएस और टीडीसी
   प्रत्यय के मामले में विवरणी की अभिस्वीकृति संख्या सिम्मिलित है।
- 2. कर की अवधि, किसी विकलन केलिए यदि लागू हो, संख्या अभिलिखित किया जाएगा, अन्यथा स्थान छोड़ा जाएगा।
- 3. स्रोत पर कटौतीकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटी आईएन), चालान पहचान संख्या (सीआईएन) जिसके प्रतिकूल निक्षेप किया गया है और दायित्व के प्रकार जिसके लिए विकलन किया गया है, शीर्षक "विभेद" के अधीन भी अभिलिखित किया जाएगा।
- 4. आवेदन की संख्या, यदि कोई, कारण बताओं सूचना, मांग आईडी, अपील के लिए पूर्व निक्षेप या किसी दायित्व के लिए शीर्षक "विभेद" के अधीन अभिलिखित किया जाएगा।
- 5. खाते से दावाकृत प्रतिदाय या कोई विकलन किसी दायित्व के प्रतिकृल अभिलिखित किया जाएगा।
- 6. निक्षेप का समय और तारीख, बैंक द्वारा रिपोर्टित के रूप में सीआईए सुजन की तारीख और समय है।
- 7. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर अभिप्राय है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है।

# रूप जीएसटी पीएमटी - 06

(नियम 87(2) देखिए)

# माल और सेवा कर के निक्षेप के लिए चालान

सीपीआईएन	<<सूचना प्रस्तुति के पश्चात् स्वतः सृजित			जेत	तारीख << चालू तारीख			चालान अवसान की तारीख		
जीएसटीआईएन	<<भरा गया/	स्वतः वासि	त>>		ई-मेल	पता		<<स्वतः वासित>>		
नाम (विधिक)	<<स्वतः वारि	सेत>>			मोबाइ	ल न0.		<< स्वतः वारि	सेत >>	
पता	<< स्वतः वा	सित >>								
	1		निक्षेप	प के ब्य	गौरे	(सभी माल रुपए		1		
सरकार	मुख्यः	शीर्ष					लघु शीर्ष			
			कर	ब्य	गज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	
	केन्द्रीय ()									
भारत सरका	·-	त कर								
111 (11 (11 (11)	()									
	उपकर									
	()									
	उप ये	ोग								
राज्य (नाम)	राज्य	कर								
	()									
संघ राज्यक्षेत्र (ना	म) संघर	ाज्यक्षेत्र								
	कर (-	)								
कुल चालान रकम	Γ									
कुल रकम, शब्दों	में						1			
	सं	दाय का ढंग	 (सुसंगत भ	नाग स	क्रिय होग	ा जब विशिष्ट रू	प में चयन कि	या जाए)		
	10 χ									
					□अतिरेक पटल (ओटीसी)					
□ ई-संदाय					बैंक (जहां नकद या लिखत निक्षेप किए जाने के लिए प्रस्तावित है)					
(यह ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलित होगा जैसे							1d 8)			

□ नकद

सीडी/डीसी और नेट बैंकिंग करदाता इसमें एक

चयन करे ।)

लिखत के ब्यौरे

🗖 मांग ड्राप्ट

□ नेफ्ट/आरटीजीएस	
प्रेषण बैंक	
फायदाग्राही का नाम	जीएसटी
फायदाग्राही लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सोपीआईएन >
फायदाग्राही का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
फायदाग्राही बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	आरबीआई का आईएफएससी
रकम	

टिप्पण : संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रभारों के लिए पृथक् रूप से हो ।

निक्षेपकर्ता का विशिष्टियां				
नाम				
पदनाम/ प्रास्थिति (प्रबंधक, भागीदार, आदि	)			
हस्ताक्षर				
तारीख				
	संदत्त च	ालान सूचना		
जीएसटीआईएन				
करदाता का नाम				
बैंक का नाम				
रकम				
बैंक अभिस्वीकृति संख्या (बैंक के पटल पर				
निक्षेपित चैक/ बैंक के डीडी)				
सीआईएन				
संदाय की तारीख				
बैंक अभिस्वीकृति संख्या (बैंक केपटल पर निक्षेपित चैक/बैंक के डीडी)				

**टिप्पण**—एनईएफटी/आरटीजीएस संदाय के लिए यूनिक संव्यवहार संख्या से अभिप्राय है ।

# प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07

(नियम 87(8) देखिए)

# संदाय से संबंधित सूचना विभेद के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन					
2.	नाम (विघिक)					
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो					
4.	सामान्य पोर्टल से चलान के सृजन की तारीख					
5.	सामान्य पोर्टल पहचान संख्या (सीपीआईएन)					
6.	संदाय का माध्यम (केवल एक को चिह्नित करे )	नेट बैंकिंग [	_ीासी/डीसी	] एनईएफटी/आरत	ग्रीजीएस □□	ओटीसी 🔃
7.	लिखत ब्यौरा, केवल ओटीसी संदाय	चैक/ ड्राफ्ट	तारीख		बैंक/शाखा जिससे नि	काला गया
	हेतु	सं0				
8.	बैंक का नाम जिसके माध्यम से संदाय किया गया है					
9.	उस तारीख को जिसको विकलन/सुव्यस्थीकरण किया गया है					
10.	संदर्भ बैंक सं0 (बीआरएन)/ यीटीआर संख्या, यदि कोई हो					
11.	संदाय गेटवे का नाम (सीसी/डीसी)					
12.	संदाय विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
13.	सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा)					
	मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि इ	स घोषणा में दी	गई जानकारी स	र्वोत्तम ज्ञान और विश्वा	ास के अनुसार सही औ	र पूर्ण है ।
	हस्त	ाक्षर				
	स्थान		प्राधिकृत	हस्ताक्षरी का नाम		
	तारीख	पदनाम /प्र	ास्थिति			

## टिप्पण -

- आवेदक करदाता के लिए अर्थ है वहां उसके लेखा से विकलित रकम संदत्त होने के लिए आशयित है किन्तु सीआईएन सामान्य पोर्टल के लिए बैंक द्वारा संप्रेषित किया जाता है किन्तु संबंधी बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
- 2. विकलन के 24 घंटे के भीतर आवेदन फाइल किया जा सकेगा, संप्रेषित नहीं किया गया है।

- 3. सामान्य पोर्टल संबंध बैंक से परिवाद अग्रेषित करेगा और व्यथित व्यक्ति को सुचना देगा।
- 4. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है, "एकीकृत कर" का अभिप्राय एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्राय है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों के प्रतिकर) है।

# प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01 [नियम 89(1) देखिए] प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन - रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

2.	विधिक नाम :	
3.	त्र्यापार नाम, यदि कोई हो :	

5. कर अवधि : <िदन/मास/वर्ष> से <िदन/मास/वर्ष>

6. दावा किया गया प्रतिदाय की रकम:

4 पता:

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य कर						
संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

- 7. प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें):
- (क) इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष:
- (ख) माल/सेवाओँ के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :
- (ग) निर्यात माल सेवाएं कर के संदाय के लिएष उदरहणार्थ, निवेश कर प्रत्यय संचित
- (घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/कोई अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार, उसका चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील आदेश

- (ii) निम्नलिखित ब्यौरे उल्लिखित करें,--
  - 1. आदेश संख्या:
  - 2. आदेश की तारीख <कलेंडर>
  - 3. प्राधिकारी का आदेश जारी करना
  - 4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

(यदि आदेश प्रणाली के भीतर जारी किया जाता है, तब 1,2,3,4 स्वतः वासित)

- (ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित (धारा 54(3)) के परन्तुक के खंड (ii)
- (च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—
  - (i) प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें--
    - 1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदायकर्ता
    - 2. विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन के लिए प्रदायकर्ता
    - 3. समझा गया निर्यात की प्राप्ति।
- (छ) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है।
- (ज) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।
- (/) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो
- (झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
- 8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)
- (क) बैंक खाता संख्या
- (ख) बैंक का नाम
- (ग) बैंक खाता प्रकार
- (घ) खाता धारक का नाम
- (ङ) बैंक शाखा का पता
- (च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)
- (छ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर)
- 9. क्या धारा 54(4) के आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा है, यदि लागू हो हां नहीं 🔲 🔲

**घोषणा** (धारा 54(3)(ii))

मैं तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

## **घोषणा** (धारा 54(3)(ii))

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

## स्वयं-घोषणा (नियम 89 देंखें)

मैं/हम......सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि .....स्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि .....से ....से .....से ...... तक के लिए कर, ब्याज, यो कोई अन्य रकम के बारे में ......रुए के लिए उसकी कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए यह घोषणा अपेक्षित नहीं है जो साधारण सेवा कर नियम 96 के अधीन जिन्होंने प्रतिदाय के लिए दावा कर रहा है)।

#### 10 सत्यापन

मैं/हम ...... (करदाता का नाम) तदनुसार सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है।

मैं घोषणा करता हं कि इस लेखा पर उसके द्वारा पहले कोई प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

टिप्पण—माल और सेवा कर प्रतिदाय के नियम 89 के उपनियम (4) के अधीन पृथक कथन फाइल नहीं किया गया है।

#### कथन 1:

(टिप्पण—सभी कथन, करदाता विवरणी तत्स्थानी से स्वतः वासित है, भरे जाने के लिए ईजीएम/ईबीआरसी जैसे बीजकों के लिए चयन करें, यदि विवरणी में पहले नहीं भरा गया था)

#### तपाबंध-1

साधारण सेवा कर नियम 89(2)(ज) के अधीन संख्या और बीजक की संख्या और तारीख अन्तर्विष्ट करने वाला कथन आवक प्रदाय के लिए:

जीएसटी आर-2 के अनुसार (सारणी 4):

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 145

#### .....कर अवधि

जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत				बी	जक के ब्यौरे				राज्य (गैर- रजिस्ट्रीकृत		गेकृत कर	केन्द्र क	द्रीय जर	रा कर/ राज्य क	'सघ ।क्षेत्र	उप			स्तंभ.		ŧc	ंभ. 20/	21/22/23	}
प्रदायकर्ता का नाम		तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	U 및 U 전 U 전	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	प्रदायकर्ता के मामले में		रकम.	इर (%)		दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम.	17	18		एकी कृत कर	कन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	24 क	24ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

स्तंभ. 17: पीओएस (अभिग्रहक स्थिति से केवल यदि भिन्न हो)

स्तंभ 18: उपदर्शित करे यदि प्रदाय प्रतिवर्ती प्रभार्य आकर्षित किया जाता है । (हां/नहीं)

स्तंभ 19: निवेश कर प्रत्यय की पात्रता जैसे (निवेश/पूंजी माल/निवेश सेवाएं/कोई नहीं)

स्तंभ 20/21/22/23: निवेश कर प्रत्यय की रकम जो उपलब्ध है।

### बाह्य प्रदाय :

जीएसटी आर-2 के अनुसार (सारणी 5) :

.....कर अवधि

जीएसटी आईएस/					बीजक के ब्यौरे				एकी	कृत कर	केन्द्री	य कर	कर. राज्य	ज्य /संघ प्रक्षेत्र र	उपव	हर		स्तंभ		स्तंभ			
यूआईएन	सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी <i>/</i> एस)	एचएसएन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	दर (%)	रकम	दर (%)	O ALTT	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम.	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	23क	23ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि प्राप्तिकर्ता के अवस्थित से भिन्न हो)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के लिए की गई प्रदाय (हां/नहीं)

स्तंभ 18: विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के लिए की गई प्रदाय हेतु विकल्प (एकीकृत कर के साथ/एकीकृत कर के बिना)

स्तंभ 19: माना गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित है (हां/नहीं)

स्तंभ 21: क्या यह बीजक अनंतिम आधार पर कर संदत्त किया है (हां/नहीं)

स्तंभ 22: ई-वाणिज्य प्रचालक (यदि लागू हो) के माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)

स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तारीख (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

### कथन **2**:

नियम 89 के उपनियम	2(ख	) और	(ग)	के अधी	न आवेदन	केः	मामले मे	ां कथन	:

	_		_		$\sim$	
ᇒᆂ	ᇒ	ग्रह्मा	4	TITST	निर्यात	
715	٦,	रापाप	71	साभ	1414171	

.....: कर अवधि

			बी	ज <b>क</b>					बिल/ का बिल	निर्यात न	कर संदाय	ग्र विकल्प	एकी कृ	त कर	क्या अनंतिम आधारों पर यह बीजक संदत्त कर पर है (हां /नहीं)	ई जीए ब्य		बी आ एफआई	
सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	पत्तन कोड	सं0	तारीख	एकीकृत कर के साथ	एकीकृत कर के बिना	दर (%)	रकम		संदर्भ सं0	तारीख	सं0	तारीख
1	2	3	4	5	15क	15ख	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	14	15C	15D	15E	15F

(\*लदान बिल और ईजीएम जो आज्ञापक है—माल के मामले में ;

बीआरसी/ एफआईआरसी	के हराौरे आजापद	ह है—सेवाओं के मा	प्राले में।
वाजारता। एकजाइजारता	भ व्यार, जाशाप	≀ ह <del>—त</del> पाजापः मा	ા <b>નલ ન</b> )

स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर	
तारीख		(नाम)
		पदनाम/प्रास्थिति

#### कथन **3**:

### कर के संदाय के बिना निर्यात :

<u>.....</u>.कर अवधि

				बीजक				लदान बिः	ल / निय बिल	ीत का	कर स विव		एर्क व	ांकृत इर	क्या बीजक पर कर अनंतिम आधारा पर संदत्त है (हां /नहीं)	ईजी। ब्य	एम के ⊓ैरे		ारसी <i>।</i> ईव्यारसी
सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एच एस एन	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	कराधेय मूल्य	पत्तन कोड	सं0	तारीख	एकीकृत कर के साथ	एकीकृत कर के बिना	दर (%)	रकम		संदर्भ सं0	तारीख	सं0	तारीख
1	2	3	4	5	15A	15B	6	7	8	9	10	11	1 2	1	14	15C	15D	15E	15F
				·															

(\*लदान बिल और ईजीएम—माल के मामले में आज्ञापक है;

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है—सेवाओँ के मामले में)

स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
तारीख	(नाम)
	पदनाम/प्रास्थिति

#### कथन 4:

### नियम 89, उपनियम 2(घ) और (ङ) के अधीन आवेदन के मामले में कथन:

### विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता के प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय:

### जीएसटीआर-1 सारणी 5

<u>......कर अवधि</u>

जी एस टी आई एस/				बी	जक के ब्यौ	रे				ोकृत कर	केन्द्र क		राज्य	ज्य /संघ ग्रक्षेत्र जर	उपव		स्तंभ 16			स्तंभ 19				एआर	आई	प्राप्ति की तारीख	संदाः ब्यं	
यूआईएन		तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एच एस एन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	दर (%)	रकम.	दर (%)	रकम	दर (%)		दर (एनए)	रकम.								सं0	तारीक		संदर्भ सं0	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	23क	23ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23ग	23घ	23इ	23च	23छ

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि अभिग्राही स्थिति से भिन्न हो)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता के लिए प्रदाय की गई है (हां/नहीं)

स्तंभ 18: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता (एकीकृत कर केसाथ/एकीकृत कर के बिना) के लिए कर विकल्प प्रदाय किया जाता है ।

स्तंभ 19: समझा गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या विपर्यस्त, क्या प्रदाय विपर्यस्त परिवर्तन संबंधी है।(हां/नहीं)

स्तंभ 21: क्या अनंतिम आधार पर इस बीजक कर पर संदत्त कियागया है।(हां/नहीं)

स्तंभ 22: ई-वाणिज्य प्रचालक का माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) (यदि लागू)

स्तंभ 23 सी/डी : एआईरआई (निर्यात को हाटने के लिए आवेदन)

स्तंभ 23 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा प्राप्ति की तारीख (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार)

स्तंभ 23 एफ/जी: संदाय प्राप्ति के ब्यौरे

(\* माल के मामले में ; विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा एआरई और प्राप्ति का तारीख ;

सेवा में प्राप्त संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक है)

### सेवा के मामले में : प्राप्त किए संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक हैं।

### जीएसटीआर 5—सारणी 6

# .....कर अवधि

स्तं भ 1					बीजक वे	के ब्यौरे				एकी क	•	केन्द्रीय	ा कर	राज कर/ राज्य क	संघ क्षेत्र	उपव			स्तंभ 17				एआ		प्राप्ति की तारीख	संदाय के	ब्यौर
	सं0		तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	यूक्यूसी	क्यटावाड	कराधेय मूल्य	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम		.,	2		10	सं0	तारीख	11/19	संदर्भ सं0	तारीख
1		2	3	4	5	6	21क	21ख	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21ग	21घ	21ङ	21च	21 छ

स्तंभ 1: माल और सेवा कर पहचान संख्या/यूनिक पहचान संख्या/गैर-रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता (विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता के लिए प्रदायकर्ता)

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि प्राप्तिकर्ता की अवस्थिति से विभिन्न)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता के लिए प्रदाय की गई है (हां/नहीं)

स्तंभ 18: विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता (एकीकृत कर केसाथ/एकीकृत कर के बिना) के लिए कर विकल्प प्रदाय किया जाता है ।

स्तंभ 19: समझा गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या अनंतिम आधार पर इस बीजक कर पर संदत्त कियागया है।(हां/नहीं)

स्तंभ 21 सी/डी : एआरई (निर्यात को हाटने के लिए आवेदन)

स्तंभ 21 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार) दवारा प्राप्ति की तारीख

स्तंभ 21 एफ/जी: संदाय प्राप्ति के ब्यौरे

(\* माल के मामले में : विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा एआरई और प्राप्ति का तारीख ;

सेवा में प्राप्त संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक है)

### सेवा के मामले में : प्राप्त किए संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक हैं।

स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर तारीख (नाम) पदनाम/प्रास्थिति

### कथन 5:

### नियम 89 के उपनियम (2)(छ) के अधीन आवेदन के मामले में कथन:

### समझे गए निर्यातों की ईओयू/प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिदाय:

	:कर	अवधि
--	-----	------

जीएसर्ट आईएस गैर- रजिस्ट्रीवृ	······································				राज्य (गैर- रजिस्ट्रीकृत के मामले				राज्य म कर/संघ राज्यक्षेत्र कर					स्तंभस्तंभस् 16 17				एआईई		प्राप्ति की तारीख							
प्रदाय क नाम	Т	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एच एस एन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	≉यूटीवाई		दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एन ए)	रकम				एकीकृत कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	सं0	तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	24क	24ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24ग	24घ	24ङ

स्तंभ 17: पीओएस (केवल यदि प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से भिन्न हो)

स्तंभ 18: उपदर्शित करे यदि प्रदाय प्रतिवर्ती परिवर्तन से संबंधित है (हां/नहीं)

स्तंभ 19: निवेश कर प्रत्यय की पात्रता जैसे (निवेश/पूंजी माल/निवेश सेवाएं/कोई नहीं)

स्तंभ 20/21/22/23: निवेश कर प्रत्यय की रकम उपलब्ध

स्तंभ 24 सी/डी : एआईरआई (निर्यात हटान के लिए आवेदन)

स्तंभ 24 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार) दवारा प्राप्ति की तारीख

(\* माल के मामले में : एआरई और विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा प्राप्ति जो आज्ञापक हो ;)

स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर तारीख (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 6:

### नियम 89(2)(ञ) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के मामले में

[धारा 77(1) के अधीन प्रतिदाय – अनुचित संग्रहीत कर और संदत्त]

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और (2) के अनुसरण में जारी:

आदेश सं0:

आदेश

<u>तारीख:</u>

जीएसटी आईएस/		राष	ज्यांतरि	त/अन्तरराज्यि	क पूर्व के	रूप में सं	व्यवहार	संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे						
यूआईएन (बी 2सी के मामले में)					एकी कृत कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)		केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)
	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम	,	रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### कथन:7

### नियम 89(2)(ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी का संदर्भ सं0	विवरणी फाइल करने की तारीख	दायित्व रजिस्टर में उपलब्ध अधिक रकम						
		HU	करम का ताराख	एकीकृत कर	केन्द्रीय	राज्य कर	उपकर			
					कर					
1	2	3	4	5	6	7	8			

## उपाबंध-2 (नियम 89(2)(ड) देखें)

### <u>प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित ि	केया जाता है किकर अवधि के लिए	माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आई ः	डी,
मैसर्स	(आवेदक का नाम) द्वारा	(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संव	बंध
में कर और ब्या	ज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमा	ाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रुप से अनुरूक्षण दिए गए ले	खा
पुस्तकों और अ	न्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।	I	

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर:

नाम:							
सदस्य संख्या:							
स्थान:							
तारीख:							
यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधीन प्रतिदाय दावा दिया			की उपधारा (8) वे	क खंड (क) य <u>ा</u>	खंड (ख) या खं	ड (ग) या खंड	(ड.) या खंड (च) के
		प्ररूप	। जीएसटी <b>आ</b> रएफ	डी02			
		1	नियम 90(2) और	95(2) देखें <i>]</i>			
			अभिस्वीकृ	ति			
प्रतिदाय के लिए आपका आवे	दिन का<आ	वेदन संदर्भ संख	या > के विरुद्ध अभि	मेस्वीकृत कर वि	लेया गया है।		
अभिस्वीकृति संख्या :							
अभिस्वीकृति की तारीख:							
जी एस टीआई एन /यू आई ए	एन/ अस्थार <u>्य</u>	ो आई डी, यदि	उपलब्ध है:				
आवेदक का नाम:							
प्ररुप सं. :							
प्ररुप विवरण:							
अधिकारिता (समुचित निशा	न लगाएं) :						
केन्द्रीय राज्य/	संघ	राज्य क्षेत्र :					
द्वारा भरा गया							
		प्रतिदाय	आवेदन ब्यौरा				
कर अवधि							
फाइल करने की तारीख और समय							
प्रतिदाय के लिए कारण							
दावाकृत प्रतिदाय की रकम	1						
पापाकृत प्रातादाय का रकम	<u></u> कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	]
केन्द्रीय कर	. `			,,,,,		3 .	-
((×)   T							

राज्य कर

यू टी कर			
एकीकृत कर			
उपकर			
कुल			

टिप्पण 1. आवेदन की प्रास्थिति जी एस टी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

# प्ररुप जीएसटी आरएफडी 03 [नियम *90(3)* देखें]

	[नियम <i>90(</i> 3 <i>)</i> देखें]	
	ऊनता का ज्ञापन	
संदर्भ सं. :	तारीख: <दिन /मास /वर्ष >	
सेवा में		
	(माल और सेवा कर पहचान संख्या/यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी)	
	(नाम)	
	(पता)	
विषय: प्रतिब	दाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एनतारीख<िदन /मास /वर्ष > के संबंध में	
महोदय/महो	दया	
	ह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेद मेम्नलिखित कतिपय कमियां नोटिस की गई हैं	इन की संवीक <u>्षा</u>
क्रम सं.	विवरण (प्रतिदाय आवेदन के छूटने के कारण को चयन करें ।	
1.	<बहुचयन विकल्प >	
2.		
	अन्य<टेक्सट बुक > { कारण मास्टर 'से चयनित कारण के सिवाय कोई अन्य कारण}	
आपको सल	ाह दी जाती है कि उपरोक्त कमियों के शुद्दिकरण के पश्चात, एक नया प्रतिदाय आवेदन फाइल करें ।	
तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):	
स्थान:	उचित अधिकारी का नाम:	
	पदनाम:	

कार्यालय पता:

कार्यालय पता:

# प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04 [नियम 91(2) देखें]

मंजूरी अ	ादेश सं. :	तारीख	ा: <दिन /मास	/वर्ष >		
सेवा में						
	(माल और सेवा कर पहचा	न संख्या				
	(नाम)					
	(पता)					
	( )		अनंतिम प्रति	ाटाय आदेश		
मिनाग	आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन)	<del> </del>				
अभिस्वी	कृति संतारीख		<दिन /मास /व	ार्ष >		
महोदय	/महोदया,					
	प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त	वर्णित आवेदन	ा के संदर्भ में, <u>ि</u>	- नेम्नलिखित रकम अर्ना	तेम आधार पर आपक्	) जो स्वीकृत की जाती है
क्रम	विवरण	केन्द्रीय	राज्य कर	संघ राज्य क्षेत्र कर	ऐकीकृत कर	उपकर
सं.		कर			, c	
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम					
(ii)	दावाकृत रकम का 10%					
	प्रतिदाय के रुप में					
	(बाद में स्वीकृत किया जाएगा)					
(iii)	बकाया रकम (i-ii)					
(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम					
	बैंक विवरण					
(v)	आवेदन के अनुसार बैक खाता संख्या					
(vi)	बैंक का नाम					
(vii)	बैक /शाखा का पता					
(viii)	आई एफ एस सी					
(ix)	एम आई सी आर					
तारीख:				ह	स्ताक्षर (डी एस सी):	
स्थान:				न	пम:	
				ч	दनाम:	

# प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05 [नियम 91*(3),* 92(4), *92(5)* और 94 देखें]

#### संदाय सलाह

		`	तपाय तलाह							
संदाय सलाह सं.		तारीख: <दिन	/मास /वर्ष >							
सेवा में, <केन्द्रीय> प	गि ए ओ /खजाना / आई ब <u>ी</u>	आई / बैंक								
प्रतिदाय स्वीकृति आ	देश सं									
आदेश तारीख<	दिन /मास /वर्ष >	·								
जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>										
नाम: <>										
प्रतिदाय रकम (आदेध	श के अनुसार) :									
		केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर		एकीकृत कर	उपकर			
नेट स्वीकृत प्रतिदा	य रकम									
विलंब प्रतिदाय पर	ब्याज									
कुल										
				•	'					
	बैंक का ब्यौरा									
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक र	खाता संख्य <u>ा</u>								
(ii)	बैंक का नाम									
(iii)	बैंक /शाखा का नाम और	: पता								
(iv)	आई एफ एस सी									
(v)	एम आई सी आर									

तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):
स्थान:	नाम:

			पदनाम:			
			कार्यालय	पता:		
सेवा में						
	(जी एस टी आई एन /यू आई एन/ अस्थायी	आई डी)				
	(नाम)					
	(पता)					
	प्ररुप जीएसटी आरएप	कडी-0 <b>6</b>				
	[नियम 92 (1), <i>92(3)</i> , 92(4	l), 92(5) और	96(7) देखें]			
आदेश सं.	तारीख: <दिन /मास /व	ार्ष >				
सेवा में,						
	(जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई इ	डी )				
	(नाम)					
	(पता)					
कारण बताओ	नोटिस संख्या (यदि लागू हो)					
अभिस्वीकृति	संख्या<दि	न /मास /वर्ष >	·			
	स्वीकृत प्रतिदाय/ः	अस्वीकृत आदेश	Г			
महोदय/महोद	या,					
	ं अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके	्रपरोक्त वर्णित	न आवेदन के स <u>ं</u>	दर्भ में /*प्रति	दाय पर ह्याज	*/ आपके
*	रीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया (ज					
है : <b>-</b>						
क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	एकीकृत	उपकर
					कर	
(i)	दावाकृत प्रतिदाय/ब्याज* की रकम	1			1	

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	एकीकृत	उपकर
					कर	
(i)	दावाकृत प्रतिदाय/ब्याज* की रकम					
(ii)	अनंतिम आधार पर मंजूर प्रतिदाय (आदेश					
	संतारीख)					
	(यदि लागू हों)					
(iii)	प्रतिदाय रकम अग्राह्य >>					

	< कारण उल्लेख कीजिए>					
	< बहु-कारण अनुज्ञेय है>					
(iv)	संदाय किए जाने वाली सकल रकम(1-2-3)					
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध (यदि कोई हो) समायोजित रकम मांग आदेश संतारीखअधिनियम अविध					
	<पंक्ति के साथ बहु पंक्तियों को संभव हो जोड़ें >					
(vi)	नेट संदाय की जाने वाली रकम					
*जो लागू न	हो उसे काट दें।		l	l	1	ı
	नेयम@ की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 को आई एन आरकी रकम की	•	-	ाल और सेव	ा कर पहचान	संख्या रखने
@ जो लागू न	हो उसे काट दें।					
(क) औ	र रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खा	ता में संदाय वि	hया गया ह <u>ै</u>			
(ख) र	कम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बक	ाया की वसूली	को समायोजि	त किया गया	है।	
	रपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम सं प्ररपए की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन					किया है और
#जो लागू न हे	ो उसे काट दें ।					
	या					
<sup>&amp;</sup> 2 मैं, अि करता हूं ।	धेनियम की धारा () की उपधारा () के अधीन उपभ	गोक्ता कल्याण	निधि को आई	एऩ आर	र्व	ो रकम जमा
	अधिनियम की धारा () की उपधारा ( को आई एन आरकी रकम को निरस्त		माल और से	वा कर पह	चान संख्या	रखने वाले
<sup>&amp;</sup> जो लागू न ह	हो उसे काट दें ।					
तारीख:			हस्ताक्षर	(डी एस सी):		
स्थान:			नाम:			

पदनाम:

कार्यालय पता:

## प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07 [नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें]

संदर्भ सं.	तारीख: <दिन /मास /वर्ष >
सेवा में,	
(माल और सेवा कर पहचान	संख्या /यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी सं.)
नाम	
(पता)	
अभिस्वीकृति संख्या	तारीख:<दिन /मास /वर्ष >
	मंजूरी प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश
	भाग – क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत <del>कर</del>	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	उपकर
		कर				
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम					
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय					
(iii)	अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख					
	कीजिए >>					
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)					
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन बकाया मांग (आदेश संके अनुसार) के विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश सं तारीख <बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>					
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य			शून्य

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रुप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है ।

या

# भाग- ख

### प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज निम्नलिखित कारणों से रोक दिए गए है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

प्रतिदा	य आदेश सं. :					
आदेश	दारी करने की तारीख:					
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम					
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम					
iii.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम					
प्रतिदा	य रोकने के लिए कारण	l			1	•
	<<पाठ	·>>				
	आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय । गई । यह आदेश इस अधिनियम की धारा  () उपध					गरणों के लिए
तारीख			3	हस्ताक्षर (डी एस	ा सी):	
स्थान:			ना	म:		
			τ	ग्दनाम:		
			5	कार्यालय पता:		
	प्ररुप जीएसर्ट	ो आरएफडी-	08			
	<del>-</del>	यम 92(3) दे	_			
	प्रतिदाय के लिए आवेदन अस्वीकार करने के लिए नोटिस					
एस सी	एन सं. तारीख: <िदन	/मास /वर्ष >				
सेवा में	:					
	(माल और सेवा कर पहचान संख्या /यूनिक प	हचान संख्या	/अस्थायी आई	डी सं.)		
	नाम					

(पता)	
अभिस्वीकृति संख्या<दिन /मास /वर्ष >	>
आवेदन संदर्भ संख्या	
यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किएगए प्रतिदाय के लिए आपके उप	
पाया गया है कि, प्रतिदाय आवेदन निम्नलिखित कारणों के कारण अस्वीकार करने	चोग्य है :-
क्रम सं. विवरण (उल्लेख छोड़े जाने से प्रतिदाय का अग्राह्य के कारणों का चयन)	अग्राह्य रकम
(i)	
(ii)	
(iii) अन्य{ कारण मास्टर 'में उल्लिखित कारणों को छोड़ कर कोई अन्य	
कारण}	
। आपको उन कारणों को बताए जाने के लिए कहा गया है जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रतिदाय दावे को अस्वीकार क्यों न कर दिया जाए।	रकम के परिमाण उपरोक्त कथित कारणों के लिए आपके
<ul> <li>आपको यह निदेशित किया जाता है कि इस नोटिस के तामील होने की जाए।</li> </ul>	तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस नोटिस का उत्तर दिया
<ul> <li>आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि आप तारीख/मास वर्ष समय</li> </ul>	पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।
यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर दिए जाने में असफल होते हो या नियत ता असफल होने की दशा में उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक तरफ	
तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):
स्थान:	नाम:
	पदनाम:
	कार्यालय पता:
प्ररुप जीएसटी आरएफडी-09	
[नियम 92(3) देखें]	

# तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

1.	नोटिस का संदर्भ संख्या	जारी करने की तारीख	
2.	जी एस टी-आई एन / यू		

कारण बताओं नोटिस का उत्तर

	आई एन	
3.	कारबार का नाम, (विधिक)	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	नोटिस का उत्तर	
6.	अपलोड दस्तावेजों की सूची	
7.	सत्यापन मैं, मरे ज्ञान और विश्वास से सत	सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । प्रा <b>धिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर</b>
		नाम
		पदनाम / प्रास्थिति
	स्थान	
	तारीख: <दिन /मास /वर्ष >	
स्थान:		
तारीख	:	प्राधिकृत व्य
		पर

# प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

### [नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

	पहचान सख्या	

2. नाम :

<आई एन आर ><शब्दों में>

3.	पता	:		
4.	कर अवधि (तिमाही	·)	:	दिन /मास /वर्ष सेतक
	<दिन /मास /वर्ष >			

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य कर	
संघ राज्य क्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उपकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौरा:

5. दावा प्रतिदाय की रकम

- (क) बैंक खाता संख्या
- (ख) बैंक खाते का प्रकार
- (ग) बैंक का नाम
- (घ) खाता धारक / संचालक का नाम
- (ङ) बैंक शाखा का पता
- (च) आई एफ एस सी
- (छ) एम आई सी आर
- 7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररुप जी एस टी आर-11 की तारीख
- 8. सत्यापन

मैं, ......>दुतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

# प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-01 {नियम 98(1) देखें} धारा 60 के अधीन अंनतिम निर्धारण के लिए आवेदन

- 1. जीएसटीआईएन
- 2. नाम
- 3. पता

क्र.सं.	एचएसएन	वस्तु का	करव	<b>ही दर</b>			मूल्याकंन	मासिक औसत
		नाम	केन्द्रीय कर	राज्य/सं.शा. राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		आतत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कारण	तिम निर्धारण क		के लिए		1			1
6. फा	ईल किये गये दस्त	तावेज						

#### 7.सत्यापन-

मैं-----सत्यिनिष्ठा पूर्वक यह कथन करता हूँ और घोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति
नारीक

# प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-02 {नियम 98(2) देखें}

संदर्भ सं.	तारीखः
सेवा में	
जीएसटी आईएन	
नाम	
पता	
आवेदन संदर्भ सं	तारीख

### अंनतिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों को मांगने हेतू सूचना।

कृपया उपरोक्त संदर्भित आवेदन का संदर्भ ले । अंनतिम निर्धारण के लिए आपकी प्रार्थना का निरिक्षण करते समय यह पाया गया है कि निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज इस प्रक्रिया के लिए अपेक्षित है -

<< पाठ>>

अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर सूचना/दस्तावेज का उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामलें में कोई विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें । कृपया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपका आवेदन, आपको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा।

आप से निवदेन है कि << तारीख-----समय------स्थल >> पर व्यैक्तिक सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों। हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

### {नियम 98(2) देखें}

### अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सूचना का उत्तर

1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		
3. उस सूचना का विवरण जिसके द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गई	सूचना सं0	सूचना तारीख
4. उत्तर		
5. फाईल किये गये दस्तावेज		
्राहरा किन पन करतान्य -		
6. सत्यापन		
मैंसत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यह उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	ा़ं उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञा	न विश्वास से सत्य और सही है तथा
		प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
		नाम
		पदनाम/प्रास्थिति
		तारीख
प्ररूप जीएसटी	एएसएमटी-04	
{नियम 98	3(3) दे <del>खें</del> }	
संदर्भ सं.	तारीख	
सेवा में		
जीएसटी आईएन		

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	165
नाम		
पता		
आवेदन संदर्भ सं0	तारीख	
	अंनतिम निर्धारण का आदेश	
यह अंनतिम निर्धारण के आपके निवेदन के समर्थन के संदर्भ में है । आपके आवेदन और उत्तर का निरिक्ष		
	<< पाठ >>	
अंनतिम निर्धारणतारीख तक और विहित रूप अध्यधीन अनुज्ञात किया जाता है। कृपया नोट करें कि यदि बंधपत्र और प्रतिभूति निय जाएगा जैसे कि ऐसा कोई आदेश पारित ही न हुआ	गम तारीख के भीतर नहीं दी जाती है, अंनित	ζ,
		हस्ताक्षर
न		
		पदनाम
	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-05	
	प्ररूप जाएसटा एएसएसटा-05 {नियम 98(4) देखें}	
	प्रतिभूति देना	
1. जीएसटीआईएन	· ·	
2. नाम		
3. आदेश जिसके द्वारा प्रतिभूति को विहित किया ग	ाया है आदेश सं0	आदेश की तारीख

4. दी गई प्रतिभूति का विवरण

क्र.सं.	माध्यम	संदर्भ सं0/लिए नगद संदाय के लिए नामे प्रविष्टि सं0	तारीख	रकम	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6

**टिप्पणः** बैंक गारंटी और बंधपत्र की हाई प्रति आदेश में वर्णित तय तारीख को या उससे पूर्व जमा करनी होगी ।

### 5. घोषणा--

- (i) ऊपर वर्णित बैंक गारंटी उन माल और सेवाओं के प्रदाय पर अंतरीय कर को सुरक्षित करने के लिए दी गई है जिसकी बाबत मुझे अंनतिम आधार पर कर संदाय करने को अनुज्ञात किया गया है।
- (ii) मैं बैंक गारंटी का इसके अवसान से पहले नवीनीकरण कराने का वचन देता हूँ । यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहते है तो विभाग को बैंक से बैंक गारंटी के विरूद्ध संदाय प्राप्त करने की छूट होगी ।
- (iii) यदि हम अंनतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए सुकर बनाने में अपेक्षित दस्तावेज/सूचना देने में असफल रहते है, विभाग को अंनतिम निर्धारण का आच्छेदन करने के लिए हमारे द्वारा उपबंधित बैंक गारंटी को अवलंब करने की छूट होगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----

### अंनतिम निर्धारण के लिए बंधपत्र (नियम देखें)

म/हमइसम इसक परवात् बाठ्यतावारा कहा जाएंगा, मारत क राष्ट्रपात (जिन्ह इसम इसक परवात् राष्ट्रपात कहा गय
है)/(राज्य) केराज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है) के प्रतिराज्यपाल रू.
रकम का राष्ट्रपति/राज्यपाल को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूं/हैं इसका संदाय पूर्णत: और सही रूप में किए जाने वे
लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकत: स्वयं को/ अपने आप को और अपने वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तिय
को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं/तारीखको इस पर हस्ताक्षर किए गए ।
ऊपर आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा प्रदाय किए गए(माल/सेवाओं या दोनों—एचएसएन) पर एकीकृत
कर/केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर का समय-समय पर अंतिम निर्धारण, उनको लागू कर के मूल्य या दर के संबंध में पूरी जानकार्र
नहीं होने के कारण नहीं हो सका है;
और बाध्यताधारी यह वांछा करता है कि धारा 60 के उपबंधों के अनुसार अनंतिम निर्धारण किया जाए ।
और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में पृष्ठांकितरूपए रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करत
है और जबिक बाध्यताधारी को आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रतिभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति देनी है ।
इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, धारा 60 के अधीन अनंतिम निर्धारण के संबंध में अधिनियम के सर्भ
उपबंधों का पालन करें;

और यदि ऐसे एकीकृत कर/केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर या अन्य प्रभारों का जो अंतिम निर्धारण के पश्चात मांग योग्य होंगे सम्यक् रूप से उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से तीस दिन के भीतर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य होगी;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा।

और राष्ट्रपति/राज्यपाल, अपने विकल्प पर, बैंक प्रतिभृति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके

या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाएंगे। मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें सार्वजनिक हित है, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के आदेश सं. बनाया गया है; इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर) तारीख: स्थान : साक्षी (1) नाम और पता व्यापार (2) नाम और पता व्यापार तारीख: स्थान : साक्षी (1) नाम और पता व्यापार (2) नाम और पता व्यापार मैं, .....(वर्ष) का .....(पदनाम) को उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति/(राज्य)......राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हॅ। प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-06 {नियम 98(5) देखें} संदर्भ सं. तारीख सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम	
पता	
आवेदन संदर्भ सं	तारीख
अनंतिम निर्धारण आदेश सं.	(तारीख)
अतिंम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सचना	ा/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों को मांगने के लिए सूचना
कृपया उपरोक्त संदर्भित अंनतिम निर्धारण आदेश और आपके आवे अतिम रूप देने के लिए अपेक्षित है -	वेदन का संदर्भ लें । निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज अंनतिम निर्धारण को
<<	: पाठ <b>&gt;&gt;</b>
	5 दिन की अवधि के भीतर सूचना/दस्तावेज का उपबंध करें जिससे कि यह ाया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो ा दायी होगा ।
आप से निवदेन है कि << तारीखसमयस्थल >> पर व्यैर्ा	क्तेक सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों।
	हस्ता <b>क्ष</b> र
	नाम 
	पदनाम
प्ररूप जीएस	न्टी एएसएमटी-07
{नियम	न 98(5) दे <del>खें</del> }
संदर्भ सं.	तारीख
सेवा में	

[भाग II—खण्ड 3(1)]	भारत का राजपत्र : अस	ाधारण 169
जीएसटी आईएन		
नाम		
पता		
आवेदन संदर्भ सं	तारीख	. <del></del>
	अंतिम निर्धारण ः	<b>आदेश</b>
	प्रस्तावना << मा	नक >>
ऊपर संदर्भित अंनतिम निध निम्नलिखित रूप में जारी कि		न्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर अतिंम निर्धारण आदेश
संक्षिप्त र	तथ्य	
आवेदक	द्वारा निवेदन	
	र निष्कर्ष	
निर्णय ३	और आदेश	
आदेश के अनुपालन के पश्चात	त कोई आवेदन फाईल पर प्रयोजन के लिए दी गः	ई प्रतिभूति को वापिस लिया जा सकेगा ।
		हस्ताक्षर
		नाम
		पदनाम
	प्ररूप जीएसटी एएस	एमटी-08
	{नियम 98(6) <sup>ह</sup>	देखें}
	प्रतिभूति वापिस लेने के	ः लिए आवेदन
1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		

3. वह विव	रण जिसके द्वारा प्रति	तेभूति दी गई		एआरएन		तारीख	
4. वापिस ली जाने वाली प्रतिभूति का विवरण							
क्र.सं.	माध्यम	संदर्भ सं.(नगद संदाय के लिए) नामे प्रविष्टि सं.	तारीख		रकम		बैंक का नाम
1	2	3	4		5		6

_				_
<b>h</b>	सत्य	πı	1	
υ.	717	1	٠,	

मैं-----सत्यिनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----

# प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-09 {नियम 98(7) देखें}

संदर्भ सं.	तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन
नाम
पता
आवेदन संदर्भ सं तारीख
प्रतिभूति के निर्मोचन या आवेदन को नामंजूर करने का आदेश
यह प्रतिभूति की रकमरू (रू. शब्दों में ) के निर्मोचन के संबंध में ऊपर वर्णित आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेदन का निरिक्षण किया गया है और उसे सही पाया गया । पूर्वोक्त प्रतिभूति को निर्मोचित किया जाता है ।
या
प्रतिभूति के निर्मोचन संबंधी ऊपर संदर्भित आपके आवेदन का निरिक्षण किया गया लेकिन उसे निम्नलिखित कारणों से सही नहीं पाया गयाः-
<< पाठ >>
इसलिए प्रतिभूति के निर्मोचन के लिए आवेदन को नामंजूर किया जाता है।
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
तारीख

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10 {नियम 99(1) देखें}

संदर्भ सं.

तारीख

1. जीएसटीआईएन

172 THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAOR	DINAK I [FAKI II—SEC. 3(1)]
सेवा में	
जीएसटी आईएन	
नाम	
पता	
कर अवधि वि. वर्ष	
सर्विक्षा के पश्चात विवरणी में फर्क को सूचित करने	के लिए आवेदन
यह सूचित किया जाता है कि ऊपर संदर्भित कर अवधि के लिए विवरणी की सविंक्षा के दें	ौरान निम्नलिखित फर्क अवेक्षित किये गये है -
<< पाठ >>	
आपको,तारीख तक फर्को के लिए कारणों की व्याख्या का निदेश दिया जाता है । य है, यह समझा जाएगा कि आपको मामलें में कुछ नहीं कहना है और इस संबंध मे आ अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी ।	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-11	
{नियम 99(2) देखें}	
धारा 61 के अधीनविवरणी में फर्क को सूचित करने के लिए	ुजारी सूचना का उत्तर

2. नाम				
3. सूचना का विवरण		संदर्भ सं.	तारीख	
4. कर अवधि				
5. फर्कों के लिए उत्तर				
क्रम सं.	फर्क			उत्तर
6. स्वीकत रकम और संदत्त. यदि व	<del>7. 27</del>			

अधिनियम	कर	ब्याज	अन्य	कुल

### 7. सत्यापन

मैं-----सत्यिनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----

## जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-12 [नियम 99(3) देखें]

संदर्भ	रभे सं.:	तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन

नाम

पता

 कर अवधि वित्तीय वर्ष

 ए. आर.एन. तारीख

### धारा 61 के अधीन जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध प्रतिग्रहण आदेश का उत्तर

	यह,	संदर्भ	सं	तारीख		द्वारा	जारी	किए	गए	नोटिस	के	जवाब	में	आपके	उत्तर
तारीख			के संदर्भ में है।	आपका उत्तर	संतोषजनक	पाया	गया है औ	र इस	मामले	में आगे की	ो का	र्रवाई की	जानी	अपेक्षित	r है ।

हस्ताक्षर

ताम

पदनाम

# जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-13

[नियम 100(1) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष विवरणी प्रकार

नोटिस संर्दभ सं. तारीख

#### धारा 62 के अधीन निर्धारण आदेश

उद्देशिका- << मानक >>

उक्त कर अवधि के लिए विवरणी न भरे जाने के लिए अधिनियम की धारा 46 के अधीन आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस का संदर्भ लें । विभाग के पास उपलब्ध अभिलेख से यह नोटिस किया गया है कि आपने आज तारीख तक उक्त विवरणी नहीं दी है ।

अतः विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आपके द्वारा निर्धारण और देय राशि निम्नलिखित है

प्रस्तावना

जमा किया गया, यदि कोई हो

चर्चा और निष्कर्ष

निष्कर्ष

निर्धारित और देय राशि (ब्यौरे उपाबंध पर) :

### (राशि रुपयों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनिय म	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

कृपया नोट करें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है । भुगतान करते समय, आदेश की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप आदेश के तामिल होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर विवरणी दे देते हैं तो आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, अन्यथा, उपर्युक्त अवधि के पश्चात् आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करनी की कार्यवाहियां शुरू की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-1	14
[नियम 100(2) देखें]	

सदभ	ोस.	तान	रीख:

सेवा में,

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष

### धारा 63 के अधीन निर्धारण के लिए कारण बताओ नोटिस

	मेरी जानकारी में यह आया है	कि यद्यपि आप /आप	पकी कंपनी/ प	र्म अधिनियम	की धारा	के अधीन	न रजिस्ट्रीकृत ह	ग़ेने
के लिए	उत्तरदायी है, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त	। करने में असफल रह	ा है और उक्त	अधिनियम के उ	अधीन कर और	अन्य दायित्वों को	चुकाने में असप	फल
रहा है ज	ो कि निम्नलिखित ब्यौरे में दी ग	ाई है ∶-						

संक्षिप्त तथ्य -

आधार –

निष्कर्ष –

या

मेरी जानकारी में यह आया है कि आपका रजिस्ट्रीकरण तारीख ......से धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द किया गया है और आप उपरोक्त दर्शित अवधि के लिए कर अदा करने के दायी है ।

अतः आपको यह निदेशिक किया जाता है कि आप कारण बताएं कि क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए आपके विरुद्ध क्यों न ब्याज सहित कर दायित्व और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए क्यों न शास्ति अधिरोपित की जाए।

इस संबंध में, आपको निदेशित किया जाता है कि आप तारीख.....को समय...... पर हस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित हों।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

### जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-15 [नियम 100(2) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख: सेवा में, अस्थायी पहचान पत्र

नाम पता

> कर अवधि - वित्तीय वर्ष एस सी एन संदर्भ सं

> > धारा 63 के अधीन निर्धारण आदेश

उद्देशिका- << मानक >>

आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दायित्व होने के बावजूज, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रुप में कारबार संचालन चलाये रखा गया ।

गा

आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि तारीख ......से धारा 29 के उपधारा (2) के अधीन आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया था, ...... अवधि के लिए क्यों कर नही दिया जाना चाहिए।

जबिक, आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है या आपका उत्तर तारीख ......को आयोजित कार्यवाही के दौरान विचारणीय नहीं था।

विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर/कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में आपके द्वारा निर्धारित और देय राशि निम्नलिखित है:-

प्रस्तावना

जमा किया गया, यदि कोई हो

निष्कर्ष (छोड़ी गई कार्यवाही या सृजित मांग)

निर्धारण और दायी राशि :- (ब्यौरे उपाबंध पर)

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

7	कृपया	ध्यान	दें कि	आदेश	पारित	करने की	ो तारीख	तक ब्याज	ा की	गणना की	ो गई है।	भुगतान	करते स	तमय,	आदेश व	<mark>ी तारी</mark> ख	ा और
भुगतान की	ो तारी	ख के	बीच व	नि अवधि	धे के लि	ए ब्याज	आदेश मे	ां वर्णित ब	काया	राशि के ग	साथ लिख	बी जाएर्ग	ो और भ	ग्गतान	किया उ	नाएगा ।	

अ	पको यह निदेि	शेत किया ज	जाता है कि १	मुगतान तारीख <i>े</i>	तक	कर दिया	`जाए जिसके	न हो	सकने पर	आपके
<del></del>		<del></del>	<del> </del>	- <del> </del>						
।वरुद्ध बकार	।। रा।श वसूल	करन का क	तयवाहिया १	ा्रु की जाएंगी⊨						

हस्ताक्षर

नाम

### जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-16

### [नियम 100(3) देखें]

संदर्भ सं

सेवा में.

जीएसटीआईएन/पहचान सं0

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष

### धारा 64 के अधीन निर्घारण आदेश

, C			
उद्देशिका-	<<	मानक	>>

	मेरे यह संज्ञान	न में लाया ग	या है कि गो	दाम		.(पता) <del>वे</del>	स्टॉक	में या	(पत	ा और	यान के व	ब्यौरे) प	र आर्	स्थित य	ान में
बेहिसाब	माल पड़ा हुआ	है और आप	इस माल व	<b>ग लेखा</b> व	रेने में या	माल का	ब्यौरे व	रर्शित क	रने वाला	कोई	दस्तावेज	प्रस्तुत	करने	में असग	मर्थ थे
1															

अत: मैं ऐसे माल पर देय कर के निर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करता हूं:

प्रस्तावना

### विचार विमर्श और निष्कर्ष

निर्णय

निर्धारित और संदेय रकम (ब्यौरे उपाबंध में हैं)

(राशि रुपयों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज यदि कोई हो	शास्ति	अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल योग							

	कृपया ध	यान दें वि	आदेश	पारित व	हरने की	तारीख	तक ब्या	ज की	संगणना	की गई	हे है। संद	ाय कर	ते समय,	आदेश व	ने तार्र	ीख और
संदाय की	ो तारीख	के बीच र्क	ो अवधि	के लिए	ब्याज व	ना भी प	गरिकलन	किया	जाएगा	और उ	से आदेश	ा में विष	ति बका	या राशि	के सा	थ संदत्त
किया जा	एगा ।			•					•							

आपको	तारीख यह निदेशित	`किया जाता है कि भुगतान तारीख	ंतक कर दिया जाए र्ा	जेसके
न हो सकने पर आपके विरुद्ध बकाया न	राशि वसूल करने की	कार्यवाहियां शुरु की जाएंगी।		

हस्ताक्षर

नाम

# प्ररुप जीएसटी एएसएमटी -17

### [नियम 100(4) देखें]

### धारा 64 के अधीन जारी किए गए निर्धारण आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन

1. जी एस टी आई एन/आई डी		
2.नाम		
3. आदेश का विवरण	संदर्भ सं	आदेश जारी होने की तारीख

4. कर अवधि, यदि कोई हो	
5. वापस लेने का आधार	
6. सत्यापन	
मैं	सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई
	सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम	
्राम् पदनाम/प्रास्थिति	
पदनाम/प्रास्थात तारीख-	
તારાલ-	
	प्ररुप जीएसटी एएसएमटी -18
	 [नियम 100(5) देखें]
संदर्भ सं	तारीख:
जीएसटीआईएन/आई डी	
नाम	

पता

ए आर एन-	तारीख–
धारा 64(2) के अधीन दिए गए आवेदन का प्रतिग्रहण	ग या अगृहित करना ।
उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर संतारीखको वापस ले लिया ग	को विचार में लिया गया और अनुक्रम में पाया गया है तथा निर्धारण आदेश गया है ।
या	
उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर	निम्नलिखित कारणों के लिए अनुक्रम में नहीं पाए गए हैं :
	<<पाठ >>
अतः आपके द्वारा आदेश को वापस लेने के लिए आवेद	<b>इ</b> न को निरस्त किया जाता है ।
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	प्ररुप जीएसटी एडीटी-01
	[नियम 101(2) देखें]
संदर्भ सं	तारीख:
सेवा में	
जी एस टी आई एन	
नाम	
पता	
अवधि-वित्तीय वर्ष (वर्षों)	
ले	खा परीक्षा आयोजित करने का नोटिस
	उपबंधों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष (वर्षों)के परीक्षा किया जाएगा । मैं उक्त लेखा परीक्षा को मेरे कार्यालय/ आपके कारबार स्थान पर
और जहां आपको अपेक्षित हो:-	
(i) इस संदर्भ में यथा अपेक्षित लेखा और अभिले सुविधानजक उपलब्घ कराएं, और	नेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यक सुविधाएं हस्ताक्षरित को

(ii) यथा अपेक्षित ऐसी सूचनाओं को देना और लेखा परीक्षा को  समय पर पूरा करने के लिए सहायता करना ।						
	ध्यम से उपस्थित हो और व			को व्यक्तिगत रुप र्ष (वर्षों) के लिए आपकी लेख		
				ब्ब्जें में नहीं हैं और इस संबंध गर कार्यवाहियां शुरु करने ये		
				हस्ताक्षर		
				नाम		
				पदनाम		
		प्ररुप जीएसटी एडीर्ट	t -02			
		[नियम 101(5) दे	खें]			
संदर्भ सं.:			तारीख:			
सेवा में						
जीएसटीआईएन						
नाम						
पता						
लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं						
		रा 65(6) के अधीन लेखा			_	
वित्तीय वर्षके लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण किया गया और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और निष्कर्ष निम्नलिखित है :-						
कम संदाय का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
कर	, ,					
ब्याज						
कोई अन्य रकम						

	. ``	^	_	. ~	0 0			<u> </u>
-	लाग्वा	प्रशिक्ष	अवलोकन	अतावष	ਧਾ ਟਾ	गफ	फाटल	अपलांट)
-	ाजा	1 (1 411	919 (1197)	91/11/76	11 01	50	11121	91111101

2020 0 20 00 2		
	ौर इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसा ोनियम के उपबंधों के अधीन आपके विरुद्ध कार्यवाहियां श्	
		हस्ताक्षर
		नाम
		पदनाम
	प्ररुप जीएसटी एडीटी -03	
	[नियम 102(1) देखें]	
संदर्भ सं.:	तारीख:	
त्रम त	તારાય.	
सेवा में		
जीएसटीआईएन		
नाम		
पता		
कर अवधि-वित्तीय वर्ष (वर्षों)		
धारा 66 के अधीन विशेष लेखा परीक्षा के आयोजन	न के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से पत्र व्यवहार ।	
जहां विवरणी /जाच /अंवेषण /कार्यवा	हियों की संविक्षा चल रही हो;	
और जहां यह महसूस किया गया है कि आयुक्त द्वा और अभिलेखों पुस्तकों की परीक्षण और लेखा परीध	ारा नामनिर्देशित(नाम) चार्टर्ड अकाऊन्टेंट /रु क्षा करवाना आवश्यक है ।	नागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा
आपको निदेशित किया जाता है कि उक् परीक्षा करवा लें ।	म्त चार्टर्ड अकाउंटेंट /लागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा	। और अभिलेखों पुस्तकों का लेखा
		हस्ताक्षर
		नाम

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 183

				पदनाम
		प्ररुप जीएसटी एडी	टी -04	
		[नियम 102(2) <sup>ह</sup>	देखें]	
संदर्भ सं.:			तारीख:	
नेवा में				
नीएसटीआईएन				
नाम				
।ता				
	वि	शेष लेखा परीक्षा पर निष	कर्ष की सूचना	
		=	परीक्षण (चार्टर्ड आकाऊन्टेंट आधार पर यह लेखा परीक्षा ि	
<sub>ь</sub> म संदाय का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/यू टी कर	उपकर
जर				
याज				
होई अन्य रकम				
लेखा परीक्षा अवलोकन अ	तिर्विष्ट पी डी एफ फाइल	अपलोड)		
			: नियमों के उपबंधों के अनुसा ा आपके विरुद्ध कार्यवाहियां श्	
				हस्ताक्षर
				नाम

पदनाम.....

# प्ररूप जीएसटी एआरए -01

[नियम 104(1) देखें]

# अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन प्ररूप

1.	जीएसटीआएन सं. यदि कोई हो/ उपभोक्ता पहचान				
2.	आवेदक का विधिक नाम				
3.	आवेदक के व्यापार का नाम (वैकल्पिक)				
4.	आवेदक की प्रास्थिति [रजिस्ट्रीकृत / अरजिस्ट्रीकृत]				
5.	रजिस्ट्रीकृत पता/ उपभोक्ता पहचान प्राप्त करने के गया पता	समय दिया			
6.	पत्राचार का पता, यदि ऊपर से भिन्न हों				
7.	मोबाइल नंबर [एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ]				
8.	टेलीफोन नंबर [एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ]				
9.	ई-मेल पता				
10.	अधिकारिता वाला प्राधिकारी		<<ना	म, पदनाम, पता>>	
11.	i. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम			वैकल्पिक	
	ii. मोबाइल नंबर		iii. ई-मेल पता		
12.	कार्यकलाप(कार्यकलापों) की प्रकृति (प्रस्तावित / वर्त	र्मान) जिनके	संबंध में अग्रिम विनिर्णय	की ईप्सा की गई है	
	अ. प्रवर्ग				
	कारखान / विनिर्माण	थोक व्याप	ार	खुदरा व्यापार	
	भांडागार/डिपो	बंधित भांड	ग्रगार	सेवा उपबंध	
	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	पट्टा कारोब	गार	सेवा प्राप्तिकर्ता	
	ईओयू/ एसटीपी/ ईएचटीपी	विशेष आि	र्थेक जोन	इनपुट सेवा (आईएसडी)	वितरण
	कार्य संविदा				
	आ. विवरण (संक्षेप में)			1	
			(संलग्नक भी फाइल	करने के लिए उपबंध)	

[ भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 185

13.	विवाद्यक/विवाद्यकों जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है	(जहां कहीं लागू हों, चिन्हित	करें) :-
	(i) माल और/या सेवा या दोनों का वर्गीकरण		
	(ii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का व	त्रागू होना	
	(iii) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के समय और मूल्य	का अवधारण	
	(iv) संदत्त कर या संदत्त किए जाने के लिए समझा गया कर	के इनपुट कर की ग्राह्यता	
	(v) किसी माल या सेवा या दोनों पर कर के संदाय के दायि	त्व का अवधारण	
	(vi) क्या अपीलार्थी के लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीव	<u>क</u> ृत होना अपेक्षित है	
	(vii) क्या किसी माल और/या सेवाओं और दोनों के संबंध विशिष्ट बात की गई है जो माल और/या सेवाओं और अर्थांतर्गत आते है या उनके परिणामस्वरूप है	·	
14.	प्रश्न जिसके (जिनके) लिए अग्निम विनिर्णय अपेक्षित है		
15.	उद्भूत प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में सुसंगत तथ्यों का विवरण		
16.	पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में (अर्थात् और ऐसे विवादः अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है) आवेदक का, यथास्थि निर्वचन वाला कथन		
17.	मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में उद्भूत प्रश्न (चिन्हां	कित करें) -	
	क. अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवे	दक के मामले में किसी कार्यव	ाही में पहले से लंबित नहीं है
	ख. अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेर है	क के मामले में किन्हीं कार्यव	ाहियों में से पहले विनिश्चित नहीं की गई
18.	संदाय के ब्यौरे चार	यान पहचान संख्या <b>(</b> सीआईए	न) –
	तार	ोख -	
	सत्य	ापन	
मैं,	(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र	/पुत्री/पत्नी श्री	सत्यनिष्ठा से यह घोषणा
	ती हूं कि ऊपर संलग्नक (संलग्नकों), जिसके अंतर्गत दस्तावेज प		
	ह आवेदन (पदनाम) के रूप में अ करने के लिए सक्षम हूं ।	पनी हैसियत से कर रहा/रर्ह	ो हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका
हस्ताक्षर			
		आ	वेदक /प्राधिकृत
			<u>.</u>

तारीख \_\_\_\_\_\_ पदनाम/प्रास्थिति

# प्ररूप जीएसटीए आरए -02

# [नियम 106(1) देखें]

# अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारी को अपील

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पण
1	अग्रिम विनिर्णय सं.	
2	अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3	अपीलार्थी की जीएसटीआईएन / उपभोक्ता पहचान	
4	अपीलार्थी का विधिक नाम	
4	अपीलार्थी का विधिक नाम	
5	अपीलार्थी के व्यापार का नाम (वैकल्पिक)	
6	अपीलार्थी का पता जिस पर सूचनाएं भेजी जा सकेंगी	
7	अपीलार्थी का ई-मेल पता	
8	अपीलार्थी का मोबाइल नंबर	
9	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी	
10	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का पदनाम	
11	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का ई-मेल पता	
12	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर	
13	क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा रखता है	हां/नहीं
14.	मामले के तथ्य (संक्षेप में)	
15.	अपील का आधार	
16.	संदाय के ब्यौरे	चालान पहचान सं. (सीआईएन)
		- तारीख -

#### प्रार्थना

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय अपील प्राधिकारी (स्थान) :

- क. जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम विनिर्णय को अपास्त/उपांतरित करने की कृपा करें ;
- ख. व्यक्तिगत सुनवाई की करने की करें; और
- ग. कोई ऐसा (ऐसे) और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे ;

और इस कृपापूर्ण कार्य के लिए अपीलार्थी प्रार्थना करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है।

मैं,	(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	सत्यनिष्ठा से यह घोषण
करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक (	(संलग्नकों), जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, में जो कथन किया गया है	ह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सर्ह
है । मैं यह आवेदन सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।	(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही	हूं और मैं यह आवेदन करने और उसक
		हस्ताक्षर
स्थान	<u> </u>	आवेदक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख		पदनाम/पास्थिति

सत्यापन

### प्ररूप जीएसटी एआरए -03

[नियम 106(2) देखें]

# अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारण को अपील

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पण

1	अग्रिम विनिर्णय सं.		
2	अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
3	जीएसटीआईएन, यदि कोई है/व्यक्ति का पहचान पत्र जिसने अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की है		
4	क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का विधिक नाम		
5	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का नाम और पदनाम		
6	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का ई-मेल पता		
7	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का मोबाईल नं.		
8	क्या अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा रखता है	हां/नहीं	
10	अपील का आधार		
	प्रार्थना		
	पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है (स्थान) :	कि माननीय अपील प्राधिकारी	
	क. जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम विनिर्णय को अपास्त/उपांतरित करने की कृपा करें ;		
	व्यक्तिगत सुनवाई की करने की करें ; और		
	कोई ऐसा (ऐसे) और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे ;	करें जो वह मामले के तथ्यों	

#### सत्यापन

मैं,	(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	सत्यनिष्ठा से यह घोषणा
करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक ।	(संलग्नकों), जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, में जो कथन किया गय	ग़ है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही
है । मैं यह आवेदन	(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/र	ही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका
सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।		
		हस्ताक्षर
स्थान	संबद्ध अधिकारी/अ	धिकारी अधिकारिता का नाम और पदनाम
तारीख		

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 01

[नियम 108(1) देखें]

# अपील प्राधिकारी को अपील

1. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन –

- 2. अपीलार्थी का विधिक नाम -
- 3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों -
- 4. पता -
- 5. आदेश सं -

आदेश की तारीख -

- 6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता -
- 7. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख -
- 8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -
- 9. विवादित मामले के ब्यौरे -
- (i) विवादित मामले के संक्षिप्त विवाद्यक -
- (ii) विवादग्रस्त माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण-
- (iii) विवाद की अवधि-
- (iv) विवाद के अधीन रकम :

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ड़) अन्य प्रभार				

- (v) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य
- 10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है हां / नहीं
- 11. तथ्यों का कथन:-
- 12. अपील के आधार:-
- 13. प्रार्थना:-
- 14. सृजित, स्वीकृत और विवादित मांग की रकम

मांग/ प्रतिदाय	विशिष्टियां	केन्द्रीय	राज्य/ संघ	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम
की विशिष्टियां		कर	राज्यक्षेत्र			
			कर			

सृजित मांग की रकम (अ)	<ul><li>क) कर/ उपकर</li><li>ख) ब्याज</li><li>ग) शास्ति</li><li>घ) फीस</li></ul>			< कुल > < কুল > < কুল > < কুল >	· < कुल >
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	
	क) कर/ उपकर			< कुल >	
स्वीकृत मांग	ख) ब्याज			< कुल >	_ <del></del>
की रकम	ग) शास्ति			< कुल >	- < कुल >
(आ)	घ) फीस			< कुल >	
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	
	क) कर/ उपकर			< कुल >	
विवादित मांग की	ख) ब्याज			< कुल >	<b>८</b> कल
रकम	ग) शास्ति			< कुल >	- < कुल >
(इ)	घ) फीस			< कुल >	
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	

# 15. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे :

# (क) अपेक्षित संदाय के ब्यौरे

विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रक	Ŧ
क) स्वीकृत रकम	कर / उपकर					< कुल >	< कुल

	ब्याज			< कुल >	>
	शास्ति			< कुल >	
	फीस			< कुल >	
	अन्य प्रभार			< कुल >	
ख) पूर्व निक्षेप (विवादित कर का 10 प्रतिशत)	कर/ उपकर			< कुल >	

# (ख) स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का दस प्रतिशत पूर्व निक्षेप)

क्रम	विवरण	संदेय कर	नकद/ जमा खाते	विकलन		संदत्त व	कर की रकम	
सं.			के माध्यम से संदाय	प्रविष्टि सं.	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सं.	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर		नकद खाता					
'''	2 5		जमा खाता					
2.	केन्द्रीय कर		नकद खाता					
	7// <b>3</b> // 4//		जमा खाता					
3.	राज्य/संघ		नकद खाता					
	राज्यक्षेत्र कर		जमा खाता					
4.	उपकर		नकद खाता					
			जमा खाता					

# (ग) संदाय और संदत्त ब्याज, शास्ति, विलंब शुल्क और कोई अन्य रकम

क्रम	विवरण		संदेय	रकम		विकलन प्रविष्टि		ŧ	ांदत्त रकम	
स.		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रावाष्ट सं.	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर

1	n	$^{\circ}$
1	ч	1

[PART II—SEC. 3(i)]
---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ब्याज									
2.	शास्ति									
3.	विलंब शुल्क									
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									

16. क्या विहित अवधि के पश्चात् अपील फाइल की गई है - हां / नहीं	
17. यदि मद 17 में 'हां' है –	
(ক)	विलंब की अवधि –
(অ)	विलंब के कारण -

### सत्यापन

मैं, < सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सः		हूं और घोषणा करत हीं गई है ।	ग हूं कि ऊपर दी	गई जानकारी मेरे
स्थान:				
तारीख:			<हस्ताक्षर>	

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 02

आवेदक का नाम:

[**नियम** 108(3) **देखें**]

### अपील प्रस्तुत करने की पावती

### <अपीलार्थी का नाम><जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन/तारीख सहित संदर्भ संख्या >

, 0	~ ~	•	e 2 _ C	_	
कावरुद्ध	आपका अपाल	'सफलतापूर्वक फाइ	ल हा गड ह <	: आवदन	सदभ स >
		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	6 6		** * * **

- 1 संदर्भ संख्या-
- 2. फाइल करने की तारीख-
- 3. फाइल करने की समय-
- 4. फाइल करने का स्थान-
- 5. अपील फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम-
- 6. पूर्व निक्षेप की रकम -
- 7. अपील के प्रतिग्रहण ∕मामंजूर करने की तारीख-
- 8. हाजिर होने की तारीख तारीख: समय:
- 9. न्यायालय सं./न्यायपीठ न्यायालय: न्यायपीठ:

स्थान :

तारीख:

<हस्ताक्षर≯

नाम:

पदनाम:

अपील प्राधिकारी अपील अधिकरण आयुक्त /अपर या संयुक्त आयुक्त की ओर से

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 03

[नियम 109(1) देखें]

धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी को आवेदन

	$\sim \kappa$			-3	
1	अपीलार्थी	का	नाम	आर	पदनाम

नाम-

पदनाम-

अधिकारिता-

राज्य/केन्द्र-

राज्य का नाम-

- 2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन-
- 3. आदेश सं.

तारीख-

- 4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता -
- 5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के संसूचना की तारीख-
- 6. विवादित मामले के ब्यौरे-

विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक

विवादित माल/ सेवा का विवरण और वर्गीकरण-

विवाद की अवधि-

विवादाधीन रकम-

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ	एकीकृत कर	उपकर
		राज्यक्षेत्र कर		
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

- 7. तथ्यों की कथन-
- 8. अपील के आधार-
- 9. प्रार्थना-
- 10. विवादित मांग की रकम, यदि कोई हों -

विशिष्टियां	केन्द्रीय	राज्य/ संघ	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम
	कर	राज्यक्षेत्र			
		कर			
	विशिष्टया		कर राज्यक्षेत्र	कर राज्यक्षेत्र	कर राज्यक्षेत्र

[भाग II — खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 195

	क) कर/ उपकर			< कुल >	< कुल >
 सृजित म	ख) ब्याज			< कुल >	
की रकम	ग) शास्ति			< कुल >	
(अ)	घ) फीस			< कुल >	
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	
	क) कर/ उपकर			< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज			< कुल >	
विवादित	r ग) शास्ति			< कुल >	
मांग की रकम	घ) फीस			< कुल >	
(आ)	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	
	घ) फीस			< कुल >	
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	

तारीख :

< हस्ताक्षर>

आवेदक अधिकारी का नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 04

[नियम 113(1) और 115 देखें]

अपील प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् मांग सारांश

आदेश सं -

आदेश की तारीख -

- 1. जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन -
- 2. अपीलार्थी का नाम-
- 3. अपीलार्थी का पता-
- 4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है- संख्या-

तारीख-

5. अपील सं

तारीख-

6. व्यक्तिगत सुनवाई –

7. संक्षेप में आदेश-

- 8. आदेश की प्रास्थिति- पृष्टि/उपांतरित/नामंजूर
- 9. पुष्ट मांग की रकम:

विशिष्टियां	केन्द्रीय कर		राज्य <b>/</b> संघ राज्यक्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल योग	
	विवादित	अवधारित	विवादित	अवधारित	विवादित	अवधारित	विवादित	अवधारित	विवादित	अवधारित
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) कर										
ख) ब्याज										
ग) शास्ति										
घ) फीस										
ङ) अन्य										
च) प्रतिदाय										

स्थान :

तारीख :

< हस्ताक्षर>

< अपील प्राधिकारी/अधिकरण/अधिकारिता अधिकारी का नाम>

पदनाम :

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 05

[नियम 110(1) देखें]

#### अपील अधिकरण को अपील

- 1. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन -
- 2. अपीलार्थी का नाम -
- 3. अपीलार्थी का पता –
- 4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है संख्या- तारीख-
- 5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता -
- 6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख -
- 7. प्रतिनिधि का नाम -
- 8. विवादाधीन मामले के ब्यौरे :
  - (i) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक
  - (ii) विवादित माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण
  - (iii) विवाद की अवधि
  - (iv) विवादाधीन रकम:

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

- (V) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य
  - 9. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है ?
  - 10. तथ्यों का कथन
  - 11. अपील का आधार
  - 12. प्रार्थना
  - 13. सुजित विवादित और स्वीकृत मांग के ब्यौरे

मांग की	विशिष्टियां	केन्द्रीय	राज्य <b>/</b> संघ	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम
विशिष्टियां		कर	_			-

		राज्यक्षेत्र			
	1	कर			
मांग/नामंजूर	क) कर/ उपकर			< कुल >	
की गई	ख) ब्याज			< कुल >	
रकम, यदि	ग) शास्ति			< कुल >	< कुल >
कोई हों	घ) फीस			< कुल >	
(अ)	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	
	क) कर/ उपकर			< कुल >	
विवादित	ख) ब्याज			< कुल >	
मांग की रकम	ग) शास्ति			< कुल >	< कुल >
(आ)	घ) फीस			< कुल >	
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	
	क) कर/ उपकर			< कुल >	
स्वीकृत मांग	ख) ब्याज			< कुल >	
की रकम	ग) शास्ति			< कुल >	< कुल >
(इ)	घ) फीस			< कुल >	
	ङ) अन्य प्रभार			< कुल >	

14. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे :-

# (क) संदेय रकम के ब्यौरे

विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल र	कम
	कर / उपकर					< कुल >	
	ब्याज					< कुल >	
क) स्वीकृत रकम	शास्ति					< कुल >	
	फीस					< कुल >	< कुल >
	अन्य प्रभार					< कुल >	
ख) पूर्व निक्षेप							
(विवादित कर का	कर/ उपकर					< कुल >	
20 प्रतिशत)							

(ख) स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का बीस प्रतिशत पूर्व निक्षेप)

क्रम	विवरण	संदेय कर	नकद/ जमा खाते	विकलन		संदत्त क	र की रकम	
सं.			के माध्यम से संदाय	प्रविष्टि सं.	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सं.	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
2.	केन्द्रीय कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
3.	राज्य/संघ		नकद खाता					
	राज्यक्षेत्र कर		जमा खाता					
4.	उपकर		नकद खाता					
			जमा खाता					

# (ग) संदेय और संदत्त ब्याज, शास्ति, विलंब फीस और कोई अन्य रकम

क्रम	विवरण	वेवरण संदेय रकम				विकलन		संदत्त रकम			
सं.		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रविष्टि सं.	एकीकृत कर	केन्द्रीय <b>क</b> र	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ब्याज										
2.	शास्ति										
3.	विलंब शुल्क										
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										

	सत्यापन	
]	मैं, < >, सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।	हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे
	स्थान:	
	तारीख:	<हस्ताक्षर>

आवेदक का नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :

# प्ररूप जीएसटी एपीएल – 06

[नियम **110(2)** देखें]

# अपील अधिकरण के समक्ष प्रति आक्षेप

धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन

क्रम सं.	विशिष्टियां
1	अपील सं फाईल करने की तारीख -
2	जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन-
3	अपीलार्थी का नाम-
4	अपीलार्थी का स्थायी पता-
5	पत्राचार का पता-
6	आदेश सं.
7.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाला अधिकारी का नाम और पता-
8.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख
9.	प्रतिनिधि का नाम-
10.	विवादाधीन मामले के ब्यौरे-
(i)	विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक-

(ii)	विवादाधीन माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण-							
(iii)	विवाद की अवि	धे-						
(iv)	বি	वेवादाधीन रव	<b>कम</b>	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	क) कर							
	ख) ब्याज							
	ग) शास्ति							
	घ) फीस							
	ङ) अन्य प्रभार (	(विनिर्दिष्ट करें	(7)					
(v)	अभिगृहीत का ब	गाजार मूल्य-			l			
11	राज्य या संघ रा	ज्यक्षेत्र और व		गदेश या विनिश्चय	पारित किया गया था,  (अ	धिकारिता के ब्यौरे <b>)-</b>		
12	यथास्थिति, अर्प के सूचना की प्रा			ज्यक्षेत्र कर आयुक्त	द्वारा अपील अधिकरण में प	नाइल की गई अपील	या आवेदन	
13	क्या ऐसे विनिश्च हां	ाय या आदेश नहीं	में, जिसके विरुद्ध अ	ग्पील की गई है, प्र	दाय के स्थान से संबंधित के	ई प्रश्न अंतर्वलित है	-	
14	राज्य/ संघ राज्य	 ।क्षेत्र कर/ केन्द्र	न्नीय कर आयुक्त से ी	भिन्न किसी व्यक्ति	द्वारा फाइल किए गए प्रति	आक्षेपों के मामले		
	(i) न्य	ायनिर्णायक प्र	गाधिकारी का नाम-					
	(ii) अ	ादेश संख्या अं	ौर आदेश की तारीर	ब-				
	(iii) उ	ग <mark>ि</mark> एसटीआईए	न/यूआईएन/अस्था	यी पहचान-				
	(iv) ૩	गंतर्वलित रका	म :					
	शीर्ष	कर	ब्याज	शास्ति		प्रतिदाय	कुल	
	एकीकृत कर							
	केन्द्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							

15	संदाय के	ब्यौरे					
	शीर्ष		कर	ब्याज	शास्ति	प्रतिदाय	कुल
	एकीकृत व	कर					
	केन्द्रीय क	र					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र						
	उपकर						
	एकीकृत व	कर					
	कुल योग						
16	राज्य/ संघ	त्र राज्यक्ष	तेत्र कर/ केन्द्री	य कर आयुक्त द्वारा फाइल्	। । किए गए प्रति आक्षेपों के मामले में	:	
	(i)	विवाद जाना	र की अवधि क <u>े</u>	िलिए मांगे गए कर की र	कम को कम करना या घटाया		
	(ii)	विवाद	ः की अवधि के	लिए ब्याज की रकम को	कम करना या घटाया जाना		
	(iii)	विवाद रकम	<b>:</b> की अवधि के	तिए मंजूर किए गए या	अनुज्ञात किए गए प्रतिदाय की		
	(iv)	क्या १ की गई		में रकम अधिरोपित नहीं	की गई है या कम अधिरोपित		
		कुल ये					
17				किए गए अनुतोष			
18	प्रतिआक्षेप	म के आध	गर				

	सत्यापन
मैं,	प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर ौर विश्वास में सत्य है ।
आज तारीखमास20	को सत्यापित किया गया ।
हस्ताक्षर : तारीख :	<हस्ताक्षर>
	आवेदक/ अधिकारी के हस्ताक्षर :
	आवेदक/ अधिकारी का पदनाम/ प्रास्थिति:

# प्ररूप जीएसटी एपीएल - 07

### [नियम 111(1) देखें]

### धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन

1.	अपीलार्थी का नाम और पदनाम	नाम :
		पदनाम
		अधिकारिता
		राज्य/केन्द्र
		राज्य का नाम :

- 2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन-
- 3. अपील आदेश सं. तारीख-
- 4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अपील प्राधिकारी का पदनाम और पता -
- 5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख
- 6. विवादाधीन मामले के ब्यौरे :
  - (i) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक

- (ii) विवादित माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण
- (iii) विवाद की अवधि
- (iv) विवादाधीन रकम:

	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर					
ख) ब्याज					
ग) शास्ति					
घ) फीस					
ङ) अन्य प्रभार					

- 7. तथ्यों का कथन
- 8. अपील के आधार
- 9. प्रार्थना
- 10. मांगी गई, विवादित और स्वीकृत रकम

मांग की विशिष्टियां, यदि कोई हों	f	विशिष्टियां	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल	रकम
		क) कर/ उपकर					< कुल >	
	सृजित मांग	ख) ब्याज					< कुल >	
	की रकम, यदि कोई हों	ग) शास्ति					< कुल >	< कुल >
	(अ)	घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	
		क) कर/ उपकर					< कुल >	
	विवादाधीन	ख) ब्याज					< कुल >	
	रकम	ग) शास्ति					< कुल >	< कुल >
	(आ)	घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	

	ङ) अन्य प्रभार			< कुल
स्थान :				
तारीख :			< हस्ताक्ष	ार >

अधिकारी का नाम :

पदनाम:

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल-8

# (नियम 114(1) देखें)

# धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय को अपील

1.	कराधेय व्यक्ति/ सरकार द्वारा फाइल अपील									
2.	जीएसटीआईएन/अस्थाई आईडी/युआईएन									
į	अपीलार्थी/अधिकारी का नाम									
3.	अपीलार्थी का स्थाई पता, र्या	दे लागू हो :								
4.	संसूचना का पता :									
5.	्र विरुद्ध अपील किया गया आवे	संख्या	तारीख							
6.	विरुद्ध अपील किए गए आदेश	ा को पारित करने वा	ले अपीलीय अधिकरण क <sup>े</sup>	ानाम और पता :						
7.	विरुद्ध अपील किए गए आदेश	ा की संसूचना की ता	रीख :							
8.	प्रतिनिधि का नाम :									
9.	विवादित मामले के ब्यौरे :									
	i. सिनोप्सेस के साथ विवा	दित मामले का संक्षि <sup>.</sup>	प्त विवाध्यक :							
i	ii. विवादित मालों/सेवाओं	का विवरण और वर्गी	किरण :							
ii	ii. विवाद की अवधि :									
iv	v. विवादित रकम :									
	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/यूटी कर	एकीकृत कर	उपकर					
	(क) कर/उपकर									
	(ख) ब्याज									
	(ग) शास्ति									
	(घ) फीस									
	(ङ) अन्य प्रभार									
_			•	<u>.</u>						

- (v) जब्त किए गए मालों का बाजार मूल्य :
- 10. तथ्यों का कथन
- 11. अपील के आधार
- 12. प्रार्थना
- 13. अपील के आधारों से संबंधित उपाबंध (उपाबंधों) :

	 •	 		_	-	•	

n 11
मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान
और विश्वास से सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।
स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

# प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 /नियम 117(1), 118, 119 और 120 देखें)

संक्रमणकालीन आईटीसी/स्टॉक विवरण

- 1. जीएसटीआईएन -
- 2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम -
- 3. व्यापार नाम, यदि कोई है -
- 4. क्या नियत दिन से तुरंत पूर्ववर्ती छह: मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां दी गई हैं:-- हां/नहीं
- 5. विद्यमान विधि के अधीन फाइल की गई विवरणी में कर प्रत्यय की अग्रनीत रकम:

(क) केन्द्रीय कर धारा 140(1) और धारा 140(4)क के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय की रकम

क्रम सं.	विद्यमान विधि (केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं.	कर अवधि जिसके लिए संबंधित विद्यमान विधि के अधीन फाइल की गई	स्तंभ सं. 3 में विनिर्दिष्ट विवरणी फाइल करने की तारीख	उक्त अंतिम विवरणी में अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय का अतिशेष	संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय कर के आईटीसी के रूप में ग्राह्य सेनवेट प्रत्यय
1	2	3	4	5	6
	कुल				

(ख) प्राप्त कानूनी प्ररूपों के ब्यौरे जिसके लिए प्रत्यय अग्रनीत किया जाना है

अवधि: 1<sup>st</sup> अप्रैल 2015 से 30<sup>th</sup> जून 2017

जारीकर्ता का	जारीकर्ता का नाम	प्ररूप की क्रम संख्यां	रकम	उपलब्ध मूल्य वर्धित कर

टीआईएन		की दर
		नग ५९
सी-प्ररूप		
कुल		
एफ-प्ररूप		
कुल		
एच/आई-प्ररूप		
कुल योग		

(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत कर प्रत्यय की रकम (उसी राज्य में और उसी स्थायी खाता संख्या पर सभी रजिस्ट्रीकरण के लिए)

		सी	प्ररूप	एफ	प्ररूप		एच/आई	प्ररूप	
विद्यमान विधि में रजिस्ट्रीकरण सं.	अंतिम विवरणी में आईटीसी के मूल्य वर्धित कर [प्रविष्टि कर] का अधिशेष	आर्वत जिसके लिए प्ररूप लंबित है	कर संदेय (3) पर अंतर	आर्वत जिसके लिए प्ररूप लंबित है	कर संदेय (5) पर अंतर	[(3) और] (5) से संबंधित आईटीसी उतक्रमण	आवर्त जिसके लिए प्ररूप लंबित है	(7) पर कर संदेय	संक्रमण 2- (4+6- 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 6. विद्यमान विधि के अधीन पूंजीमाल जिसके लिए अनुपभुक्त प्रत्यय अग्रनीत नहीं किए गए हैं, का ब्यौरा (धारा 140(2))।
- (क) केन्द्रीय कर के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत पूंजी माल के संदर्भ में अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	बीजक/दस्तावेज सं.	बीजक/दस्तावेज तारीख	विद्यमान विधि के अधीन प्रदाय कर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं.	विद्यमान विधि के अधीन प्राप्तिकर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं.	जिस आंशि	ोत रूप गुक्त किया	त्यय से गया र	विद्यमान विधि के अधीन कुल पात्र सेनवेट प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन उपभुक्त सेनवेट प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन अनुपभुक्त कुल सेनवेट (केन्द्रीय कर के आईटीसी के रूप में ग्राह्य (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		कुल								

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम (एक ही राज्य में और एक ही स्थायी खाता संख्या पर सभी रजिस्ट्रीकरण के लिए)

क्र.सं.	बीजक/दस्तावेज सं.	बीजक/दस्तावेज तारीख	विद्यमान विधि के अधीन प्रदाय कर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं.	विद्यमान विधि के अधीन प्राप्तिकर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं.	पूंजी माल का ब्यौरा जिस पर प्रत्यय आंशित रूप से उपभुक्त किया गया है मूल्य कर संदत्त मूल्य वर्धित कर [और	विद्यमान विधि के अधीन कुल पात्र मूल्य वर्धित कर [और ईटी] प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन कुल मूल्य वर्धित कर [और ईटी] उपभुक्त प्रत्यय	[और ईटी]
1	2	3	4	5	6 7	8	9	10
		Total						

7. धारा 140(3), 140(4)(ख), 140(5) और 140(6) के निबंधनों में स्टॉक में धारित इनपुट का ब्यौरा

(क) सारणी 5(क) के अधीन प्रत्यय के रूप में दावा किए गए इनपुट जिसके अंतर्गत दावा किया गया प्रत्यय नहीं है पर शुल्क और कर की रकम (धारा 140(3), 140(4)(b) और 140(6) के अधीन)

क्रम सं0	स्टॉॅंक में धारित	अर्द्धपरिरूपि	त या परिरूपि	त माल में अंतर्विष्ट स्टॉक	या इनपुट में धारित इनपुट का ब्यौरा
	एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	मूल्य	ऐसे इनपुट पर संदत पात्र शुल्क
1	2	3	4	5	6
7क जहां	शुल्क संदत्त बीजक उपलब्ध	*			
इनपुट					
अर्द्धपरिरू	पित और परिरूपित में अंतर्वि	ष्ट इनपुट	T		
<b>7</b> ख जहां प्रत्यय	शुल्क संदत्त बीजक उपलब्ध न	ाहीं है (विनिम	ता या सेवा प्र	ग्बंधक से भिन्न व्यक्तियों	को केवल लागू)-नियम 117(4) के निबंधनों में
	इनपुट				

(ख) धारा 140(5) के अधीन इनपुट या इनपुट सेवाओं के संदर्भ में पात्र शुल्क और कर/मुल्य वर्धित कर/[ईटी]:

प्रदायकर्ता का नाम	बीजक संख्या	बीजक तारीख	विवरण	परिमाण	यूक्यूसी	मूल्य	पात्र शुल्क और कर	मूल्य वर्धित कर/[ईटी]	तारीख जिस पर प्राप्तिकर्ता के बहिखाता में प्रविष्टि की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

# (ख) मूल्य वर्धित कर की रकम और इनपुट पर संदत्त प्रवेश कर बीजक/दस्तावेज द्वारा समर्थित है, धारा 140(3), 140(4)(b) और 140(6) के अधीन एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत संदत्त कर का साक्षी है

		स्टॉक	में इनपुट का	ब्यौरा	पूर्व विधि के	पूर्व विधि के अधीन कुल दावा किए गए छूट प्राप्त	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी
विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	मूल्य वर्धित कर [और प्रवेश कर संदत्त]	अधीन कुल दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय	विक्रय से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8
इनपुट							
अर्द्धपरिरू	पेत औ	र परिरूपि	ति माल में अं	तर्विष्ट इनपुट	1		

# (घ) माल का स्टॉक जो बीजक/दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है कर संदेय के साक्षी हैं (नियम 117(4) के निबंधनों में प्रत्यय)) (केवल उन्ही राज्यों में जिनमें एकल बिंदु पर मूल्य वर्धित कर है)

स्टॉक में इनपुट का ब्यौरा											
इकाई	परिमाण	मूल्य	कर संदत्त								
2	3	4	5								
	इकाई	इकाई परिमाण	इकाई परिमाण मूल्य								

इनपुट/इनपुट सेवाओं का विवरण और परिमाण के साथ-साथ माल या सेवाओं की प्राप्ति की तारीख (बहि खातों में यथाप्रविष्ट) का ब्यौरा

8. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण है के लिए सेनवेट प्रत्यय के अंतरण का ब्यौरा (धारा 140(8))

क्रम सं	विद्यमान	विद्यमान विधि	स्तंभ 3 में	उक्त अंतिम	केन्द्रीय कर के	वि	वेतरण	केन्द्रीय कर का
	विधि के	के अधीन कर	विनिर्दिष्ट	विवरणी में	आईटीसी के	दस्तावे	वेज/बीजक	आईटीसी अंतरि
	अधीन	अवधि जिसके	विवरणी के	अग्रनीत	 प्राप्तिकर्ता (समान	<del></del> सं.	तारीख	
	रजिस्ट्रीकरण	लिए अंतिम	फाइल करने	सेनवेट प्रत्यय	स्थाई	₩.	(11719	
	सं0	विवरणी फाईल	की तारीख	का पात्र	·			
	(केन्द्रीयकृत)	की गई		अधिशेष	खाता संख्या) के			
					जीएसटीआईएन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

- 9. धारा 141 के अधीन मूल की ओर से कार्य कर्मकार को भेजे गए और उसके स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा
- क. धारा 141 के अधीन कार्य कर्मकार को मूल के रूप में भेजे गए माल का ब्यौरा

क्र. सं.	चालान सं.	चालान तारीख	माल का प्रकार	कार्य कर्मकार के पास माल का ब्यौरा						
			(इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित)	एचएस न	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
कार्य कर्म उपलब्ध	कार का जीएसटी हो	आईएन, यदि								
	कुल									

ख. धारा 141 के अधीन मूल की ओर से कार्य कर्मकार के रूप में स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं0	चालान सं0	चालान तारीख	माल का प्रकार		कार्य कर	र्मकार के पार	त माल का ब्यौ	रा
			(इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित)	एचएस न	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विनिर्मात	ा का जीएसटीआः 	ईएन						
	कुल							

- 10. राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 (14) के अधीन मूल की ओर से अभिकर्ता के रूप में स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा
- क. मूल की ओर से अभिकर्ता के रूप में धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं.	मूल का जीएसटीआईएन	अभिकर्ता के पास माल का ब्यौरा									
		विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	लिया जाने वाला इनपुट कर					
1	2	3	4	5	6	7					

ख. अभिकर्ता द्वारा धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं.	मूल का जीएसटीआईएन	अभिकर्ता के पास माल का ब्यौरा									
		विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	लिया जाने वाला इनपुट क					
1	2	3	4	5	6	7					

11. धारा 142 (11) (ग)के निबंधनों में अनुपभुक्त प्रत्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	मूल्य वर्धित कर की रजिस्ट्रीकरण सं.		बीजक/दस्तावेज सं.	बीजक/दस्तावेज तारीख	कर संदत्त	मूल्य वर्धित कर एसजीएसटी प्रत्यय के रूप में संदत्त/लिया या केन्द्रीय कर प्रत्यय के रूप में सेवा कर संदत्त
1	2	3	4	5	6	7
			कुल			

12. नियत दिन से छह: मास पूर्व अनुमोदन आधार पर भेजे गए माल का ब्यौरा (धारा 142(12))

क्रम. सं.	दस्तावेज सं0	दस्तावेज तारीख	प्राप्तिकर्ता का	प्राप्तिकर्ता क		अनुमोदन आध	गए माल का	एमाल का ब्यौरा		
		ताराख	जीएसटीआईएन सं0 (यदि लागू हो)	नाम आर पत	एचएसए	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	कुल									

	$\sim$			
सत्यापन ।	(प्रााधकृत	हस्ताक्षरा	द्वारा)	

मैं	, सत्यनिष्ठा	से	प्रतिज्ञा	और	घोषणा	करता	हूं कि	ऊपर	दी र	गई	सूचना	मेरे	सर्वोत्तम	ज्ञान	और	विश्वास	में	सही	है औ	र इस	प्रमें	कोई	बात	छिप	Τई
न	हीं गई है ।																								

	हस्ताक्षर
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख	
	पदनाम/प्रास्थिति

# प्ररूप जीएसटी ट्रान-2 (नियम 117(4) देखें)

- 1. जीएसटीआईएन -
- 2. कराधेय व्यक्ति का नाम
- 3. कर अवधि : मास...... वर्ष.......
- 4. नियत दिन पर स्टॉक में धारित इनपुट के संदर्भ में जिसका कोई बीजक/दस्तावेज इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत कर संदाय के साक्ष्य के रूप में कब्जे में नहीं है का ब्यौरा

कर अवधि क	कर अवधि का आरंभिक स्टॉक				किया गया जावक प्रदाय							
एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	परिमाण	मूल्य	केन्द्रीय कर	एकीकृत कर	आईटीसी अनुज्ञात	परिमाण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

5. ऊपर 4 में उल्लिखित स्टॉक पर राज्य कर पर प्रत्यय (केवल उन्ही राज्यों में जिनमें मूल्य वर्धित कर एकल बिंदु पर है)

कर अवधि	का आरंभिक	स्टॉक		किया गया जावक प्रदाय							
एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	परिमाण	मूल्य	केन्द्रीय कर	एकीकृत कर	आईटीसी अनुज्ञात	परिमाण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

सत्यापन ।	(पाधिकत	टस्ताथरी	टारा)
तार्भाभग ।	। या। विभग्रा	87119171	8171 <i>1</i>

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

	हस्ताक्षर
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख	
पदनाम/प्रास्थिति	

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(Pt)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को सा.का.नि.संख्यांक 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 644(अ), तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 7/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017 में अंतिम संशोधन हुआ था।

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

# (CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

#### No. 10 /2017 - Central Tax

**G.S.R. 663(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 26, the following shall be inserted, namely:—

#### "Chapter IV

#### Determination of Value of Supply

- **27.** Value of supply of goods or services where the consideration is not wholly in money.- Where the supply of goods or services is for a consideration not wholly in money, the value of the supply shall,-
  - (a) be the open market value of such supply;
  - (b) if the open market value is not available under clause (a), be the sum total of consideration in money and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money, if such amount is known at the time of supply;
  - (c) if the value of supply is not determinable under clause (a) or clause (b), be the value of supply of goods or services or both of like kind and quality;
  - (d) if the value is not determinable under clause (a) or clause (b) or clause (c), be the sum total of consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in money as determined by the application of rule 30 or rule 31 in that order.

#### Illustration:

- (1) Where a new phone is supplied for twenty thousand rupees along with the exchange of an old phone and if the price of the new phone without exchange is twenty four thousand rupees, the open market value of the new phone is twenty four thousand rupees.
- (2) Where a laptop is supplied for forty thousand rupees along with the barter of a printer that is manufactured by the recipient and the value of the printer known at the time of supply is four thousand rupees but the open market value of the laptop is not known, the value of the supply of the laptop is forty four thousand rupees.
- **28.** Value of supply of goods or services or both between distinct or related persons, other than through an agent.-The value of the supply of goods or services or both between distinct persons as specified in sub-section (4) and (5) of section 25 or where the supplier and recipient are related, other than where the supply is made through an agent, shall-
  - (a) be the open market value of such supply;
  - (b) if the open market value is not available, be the value of supply of goods or services of like kind and quality;
  - (c) if the value is not determinable under clause (a) or (b), be the value as determined by the application of rule 30 or rule 31, in that order:

Provided that where the goods are intended for further supply as such by the recipient, the value shall, at the option of the supplier, be an amount equivalent to ninety percent of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person:

Provided further that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services.

- 29. Value of supply of goods made or received through an agent.-The value of supply of goods between the principal and his agent shall-
- (a) be the open market value of the goods being supplied, or at the option of the supplier, be ninety per cent. of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person, where the goods are intended for further supply by the said recipient.

Illustration: A principal supplies groundnut to his agent and the agent is supplying groundnuts of like kind and quality in subsequent supplies at a price of five thousand rupees per quintal on the day of the supply. Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at the price of four thousand five hundred and fifty rupees per quintal. The value of the supply made by the principal shall be four thousand five hundred and fifty rupees per quintal or where he exercises the option, the value shall be 90 per cent. of five thousand rupees i.e., four thousand five hundred rupees per quintal.

- (b) where the value of a supply is not determinable under clause (a), the same shall be determined by the application of rule 30 or rule 31 in that order.
- **30.** Value of supply of goods or services or both based on cost.-Where the value of a supply of goods or services or both is not determinable by any of the preceding rules of this Chapter, the value shall be one hundred and ten percent of the cost of production or manufacture or the cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such services.
- **31. Residual method for determination of value of supply of goods or services or both.**-Where the value of supply of goods or services or both cannot be determined under rules 27 to 30, the same shall be determined using reasonable means consistent with the principles and the general provisions of section 15 and the provisions of this Chapter:

Provided that in the case of supply of services, the supplier may opt for this rule, ignoring rule 30.

- **32. Determination of value in respect of certain supplies.-** (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value in respect of supplies specified below shall, at the option of the supplier, be determined in the manner provided hereinafter.
- (2) The value of supply of services in relation to the purchase or sale of foreign currency, including money changing, shall be determined by the supplier of services in the following manner, namely:-
  - (a) for a currency, when exchanged from, or to, Indian Rupees, the value shall be equal to the difference in the buying rate or the selling rate, as the case may be, and the Reserve Bank of India reference rate for that currency at that time, multiplied by the total units of currency:

Provided that in case where the Reserve Bank of India reference rate for a currency is not available, the value shall be one per cent. of the gross amount of Indian Rupees provided or received by the person changing the money:

Provided further that in case where neither of the currencies exchanged is Indian Rupees, the value shall be equal to one per cent. of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian Rupee on that day at the reference rate provided by the Reserve Bank of India.

Provided also that a person supplying the services may exercise the option to ascertain the value in terms of clause (b) for a financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year.

- (b) at the option of the supplier of services, the value in relation to the supply of foreign currency, including money changing, shall be deemed to be-
  - (i) one per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount up to one lakh rupees, subject to a minimum amount of two hundred and fifty rupees;
  - (ii) one thousand rupees and half of a per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount exceeding one lakh rupees and up to ten lakh rupees; and
  - (iii) five thousand and five hundred rupees and one tenth of a per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount exceeding ten lakh rupees, subject to a maximum amount of sixty thousand rupees.
- (3) The value of the supply of services in relation to booking of tickets for travel by air provided by an air travel agent shall be deemed to be an amount calculated at the rate of five per cent. of the basic fare in the case of domestic bookings, and at the rate of ten per cent. of the basic fare in the case of international bookings of passage for travel by air.

*Explanation.*- For the purposes of this sub-rule, the expression "basic fare" means that part of the air fare on which commission is normally paid to the air travel agent by the airlines.

- (4) The value of supply of services in relation to life insurance business shall be,-
  - (a) the gross premium charged from a policy holder reduced by the amount allocated for investment, or savings on behalf of the policy holder, if such an amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service:
  - (b) in case of single premium annuity policies other than (a), ten per cent. of single premium charged from the policy holder; or
  - (c) in all other cases, twenty five per cent. of the premium charged from the policy holder in the first year and twelve and a half per cent. of the premium charged from the policy holder in subsequent years:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply where the entire premium paid by the policy holder is only towards the risk cover in life insurance.

(5) Where a taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second hand goods i.e., used goods as such or after such minor processing which does not change the nature of the goods and where no input tax credit has been availed on the purchase of such goods, the value of supply shall be the difference between the selling price and the purchase price and where the value of such supply is negative, it shall be ignored:

Provided that the purchase value of goods repossessed from a defaulting borrower, who is not registered, for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by five percentage points for every quarter or part thereof, between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession.

- (6) The value of a token, or a voucher, or a coupon, or a stamp (other than postage stamp) which is redeemable against a supply of goods or services or both shall be equal to the money value of the goods or services or both redeemable against such token, voucher, coupon, or stamp.
- (7) The value of taxable services provided by such class of service providers as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, as referred to in paragraph 2 of Schedule I of the said Act between distinct persons as referred to in section 25, where input tax credit is available, shall be deemed to be NIL.
- **33.** Value of supply of services in case of pure agent. Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the expenditure or costs incurred by a supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply, if all the following conditions are satisfied, namely,-
  - (i) the supplier acts as a pure agent of the recipient of the supply, when he makes the payment to the third party on authorisation by such recipient;
  - (ii) the payment made by the pure agent on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient of service; and
  - (iii) the supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supplies on his own account.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "pure agent" means a person who-

- (a) enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or costs in the course of supply of goods or services or both;
- (b) neither intends to hold nor holds any title to the goods or services or both so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply;
- (c) does not use for his own interest such goods or services so procured; and
- (d) receives only the actual amount incurred to procure such goods or services in addition to the amount received for supply he provides on his own account.

Illustration.- Corporate services firm A is engaged to handle the legal work pertaining to the incorporation of Company B. Other than its service fees, A also recovers from B, registration fee and approval fee for the name of the company paid to the Registrar of Companies. The fees charged by the Registrar of Companies for the registration and approval of the name are compulsorily levied on B. A is merely acting as a pure agent in the payment of those fees. Therefore, A's recovery of such expenses is a disbursement and not part of the value of supply made by A to B.

**34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value.** The rate of exchange for the determination of the value of taxable goods or services or both shall be the applicable reference rate for that currency as determined by the Reserve Bank of India on the date of time of supply in respect of such supply in terms of Section 12 or, as the case may be, section 13 of the Act.

**35.** Value of supply inclusive of integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax.-Where the value of supply is inclusive of integrated tax or, as the case may be, central tax, State tax, Union territory tax, the tax amount shall be determined in the following manner, namely,-

Tax amount = (Value inclusive of taxes X tax rate in % of IGST or, as the case may be, CGST, SGST or UTGST)  $\div$  (100+ sum of tax rates, as applicable, in %)

**Explanation.-** For the purposes of the provisions of this Chapter, the expressions-

- (a) "open market value" of a supply of goods or services or both means the full value in money, excluding the integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax and the cess payable by a person in a transaction, where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration, to obtain such supply at the same time when the supply being valued is made;
- (b) "supply of goods or services or both of like kind and quality" means any other supply of goods or services or both made under similar circumstances that, in respect of the characteristics, quality, quantity, functional components, materials, and the reputation of the goods or services or both first mentioned, is the same as, or closely or substantially resembles, that supply of goods or services or both.

### Chapter V

#### Input Tax Credit

- **36. Documentary requirements and conditions for claiming input tax credit.** (1) The input tax credit shall be availed by a registered person, including the Input Service Distributor, on the basis of any of the following documents, namely,-
  - (a) an invoice issued by the supplier of goods or services or both in accordance with the provisions of section 31:
  - (b) an invoice issued in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (3) of section 31, subject to the payment of tax;
  - (c) a debit note issued by a supplier in accordance with the provisions of section 34;
  - (d) a bill of entry or any similar document prescribed under the Customs Act, 1962 or rules made thereunder for the assessment of integrated tax on imports;
  - (e) an Input Service Distributor invoice or Input Service Distributor credit note or any document issued by an Input Service Distributor in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 54.
  - (2) Input tax credit shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars as specified in the provisions of Chapter VI are contained in the said document, and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in **FORM GSTR-2** by such person.
  - (3) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts.
- **37.** Reversal of input tax credit in the case of non-payment of consideration.-(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof, the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to subsection (2) of section 16, shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in **FORM GSTR-2** for the month immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule I of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.

- (2) The amount of input tax credit referred to in sub-rule (1) shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished.
- (3) The registered person shall be liable to pay interest at the rate notified under sub-section (1) of section 50 for the period starting from the date of availing credit on such supplies till the date when the amount added to the output tax liability, as mentioned in sub-rule (2), is paid.
- (4) The time limit specified in sub-section (4) of section 16 shall not apply to a claim for re-availing of any credit, in accordance with the provisions of the Act or the provisions of this Chapter, that had been reversed earlier.

- **38.** Claim of credit by a banking company or a financial institution. A banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, engaged in the supply of services by way of accepting deposits or extending loans or advances that chooses not to comply with the provisions of sub-section (2) of section 17, in accordance with the option permitted under sub-section (4) of that section, shall follow the following procedure, namely,-
  - (a) the said company or institution shall not avail the credit of,-
    - (i) the tax paid on inputs and input services that are used for non-business purposes; and
    - (ii) the credit attributable to the supplies specified in sub-section (5) of section 17, in **FORM GSTR-2**;
  - (b) the said company or institution shall avail the credit of tax paid on inputs and input services referred to in the second proviso to sub-section (4) of section 17 and not covered under clause (a);
  - (c) fifty per cent. of the remaining amount of input tax shall be the input tax credit admissible to the company or the institution and shall be furnished in **FORM GSTR-2**;
  - (d) the amount referred to in clauses (b) and (c) shall, subject to the provisions of sections 41, 42 and 43, be credited to the electronic credit ledger of the said company or the institution.
- **39. Procedure for distribution of input tax credit by Input Service Distributor.-** (1) An Input Service Distributor shall distribute input tax credit in the manner and subject to the following conditions, namely,-
  - (a) the input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month and the details thereof shall be furnished in **FORM GSTR-6** in accordance with the provisions of Chapter VIII of these rules;
  - (b) the Input Service Distributor shall, in accordance with the provisions of clause (d), separately distribute the amount of ineligible input tax credit (ineligible under the provisions of sub-section (5) of section 17 or otherwise) and the amount of eligible input tax credit;
  - (c) the input tax credit on account of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax shall be distributed separately in accordance with the provisions of clause (d);
  - (d) the input tax credit that is required to be distributed in accordance with the provisions of clause (d) and (e) of sub-section (2) of section 20 to one of the recipients 'R1', whether registered or not, from amongst the total of all the recipients to whom input tax credit is attributable, including the recipient(s) who are engaged in making exempt supply, or are otherwise not registered for any reason, shall be the amount, "C1", to be calculated by applying the following formula -

$$C_1 = (t_1 \div T) \times C$$

where,

"C" is the amount of credit to be distributed.

" $t_1$ " is the turnover, as referred to in section 20, of person  $R_1$  during the relevant period, and

"T" is the aggregate of the turnover, during the relevant period, of all recipients to whom the input service is attributable in accordance with the provisions of section 20;

- (e) the input tax credit on account of integrated tax shall be distributed as input tax credit of integrated tax to every recipient;
- (f) the input tax credit on account of central tax and State tax or Union territory tax shall-
  - (i) in respect of a recipient located in the same State or Union territory in which the Input Service Distributor is located, be distributed as input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax respectively;
  - (ii) in respect of a recipient located in a State or Union territory other than that of the Input Service Distributor, be distributed as integrated tax and the amount to be so distributed shall be equal to the

aggregate of the amount of input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax that qualifies for distribution to such recipient in accordance with clause (d);

- (g) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor invoice, as prescribed in sub-rule (1) of rule 54, clearly indicating in such invoice that it is issued only for distribution of input tax credit;
- (h) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor credit note, as prescribed in sub-rule (1) of rule 54, for reduction of credit in case the input tax credit already distributed gets reduced for any reason;
- (i) any additional amount of input tax credit on account of issuance of a debit note to an Input Service Distributor by the supplier shall be distributed in the manner and subject to the conditions specified in clauses (a) to (f) and the amount attributable to any recipient shall be calculated in the manner provided in clause (d) and such credit shall be distributed in the month in which the debit note is included in the return in **FORM GSTR-6**;
- (j) any input tax credit required to be reduced on account of issuance of a credit note to the Input Service Distributor by the supplier shall be apportioned to each recipient in the same ratio in which the input tax credit contained in the original invoice was distributed in terms of clause (d), and the amount so apportioned shall be-
  - (i) reduced from the amount to be distributed in the month in which the credit note is included in the return in **FORM GSTR-6**; or
  - (ii) added to the output tax liability of the recipient where the amount so apportioned is in the negative by virtue of the amount of credit under distribution being less than the amount to be adjusted.
- (2) If the amount of input tax credit distributed by an Input Service Distributor is reduced later on for any other reason for any of the recipients, including that it was distributed to a wrong recipient by the Input Service Distributor, the process specified in clause (j) of sub-rule (1) shall apply, *mutatis mutandis*, for reduction of credit.
- (3) Subject to sub-rule (2), the Input Service Distributor shall, on the basis of the Input Service Distributor credit note specified in clause (h) of sub-rule (1), issue an Input Service Distributor invoice to the recipient entitled to such credit and include the Input Service Distributor credit note and the Input Service Distributor invoice in the return in **FORM GSTR-6** for the month in which such credit note and invoice was issued.
- **40. Manner of claiming credit in special circumstances.-** (1) The input tax credit claimed in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 18 on the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or the credit claimed on capital goods in accordance with the provisions of clauses (c) and (d) of the said sub-section, shall be subject to the following conditions, namely,-
  - (a) the input tax credit on capital goods, in terms of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 18, shall be claimed after reducing the tax paid on such capital goods by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of the invoice or such other documents on which the capital goods were received by the taxable person.
  - (b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of his becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid;
  - (c) the declaration under clause (b) shall clearly specify the details relating to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or as the case may be, capital goods—
    - (i) on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of the Act, in the case of a claim under clause (a) of sub-section (1) of section 18;

- (ii) on the day immediately preceding the date of the grant of registration, in the case of a claim under clause (b) of sub-section (1) of section 18;
- (iii) on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9, in the case of a claim under clause (c) of sub-section (1) of section 18;
- (iv) on the day immediately preceding the date from which the supplies made by the registered person becomes taxable, in the case of a claim under clause (d) of sub-section (1) of section 18;
- (d) the details furnished in the declaration under clause (b) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or a cost accountant if the aggregate value of the claim on account of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax exceeds two lakh rupees;
- (e) the input tax credit claimed in accordance with the provisions of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 18 shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier in **FORM GSTR-1** or as the case may be, in **FORM GSTR-4**, on the common portal.
- (2) The amount of credit in the case of supply of capital goods or plant and machinery, for the purposes of sub-section (6) of section 18, shall be calculated by reducing the input tax on the said goods at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof from the date of the issue of the invoice for such goods.
- 41. Transfer of credit on sale, merger, amalgamation, lease or transfer of a business.- (1) A registered person shall, in the event of sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer or change in the ownership of business for any reason, furnish the details of sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer of business, in FORM GST ITC-02, electronically on the common portal along with a request for transfer of unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to the transferee:

Provided that in the case of demerger, the input tax credit shall be apportioned in the ratio of the value of assets of the new units as specified in the demerger scheme.

- (2) The transferor shall also submit a copy of a certificate issued by a practicing chartered accountant or cost accountant certifying that the sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer of business has been done with a specific provision for the transfer of liabilities.
- (3) The transferee shall, on the common portal, accept the details so furnished by the transferor and, upon such acceptance, the un-utilized credit specified in **FORM GST ITC-02** shall be credited to his electronic credit ledger.
- (4) The inputs and capital goods so transferred shall be duly accounted for by the transferee in his books of account.
- **42.** Manner of determination of input tax credit in respect of inputs or input services and reversal thereof.- (1) The input tax credit in respect of inputs or input services, which attract the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 17, being partly used for the purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for effecting exempt supplies, shall be attributed to the purposes of business or for effecting taxable supplies in the following manner, namely,-
  - (a) the total input tax involved on inputs and input services in a tax period, be denoted as 'T';
  - (b) the amount of input tax, out of 'T', attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for the purposes other than business, be denoted as 'T<sub>1</sub>';
  - (c) the amount of input tax, out of 'T', attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting exempt supplies, be denoted as 'T<sub>2</sub>';

- (d) the amount of input tax, out of 'T', in respect of inputs and input services on which credit is not available under sub-section (5) of section 17, be denoted as ' $T_3$ ';
- (e) the amount of input tax credit credited to the electronic credit ledger of registered person, be denoted as 'C<sub>1</sub>' and calculated as-

$$C_1 = T - (T_1 + T_2 + T_3);$$

- (f) the amount of input tax credit attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted but including zero rated supplies, be denoted as  $T_4$ ;
- (g) 'T<sub>1</sub>', 'T<sub>2</sub>', 'T<sub>3</sub>' and 'T<sub>4</sub>' shall be determined and declared by the registered person at the invoice level in **FORM GSTR-2**;
- (h) input tax credit left after attribution of input tax credit under clause (g) shall be called common credit, be denoted as  ${}^{\cdot}C_2{}^{\cdot}$  and calculated as-

$$C_2 = C_1 - T_4;$$

(i) the amount of input tax credit attributable towards exempt supplies, be denoted as 'D<sub>1</sub>' and calculated as-

$$D_1 = (E \div F) \times C_2$$

where.

'E' is the aggregate value of exempt supplies during the tax period, and

'F' is the total turnover in the State of the registered person during the tax period:

Provided that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of 'E/F' shall be calculated by taking values of 'E' and 'F' of the last tax period for which the details of such turnover are available, previous to the month during which the said value of 'E/F' is to be calculated;

*Explanation*: For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and the total turnover shall exclude the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule;

- (j) the amount of credit attributable to non-business purposes if common inputs and input services are used partly for business and partly for non-business purposes, be denoted as ' $D_2$ ', and shall be equal to five per cent. of  $C_2$ ; and
- (k) the remainder of the common credit shall be the eligible input tax credit attributed to the purposes of business and for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies and shall be denoted as 'C<sub>3</sub>', where,-

$$C_3 = C_2 - (D_1 + D_2);$$

(1) the amount 'C<sub>3</sub>' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax;

(m) the amount equal to aggregate of ' $D_1$ ' and ' $D_2$ ' shall be added to the output tax liability of the registered person:

Provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used partly for the purposes other than business and partly for effecting exempt supplies has been identified and segregated at the invoice level by the registered person, the same shall be included in  $T_1$  and  $T_2$  respectively, and the remaining amount of credit on such inputs or input services shall be included in  $T_4$ .

- (2) The input tax credit determined under sub-rule (1) shall be calculated finally for the financial year before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of the financial year to which such credit relates, in the manner specified in the said sub-rule and-
- (a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of ' $D_1$ ' and ' $D_2$ ' exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of ' $D_1$ ' and ' $D_2$ ', such excess shall be added to the output tax liability of the registered person in the month not later than the month of September following the end of the financial year to which such credit relates and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or
- (b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of ' $D_1$ ' and ' $D_2$ ' exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of ' $D_1$ ' and ' $D_2$ ', such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year to which such credit relates.
- 43. Manner of determination of input tax credit in respect of capital goods and reversal thereof in certain cases.
- (1) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 16, the input tax credit in respect of capital goods, which attract the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 17, being partly used for the purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for effecting exempt supplies, shall be attributed to the purposes of business or for effecting taxable supplies in the following manner, namely,-
  - (a) the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for non-business purposes or used or intended to be used exclusively for effecting exempt supplies shall be indicated in **FORM GSTR-2** and shall not be credited to his electronic credit ledger;
  - (b) the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero-rated supplies shall be indicated in **FORM GSTR-2** and shall be credited to the electronic credit ledger;
  - (c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', shall be credited to the electronic credit ledger and the useful life of such goods shall be taken as five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, the value of 'A' shall be arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and the amount 'A' shall be credited to the electronic credit ledger;

Explanation.- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause.

(d) the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c), to be denoted as 'T<sub>c</sub>', shall be the common credit in respect of capital goods for a tax period:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) is subsequently covered under clause (c), the value of 'A' arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof shall be added to the aggregate value ' $T_c$ ';

(e) the amount of input tax credit attributable to a tax period on common capital goods during their useful life, be denoted as  ${}^{\cdot}T_{m}{}^{\cdot}$  and calculated as-

- (f) the amount of input tax credit, at the beginning of a tax period, on all common capital goods whose useful life remains during the tax period, be denoted as 'T<sub>r</sub>' and shall be the aggregate of 'T<sub>m</sub>' for all such capital goods:
- (g) the amount of common credit attributable towards exempted supplies, be denoted as 'Te', and calculated as-

$$T_e = (E \div F) \times T_r$$

where,

'E' is the aggregate value of exempt supplies, made, during the tax period, and

'F' is the total turnover of the registered person during the tax period:

Provided that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of 'E/F' shall be calculated by taking values of 'E' and 'F' of the last tax period for which the details of such turnover are available, previous to the month during which the said value of 'E/F' is to be calculated;

*Explanation.*- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and the total turnover shall exclude the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule;

- (h) the amount  $T_e$  along with the applicable interest shall, during every tax period of the useful life of the concerned capital goods, be added to the output tax liability of the person making such claim of credit.
- (2) The amount T<sub>e</sub> shall be computed separately for central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.
- **44. Manner of reversal of credit under special circumstances.-** (1) The amount of input tax credit relating to inputs held in stock, inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock, and capital goods held in stock shall, for the purposes of sub-section (4) of section 18 or sub-section (5) of section 29, be determined in the following manner, namely,-
  - (a) for inputs held in stock and inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock, the input tax credit shall be calculated proportionately on the basis of the corresponding invoices on which credit had been availed by the registered taxable person on such inputs;
  - (b) for capital goods held in stock, the input tax credit involved in the remaining useful life in months shall be computed on pro-rata basis, taking the useful life as five years.

Illustration:

Capital goods have been in use for 4 years, 6 month and 15 days.

The useful remaining life in months = 5 months ignoring a part of the month

Input tax credit taken on such capital goods= C

Input tax credit attributable to remaining useful life= C multiplied by 5/60

- (2) The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of integrated tax and central tax.
  - (2) Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of the goods on the effective date of the

occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be, sub-section (5) of section 29.

- (4) The amount determined under sub-rule (1) shall form part of the output tax liability of the registered person and the details of the amount shall be furnished in **FORM GST ITC-03**, where such amount relates to any event specified in sub-section (4) of section 18 and in **FORM GSTR-10**, where such amount relates to the cancellation of registration.
- (5) The details furnished in accordance with sub-rule (3) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant.
- (6) The amount of input tax credit for the purposes of sub-section (6) of section 18 relating to capital goods shall be determined in the same manner as specified in clause (b) of sub-rule (1) and the amount shall be determined separately for input tax credit of IGST and CGST:

Provided that where the amount so determined is more than the tax determined on the transaction value of the capital goods, the amount determined shall form part of the output tax liability and the same shall be furnished in **FORM GSTR-1**.

- **45.** Conditions and restrictions in respect of inputs and capital goods sent to the job worker. (1) The inputs, semi-finished goods or capital goods shall be sent to the job worker under the cover of a challan issued by the principal, including where such goods are sent directly to a job-worker.
- (2) The challan issued by the principal to the job worker shall contain the details specified in rule 55.
- (3) The details of challans in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker or sent from one job worker to another during a quarter shall be included in **FORM GST ITC-04** furnished for that period on or before the twenty-fifth day of the month succeeding the said quarter.
- (4) Where the inputs or capital goods are not returned to the principal within the time stipulated in section 143, it shall be deemed that such inputs or capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs or capital goods were sent out and the said supply shall be declared in **FORM GSTR-1** and the principal shall be liable to pay the tax along with applicable interest.

Explanation.- For the purposes of this Chapter,-

- (1) the expressions "capital goods" shall include "plant and machinery" as defined in the Explanation to section 17;
- (2) for determining the value of an exempt supply as referred to in sub-section (3) of section 17-
- (a) the value of land and building shall be taken as the same as adopted for the purpose of paying stamp duty; and
- (b) the value of security shall be taken as one per cent. of the sale value of such security.

# Chapter VI

### TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

- **46. Tax invoice.-** Subject to rule 54, a tax invoice referred to in section 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars, namely,-
  - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;

- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters- hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is fifty thousand rupees or more;
- (f) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is less than fifty thousand rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice;
- (g) Harmonised System of Nomenclature code for goods or services;
- (h) description of goods or services;
- (i) quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
- (j) total value of supply of goods or services or both;
- (k) taxable value of the supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any;
- (l) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (m) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (n) place of supply along with the name of the State, in the case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- (o) address of delivery where the same is different from the place of supply;
- (p) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (q) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:
  - Provided that the Board may, on the recommendations of the Council, by notification, specify-
- (i) the number of digits of Harmonised System of Nomenclature code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention, for such period as may be specified in the said notification; and
- (ii) the class of registered persons that would not be required to mention the Harmonised System of Nomenclature code for goods or services, for such period as may be specified in the said notification:

Provided further that where an invoice is required to be issued under clause (f) of sub-section (3) of section 31, a registered person may issue a consolidated invoice at the end of a month for supplies covered under sub-section (4) of section 9, the aggregate value of such supplies exceeds rupees five thousand in a day from any or all the suppliers:

Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,-

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination:

Provided also that a registered person may not issue a tax invoice in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (3) of section 31 subject to the following conditions, namely,-

- (a) the recipient is not a registered person; and
- (b) the recipient does not require such invoice, and

shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies.

**47. Time limit for issuing tax invoice.-** The invoice referred to in rule 46, in the case of the taxable supply of services, shall be issued within a period of thirty days from the date of the supply of service:

Provided that where the supplier of services is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the period within which the invoice or any document in lieu thereof is to be issued shall be forty five days from the date of the supply of service:

Provided further that an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, or a telecom operator, or any other class of supplier of services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, making taxable supplies of services between distinct persons as specified in section 25, may issue the invoice before or at the time such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made.

- **48. Manner of issuing invoice.-** (1) The invoice shall be prepared in triplicate, in the case of supply of goods, in the following manner, namely,-
  - (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT;
  - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER; and
  - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR SUPPLIER.
- (2) The invoice shall be prepared in duplicate, in the case of the supply of services, in the following manner, namely,-
  - (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT; and
  - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR SUPPLIER.
- (3) The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the common portal in **FORM GSTR-1**.
- **49. Bill of supply.-** A bill of supply referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 shall be issued by the supplier containing the following details, namely,-
  - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters -hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
  - (c) date of its issue;
  - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
  - (e) Harmonised System of Nomenclature Code for goods or services;
  - (f) description of goods or services or both;
  - (g) value of supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any; and
  - (h) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:

Provided that the provisos to rule 46 shall, *mutatis mutandis*, apply to the bill of supply issued under this rule:

Provided further that any tax invoice or any other similar document issued under any other Act for the time being in force in respect of any non-taxable supply shall be treated as a bill of supply for the purposes of the Act.

- **50. Receipt voucher.-** A receipt voucher referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely,-
  - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
  - (c) date of its issue;
  - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
  - (e) description of goods or services;
  - (f) amount of advance taken;
  - (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
  - (h) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
  - (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce:
  - (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
  - (k) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:

Provided that where at the time of receipt of advance,-

- (i) the rate of tax is not determinable, the tax shall be paid at the rate of eighteen per cent.;
- (ii) the nature of supply is not determinable, the same shall be treated as inter-State supply.
- **51. Refund voucher.-** A refund voucher referred to in clause (e) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:-
  - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
  - (c) date of its issue;
  - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
  - (e) number and date of receipt voucher issued in accordance with the provisions of rule 50;
  - (f) description of goods or services in respect of which refund is made;
  - (g) amount of refund made;
  - (h) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
  - (i) amount of tax paid in respect of such goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
  - (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
  - (k) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.
- **52. Payment voucher.-** A payment voucher referred to in clause (g) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:-
  - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier if registered;

- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
- (e) description of goods or services;
- (f) amount paid;
- (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (h) amount of tax payable in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce; and
- (i) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.
- **53. Revised tax invoice and credit or debit notes.-** (1) A revised tax invoice referred to in section 31 and credit or debit notes referred to in section 34 shall contain the following particulars, namely:-
  - (a) the word "Revised Invoice", wherever applicable, indicated prominently;
  - (b) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (c) nature of the document;
  - (d) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
  - (e) date of issue of the document;
  - (f) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
  - (g) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is un-registered;
  - (h) serial number and date of the corresponding tax invoice or, as the case may be, bill of supply;
  - (i) value of taxable supply of goods or services, rate of tax and the amount of the tax credited or, as the case may be, debited to the recipient; and
  - (j) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.
- (2) Every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him, may issue revised tax invoices in respect of taxable supplies effected during the period starting from the effective date of registration till the date of the issuance of the certificate of registration:

Provided that the registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to a recipient who is not registered under the Act during such period:

Provided further that in the case of inter-State supplies, where the value of a supply does not exceed two lakh and fifty thousand rupees, a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all the recipients located in a State, who are not registered under the Act.

Any invoice or debit note issued in pursuance of any tax payable in accordance with the provisions of section 74 or section 129 or section 130 shall prominently contain the words "INPUT TAX CREDIT NOT ADMISSIBLE".

- **54.** Tax invoice in special cases.- (1) An Input Service Distributor invoice or, as the case may be, an Input Service Distributor credit note issued by an Input Service Distributor shall contain the following details:-
  - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the Input Service Distributor;
  - a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters- hyphen or dash and slash symbolised as- "-", "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
  - (c) date of its issue;
  - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient to whom the credit is distributed;
  - (e) amount of the credit distributed; and
  - (f) signature or digital signature of the Input Service Distributor or his authorised representative:

Provided that where the Input Service Distributor is an office of a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, a tax invoice shall include any document in lieu thereof, by whatever name called, whether or not serially numbered but containing the information as mentioned above.

- (2) Where the supplier of taxable service is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the said supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof, by whatever name called, whether issued or made available, physically or electronically whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of taxable service but containing other information as mentioned under rule 46.
- (3) Where the supplier of taxable service is a goods transport agency supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, the said supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof, by whatever name called, containing the gross weight of the consignment, name of the consigner and the consignee, registration number of goods carriage in which the goods are transported, details of goods transported, details of place of origin and destination, Goods and Services Tax Identification Number of the person liable for paying tax whether as consigner, consignee or goods transport agency, and also containing other information as mentioned under rule 46.
- (4) Where the supplier of taxable service is supplying passenger transportation service, a tax invoice shall include ticket in any form, by whatever name called, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of service but containing other information as mentioned under rule 46.
- (5) The provisions of sub-rule (2) or sub-rule (4) shall apply, *mutatis mutandis*, to the documents issued under rule 49 or rule 50 or rule 51 or rule 52 or rule 53.
- 55. Transportation of goods without issue of invoice.- (1) For the purposes of
  - supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known,
  - (b) transportation of goods for job work,
  - (c) transportation of goods for reasons other than by way of supply, or
  - (d) such other supplies as may be notified by the Board,

the consigner may issue a delivery challan, serially numbered not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, in lieu of invoice at the time of removal of goods for transportation, containing the following details, namely:-

- (i) date and number of the delivery challan;
- (ii) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the consigner, if registered;
- (iii) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number of the consignee, if registered;
- (iv) Harmonised System of Nomenclature code and description of goods;
- (v) quantity (provisional, where the exact quantity being supplied is not known);

- (vi) taxable value;
- (Vii) tax rate and tax amount central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess, where the transportation is for supply to the consignee;
- (viii) place of supply, in case of inter-State movement; and
- (ix) signature.
- (2) The delivery challan shall be prepared in triplicate, in case of supply of goods, in the following manner, namely:—
  - (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR CONSIGNEE;
  - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER; and
  - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR CONSIGNER.
- (3) Where goods are being transported on a delivery challan in lieu of invoice, the same shall be declared as specified in rule 138.
- (4) Where the goods being transported are for the purpose of supply to the recipient but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply, the supplier shall issue a tax invoice after delivery of goods.
- (5) Where the goods are being transported in a semi knocked down or completely knocked down condition -
  - (a) the supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment;
  - (b) the supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignments, giving reference of the invoice;
  - (c) each consignment shall be accompanied by copies of the corresponding delivery challan along with a duly certified copy of the invoice; and
  - (d) the original copy of the invoice shall be sent along with the last consignment.

## Chapter VII

#### Accounts and Records

- **56. Maintenance of accounts by registered persons.-** (1) Every registered person shall keep and maintain, in addition to the particulars mentioned in sub-section (1) of section 35, a true and correct account of the goods or services imported or exported or of supplies attracting payment of tax on reverse charge along with the relevant documents, including invoices, bills of supply, delivery challans, credit notes, debit notes, receipt vouchers, payment vouchers and refund vouchers.
- (2) Every registered person, other than a person paying tax under section 10, shall maintain the accounts of stock in respect of goods received and supplied by him, and such accounts shall contain particulars of the opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free sample and the balance of stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof.
- (3) Every registered person shall keep and maintain a separate account of advances received, paid and adjustments made thereto.
- (4) Every registered person, other than a person paying tax under section 10, shall keep and maintain an account, containing the details of tax payable (including tax payable in accordance with the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) of section 9), tax collected and paid, input tax, input tax credit claimed, together with a register of tax invoice, credit notes, debit notes, delivery challan issued or received during any tax period.
- (5) Every registered person shall keep the particulars of -

- (a) names and complete addresses of suppliers from whom he has received the goods or services chargeable to tax under the Act;
- (b) names and complete addresses of the persons to whom he has supplied goods or services, where required under the provisions of this Chapter;
- (c) the complete address of the premises where goods are stored by him, including goods stored during transit along with the particulars of the stock stored therein.
- (6) If any taxable goods are found to be stored at any place(s) other than those declared under sub-rule (5) without the cover of any valid documents, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods as if such goods have been supplied by the registered person.
- (7) Every registered person shall keep the books of account at the principal place of business and books of account relating to additional place of business mentioned in his certificate of registration and such books of account shall include any electronic form of data stored on any electronic device.
- (8) Any entry in registers, accounts and documents shall not be erased, effaced or overwritten, and all incorrect entries, otherwise than those of clerical nature, shall be scored out under attestation and thereafter, the correct entry shall be recorded and where the registers and other documents are maintained electronically, a log of every entry edited or deleted shall be maintained.
- (9) Each volume of books of account maintained manually by the registered person shall be serially numbered.
- (10) Unless proved otherwise, if any documents, registers, or any books of account belonging to a registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registration, they shall be presumed to be maintained by the said registered person.
- (11) Every agent referred to in clause (5) of section 2 shall maintain accounts depicting the,-
  - (a) particulars of authorisation received by him from each principal to receive or supply goods or services on behalf of such principal separately;
  - (b) particulars including description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services received on behalf of every principal;
  - (c) particulars including description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services supplied on behalf of every principal;
  - (d) details of accounts furnished to every principal; and
  - (e) tax paid on receipts or on supply of goods or services effected on behalf of every principal.
- (12) Every registered person manufacturing goods shall maintain monthly production accounts showing quantitative details of raw materials or services used in the manufacture and quantitative details of the goods so manufactured including the waste and by products thereof.
- (13) Every registered person supplying services shall maintain the accounts showing quantitative details of goods used in the provision of services, details of input services utilised and the services supplied.
- (14) Every registered person executing works contract shall keep separate accounts for works contract showing -
  - (a) the names and addresses of the persons on whose behalf the works contract is executed;
  - (b) description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services received for the execution of works contract;
  - (c) description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services utilized in the execution of works contract;
  - (d) the details of payment received in respect of each works contract; and
  - (e) the names and addresses of suppliers from whom he received goods or services.

- -(15) The records under the provisions of this Chapter may be maintained in electronic form and the record so maintained shall be authenticated by means of a digital signature.
- (16) Accounts maintained by the registered person together with all the invoices, bills of supply, credit and debit notes, and delivery challans relating to stocks, deliveries, inward supply and outward supply shall be preserved for the period as provided in section 36 and shall, where such accounts and documents are maintained manually, be kept at every related place of business mentioned in the certificate of registration and shall be accessible at every related place of business where such accounts and documents are maintained digitally.
- (17) Any person having custody over the goods in the capacity of a carrier or a clearing and forwarding agent for delivery or dispatch thereof to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him on behalf of such registered person and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer.
- (18) Every registered person shall, on demand, produce the books of accounts which he is required to maintain under any law for the time being in force.
- **57. Generation and maintenance of electronic records.-** (1) Proper electronic back-up of records shall be maintained and preserved in such manner that, in the event of destruction of such records due to accidents or natural causes, the information can be restored within a reasonable period of time.
- (2) The registered person maintaining electronic records shall produce, on demand, the relevant records or documents, duly authenticated by him, in hard copy or in any electronically readable format.
- (3) Where the accounts and records are stored electronically by any registered person, he shall, on demand, provide the details of such files, passwords of such files and explanation for codes used, where necessary, for access and any other information which is required for such access along with a sample copy in print form of the information stored in such files.
- **58.** Records to be maintained by owner or operator of godown or warehouse and transporters.- (1) Every person required to maintain records and accounts in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 35, if not already registered under the Act, shall submit the details regarding his business electronically on the common portal in **FORM GST ENR-01**, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner and, upon validation of the details furnished, a unique enrolment number shall be generated and communicated to the said person.
- (2) The person enrolled under sub-rule (1) as aforesaid in any other State or Union territory shall be deemed to be enrolled in the State or Union territory.
- (3) Every person who is enrolled under sub-rule (1) shall, where required, amend the details furnished in **FORM GST ENR-01** electronically on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (4) Subject to the provisions of rule 56,-
  - (a) any person engaged in the business of transporting goods shall maintain records of goods transported, delivered and goods stored in transit by him alongwith the Goods and Services Tax Identification Number of the registered consigner and consignee for each of his branches.

- (b) every owner or operator of a warehouse or godown shall maintain books of accounts with respect to the period for which particular goods remain in the warehouse, including the particulars relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods.
- (5) The owner or the operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item-wise and owner-wise and shall facilitate any physical verification or inspection by the proper officer on demand.

# Chapter VIII

#### Returns

- **59. Form and manner of furnishing details of outward supplies.-** (1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in **FORM GSTR-1** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The details of outward supplies of goods or services or both furnished in **FORM GSTR-1** shall include the
  - (a) invoice wise details of all -
    - (i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and
    - (ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakh rupees made to the unregistered persons;
  - (b) consolidated details of all -
    - (i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and
    - (ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;
  - (c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.
- (3) The details of outward supplies furnished by the supplier shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in **Part A** of **FORM GSTR-2A**, in **FORM GSTR-4A** and in **FORM GSTR-6A** through the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-1**.
- (4) The details of inward supplies added, corrected or deleted by the recipient in his **FORM GSTR-2** under section 38 or **FORM GSTR-4** or **FORM GSTR-6** under section 39 shall be made available to the supplier electronically in **FORM GSTR-1A** through the common portal and such supplier may either accept or reject the modifications made by the recipient and **FORM GSTR-1** furnished earlier by the supplier shall stand amended to the extent of modifications accepted by him.
- **60.** Form and manner of furnishing details of inward supplies.- (1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, required to furnish the details of inward supplies of goods or services or both received during a tax period under sub-section (2) of section 38 shall, on the basis of details contained in **Part A, Part B and Part C** of **FORM GSTR-2A**, prepare such details as specified in sub-section (1) of the said section and furnish the same in **FORM GSTR-2** electronically through the common portal, either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner, after including therein details of such other inward supplies, if any, required to be furnished under sub-section (2) of section 38.
- (2) Every registered person shall furnish the details, if any, required under sub-section (5) of section 38 electronically in **FORM GSTR-2**.
- (3) The registered person shall specify the inward supplies in respect of which he is not eligible, either fully or partially, for input tax credit in **FORM GSTR-2** where such eligibility can be determined at the invoice level.
- (4) The registered person shall declare the quantum of ineligible input tax credit on inward supplies which is relatable to non-taxable supplies or for purposes other than business and cannot be determined at the invoice level in **FORM GSTR-2**.

- (4A) The details of invoices furnished by an non-resident taxable person in his return in **FORM GSTR-5** under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in **Part A** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and the said recipient may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (5) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in **FORM GSTR-6** under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in **Part B** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and the said recipient may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (6) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in **FORM GSTR-7** shall be made available to the deductee in **Part C** of **FORM GSTR-2A** electronically through the common portal and the said deductee may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (7) The details of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in **FORM GSTR-8** shall be made available to the concerned person in **Part C** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and such person may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (8) The details of inward supplies of goods or services or both furnished in **FORM GSTR-2** shall include the -
  - (a) invoice wise details of all inter-State and intra-State supplies received from registered persons or unregistered persons;
  - (b) import of goods and services made; and
  - (c) debit and credit notes, if any, received from supplier.
- **61. Form and manner of submission of monthly return.-** (1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return specified under sub-section (1) of section 39 in **FORM GSTR-3** electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) **Part A** of the return under sub-rule (1) shall be electronically generated on the basis of information furnished through **FORM GSTR-1**, **FORM GSTR-2** and based on other liabilities of preceding tax periods.
- (3) Every registered person furnishing the return under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in **Part B** of the return in **FORM GSTR-3**.
- (4) A registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49, may claim such refund in **Part B** of the return in **FORM GSTR-3** and such return shall be deemed to be an application filed under section 54.
- (5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, return in **FORM GSTR-3B**, in lieu of **FORM GSTR-3**, may be furnished in such manner and subject to such conditions as may be notified by the Commissioner.
- **62. Form and manner of submission of quarterly return by the composition supplier.-** (1) Every registered person paying tax under section 10 shall, on the basis of details contained in **FORM GSTR-4A**, and where required, after adding, correcting or deleting the details, furnish the quarterly return in **FORM GSTR-4** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) Every registered person furnishing the return under sub-rule (1) shall discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger.
- (3) The return furnished under sub-rule (1) shall include the -
  - (a) invoice wise inter-State and intra-State inward supplies received from registered and un-registered persons; and
  - (b) consolidated details of outward supplies made.
- (4) A registered person who has opted to pay tax under section 10 from the beginning of a financial year shall, where required, furnish the details of outward and inward supplies and return under rules 59, 60 and 61 relating to the period

during which the person was liable to furnish such details and returns till the due date of furnishing the return for the month of September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, it is hereby declared that the person shall not be eligible to avail of input tax credit on receipt of invoices or debit notes from the supplier for the period prior to his opting for the composition scheme.

- (5) A registered person opting to withdraw from the composition scheme at his own motion or where option is withdrawn at the instance of the proper officer shall, where required, furnish the details relating to the period prior to his opting for payment of tax under section 9 in **FORM GSTR- 4** till the due date of furnishing the return for the quarter ending September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier.
- 63. Form and manner of submission of return by non-resident taxable person.- Every registered non-resident taxable person shall furnish a return in FORM GSTR-5 electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, including therein the details of outward supplies and inward supplies and shall pay the tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter within twenty days after the end of a tax period or within seven days after the last day of the validity period of registration, whichever is earlier.
- **64.** Form and manner of submission of return by persons providing online information and database access or retrieval services.- Every registered person providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person shall file return in **FORM GSTR-5A** on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof.
- **65. Form and manner of submission of return by an Input Service Distributor.-** Every Input Service Distributor shall, on the basis of details contained in **FORM GSTR-6A**, and where required, after adding, correcting or deleting the details, furnish electronically the return in **FORM GSTR-6**, containing the details of tax invoices on which credit has been received and those issued under section 20, through the common portal either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- **66. Form and manner of submission of return by a person required to deduct tax at source.-** (1) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 (hereafter in this rule referred to as deductor) shall furnish a return in **FORM GSTR-7** electronically through the common portal either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The details furnished by the deductor under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the suppliers in **Part C** of **FORM GSTR-2A** and **FORM-GSTR-4A** on the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-7**.
- (3) The certificate referred to in sub-section (3) of section 51 shall be made available electronically to the deductee on the common portal in **FORM GSTR-7A** on the basis of the return furnished under sub-rule (1).
- 67. Form and manner of submission of statement of supplies through an e-commerce operator.- (1) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish a statement in FORM GSTR-8 electronically on the common portal, either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner, containing details of supplies effected through such operator and the amount of tax collected as required under sub-section (1) of section 52.
- (2) The details furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the suppliers in **Part C** of **FORM GSTR-2A** on the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-8**.
- **68. Notice to non-filers of returns.-** A notice in **FORM GSTR-3A** shall be issued, electronically, to a registered person who fails to furnish return under section 39 or section 44 or section 45 or section 52.
- **Matching of claim of input tax credit**.- The following details relating to the claim of input tax credit on inward supplies including imports, provisionally allowed under section 41, shall be matched under section 42 after the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3**-
  - (a) Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (b) Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
  - (c) invoice or debit note number;

- (d) invoice or debit note date; and
- (e) tax amount:

Provided that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** specified under section 37 and **FORM GSTR-2** specified under section 38 has been extended, the date of matching relating to claim of input tax credit shall also be extended accordingly:

Provided further that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching relating to claim of input tax credit to such date as may be specified therein.

Explanation. - For the purposes of this rule, it is hereby declared that -

- (i) The claim of input tax credit in respect of invoices and debit notes in **FORM GSTR-2** that were accepted by the recipient on the basis of **FORM GSTR-2A** without amendment shall be treated as matched if the corresponding supplier has furnished a valid return;
- (ii) The claim of input tax credit shall be considered as matched where the amount of input tax credit claimed is equal to or less than the output tax paid on such tax invoice or debit note by the corresponding supplier.
- **70. Final acceptance of input tax credit and communication thereof.-** (1) The final acceptance of claim of input tax credit in respect of any tax period, specified in sub-section (2) of section 42, shall be made available electronically to the registered person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.
- (2) The claim of input tax credit in respect of any tax period which had been communicated as mismatched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.
- 71. Communication and rectification of discrepancy in claim of input tax credit and reversal of claim of input tax credit. (1) Any discrepancy in the claim of input tax credit in respect of any tax period, specified in sub-section (3) of section 42 and the details of output tax liable to be added under sub-section (5) of the said section on account of continuation of such discrepancy, shall be made available to the recipient making such claim electronically in FORM GST MIS-1 and to the supplier electronically in FORM GST MIS-2 through the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.
- (2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (3) A recipient to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of inward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the recipient in his return to be furnished in **FORM GSTR-3** for the month succeeding the month in which the discrepancy is made available.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby declared that -

- (i) Rectification by a supplier means adding or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the details of corresponding inward supply declared by the recipient;
- (ii) Rectification by the recipient means deleting or correcting the details of an inward supply so as to match the details of corresponding outward supply declared by the supplier.
- 72. Claim of input tax credit on the same invoice more than once.- Duplication of claims of input tax credit in the details of inward supplies shall be communicated to the registered person in FORM GST MIS-1 electronically through the common portal.
- 73. Matching of claim of reduction in the output tax liability .- The following details relating to the claim of reduction in output tax liability shall be matched under section 43 after the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3**, namely:-
  - (a) Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (b) Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;

- (c) credit note number;
- (d) credit note date; and
- (e) tax amount:

Provided that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** under section 37 and **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the date of matching of claim of reduction in the output tax liability shall be extended accordingly:

Provided further that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching relating to claim of reduction in output tax liability to such date as may be specified therein.

Explanation. - For the purposes of this rule, it is hereby declared that –

- (i) the claim of reduction in output tax liability due to issuance of credit notes in **FORM GSTR-1** that were accepted by the corresponding recipient in **FORM GSTR-2** without amendment shall be treated as matched if the said recipient has furnished a valid return.
- (ii) the claim of reduction in the output tax liability shall be considered as matched where the amount of output tax liability after taking into account the reduction claimed is equal to or more than the claim of input tax credit after taking into account the reduction admitted and discharged on such credit note by the corresponding recipient in his valid return.

#### 74. Final acceptance of reduction in output tax liability and communication thereof.-

- (1) The final acceptance of claim of reduction in output tax liability in respect of any tax period, specified in subsection (2) of section 43, shall be made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.
- (2) The claim of reduction in output tax liability in respect of any tax period which had been communicated as mis-matched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.
- **75.** Communication and rectification of discrepancy in reduction in output tax liability and reversal of claim of reduction.- (1) Any discrepancy in claim of reduction in output tax liability, specified in sub-section (3) of section 43, and the details of output tax liability to be added under sub-section (5) of the said section on account of continuation of such discrepancy, shall be made available to the registered person making such claim electronically in **FORM GST MIS-1** and the recipient electronically in **FORM GST MIS-2** through the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.
- (2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (3) A recipient to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of inward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the supplier and debited to the electronic liability register and also shown in his return in **FORM GSTR-3** for the month succeeding the month in which the discrepancy is made available.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby declared that –

- (i) rectification by a supplier means deleting or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the details of corresponding inward supply declared by the recipient;
- (ii) rectification by the recipient means adding or correcting the details of an inward supply so as to match the details of corresponding outward supply declared by the supplier.

- 76. Claim of reduction in output tax liability more than once.- The duplication of claims for reduction in output tax liability in the details of outward supplies shall be communicated to the registered person in FORM GST MIS-1 electronically through the common portal.
- **77. Refund of interest paid on reclaim of reversals.-** The interest to be refunded under sub-section (9) of section 42 or sub-section (9) of section 43 shall be claimed by the registered person in his return in **FORM GSTR-3** and shall be credited to his electronic cash ledger in **FORM GST PMT-05** and the amount credited shall be available for payment of any future liability towards interest or the taxable person may claim refund of the amount under section 54.
- 78. Matching of details furnished by the e-Commerce operator with the details furnished by the supplier. The following details relating to the supplies made through an e-Commerce operator, as declared in FORM GSTR-8, shall be matched with the corresponding details declared by the supplier in FORM GSTR-1,
  - (a) State of place of supply; and
  - (b) net taxable value:

Provided that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** under section 37 has been extended, the date of matching of the above mentioned details shall be extended accordingly.

Provided further that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching to such date as may be specified therein.

- 79. Communication and rectification of discrepancy in details furnished by the e-commerce operator and the supplier.- (1) Any discrepancy in the details furnished by the operator and those declared by the supplier shall be made available to the supplier electronically in FORM GST MIS-3 and to the e-commerce operator electronically in FORM GST MIS-4 on the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.
- (2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (3) An operator to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the supplier in his return in **FORM GSTR-3** for the month succeeding the month in which the details of discrepancy are made available and such addition to the output tax liability and interest payable thereon shall be made available to the supplier electronically on the common portal in **FORM GST MIS-3**.
- **80. Annual return.-** (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return as specified under sub-section (1) of section 44 electronically in **FORM GSTR-9** through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in FORM GSTR-9A.

- (2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in sub-section (5) of the said section in **FORM GSTR -9B**.
- (3) Every registered person whose aggregate turnover during a financial year exceeds two crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C**, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- **81. Final return.-** Every registered person required to furnish a final return under section 45, shall furnish such return electronically in **FORM GSTR-10** through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

- **82. Details of inward supplies of persons having Unique Identity Number.-** (1) Every person who has been issued a Unique Identity Number and claims refund of the taxes paid on his inward supplies, shall furnish the details of such supplies of taxable goods or services or both electronically in **FORM GSTR-11**, along with application for such refund claim, through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) Every person who has been issued a Unique Identity Number for purposes other than refund of the taxes paid shall furnish the details of inward supplies of taxable goods or services or both as may be required by the proper officer in **FORM GSTR-11**.
- **83.** Provisions relating to a goods and services tax practitioner.-(1) An application in FORM GST PCT-01 may be made electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner for enrolment as goods and services tax practitioner by any person who,
  - (i) is a citizen of India:
  - (ii) is a person of sound mind;
  - (iii) is not adjudicated as insolvent;
  - (iv) has not been convicted by a competent court;

and satisfies any of the following conditions, namely:-

- (a) that he is a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or of the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Government of India, who, during his service under the Government, had worked in a post not lower than the rank of a Group-B gazetted officer for a period of not less than two years; or
- (b) that he has enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the existing law for a period of not less than five years;
- (c) he has passed,
- (i) a graduate or postgraduate degree or its equivalent examination having a degree in Commerce, Law, Banking including Higher Auditing, or Business Administration or Business Management from any Indian University established by any law for the time being in force; or
- (ii) a degree examination of any Foreign University recognised by any Indian University as equivalent to the degree examination mentioned in sub-clause (i); or
- (iii) any other examination notified by the Government, on the recommendation of the Council, for this purpose; or
  - (iv) has passed any of the following examinations, namely:-
    - (a) final examination of the Institute of Chartered Accountants of India; or
    - (b) final examination of the Institute of Cost Accountants of India; or
    - (c) final examination of the Institute of Company Secretaries of India.
- (2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the officer authorised in this behalf shall, after making such enquiry as he considers necessary, either enrol the applicant as a goods and services tax practitioner and issue a certificate to that effect in **FORM GST PCT-02** or reject his application where it is found that the applicant is not qualified to be enrolled as a goods and services tax practitioner.
- (3) The enrolment made under sub-rule (2) shall be valid until it is cancelled:

Provided that no person enrolled as a goods and services tax practitioner shall be eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted at such periods and by such authority as may be notified by the Commissioner on the recommendations of the Council:

Provided further that no person to whom the provisions of clause (b) of sub-section (1) apply shall be eligible to remain enrolled unless he passes the said examination within a period of one year from the appointed date.

- (4) If any goods and services tax practitioner is found guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the authorised officer may, after giving him a notice to show cause in **FORM GST PCT-03** for such misconduct and after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in **FORM GST PCT -04** direct that he shall henceforth be disqualified under section 48 to function as a goods and services tax practitioner.
- (5) Any person against whom an order under sub-rule (4) is made may, within thirty days from the date of issue of such order, appeal to the Commissioner against such order.

- (6) Any registered person may, at his option, authorise a goods and services tax practitioner on the common portal in **FORM GST PCT-05** or, at any time, withdraw such authorisation in **FORM GST PCT-05** and the goods and services tax practitioner so authorised shall be allowed to undertake such tasks as indicated in the said authorisation during the period of authorisation.
- (7) Where a statement required to be furnished by a registered person has been furnished by the goods and services tax practitioner authorised by him, a confirmation shall be sought from the registered person over email or SMS and the statement furnished by the goods and services tax practitioner shall be made available to the registered person on the common portal:

Provided that where the registered person fails to respond to the request for confirmation till the last date of furnishing of such statement, it shall be deemed that he has confirmed the statement furnished by the goods and services tax practitioner.

- (8) A goods and services tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person, if so authorised by him to-
  - (a) furnish the details of outward and inward supplies;
  - (b) furnish monthly, quarterly, annual or final return;
  - (c) make deposit for credit into the electronic cash ledger;
  - (d) file a claim for refund; and
  - (e) file an application for amendment or cancellation of registration:

Provided that where any application relating to a claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration has been submitted by the goods and services tax practitioner authorised by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal and such application shall not be proceeded with further until the registered person gives his consent to the same.

- (9) Any registered person opting to furnish his return through a goods and services tax practitioner shall-
  - (a) give his consent in **FORM GST PCT-05** to any goods and services tax practitioner to prepare and furnish his return; and
  - (b) before confirming submission of any statement prepared by the goods and services tax practitioner, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct.
- (10) The goods and services tax practitioner shall-
  - (a) prepare the statements with due diligence; and
  - (b) affix his digital signature on the statements prepared by him or electronically verify using his credentials.
- (11) A goods and services tax practitioner enrolled in any other State or Union territory shall be treated as enrolled in the State or Union territory for the purposes specified in sub-rule (8).
- **84. Conditions for purposes of appearance.-** (1) No person shall be eligible to attend before any authority as a goods and services tax practitioner in connection with any proceedings under the Act on behalf of any registered or unregistered person unless he has been enrolled under rule 83.
- (2) A goods and services tax practitioner attending on behalf of a registered or an un-registered person in any proceedings under the Act before any authority shall produce before such authority, if required, a copy of the authorisation given by such person in **FORM GST PCT-05**.

Chapter IX

Payment of Tax

- **85. Electronic Liability Register.-** (1) The electronic liability register specified under sub-section (7) of section 49 shall be maintained in **FORM GST PMT-01** for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount on the common portal and all amounts payable by him shall be debited to the said register.
- (2) The electronic liability register of the person shall be debited by-
  - (a) the amount payable towards tax, interest, late fee or any other amount payable as per the return furnished by the said person;
  - (b) the amount of tax, interest, penalty or any other amount payable as determined by a proper officer in pursuance of any proceedings under the Act or as ascertained by the said person;
  - (c) the amount of tax and interest payable as a result of mismatch under section 42 or section 43 or section 50; or
  - (d) any amount of interest that may accrue from time to time.
- (3) Subject to the provisions of section 49, payment of every liability by a registered person as per his return shall be made by debiting the electronic credit ledger maintained as per rule 86 or the electronic cash ledger maintained as per rule 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly.
- (4) The amount deducted under section 51, or the amount collected under section 52, or the amount payable on reverse charge basis, or the amount payable under section 10, any amount payable towards interest, penalty, fee or any other amount under the Act shall be paid by debiting the electronic cash ledger maintained as per rule 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly.
- (5) Any amount of demand debited in the electronic liability register shall stand reduced to the extent of relief given by the appellate authority or Appellate Tribunal or court and the electronic tax liability register shall be credited accordingly.
- (6) The amount of penalty imposed or liable to be imposed shall stand reduced partly or fully, as the case may be, if the taxable person makes the payment of tax, interest and penalty specified in the show cause notice or demand order and the electronic liability register shall be credited accordingly.
- (7) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic liability ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.
- **86. Electronic Credit Ledger.-** (1) The electronic credit ledger shall be maintained in **FORM GST PMT-02** for each registered person eligible for input tax credit under the Act on the common portal and every claim of input tax credit under the Act shall be credited to the said ledger.
- (2) The electronic credit ledger shall be debited to the extent of discharge of any liability in accordance with the provisions of section 49.
- (3) Where a registered person has claimed refund of any unutilized amount from the electronic credit ledger in accordance with the provisions of section 54, the amount to the extent of the claim shall be debited in the said ledger.
- (4) If the refund so filed is rejected, either fully or partly, the amount debited under sub-rule (3), to the extent of rejection, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**.

- (5) Save as provided in the provisions of this Chapter, no entry shall be made directly in the electronic credit ledger under any circumstance.
- (6) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic credit ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.

*Explanation.*— For the purposes of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal.

- **87. Electronic Cash Ledger.** (1) The electronic cash ledger under sub-section (1) of section 49 shall be maintained in **FORM GST PMT-05** for each person, liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount, on the common portal for crediting the amount deposited and debiting the payment therefrom towards tax, interest, penalty, fee or any other amount.
- (2) Any person, or a person on his behalf, shall generate a challan in **FORM GST PMT-06** on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fees or any other amount.
- (3) The deposit under sub-rule (2) shall be made through any of the following modes, namely:-
  - (i) Internet Banking through authorised banks;
  - (ii) Credit card or Debit card through the authorised bank;
  - (iii) National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement from any bank; or
  - (iv) Over the Counter payment through authorised banks for deposits up to ten thousand rupees per challan per tax period, by cash, cheque or demand draft:

Provided that the restriction for deposit up to ten thousand rupees per challan in case of an Over the Counter payment shall not apply to deposit to be made by –

- (a) Government Departments or any other deposit to be made by persons as may be notified by the Commissioner in this behalf;
- (b) Proper officer or any other officer authorised to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable properties;
- (c) Proper officer or any other officer authorised for the amounts collected by way of cash, cheque or demand draft during any investigation or enforcement activity or any *ad hoc* deposit:

Provided further that the challan in **FORM GST PMT-06** generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

*Explanation.*— For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that for making payment of any amount indicated in the challan, the commission, if any, payable in respect of such payment shall be borne by the person making such payment.

- (4) Any payment required to be made by a person who is not registered under the Act, shall be made on the basis of a temporary identification number generated through the common portal.
- (5) Where the payment is made by way of National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement mode from any bank, the mandate form shall be generated along with the challan on the common portal and the same shall be submitted to the bank from where the payment is to be made:

Provided that the mandate form shall be valid for a period of fifteen days from the date of generation of challan.

- (6) On successful credit of the amount to the concerned government account maintained in the authorised bank, a Challan Identification Number shall be generated by the collecting bank and the same shall be indicated in the challan.
- (7) On receipt of the Challan Identification Number from the collecting bank, the said amount shall be credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit has been made and the common portal shall make available a receipt to this effect.
- (8) Where the bank account of the person concerned, or the person making the deposit on his behalf, is debited but no Challan Identification Number is generated or generated but not communicated to the common portal, the said person may represent electronically in **FORM GST PMT-07** through the common portal to the bank or electronic gateway through which the deposit was initiated.
- (9) Any amount deducted under section 51 or collected under section 52 and claimed in **FORM GSTR-02** by the registered taxable person from whom the said amount was deducted or, as the case may be, collected shall be credited to his electronic cash ledger in accordance with the provisions of rule 87.
- (10) Where a person has claimed refund of any amount from the electronic cash ledger, the said amount shall be debited to the electronic cash ledger.
- (11) If the refund so claimed is rejected, either fully or partly, the amount debited under sub-rule (10), to the extent of rejection, shall be credited to the electronic cash ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03.**
- (12) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic cash ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.

Explanation 1.- The refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected.

- Explanation 2.— For the purposes of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal.
- **88. Identification number for each transaction.-** (1) A unique identification number shall be generated at the common portal for each debit or credit to the electronic cash or credit ledger, as the case may be.
- (2) The unique identification number relating to discharge of any liability shall be indicated in the corresponding entry in the electronic liability register.

(3) A unique identification number shall be generated at the common portal for each credit in the electronic liability register for reasons other than those covered under sub-rule (2).

### Chapter X

#### Refund

**89. Application for refund of tax, interest, penalty, fees or any other amount.** (1) Any person, except the persons covered under notification issued under section 55, claiming refund of any tax, interest, penalty, fees or any other amount paid by him, other than refund of integrated tax paid on goods exported out of India, may file an application electronically in **FORM GST RFD-01** through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that any claim for refund relating to balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 may be made through the return furnished for the relevant tax period in **FORM GSTR-3** or **FORM GSTR-4** or **FORM GSTR-7**, as the case may be:

Provided further that in respect of supplies to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer, the application for refund shall be filed by the –

- (a) supplier of goods after such goods have been admitted in full in the Special Economic Zone for authorised operations, as endorsed by the specified officer of the Zone;
- (b) supplier of services along with such evidence regarding receipt of services for authorised operations as endorsed by the specified officer of the Zone:

Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application shall be filed by the recipient of deemed export supplies:

Provided also that refund of any amount, after adjusting the tax payable by the applicant out of the advance tax deposited by him under section 27 at the time of registration, shall be claimed in the last return required to be furnished by him.

- (2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by any of the following documentary evidences in Annexure 1 in **Form GST RFD-01**, as applicable, to establish that a refund is due to the applicant, namely:-
  - (a) the reference number of the order and a copy of the order passed by the proper officer or an appellate authority or Appellate Tribunal or court resulting in such refund or reference number of the payment of the amount specified in sub-section (6) of section 107 and sub-section (8) of section 112 claimed as refund;
  - (b) a statement containing the number and date of shipping bills or bills of export and the number and the date of the relevant export invoices, in a case where the refund is on account of export of goods;
  - (c) a statement containing the number and date of invoices and the relevant Bank Realisation Certificates or Foreign Inward Remittance Certificates, as the case may be, in a case where the refund is on account of the export of services;
  - (d) a statement containing the number and date of invoices as provided in rule 46 along with the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) in the case of the supply of goods made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;
  - (e) a statement containing the number and date of invoices, the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) and the details of payment, along with the proof thereof, made by the recipient to the supplier for authorised operations as defined under the Special Economic Zone Act, 2005, in a case where the refund is on account of supply of services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;
  - (f) a declaration to the effect that the Special Economic Zone unit or the Special Economic Zone developer has not availed the input tax credit of the tax paid by the supplier of goods or services or both, in a case where the refund is on account of supply of goods or services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;
  - (g) a statement containing the number and date of invoices along with such other evidence as may be notified in this behalf, in a case where the refund is on account of deemed exports;
  - (h) a statement containing the number and the date of the invoices received and issued during a tax period in a case where the claim pertains to refund of any unutilised input tax credit under sub-section (3) of section 54 where the credit has accumulated on account of the rate of tax on the inputs being higher than the rate of tax on output supplies, other than nil-rated or fully exempt supplies;

- (i) the reference number of the final assessment order and a copy of the said order in a case where the refund arises on account of the finalisation of provisional assessment;
- (j) a statement showing the details of transactions considered as intra-State supply but which is subsequently held to be inter-State supply;
- (k) a statement showing the details of the amount of claim on account of excess payment of tax;
- (l) a declaration to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other person, in a case where the amount of refund claimed does not exceed two lakh rupees:

Provided that a declaration is not required to be furnished in respect of the cases covered under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54;

(m) a Certificate in Annexure 2 of **FORM GST RFD-01** issued by a chartered accountant or a cost accountant to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other person, in a case where the amount of refund claimed exceeds two lakh rupees:

Provided that a certificate is not required to be furnished in respect of cases covered under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54;

Explanation.- For the purposes of this rule-

- (i) in case of refunds referred to in clause (c) of sub-section (8) of section 54, the expression "invoice" means invoice conforming to the provisions contained in section 31;
- (ii) where the amount of tax has been recovered from the recipient, it shall be deemed that the incidence of tax has been passed on to the ultimate consumer.
- (3) Where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed.
- (4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula -

Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷Adjusted Total Turnover

# Where,-

- (A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;
- (B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period;
- (C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking;
- (D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:-

Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;

- (E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State or a Union territory, as defined under sub-section (112) of section 2, excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period;
- (F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.
- (5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula -

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods

Explanation.- For the purposes of this sub rule, the expressions "Net ITC" and "Adjusted Total turnover" shall have the same meanings as assigned to them in sub-rule (4).

- **90. Acknowledgement.-** (1) Where the application relates to a claim for refund from the electronic cash ledger, an acknowledgement in **FORM GST RFD-02** shall be made available to the applicant through the common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.
- The application for refund, other than claim for refund from electronic cash ledger, shall be forwarded to the proper officer who shall, within a period of fifteen days of filing of the said application, scrutinize the application for its completeness and where the application is found to be complete in terms of sub-rule (2), (3) and (4) of rule 89, an acknowledgement in **FORM GST RFD-02** shall be made available to the applicant through the common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.
- (3) Where any deficiencies are noticed, the proper officer shall communicate the deficiencies to the applicant in **FORM GST RFD-03** through the common portal electronically, requiring him to file a fresh refund application after rectification of such deficiencies.
- (4) Where deficiencies have been communicated in **FORM GST RFD-03** under the State Goods and Service Tax Rules, 2017, the same shall also deemed to have been communicated under this rule along with the deficiencies communicated under sub-rule (3).
- **91. Grant of provisional refund.-**(1) The provisional refund in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 54 shall be granted subject to the condition that the person claiming refund has, during any period of five years immediately preceding the tax period to which the claim for refund relates, not been prosecuted for any offence under the Act or under an existing law where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.
- (2) The proper officer, after scrutiny of the claim and the evidence submitted in support thereof and on being *prima facie* satisfied that the amount claimed as refund under sub-rule (1) is due to the applicant in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 54, shall make an order in **FORM GST RFD-04**, sanctioning the amount of refund due to the said applicant on a provisional basis within a period not exceeding seven days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 90.
- (3) The proper officer shall issue a payment advice in **FORM GST RFD-05** for the amount sanctioned under subrule (2) and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.
- **92. Order sanctioning refund.-** (1) Where, upon examination of the application, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** sanctioning the amount of refund to which the applicant is entitled, mentioning therein the amount, if any, refunded to him on a provisional basis under sub-section (6) of section 54, amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable:

Provided that in cases where the amount of refund is completely adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law, an order giving details of the adjustment shall be issued in Part A of **FORM GST RFD-07**.

- (2) Where the proper officer or the Commissioner is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld under the provisions of sub-section (10) or, as the case may be, sub-section (11) of section 54, he shall pass an order in Part B of **FORM GST RFD-07** informing him the reasons for withholding of such refund.
- (3) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that the whole or any part of the amount claimed as refund is not admissible or is not payable to the applicant, he shall issue a notice in **FORM GST RFD-08** to the applicant, requiring him to furnish a reply in **FORM GST RFD-09** within a period of fifteen days of the receipt of such notice and after considering the reply, make an order in **FORM GST RFD-06** sanctioning the amount of refund in whole or part, or rejecting the said refund claim and the said order shall be made available to the applicant electronically and the provisions of sub-rule (1) shall, *mutatis mutandis*, apply to the extent refund is allowed:

Provided that no application for refund shall be rejected without giving the applicant an opportunity of being heard.

(4) Where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub-rule (1) or sub-rule (2) is payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** and issue a payment advice in **FORM GST RFD-05** for the amount of refund and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.

- (5) Where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub-rule (1) or sub-rule (2) is not payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** and issue an advice in **FORM GST RFD-05**, for the amount of refund to be credited to the Consumer Welfare Fund.
- 93. Credit of the amount of rejected refund claim.- (1) Where any deficiencies have been communicated under sub-rule (3) of rule 90, the amount debited under sub-rule (3) of rule 89 shall be re-credited to the electronic credit ledger.
- Where any amount claimed as refund is rejected under rule 92, either fully or partly, the amount debited, to the extent of rejection, shall be re-credited to the electronic credit ledger by an order made in **FORM GST PMT-03**.

Explanation.— For the purposes of this rule, a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking in writing to the proper officer that he shall not file an appeal.

- **94. Order sanctioning interest on delayed refunds.-** Where any interest is due and payable to the applicant under section 56, the proper officer shall make an order along with a payment advice in **FORM GST RFD-05**, specifying therein the amount of refund which is delayed, the period of delay for which interest is payable and the amount of interest payable, and such amount of interest shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.
- **95. Refund of tax to certain persons.-** (1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in **FORM GSTR-11**, prepared on the basis of the statement of the outward supplies furnished by the corresponding suppliers in **FORM GSTR-1**.
- (2) An acknowledgement for the receipt of the application for refund shall be issued in **FORM GST RFD-02**.
- (3) The refund of tax paid by the applicant shall be available if-
  - (a) the inward supplies of goods or services or both were received from a registered person against a tax invoice and the price of the supply covered under a single tax invoice exceeds five thousand rupees, excluding tax paid, if any;
  - (b) name and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number of the applicant is mentioned in the tax invoice; and
  - (c) such other restrictions or conditions as may be specified in the notification are satisfied.
- (4) The provisions of rule 92 shall, *mutatis mutandis*, apply for the sanction and payment of refund under this rule.
- (5) Where an express provision in a treaty or other international agreement, to which the President or the Government of India is a party, is inconsistent with the provisions of this Chapter, such treaty or international agreement shall prevail.
- **96. Refund of integrated tax paid on goods exported out of India.-**(1) The shipping bill filed by an exporter shall be deemed to be an application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India and such application shall be deemed to have been filed only when:-
  - (a) the person in charge of the conveyance carrying the export goods duly files an export manifest or an export report covering the number and the date of shipping bills or bills of export; and
  - (b) the applicant has furnished a valid return in **FORM GSTR-3**;
- (2) The details of the relevant export invoices contained in **FORM GSTR-1** shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs and the said system shall electronically transmit to the common portal, a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India.
- (3) Upon the receipt of the information regarding the furnishing of a valid return in **FORM GSTR-3** from the common portal, the system designated by the Customs shall process the claim for refund and an amount equal to the integrated tax paid in respect of each shipping bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant mentioned in his registration particulars and as intimated to the Customs authorities.
- (4) The claim for refund shall be withheld where,-
  - (a) a request has been received from the jurisdictional Commissioner of central tax, State tax or Union territory tax to withhold the payment of refund due to the person claiming refund in accordance with the provisions of sub-section (10) or sub-section (11) of section 54; or
  - (b) the proper officer of Customs determines that the goods were exported in violation of the provisions of the Customs Act, 1962.

- (5) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) of sub-rule (4), the proper officer of integrated tax at the Customs station shall intimate the applicant and the jurisdictional Commissioner of central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, and a copy of such intimation shall be transmitted to the common portal.
- (6) Upon transmission of the intimation under sub-rule (5), the proper officer of central tax or State tax or Union territory tax, as the case may be, shall pass an order in **Part B** of **FORM GST RFD-07**.
- (7) Where the applicant becomes entitled to refund of the amount withheld under clause (a) of sub-rule (4), the concerned jurisdictional officer of central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, shall proceed to refund the amount after passing an order in **FORM GST RFD-06**.
- (8) The Central Government may pay refund of the integrated tax to the Government of Bhutan on the exports to Bhutan for such class of goods as may be notified in this behalf and where such refund is paid to the Government of Bhutan, the exporter shall not be paid any refund of the integrated tax.
- **97. Consumer Welfare Fund.-** (1) All credits to the Consumer Welfare Fund shall be made under sub-rule (5) of rule 92.
- (2) Any amount, having been credited to the Fund, ordered or directed as payable to any claimant by orders of the proper officer, appellate authority or Appellate Tribunal or court, shall be paid from the Fund.
- (3) Any utilisation of amount from the Consumer Welfare Fund under sub-section (1) of section 58 shall be made by debiting the Consumer Welfare Fund account and crediting the account to which the amount is transferred for utilisation.
- (4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee with a Chairman, a Vice-Chairman, a Member Secretary and such other Members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Consumer Welfare Fund for welfare of the consumers.
- (5) The Committee shall meet as and when necessary, but not less than once in three months.
- (6) Any agency or organisation engaged in consumer welfare activities for a period of three years registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force, including village or mandal or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or any industry as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) recommended by the Bureau of Indian Standards to be engaged for a period of five years in viable and useful research activity which has made, or is likely to make, significant contribution in formulation of standard mark of the products of mass consumption, the Central Government or the State Government may make an application for a grant from the Consumer Welfare Fund:

Provided that a consumer may make application for reimbursement of legal expenses incurred by him as a complainant in a consumer dispute, after its final adjudication.

- (7) All applications for grant from the Consumer Welfare Fund shall be made by the applicant Member Secretary, but the Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.
- (8) The Committee shall have powers
  - a. to require any applicant to produce before it, or before a duly authorised Officer of the Government such books, accounts, documents, instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;
  - b. to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the Central Government or, as the case may be, State Government;
  - c. to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;
  - d. to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;
  - to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;
  - f. to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;
  - g. to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;

- h. to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;
- i. to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Consumer Welfare Fund may be made and make recommendations, accordingly;
- j. to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;
- k. to make guidelines for the management, administration and audit of the Consumer Welfare Fund.
- (9) The Central Consumer Protection Council and the Bureau of Indian Standards shall recommend to the Goods and Services Tax Council, the broad guidelines for considering the projects or proposals for the purpose of incurring expenditure from the Consumer Welfare Fund.

#### CHAPTER XI

### ASSESSMENT AND AUDIT

- **98. Provisional Assessment.-** (1) Every registered person requesting for payment of tax on a provisional basis in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 60 shall furnish an application along with the documents in support of his request, electronically in **FORM GST ASMT-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The proper officer may, on receipt of the application under sub-rule (1), issue a notice in **FORM GST ASMT-02** requiring the registered person to furnish additional information or documents in support of his request and the applicant shall file a reply to the notice in **FORM GST ASMT 03**, and may appear in person before the said officer if he so desires.
- (3) The proper officer shall issue an order in **FORM GST ASMT-04** allowing the payment of tax on a provisional basis indicating the value or the rate or both on the basis of which the assessment is to be allowed on a provisional basis and the amount for which the bond is to be executed and security to be furnished not exceeding twenty five per cent. of the amount covered under the bond.
- (4) The registered person shall execute a bond in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 60 in **FORM GST ASMT-05** along with a security in the form of a bank guarantee for an amount as determined under subrule (3):

Provided that a bond furnished to the proper officer under the State Goods and Services Tax Act or Integrated Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a bond furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

*Explanation.*- For the purposes of this rule, the expression "amount" shall include the amount of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax and cess payable in respect of the transaction.

- (5) The proper officer shall issue a notice in **FORM GST ASMT-06**, calling for information and records required for finalization of assessment under sub-section (3) of section 60 and shall issue a final assessment order, specifying the amount payable by the registered person or the amount refundable, if any, in **FORM GST ASMT-07**.
- (6) The applicant may file an application in **FORM GST ASMT- 08** for the release of the security furnished under sub-rule (4) after issue of the order under sub-rule (5).

- (7) The proper officer shall release the security furnished under sub-rule (4), after ensuring that the applicant has paid the amount specified in sub-rule (5) and issue an order in **FORM GST ASMT-09** within a period of seven working days from the date of the receipt of the application under sub-rule (6).
- **99. Scrutiny of returns.-** (1) Where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny, the proper officer shall scrutinize the same in accordance with the provisions of section 61 with reference to the information available with him, and in case of any discrepancy, he shall issue a notice to the said person in **FORM GST ASMT-10**, informing him of such discrepancy and seeking his explanation thereto within such time, not exceeding thirty days from the date of service of the notice or such further period as may be permitted by him and also, where possible, quantifying the amount of tax, interest and any other amount payable in relation to such discrepancy.
- (2) The registered person may accept the discrepancy mentioned in the notice issued under sub-rule (1), and pay the tax, interest and any other amount arising from such discrepancy and inform the same or furnish an explanation for the discrepancy in **FORM GST ASMT-11** to the proper officer.
- (3) Where the explanation furnished by the registered person or the information submitted under sub-rule (2) is found to be acceptable, the proper officer shall inform him accordingly in **FORM GST ASMT-12**.
- **100. Assessment in certain cases.** (1) The order of assessment made under sub-section (1) of section 62 shall be issued in **FORM GST ASMT-13**.
- (2) The proper officer shall issue a notice to a taxable person in accordance with the provisions of section 63 in **FORM GST ASMT-14** containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis and after allowing a time of fifteen days to such person to furnish his reply, if any, pass an order in **FORM GST ASMT-15**.
- (3) The order of summary assessment under sub-section (1) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-16.**
- (4) The person referred to in sub-section (2) of section 64 may file an application for withdrawal of the summary assessment order in **FORM GST ASMT-17**.
- (5) The order of withdrawal or, as the case may be, rejection of the application under sub-section (2) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-18**.
- **101. Audit.-** (1) The period of audit to be conducted under sub-section (1) of section 65 shall be a financial year or multiples thereof.
- (2) Where it is decided to undertake the audit of a registered person in accordance with the provisions of section 65, the proper officer shall issue a notice in **FORM GST ADT-01** in accordance with the provisions of sub-section (3) of the said section.
- (3) The proper officer authorised to conduct audit of the records and the books of account of the registered person shall, with the assistance of the team of officers and officials accompanying him, verify the documents on the basis of which the books of account are maintained and the returns and statements furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder, the correctness of the turnover, exemptions and deductions claimed, the rate of tax applied in respect of the supply of goods or services or both, the input tax credit availed and utilised, refund claimed, and other relevant issues and record the observations in his audit notes.

- (4) The proper officer may inform the registered person of the discrepancies noticed, if any, as observed in the audit and the said person may file his reply and the proper officer shall finalise the findings of the audit after due consideration of the reply furnished.
- (5) On conclusion of the audit, the proper officer shall inform the findings of audit to the registered person in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 65 in **FORM GST ADT-02**.
- **102. Special Audit.-** (1) Where special audit is required to be conducted in accordance with the provisions of section 66, the officer referred to in the said section shall issue a direction in **FORM GST ADT-03** to the registered person to get his records audited by a chartered accountant or a cost accountant specified in the said direction.
- (2) On conclusion of the special audit, the registered person shall be informed of the findings of the special audit in **FORM GST ADT-04.**

Chapter - XII

#### Advance Ruling

- **103.** Qualification and appointment of members of the Authority for Advance Ruling.-The Central Government and the State Government shall appoint officer of the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.
- **104.** Form and manner of application to the Authority for Advance Ruling.- (1) An application for obtaining an advance ruling under sub-section (1) of section 97 shall be made on the common portal in **FORM GST ARA-01** and shall be accompanied by a fee of five thousand rupees, to be deposited in the manner specified in section 49.
- (2) The application referred to in sub-rule (1), the verification contained therein and all the relevant documents accompanying such application shall be signed in the manner specified in rule 26.
- **105.** Certification of copies of advance rulings pronounced by the Authority.- A copy of the advance ruling shall be certified to be a true copy of its original by any member of the Authority for Advance Ruling.
- **106.** Form and manner of appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling. (1) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by an applicant on the common portal in **FORM GST ARA-02** and shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees to be deposited in the manner specified in section 49.
- (2) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by the concerned officer or the jurisdictional officer referred to in section 100 on the common portal in **FORM GST ARA-03** and no fee shall be payable by the said officer for filing the appeal.
- (3) The appeal referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2), the verification contained therein and all the relevant documents accompanying such appeal shall be signed,-
  - (a) in the case of the concerned officer or jurisdictional officer, by an officer authorised in writing by such officer; and
  - (b) in the case of an applicant, in the manner specified in rule 26.
- **107.** Certification of copies of the advance rulings pronounced by the Appellate Authority. A copy of the advance ruling pronounced by the Appellate Authority for Advance Ruling and duly signed by the Members shall be sent to-
  - (a) the applicant and the appellant;
  - (b) the concerned officer of central tax and State or Union territory tax;
  - (c) the jurisdictional officer of central tax and State or Union territory tax; and
  - (d) the Authority,

in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 101 of the Act.

Chapter - XIII

Appeals and Revision

- **108. Appeal to the Appellate Authority.-** (1) An appeal to the Appellate Authority under sub-section (1) of section 107 shall be filed in **FORM GST APL-01**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner, and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.
- (2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in **FORM GST APL-01** shall be signed in the manner specified in rule 26.
- (3) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the appeal under sub-rule (1) and a final acknowledgement, indicating appeal number shall be issued thereafter in **FORM GST APL-02** by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf:

Provided that where the certified copy of the decision or order is submitted within seven days from the date of filing the **FORM GST APL-01**, the date of filing of the appeal shall be the date of the issue of the provisional acknowledgement and where the said copy is submitted after seven days, the date of filing of the appeal shall be the date of the submission of such copy.

Explanation.— For the provisions of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

- **109. Application to the Appellate Authority.-** (1) An application to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 107 shall be made in **FORM GST APL-03**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner.
- (2) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of the filing the application under sub-rule (1) and an appeal number shall be generated by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf.
- **110. Appeal to the Appellate Tribunal.-** (1) An appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 112 shall be filed along with the relevant documents either electronically or otherwise as may be notified by the Registrar, in **FORM GST APL-05**, on the common portal and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.
- (2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112 shall be filed either electronically or otherwise as may be notified by the Registrar, in **FORM GST APL-06**.
- (3) The appeal and the memorandum of cross objections shall be signed in the manner specified in rule 26.
- (4) A certified copy of the decision or order appealed against along with fees as specified in sub-rule (5) shall be submitted to the Registrar within seven days of the filing of the appeal under sub-rule (1) and a final acknowledgement, indicating the appeal number shall be issued thereafter in **FORM GST APL-02** by the Registrar:

Provided that where the certified copy of the decision or order is submitted within seven days from the date of filing the **FORM GST APL-05**, the date of filing of the appeal shall be the date of the issue of the provisional acknowledgement and where the said copy is submitted after seven days, the date of filing of the appeal shall be the date of the submission of such copy.

*Explanation.*— For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number is issued.

- (5) The fees for filing of appeal or restoration of appeal shall be one thousand rupees for every one lakh rupees of tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in the order appealed against, subject to a maximum of twenty five thousand rupees.
- (6) There shall be no fee for application made before the Appellate Tribunal for rectification of errors referred to in sub-section (10) of section 112.
- **111. Application to the Appellate Tribunal.-** (1) An application to the Appellate Tribunal under sub-section (3) of section 112 shall be made electronically or otherwise, in **FORM GST APL-07**, along with the relevant documents on the common portal.
- (2) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the application under sub-rule (1) and an appeal number shall be generated by the Registrar.

- 112. Production of additional evidence before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal. (1) The appellant shall not be allowed to produce before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceedings before the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority except in the following circumstances, namely:-
  - (a) where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or
  - (b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority; or
  - (c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority any evidence which is relevant to any ground of appeal; or
  - (d) where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.
  - (2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Appellate Authority or the Appellate Tribunal records in writing the reasons for its admission.
  - (3) The Appellate Authority or the Appellate Tribunal shall not take any evidence produced under sub-rule (1) unless the adjudicating authority or an officer authorised in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity -
    - (a) to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant; or
    - (b) to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant under sub-rule (1).
  - (4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable it to dispose of the appeal.
- **113. Order of Appellate Authority or Appellate Tribunal.-** (1) The Appellate Authority shall, along with its order under sub-section (11) of section 107, issue a summary of the order in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed.
- (2) The jurisdictional officer shall issue a statement in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed by the Appellate Tribunal.
- **114. Appeal to the High Court.-** (1) An appeal to the High Court under sub-section (1) of section 117 shall be filed in **FORM GST APL-08**.
- (2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in **FORM GST APL-08** shall be signed in the manner specified in rule 26.
- **115. Demand confirmed by the Court.-** The jurisdictional officer shall issue a statement in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court.
- **116.** Disqualification for misconduct of an authorised representative. Where an authorised representative, other than those referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 116 is found, upon an enquiry into the matter, guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the Commissioner may, after providing him an opportunity of being heard, disqualify him from appearing as an authorised representative.

#### Chapter XIV

#### **Transitional Provisions**

117. Tax or duty credit carried forward under any existing law or on goods held in stock on the appointed day.

(1) Every registered person entitled to take credit of input tax under section 140 shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in FORM GST TRAN-1, duly signed, on the common portal specifying therein, separately, the amount of input tax credit to which he is entitled under the provisions of the said section:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the period of ninety days by a further period not exceeding ninety days.

Provided further that where the inputs have been received from an Export Oriented Unit or a unit located in Electronic Hardware Technology Park, the credit shall be allowed to the extent as provided in subrule (7) of rule 3 of the CENVAT Credit Rules, 2004.

- (2) Every declaration under sub-rule (1) shall-
- (a) in the case of a claim under sub-section (2) of section 140, specify separately the following particulars in respect of every item of capital goods as on the appointed day-
  - (i) the amount of tax or duty availed or utilized by way of input tax credit under each of the existing laws till the appointed day; and
  - (ii) the amount of tax or duty yet to be availed or utilized by way of input tax credit under each of the existing laws till the appointed day;
- (b) in the case of a claim under sub-section (3) or clause (b) of sub-section (4) or sub-section (6) or sub-section (8) of section 140, specify separately the details of stock held on the appointed day;
  - (c) in the case of a claim under sub-section (5) of section 140, furnish the following details, namely:—
    - (i) the name of the supplier, serial number and date of issue of the invoice by the supplier or any document on the basis of which credit of input tax was admissible under the existing law;
    - (ii) the description and value of the goods or services;
    - (iii) the quantity in case of goods and the unit or unit quantity code thereof;
    - (iv) the amount of eligible taxes and duties or, as the case may be, the value added tax [or entry tax] charged by the supplier in respect of the goods or services; and
    - (v) the date on which the receipt of goods or services is entered in the books of account of the recipient.
- (3) The amount of credit specified in the application in **FORM GST TRAN-1** shall be credited to the electronic credit ledger of the applicant maintained in **FORM GST PMT-2** on the common portal.
- (4) (a) (i) A registered person who was not registered under the existing law shall, in accordance with the proviso to sub-section (3) of section 140, be allowed to avail of input tax credit on goods (on which the duty of central excise or, as the case may be, additional duties of customs under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, is leviable) held in stock on the appointed day in respect of which he is not in possession of any document evidencing payment of central excise duty.
- (ii) The input tax credit referred to in sub-clause (i) shall be allowed at the rate of sixty per cent. on such goods which attract central tax at the rate of nine per cent. or more and forty per cent. for other goods of the central tax applicable on supply of such goods after the appointed date and shall be credited after the central tax payable on such supply has been paid:

Provided that where integrated tax is paid on such goods, the amount of credit shall be allowed at the rate of thirty per cent. and twenty per cent. respectively of the said tax;

- (iii) The scheme shall be available for six tax periods from the appointed date.
- (b) The credit of central tax shall be availed subject to satisfying the following conditions, namely:-
- (i) such goods were not unconditionally exempt from the whole of the duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 or were not nil rated in the said Schedule;
  - $(ii)\ the\ document\ for\ procurement\ of\ such\ goods\ is\ available\ with\ the\ registered\ person;$
- (iii) the registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2), submits a statement in **FORM GST TRAN 2** at the end of each of the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein, the details of supplies of such goods effected during the tax period;
- (iv) the amount of credit allowed shall be credited to the electronic credit ledger of the applicant maintained in **FORM GST PMT-2** on the common portal; and

- (v) the stock of goods on which the credit is availed is so stored that it can be easily identified by the registered person.
- 118. Declaration to be made under clause (c) of sub-section (11) of section 142.- Every person to whom the provision of clause (c) of sub-section (11) of section 142 applies, shall within a period of ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** furnishing the proportion of supply on which Value Added Tax or service tax has been paid before the appointed day but the supply is made after the appointed day, and the Input Tax Credit admissible thereon.
- **119. Declaration of stock held by a principal and agent.-** Every person to whom the provisions of section 141 apply shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1**, specifying therein, the stock of the inputs, semi-finished goods or finished goods, as applicable, held by him on the appointed day.
- **120. Details of goods sent on approval basis.-** Every person having sent goods on approval under the existing law and to whom sub-section (12) of section 142 applies shall, within ninety days of the appointed day, submit details of such goods sent on approval in **FORM GST TRAN-1**.
- **121. Recovery of credit wrongly availed.-** The amount credited under sub-rule (3) of rule 117 may be verified and proceedings under section 73 or, as the case may be, section 74 shall be initiated in respect of any credit wrongly availed, whether wholly or partly.

#### Chapter XV

#### Anti-Profiteering

- 122. Constitution of the Authority.- The Authority shall consist of,-
  - (a) a Chairman who holds or has held a post equivalent in rank to a Secretary to the Government of India; and
  - (b) four Technical Members who are or have been Commissioners of State tax or central tax or have held an equivalent post under the existing law,

to be nominated by the Council.

- **123.** Constitution of the Standing Committee and Screening Committees.- (1) The Council may constitute a Standing Committee on Anti-profiteering which shall consist of such officers of the State Government and Central Government as may be nominated by it.
- (2) A State level Screening Committee shall be constituted in each State by the State Governments which shall consist of-
  - (a) one officer of the State Government, to be nominated by the Commissioner, and
  - (b) one officer of the Central Government, to be nominated by the Chief Commissioner.
- **124.** Appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority:- (1) The Chairman and Members of the Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee to be constituted for the purpose by the Council.
  - (2) The Chairman shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay:
    - Provided that where a retired officer is selected as a Chairman, he shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 reduced by the amount of pension.
  - (3) The Technical Member shall be paid a monthly salary of Rs. 2,05,400 (fixed) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay:

Provided that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary of Rs. 2,05,400 reduced by the amount of pension.

- (4) The Chairman shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty- five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:
  - Provided that person shall not be selected as the Chairman, if he has attained the age of sixty-two years.
- (5) The Technical Member of the Authority shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:

Provided that person shall not be selected as a Technical Member if he has attained the age of sixty-two years.

- **125. Secretary to the Authority.-** The Additional Director General of Safeguards under the Board shall be the Secretary to the Authority.
- **126. Power to determine the methodology and procedure.** The Authority may determine the methodology and procedure for determination as to whether the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit has been passed on by the registered person to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- **127. Duties of the Authority.** It shall be the duty of the Authority,-
  - (i) to determine whether any reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
  - (ii) to identify the registered person who has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
  - (iii) to order,
    - (a) reduction in prices;
    - (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of the higher amount till the date of the return of such amount or recovery of the amount not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable, and depositing the same in the Fund referred to in section 57;
    - (c) imposition of penalty as specified in the Act; and
    - (d) cancellation of registration under the Act.
- **128. Examination of application by the Standing Committee and Screening Committee.-** (1) The Standing Committee shall, within a period of two months from the date of the receipt of a written application, in such form and manner as may be specified by it, from an interested party or from a Commissioner or any other person, examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is *prima-facie* evidence to support the claim of the applicant that the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit has not been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (2) All applications from interested parties on issues of local nature shall first be examined by the State level Screening Committee and the Screening Committee shall, upon being satisfied that the supplier has contravened the provisions of section 171, forward the application with its recommendations to the Standing Committee for further action.
- **129. Initiation and conduct of proceedings.-** (1) Where the Standing Committee is satisfied that there is a *prima-facie* evidence to show that the supplier has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, it shall refer the matter to the Director General of Safeguards for a detailed investigation.
- (2) The Director General of Safeguards shall conduct investigation and collect evidence necessary to determine whether the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (3) The Director General of Safeguards shall, before initiation of the investigation, issue a notice to the interested parties containing, *inter alia*, information on the following, namely:-
  - (a) the description of the goods or services in respect of which the proceedings have been initiated;
  - (b) summary of the statement of facts on which the allegations are based; and

- (c) the time limit allowed to the interested parties and other persons who may have information related to the proceedings for furnishing their reply.
- (4) The Director General of Safeguards may also issue notices to such other persons as deemed fit for a fair enquiry into the matter.
- (5) The Director General of Safeguards shall make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the proceedings.
- (6) The Director General of Safeguards shall complete the investigation within a period of three months of the receipt of the reference from the Standing Committee or within such extended period not exceeding a further period of three months for reasons to be recorded in writing as allowed by the Standing Committee and, upon completion of the investigation, furnish to the Authority, a report of its findings along with the relevant records.
- **130. Confidentiality of information.-** (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (3) and (5) of rule 129 and sub-rule (2) of rule 133, the provisions of section 11 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), shall apply *mutatis mutandis* to the disclosure of any information which is provided on a confidential basis.
- (2) The Director General of Safeguards may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, the said information cannot be summarised, such party may submit to the Director General of Safeguards a statement of reasons as to why summarisation is not possible.
- **131.** Cooperation with other agencies or statutory authorities.- Where the Director General of Safeguards deems fit, he may seek opinion of any other agency or statutory authorities in the discharge of his duties.
- 132. Power to summon persons to give evidence and produce documents.- (1) The Director General of Safeguards, or an officer authorised by him in this behalf, shall be deemed to be the proper officer to exercise the power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing under section 70 and shall have power in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
- (2) Every such inquiry referred to in sub-rule (1) shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
- 133. Order of the Authority.- (1) The Authority shall, within a period of three months from the date of the receipt of the report from the Director General of Safeguards determine whether a registered person has passed on the benefit of the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (2) An opportunity of hearing shall be granted to the interested parties by the Authority where any request is received in writing from such interested parties.
- (3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order-
  - (a) reduction in prices;
  - (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of the higher amount till the date of the return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable, and depositing the same in the Fund referred to in section 57;
  - (c) imposition of penalty as specified under the Act; and
  - (d) cancellation of registration under the Act.
- **134. Decision to be taken by the majority.-** If the Members of the Authority differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority.
- 135. Compliance by the registered person.- Any order passed by the Authority under these rules shall be immediately complied with by the registered person failing which action shall be initiated to recover the amount in accordance with the provisions of the Integrated Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union territory Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act of the respective States, as the case may be.

- **136. Monitoring of the order.-** The Authority may require any authority of central tax, State tax or Union territory tax to monitor the implementation of the order passed by it.
- **137. Tenure of Authority.-** The Authority shall cease to exist after the expiry of two years from the date on which the Chairman enters upon his office unless the Council recommends otherwise.

Explanation.- For the purposes of this Chapter,

- (a) "Authority" means the National Anti-profiteering Authority constituted under rule 122;
- (b) "Committee" means the Standing Committee on Anti-profiteering constituted by the Council in terms of sub-rule (1) of rule 123 of these rules;
- (c) "interested party" includes
  - a. suppliers of goods or services under the proceedings; and
  - b. recipients of goods or services under the proceedings;
- (d) "Screening Committee" means the State level Screening Committee constituted in terms of sub-rule (2) of rule 123 of these rules.

Chapter XVI

E-way Rules

**138.** E-way rule.- Till such time as an E-way bill system is developed and approved by the Council, the Government may, by notification, specify the documents that the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods shall carry while the goods are in movement or in transit storage.

## Form GST ITC - 01

[See rule 40(1)]

Declaration for claim of input tax credit under sub-section (1) of section 18

Claim made under	
Section 18 (1)(a)	
Section 18 (1)(b)	
Section 18 (1)(c)	
Section 18 (1)(d)	

1.	GSTIN
2.	Legal name
3.	Trade name, if any
4.	Date from which liability to pay tax arises under section 9, except section 9 (3) and section 9 (4)
	[For claim under section 18 (1)(a) and section 18 (1)(c))]
5.	Date of grant of voluntary registration
	[For claim made under section 18 (1)(b)]
6.	Date on which goods or services becomes taxable
	[For claim made under section 18 (1)(d)]

#### 7. Claim under section 18 (1) (a) or section 18 (1) (b)

Details of stock of inputs and inputs contained in semi-finished goods or finished goods on which ITC is claimed

Sr. GSTIN/ Registration under CX/	Registration	Invoice *		Description of inputs held in	Unit Quantity		(As adjusted	Amount of ITC claimed (Rs.)				
No.	VAT of supplier	No.	Date	stock, inputs contained in semi- finished or finished goods held in stock	Code (UQC)		by debit note/credit note)	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 (a)	Inputs held in	stock										
7 (b)	Inputs contain	ed in s	emi-fin	ished or finish	ed goods he	eld in stock						

<sup>\*</sup>In case it is not feasible to identify invoice, the principle of first-in-first out may be followed.

#### 8. Claim under section 18 (1) (c) or section 18 (1)(d)

Details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished goods or finished goods and capital goods on which ITC is claimed

Sr.	GSTIN/	Invoice */	Description	Unit	Qty	Value**	Amount of ITC claimed (Rs.)
	Registration under CX/	Bill of	of inputs held in	Quantity		(As	
	under CA/	entry	neid iii	Code		adjusted	

No.	VAT of			stock,	(UQC)		by debit					
	supplier			inputs			note/credit					
		No.	Date	contained			note)	Central	State	UT	Integrated	Cess
		110.	Date	in semi-			,	Tax	Tax	Tax	Tax	CC55
				finished or				1 ax	тах	тах	1 ax	
				finished								
				goods held								
				in stock,								
				capital								
				goods								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	_	3	O	,	O		10	11	12	13
8 (a)	Inputs held in	stock	1	L		Į						
. ,	1		1			l						
8 (b)	Inputs containe	ed in s	emi-fin	ished or finish	ed goods he	ld in s	tock					
8 (c)	Capital goods	in stoc	k	l	ı	I					1	
			1								T	
			l		l	l		1			I	

<sup>\*</sup> In case it is not feasible to identify invoice, principle of first in and first out may be followed.

declare that the information given

- 9. Particulars of certifying Chartered Accountant or Cost Accountant [where applicable]
- a) Name of the Firm issuing certificate
- b) Name of the certifying Chartered Accountant/Cost Accountant
- c) Membership number

10. Verification

- d) Date of issuance of certificate
- e) Attachment (option for uploading certificate)

	hereby solemnly affirm and declare that the information y knowledge and belief and nothing has been concealed there from.
Signature of authorised signatory	
Name	
Designation/Status	<del>_</del>
Date dd/mm/yyyy	

<sup>\*\*</sup> The value of capital goods shall be the invoice value reduced by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of invoice

#### Form GST ITC -02

[See rule - 41(1)]

Declaration for transfer of ITC in case of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of a business under sub-section (3) of section 18

1.	GSTIN of transferor	
2.	Legal name of transferor	
3.	Trade name, if any	
4.	GSTIN of transferee	
5.	Legal name of transferee	
6.	Trade name, if any	

#### 7. Details of ITC to be transferred

Tax	Amount of matched ITC available	Amount of matched ITC to be transferred
1	2	3
Central Tax		
State Tax		
UT Tax		
Integrated Tax		
Cess		

- 8. Particulars of certifying Chartered Accountant or Cost Accountant
- a) Name of the Firm issuing certificate
- b) Name of the certifying Chartered Accountant/Cost Accountant
- c) Membership number
- d) Date of issuance of certificate to the transferor
- e) Attachment (option for uploading certificate)

9. Verification	
I hereby hereinabove is true and correct to the best of my knowledge a	y solemnly affirm and declare that the information given and belief and nothing has been concealed there from.
Signature of authorised signatory	
Name	
Designation/Status	
Date dd/mm/yyyy	
Form GST	ITC -03
[See rule	44(4)]
Declaration for intimation of ITC reversal/payment of the finished and finished goods held in stock and capital good	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. GSTIN		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4(a). Details of application filed to opt for composition scheme	(i) Application reference number (ARN)	
[ applicable only for section 18 (4)]	(ii) Date of filing	
4(b). Date from which exemption is effective		
[ applicable only for section 18 (4)]		

5. Details of stock of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, and capital goods on which input tax credit is required to be paid under section 18(4).

Sr. No.	Registration	egistration /Bill of entry			Unit Quantity Code (UQC)	Qty	Value**  (As adjusted by debit	Amount of ITC claimed (Rs.)				
	supplier	No.	Date	inputs contained in semi- finished or finished goods held in stock and capital goods			note/credit note)	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 (a)	Inputs held in	stock (	where i	nvoice is avail	able)							

5 (b)	Inputs contain	ied in s	semi-fin	ished and f	inished goods	held in	stock (where	invoice a	vailable	;) 		
5 (c)	Capital goods	held in	n stock (	where invo	oice available)						<u> </u>	
5 (d)	Inputs held in	stock	and as c	ontained in	semi-finished	l /finisl	ned goods hel	d in stock	( where	invoic	e not availab	ole)
(e)	Capital goods	held in	n stock (	where invo	oice not availal	ble)						

<sup>\* (1)</sup> In case, it is not feasible to identify invoice, the principle of first in first out may be followed.

## 6. Amount of ITC payable and paid (based on table 5)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/ Credit Ledger	Debit entry No.	Central Tax		nt of ITC p standard UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Central Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
2.	State Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
3.	UT Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
			Cash Ledger						
4.	Integrated Tax		Credit Ledger						
5.	CESS		Cash Ledger						-
			Credit Ledger						

<sup>(2)</sup> If Invoice is not available for certain inputs or capital goods, the value shall be estimated based on prevailing market price.

<sup>\*\*</sup> The value of capital goods shall be the invoice value reduced by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of invoice.

	-11//11 -1	// (1917 · 6	1/1191/1					203
natory								
		C C TT						
		See rule –	45(3)]					
of goods/capital go	oods s	ent to job	worker	and received b	ack			
•								
Quarter -			Year -					
al goods sent for jol	b-worl	k						
	UQC	Quantity				Rate of	tax (%)	
or goods			vaiue	goods)	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
	of goods/capital goods sent for job	rect to the best of my known atory  For [5]  of goods/capital goods so a goods/capital goods so a goods sent for job-work all an Description UQC	Form GST I  [See rule - 4  of goods/capital goods sent to job  ny -  Quarter -  al goods sent for job-work	Form GST ITC-04  [See rule – 45(3)]  of goods/capital goods sent to job worker  all goods sent for job-work  [See rule – Year -	Form GST ITC-04  [See rule – 45(3)]  of goods/capital goods sent to job worker and received be all goods sent for job-work  allan Description   UQC   Quantity   Taxable   Type of goods   (Inputs/capital inputs/capital inputs/capital inputs/capital inputs/capital inputs/capital   Inputs/capital	Form GST ITC-04  [See rule – 45(3)]  of goods/capital goods sent to job worker and received back  Tyear -  all goods sent for job-work  allan Description   UQC   Quantity   Taxable   Type of goods   Central	Form GST ITC-04  [See rule – 45(3)]  of goods/capital goods sent to job worker and received back  Ty –  Quarter -  Year -  al goods sent for job-work  Taxable Type of goods   Rate of late   Of goods   Rate of late   Of goods   Value   Central state   UT	Form GST ITC-04  [See rule – 45(3)]  of goods/capital goods sent to job worker and received back  1y –  Quarter - Year -  all goods sent for job-work  allan Description UQC Quantity Taxable Value (Inputs/capital goods)    Taxable Value (Inputs/capital goods)   Central State/ Integrated tax   Central State/ UT   Central State

GSTIN	Challan	Challan	Description	UQC	Quantity	Taxable	Type of goods		Rate of	tax (%)	
/ State in	No.	date	of goods			value	(Inputs/capital				
case of							goods)	Central	State/	Integrated	Cess
unregistered								tax	UT	tax	
job-worker									tax		
3											
1	2	2	4	-	-	7	0	0	10	1.1	10
1	2	3	4	3	6	/	8	9	10	11	12

5. Details of inputs/capital goods received back from job worker or sent out from business place of job-work

GSTIN /	Received	Original	Original	C	halla	n details if		Invoice	Description	UQC	Quantity	Taxable
State of job	back/sent	challan	challan	se	nt to			ails in case				value
worker if	out to	No.	date		W	orker	supplied from					
unregistered	another						pr	emises of				
	job						job worker					
	worker/ supplied from premises of job worker			No.		GSTIN/ State if job worker unregistered		Date				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

#### 6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

	Signature
Place	Name of Authorised Signatory
Date	Designation /Status

#### Form GST ENR-01

[See rule 58(1)]

## Application for Enrolment u/s 35 (2)

[only for un-registered persons]

1.	(a) Legal name			
	(b) Trade Name, if any			
	(c) PAN			
	(d) Aadhaar (applicable in case o proprietorship concerns only)	f		
2.	Type of enrolment			
	Transporter Godown or	wner /	operator Warehouse owner /operator	
	Cold storage owner /operator		$\supset$	
3.	Constitution of Business (Please	Select	the Appropriate)	
(i) Prop	rietorship		(ii) Partnership	
(iii) Hir	ndu Undivided Family		(iv) Private Limited Company	
(v) Pub	lic Limited Company		(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	
(vii) Go	overnment Department		(viii) Public Sector Undertaking	
(ix) Unl	limited Company		(x) Limited Liability Partnership	
(xi) Loc	cal Authority		(xii) Statutory Body	

(xiii) F Partnershi	Foreign p	Limited	Liability		(xiv) F	oreign	Com	pany Reg	gistered (	(in Indi	ia)					
(xv) Othe	ers (Please	specify)														
4.	Name o	f the State	2					Ι	District						•	
5.	Jurisdic	tion detail	[													
	Centre							S	State							
6.	Date of	commend	ement of bu	siness	S											
7.	Particul	ars of Pri	ncipal Place	of Bu	isiness											
(a)	Address	S														
Building N	No./Flat N	0.					Floo	r No.								
Name of the Premises/I						Road	d/Street									
City/Town	n/Locality	/Village					Dist	rict								
Taluka/Blo	ock															
State							PIN	Code								
Latitude	;						Long	gitude								
(b)	Contact Information															
Office E-n	nail Addr	ess				Offi	ce Te	lephone r	number	S	TD					
Mobile Nu	umber			Office Fax Nur			x Numbe	r	S	STD						
(c)	Nature o	f premises	S													
Ow	/n	Lo	eased	Rented			Conse	onsent Shared Others (s						ify)		
(d)	Nature o	f business	activity beir	ng car	ried out a	at abov	ve me	ntioned p	remises	(Please	e tick	applic	cable)			
Warehouse	e/Depot			Go	down				Reta	il Busi	ness					
Office/ Sa	le Office			Col	ld Storag	e			Tran	ervic	es					
Others (Sp	pecify)															
	Details of a	additional	place of	Ad	d for add	itional	place	e(s) of bu	siness, if	fany						
D	usiness			(Fil	ll up the	same i	nform	ation as i	in item 7	7 [(a), (	b), (c	e) & (d	)]			
9. D	Details of I	Bank Acco	ounts (s)													
			nts maintaine	d by	the appli	cant fo	or con	ducting b	ousiness							
(Upto 10 E	Bank Acco	ounts to be	reported)													
Deta	ils of Ban	k Accoun	t 1													
Account N	Jumber															
Type of Account																I
Type of A				I				IFSC	2			I	1	1	1	
Type of Ad Bank Nam	ccount				<u> </u>			IFSC	C	•			·	ı		

Note – Add more accounts -----

10. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

Particulars	First Name		Middle Name	Last Name
Name				
Photo				
Name of Father				
Date of Birth	DD/MM/YYYY		Gender	<male, female,="" other=""></male,>
Mobile Number			E-mail address	
Telephone No. with STD				
Designation /Status		Dire any)	ector Identification Number	r (if
PAN		Aad	haar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No.	Pass	sport No. (in case of foreig	ners)
Residential Address				
Building No./Flat No.		Floo	or No.	
Name of the Premises/Building		Roa	d/Street	
City/Town/Locality/Village		Dist	rict	
Block/Taluka				
State		PIN	Code	
Country (in case of foreigner only)		ZIP	code	

11.	Details of Authorised Signatory

Particulars	First Name	Middle Na	me	Last Nam	ne
Name					
Photo		•			
Name of Father					
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender		<male, fe<="" td=""><td>emale, Other&gt;</td></male,>	emale, Other>
Mobile Number		E-mail add	ress		
Telephone No. with STD					
Designation /Status			Director Identificat	ion	
			Number (if any)		
PAN			Aadhaar Number		

Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address in India			
Building No./Flat No.		Floor No.	
Name of the Premises/Buildin	ng	Road/Street	
Block/Taluka			
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Goods and Services Tax Netw Tax Network" has informed me	vork" to obtain my details e that identity information	ed based on Aadhaar number prov from UIDAI for the purpose of au would only be used for validating i ly for the purpose of authentication	thentication. "Goods and Services identity of the Aadhaar holder and
	of)	Formation given herein above is tru led therefrom. Signature	ue and correct to the best of my
		Signature	
Place:		Name of Authorised Signatory	
Date:		Designation/Status	
For office use –			
Enrolment No	Date -		
		Form GSTR-1	
	[See r	ule (59(1)]	
	Details of or	utward supplies of goods or servic	ees
			Year Month
1. GSTIN	<del></del>		

2	2.	(a)	Legal name of the registered person							
		(b)	Trade name, if any							
3	3.	(a)	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year							
		(b)	Aggregate Turnover - April to June, 2017							

#### 

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN/	In	voice d	etails	Rate	Taxable		Amo	unt		Place of	
UIN	No.	Date	Value		value	Integrated	Central	State / UT	Cess	Supply	
						Tax	Tax	Tax		(Name of State/UT)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4A. Suj	oplies o	ther tha	n those (	i) attracti	ing reverse	charge and (ii)	supplies ma	de through e-	commerce	operator	
4B. Sup	plies at	tracting	tax on rev	erse cha	rge basis	<del>,</del>					
4C. Sup	pplies n	nade thr	ough e-co	mmerce	operator att	racting TCS (c	perator wise	e, rate wise)			
GSTIN o	f e-com	imerce (	operator								
					_	_	_				

## 5. Taxable outward inter-State supplies to un-registered persons where the invoice value is more than Rs 2.5 lakh

Place of Supply	In	voice det	ails	Rate	Taxable Value	Amount		
(State/UT)	No.	Date	Value		value	Integrated Tax	Cess	
1	2	3	4	5 6		7	8	
5A. Outward supp	plies (oth	er than su	pplies mad	le through e-	-commerce o	operator, rate wise)		
5B. Supplies mad	e through	n e-comm	erce opera	tor attracting	TCS (opera	ator wise, rate wise)		
GSTIN of e-com	nerce ope	erator						

# 6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details				bill/Bill of kport	Integrated Tax		
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6A. Exports	L		I.			l	1	
6B. Supplies made to SE2	Z unit or	SEZ De	eveloper			I		
6C. Deemed exports	6C. Deemed exports					•		

# 7. Taxable supplies (Net of debit notes and credit notes) to unregistered persons other than the supplies covered in Table 5

Rate of tax	Total Taxable value		A	Amount	
	value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
7A. Intra-State supplies		'	<u> </u>		•
7A (1). Consolidated rate with	se outward supplies	[including supplie	es made through	e-commerce operator at	tracting TCS]
7A (2). Out of supplies mention (operator wise, rate wise)	oned at 7A(1), value	of supplies made	through e-Com	merce Operators attraction	ng TCS
GSTIN of e-commerce operat	or				
7B. Inter-State Supplies whe	re invoice value is up	pto Rs 2.5 Lakh [	Rate wise]		
7B (1). Place of Supply (Nam	ne of State)				
7B (2). Out of the supplies m wise)	nentioned in 7B (1), t	the supplies made	through e-Con	nmerce Operators (opera	tor wise, rate
GSTIN of e-commerce operat	or				

## 8. Nil rated, exempted and non-GST outward supplies

Description	Nil Rated Supplies	Exempted (Other than Nil rated/non-GST supply)	Non-GST supplies
1	2	3	4

8A. Inter-State supplies to registered persons		
8B. Intra- State supplies to registered persons		
8C. Inter-State supplies to unregistered persons		
8D. Intra-State supplies to unregistered persons		

9. Amendments to taxable outward supply details furnished in returns for earlier tax periods in Table 4, 5 and 6 [including debit notes, credit notes, refund vouchers issued during current period and amendments thereof]

Details	of ori	ginal	Revised details of document or details			Rate	Taxable		Amou	ınt		Place of			
doc	cumen	t	of original Debit/Credit Notes or refund				Value					supply			
				vouchers											
GSTIN	Inv.	Inv.	GSTIN	Inv	oice	Shij	ping bill	Value			Integrated	Central	State /	Cess	
	No.	Date		No.	Date	No.	Date				Tax	Tax	UT Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9A. If	9A. If the invoice/Shipping bill details furnished earlier v				earlier v	vere in	correct								
9B. De	ebit N	otes/0	Credit N	otes	/Refur	nd vo	oucher [or	iginal]							
9C. De	9C. Debit Notes/Credit Notes/Refund voucher [amendments					nts the	reof]								

# 10. Amendments to taxable outward supplies to unregistered persons furnished in returns for earlier tax periods in Table 7

Rate of tax	Total Taxable	Amount						
	value	Integrated	Central Tax	State/UT Tax	Cess			
1	2	3	4	5	6			
Tax period for which the de revised	tails are being	<month></month>						
10A. Intra-State Supplies [inc	cluding supplies mad	de through e-cor	nmerce operate	or attracting TCS] [Rate	wise]			
10A (1). Out of supplies men (operator wise, Rate Wise)	tioned at 10A, value	e of supplies ma	de through e-C	Commerce Operators att	racting TCS			
GSTIN of e-commerce opera	tor							
10B. Inter-State Supplies [in	ncluding supplies ma	ade through e-co	ommerce opera	tor attracting TCS] [Rat	e wise]			
Place of Supply (Name of S	tate)							

	Out of sup		tioned at 1	0B, value	of supplie	es made thi	oug	h e-Comme	erce Operat	ors attractin	g TCS
GSTIN o	of e-comm	erce opera	itor								
			1			I				I	
			of Advand in earlier			nce adjus	ted i	n the curre	ent tax per	iod/ Ameno	lments of
Rate		Advance	Place of	supply				Amou	ınt		
	Receive	d/adjusted	(Name o	f State I	ntegrated	Central	St	ate/UT Tax		Cess	
1		2	3		4	5		6		7	
I Infor	mation fo	r the curr	ent tax pe	riod							
	Advance a x liability		eived in the	e tax perio	od for whi	ch invoice	has	not been iss	sued (tax ar	nount to be	added to
11A (1).	Intra-Sta	ite supplies	s (Rate Wi	se)							
11A (2).	Inter-Sta	ite Supplie	s (Rate Wi	se)			1				
11D A		, .	1. 1		. 1 1	1' . 1	<u> </u>	.1 1:	1 . 1		
	dvance an os. 4, 5, 6		ved in earl	ier tax pei	riod and ac	ajusted aga	unst	the supplies	s being sho	wn in this ta	ix period in
11B (1).	Intra-Stat	te Supplies	(Rate Wis	se)							
11B (2).	Inter-Stat	te Supplies	(Rate Wis	se)							
		f <b>informat</b> nformation		hed in Ta	able No. 1	1[1] in GS	STR	-1 statemer	nt for earli	er tax perio	ods
Month					ng to inform	mation furi	nishe	ed in S.	11A(1) 1	1A(2) 11B	(1) 11B(2)
			No.(selec	t)			1				
12. HSN-	wise sum	mary of o	utward su	pplies							
Sr. No.	HSN		_						Am	nount	
		(Option if HSN		Quantit	y value			Integrated	Central	State/UT	Cess
		provide	l l			Valu	ie	Tax	Tax	Tax	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
13. Docui	ments issu	ıed during	g the tax p	eriod						I	
Sr. No.		Nature of		Sr.	No.		Total	Cancelle	d Ne	t issued	
					From	То	1	number			

Sr. No.	Nature of document	Sr. 1	No.	Total	Cancelled	Net issued
		From	To	number		
1	2	3	4	5	6	7
1	Invoices for outward supply					
2	Invoices for inward supply from unregistered person					

3	Revised Invoice			
4	Debit Note			
5	Credit Note			
6	Receipt voucher			
7	Payment Voucher			
8	Refund voucher			
9	Delivery Challan for job work			
10	Delivery Challan for supply on approval			
11	Delivery Challan in case of liquid gas			
12	Delivery Challan in cases other than by way of supply (excluding at S. No. 9 to 11)			

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

	Signature
Place	Name of Authorised Signatory
Date	Designation /Status

#### Instructions -

- 1. Terms used:
  - a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b. UIN: Unique Identity Numberc. UQC: Unit Quantity Code
  - d. HSN: Harmonized System of Nomenclaturee. POS: Place of Supply (Respective State)
  - f. B to B: From one registered person to another registered person
  - g. B to C: From registered person to unregistered person
- 2. The details in GSTR-1 should be furnished by 10<sup>th</sup> of the month succeeding the relevant tax period.
- 3. Aggregate turnover of the taxpayer for the immediate preceding financial year and first quarter of the current financial year shall be reported in the preliminary information in Table 3. This information would be required to be submitted by the taxpayers only in the first year. Quarterly turnover information shall not be captured in subsequent returns. Aggregate turnover shall be auto-populated in subsequent years.
- 4. Invoice-level information pertaining to the tax period should be reported for all supplies as under:
  - (i) For all B to B supplies (whether inter-State or intra-State), invoice level details, rate-wise, should be uploaded in Table 4, including supplies attracting reverse charge and those effected through e-commerce operator. Outwards supply information in these categories are to be furnished separately in the Table.

- (ii) For all inter-State B to C supplies, where invoice value is more than Rs. 2,50,000/- (B to C Large) invoice level details, rate-wise, should be uploaded in Table 5; and
- (iii) For all B to C supplies (whether inter-State or intra-State) where invoice value is up to Rs. 2,50,000/- Statewise summary of supplies, rate-wise, should be uploaded in Table 7.
- 5. Table 4 capturing information relating to B to B supplies should:
  - (i) be captured in:
    - a. Table 4A for supplies relating to other than reverse charge/ made through e-commerce operator, rate-wise:
    - b. Table 4B for supplies attracting reverse charge, rate-wise; and
    - c. Table 4C relating to supplies effected through e-commerce operator attracting collection of tax at source under section 52 of the Act, operator wise and rate-wise.
  - (ii) Capture Place of Supply (PoS) only if the same is different from the location of the recipient.
- 6. Table 5 to capture information of B to C Large invoices and other information shall be similar to Table 4. The Place of Supply (PoS) column is mandatory in this table.
- 7. Table 6 to capture information related to:
  - (i) Exports out of India
  - (ii) Supplies to SEZ unit/ and SEZ developer
  - (iii) Deemed Exports
- 8. Table 6 needs to capture information about shipping bill and its date. However, if the shipping bill details are not available, Table 6 will still accept the information. The same can be updated through submission of information in relation to amendment Table 9 in the tax period in which the details are available but before claiming any refund / rebate related to the said invoice. The detail of Shipping Bill shall be furnished in 13 digits capturing port code (six digits) followed by number of shipping bill.
- 9. Any supply made by SEZ to DTA, without the cover of a bill of entry is required to be reported by SEZ unit in GSTR-1. The supplies made by SEZ on cover of a bill of entry shall be reported by DTA unit in its GSTR-2 as imports in GSTR-2. The liability for payment of IGST in respect of supply of services would, be created from this Table..
- 10. In case of export transactions, GSTIN of recipient will not be there. Hence it will remain blank.
- 11. Export transactions effected without payment of IGST (under Bond/ Letter of Undertaking (LUT)) needs to be reported under "0" tax amount heading in Table 6A and 6B.
- 12. Table 7 to capture information in respect of taxable supply of:
  - (i) B to C supplies (whether inter-State or intra-State) with invoice value upto Rs 2,50,000;
  - (ii) Taxable value net of debit/ credit note raised in a particular tax period and information pertaining to previous tax periods which was not reported earlier, shall be reported in Table 10. Negative value can be mentioned in this table, if required;
  - (iii) Transactions effected through e-commerce operator attracting collection of tax at source under section 52 of the Act to be provided operator wise and rate wise;
  - (iv) Table 7A (1) to capture gross intra-State supplies, rate-wise, including supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source and Table 7A (2) to capture supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source out of gross supplies reported in Table 7A (1);
  - (v) Table 7B (1) to capture gross inter-State supplies including supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source and Table 7B (2) to capture supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source out of gross supplies reported in Table 7B (1); and
  - (vi) Table 7B to capture information State wise and rate wise.
- 13. Table 9 to capture information of:
  - (i) Amendments of B to B supplies reported in Table 4, B to C Large supplies reported in Table 5 and Supplies involving exports/ SEZ unit or SEZ developer/ deemed exports reported in Table 6;
  - (ii) Information to be captured rate-wise;
  - (iii) It also captures original information of debit / credit note issued and amendment to it reported in earlier tax periods; While furnishing information the original debit note/credit note, the details of invoice shall be mentioned in the first three columns, While furnishing revision of a debit note/credit note, the details of original debit note/credit note shall be mentioned in the first three columns of this Table,

- (iv) Place of Supply (PoS) only if the same is different from the location of the recipient;
- (v) Any debit/ credit note pertaining to invoices issued before the appointed day under the existing law also to be reported in this table; and
- (vi) Shipping bill to be provided only in case of exports transactions amendment.
- 14. Table 10 is similar to Table 9 but captures amendment information related to B to C supplies and reported in Table 7.
- 15. Table 11A captures information related to advances received, rate-wise, in the tax period and tax to be paid thereon along with the respective PoS. It also includes information in Table 11B for adjustment of tax paid on advance received and reported in earlier tax periods against invoices issued in the current tax period. The details of information relating to advances would be submitted only if the invoice has not been issued in the same tax period in which the advance was received.
- 16. Summary of supplies effected against a particular HSN code to be reported only in summary table. It will be optional for taxpayers having annual turnover upto Rs. 1.50 Cr but they need to provide information about description of goods.
- 17. It will be mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above Rs. 1.50 Cr but upto Rs. 5.00 Cr and at four digits level for taxpayers having annual turnover above Rs. 5.00 Cr.

#### Form GSTR-1A

[See rule 59(4)]

#### **Details of auto drafted supplies**

(From GSTR 2, GSTR 4 or GSTR 6)

Year

						Month							
1.	GST	IN											
2.	(a)	Legal name of the registered person										•	
	(b)	Trade name, if any											

# 3. Taxable outward supplies made to registered persons including supplies attracting reverse charge other than the supplies covered in Table No. 4

GSTIN/ UIN	In	voice d	etails	Rate	Taxable value			Place of Supply				
OIN	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	(Name of State/UT)		
1	2	3	4 5 6 7 8 9 10									
3A. Supp	3A. Supplies other than those attracting reverse charge (From table 3 of GSTR-2)											
3B. Supplies attracting reverse charge (From table 4A of GSTR-2)												

#### 4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports

GSTIN of recipient	]	Invoice deta	ails		Integrated Tax				
	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Tax amount			
1	2	3	4	5	6	7			
4A. Supplies made to SE	Z unit or S	EZ Develo	per			,			
4B. Deemed exports									

#### 5. Debit notes, credit notes (including amendments thereof) issued during current period

Details do	of ori	-		Revised details of document or details of original Debit / Credit Note				value	Place of supply (Name of		Amount	of tax	
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			State/UT)	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

C	σr	10	fı,	ra

Place

Name of Authorised Signatory

Date

Designation /Status

## Form GSTR-2

[See rule 60(1)]

<b>Details of inward</b>	supplies of goods or services	

Year		
Month		

1.	GST	TIN												
2.	(a)	Legal name of the registered person	Auto populated											
	(b)	Trade name, if any	A	utc	po	pu	late	d						

## 3. Inward supplies received from a registered person other than the supplies attracting reverse charge

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of	Inv	oice o	details	Rate	Taxable value	A	mount of	Tax		Place of supply	Whether input or	Amour	nt of ITC	available	3
supplier										(Name of	input service/	Integrated	Central		
	No	Date	Value			Integrated	Central	State/	CESS	State/UT)	Capital	Tax	Tax	UT Tax	
						tax	Tax	UT			goods (incl				
								Tax			plant and machinery)/				
											Ineligible for				
											ITC				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

# 4. Inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge

GSTIN	Inv	oice d	etails	Rate	Taxable	Α	mount of	Tax		Place of	Whether		nt of ITC	availabl	e
of supplier		Π			value			Ι		(Name of	input or input service/	Integrated	Central Tax	State/ UT	Cess
	No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS	State/UT)	(incl. plant and machinery)/ Ineligible for ITC	Tun	Tux	Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A. Inwa	ard s	suppli	es rece	ived	from a re	gistered supp	olier (attra	cting re	everse c	harge)					
4B. Inwa	ard s	suppli	es rece	ived 1	from an u	nregistered s	supplier								
4C. Impo	ort c	of serv	rice	-											

# 5. Inputs/Capital goods received from Overseas or from SEZ units on a Bill of Entry

GSTIN of	Detail	ls of bill	of entry	Rate	Taxable value	Amor	unt	Whether input / Capital	Amount of available	_
supplier			Value			Integrated Tax	Cess	goods(incl. plant and machinery)/ Ineligible for ITC	Integrated Tax	Cess
1	1 2 3 4			5	6	7	8	9	10	11
5A. Impor	ts									
5B. Rece	ived fro	m SEZ								
Port code	e +No o	f BE=13	digits			Assessable Val	lue			

# 6. Amendments to details of inward supplies furnished in returns for earlier tax periods in Tables 3, 4 and 5 [including debit notes/credit notes issued and their subsequent amendments]

	Details of original invoice  /Bill of entry					s of	Rate	Taxable value		Amou	nt		Place of	Whether input or	Amour	nt of IT	C availabl	le
	of en No	ıtry											supply	service/				Cess
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess		Capital goods/ Ineligible for ITC)	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ther than					goods re	eceived fro	m SEZ	[Informat	ion f	urnishe	d in Table	3 and 4 of	earlier	returns]-	If
			y way of er were i			of goo	ds oi	goods r	eceived fro	om SEZ	[Informa	tion f	furnishe	ed in Table	e 5 of earlie	er returi	ns]-If deta	ils
6C. D	ebit	Note	s/Credit	No	tes [c	origina	1]											
6D. D	ebit	Note	es/ Credi	t No	otes [	amend	lmen	t of debit	t notes/cred	dit notes	furnished	d in e	arlier t	ax periods	]			

# 7. Supplies received from composition taxable person and other exempt/Nil rated/Non GST supplies received

Description		Value of sup	oplies received from	
	Composition taxable person	Exempt supply	Nil Rated supply	Non GST supply
1	2	3	4	5
7A. Inter-State supplies				
7B. Intra-state supplies				

## 8. ISD credit received

GSTIN of ISD		ocument tails	ISD Credit received				Amount of eligible ITC					
	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8A. ISD Invoice												
8B. ISD Credit Note												

#### 9. TDS and TCS Credit received

GSTIN of Deductor / GSTIN of e-		Sales Return	Net Value			
Commerce Operator	varue	Return		Integrated Tax	Central Tax	State Tax /UT Tax
1	2	3	4	5	6	7
9A. TDS						
9B. TCS						

## 10. Consolidated Statement of Advances paid/Advance adjusted on account of receipt of supply

Rate	Gross	Place of supply			Amount	
	Advance	(Name of				
	Paid	State/UT)	Integrated	Central Tax	State/UT Tax	Cess
		ŕ	Tax			
1	2	3	4	5	6	7
(I) Inf	formation fo	or the current mon	th			
10A. Ad	Ivance amou	int paid for reverse of	charge supplie	s in the tax per	iod (tax amount to be added to o	output tax liability)
10A (1).	Intra-State si	upplies (Rate Wise)				
10A (2).	Inter -State S	Supplies (Rate Wise	)			
10B. Ad	vance amoui	nt on which tax was	paid in earlie	r period but inv	oice has been received in the cu	rrent period [
ref	lected in Tal	ole 4 above]				
10B (1). I	ntra-State Su	applies (Rate Wise)				
10B (2). In	ntra-State Su	applies (Rate Wise)				
_						

II Amendments of information furnished in Table No. 10 (I) in an earlier month [Furnish revised information]												
Month		Amendment	Amendment relating to information furnished in S. No.(select)			10A(1)	10A(2)	10(B1)	10B(2)			

# 11. Input Tax Credit Reversal / Reclaim

Description for reversal of ITC	To be added to or reduced from output		Amount	of ITC	
	liability	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6
A. Information for the current tax period					
(i) Amount in terms of rule 37(2)	To be added				
(ii) Amount in terms of rule 39(1)(j)(ii)	To be added				
(iii) Amount in terms of rule 42 (1) (m)	To be added				
(iv) Amount in terms of rule 43(1) (h)	To be added				
(v) Amount in terms of rule 42 (2)(a)	To be added				
(vi) Amount in terms of rule 42(2)(b)	To be reduced				
(vii)On account of amount paid subsequent to reversal of ITC	To be reduced				
(viii) Any other liability (Specify)					
B. Amendment of information furnished in T	able No 11 at S. No A i	n an earlier ro	eturn		
Amendment is in respect of information furnished in the Month					
Specify the information you wish to amend (Drop down)					

## 12. Addition and reduction of amount in output tax for mismatch and other reasons

	Description	Add to or reduce from output		Amount	-	
		liability	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS
	1	2	3	4	5	6
(a)	ITC claimed on mismatched/duplication of invoices/debit notes	Add				
(b)	Tax liability on mismatched credit notes	Add				
(c)	Reclaim on account of rectification of mismatched invoices/debit notes	Reduce				
(d)	Reclaim on account of rectification of mismatched credit note	Reduce				
(e)	Negative tax liability from previous tax periods	Reduce				
(f)	Tax paid on advance in earlier tax periods and adjusted with tax on supplies made in current tax period	Reduce				

#### 13. HSN summary of inward supplies

Sr. No.	HSN	Description	UQC	Total	Total	Total		Amount						
		(Optional if HSN is furnished)		Quantity	value	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess				
1	2	2	4	5	6	7	Q	0	10	11				
1		3	4	3	6	/	٥	9	10	11				

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

	Signatures
Place:	Name of Authorised Signatory
Date:	Designation /Status

#### Instructions -

- 1. Terms used:
  - a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b. UIN: Unique Identity Number
  - c. UQC: Unit Quantity Code
  - d. HSN: Harmonized System of Nomenclaturee. POS: Place of Supply (Respective State)
  - f. B to B: From one registered person to another registered person
  - g. B to C: From registered person to unregistered person
- 2. Table 3 & 4 to capture information of:
  - (i) Invoice-level inward supply information, rate-wise, pertaining to the tax period reported by supplier in GSTR-1 to be made available in GSTR-2 based on auto-populated details received in GSTR-2A;
  - (ii) Table 3 to capture inward supplies other than those attracting reverse charge and Table 4 to capture inward supplies attracting reverse charge;
  - (iii) The recipient taxpayer has the following option to act on the auto populated information:
    - a. Accept,
    - b. Reject,
    - c. Modify (if information provided by supplier is incorrect), or
    - d. Keep the transaction pending for action (if goods or services have not been received)
  - (iv) After taking the action, recipient taxpayer will have to mention whether he is eligible to avail credit or not and if he is eligible to avail credit, then the amount of eligible credit against the tax mentioned in the invoice needs to be filed;
  - (v) The recipient taxpayer can also add invoices (not uploaded by the counterparty supplier) if he is in possession of invoices and have received the goods or services;
  - (vi) Table 4A to be auto populated;
  - (vii) In case of invoices added by recipient tax payer, Place of Supply (PoS) to be captured always except in case of supplies received from registered person, where it is required only if the same is different from the location of the recipient;
  - (viii) Recipient will have the option to accept invoices auto populated as well as add invoices, pertaining to reverse charge only when the time of supply arises in terms of section 12 or 13 of the Act; and
  - (ix) Recipient tax payer is required to declare in Column No. 12 whether the inward supplies are inputs or input services or capital goods (including plant and machinery).
- 3. Details relating to import of Goods/Capital Goods from outside India as well as supplied by an SEZ Unit to be reported rate-wise by recipient tax payer in Table 5.
- 4. Recipient to provide for Bill of Entry information including six digits port code and seven digits bill of entry number.

- 5. Taxable Value in Table 5 means assessable value for customs purposes on which IGST is computed (IGST is levied on value plus specified customs duties). In case of imports, the GSTIN would be of recipient tax payer.
- 6. Table 6 to capture amendment of information, rate-wise, provided in earlier tax periods in Table 3, 4 and 5 as well as original/ amended information of debit or credit note. GSTIN not to be provided in case of export transactions.
- 7. Table 7 captures information on a gross value level.
- 8. An option similar to Table 3 is not available in case of Table 8 and the credit as distributed by ISD (whether eligible or ineligible) will be made available to the recipient unit and it will be required to re-determine the eligibility as well as the amount eligible as ITC.
- 9. TDS and TCS credit would be auto-populated in Table 9. Sales return and Net value columns are not applicable in case of tax deducted at source in Table 9.
- 10. The eligible credit from Table 3, Table 4 & Table 8 relating to inward supplies to be populated in the Electronic Credit Ledger on submission of its return in Form GSTR-3.
- 11. Recipient can claim less ITC on an invoice depending on its use i.e. whether for business purpose or non-business purpose.
- 12. Information of advance paid pertaining to reverse charge supplies and the tax paid on it including adjustments against invoices issued should be reported in Table 10.
- 13. Table 12 to capture additional liability due to mismatch as well as reduction in output liability due to rectification of mismatch on account of filing of GSTR-3 of the immediately preceding tax period.
- 14. Reporting criteria of HSN will be same as reported in GSTR-1.

#### FORM GSTR-2A

[See rule 60(1)]

	Details of auto drafted supplies	
(	(From GSTR 1, GSTR 5, GSTR-6, GSTR-7 and GSTR-8)	

Year		
Month		

1.	GSTIN									
2.	(a) Legal name of the registered person									
	(b)	Trade name, if any								

#### PART A

#### 3. Inward supplies received from a registered person other than the supplies attracting reverse charge

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN	It	ivoice det	ails	Rate	Taxable		Amount	of tax		Place of supply
of supplier					value					(Name of State/UT)
	No.	Date	Value			Integrated	Central	State/	Cess	
						tax	Tax	UT Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# 4. Inward supplies received from a registered person on which tax is to be paid on reverse charge

GSTIN	]	Invoice de	etails	Rate	Taxable value		Amount	t of tax		Place of supply
of supplier					value					
	No.	Date	Value			Integrated	Central	State/	Cess	(Name of State/UT)
						Tax	Tax	UT Tax		,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 5. Debit / Credit notes (including amendments thereof) received during current tax period

Details docu	of orig					ocument   Debit /	Rate	Taxable value		Amount o	of tax		Place of supply
uoci		,	or detail		it note			varae			(Name of		
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated	Central	State/UT	Cess	State/UT)
									Tax	Tax	Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## PART B

## 6. ISD credit (including amendments thereof) received

GSTIN of ISD	ISD docu	ment details	IT	C amount invol	ved	
	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State/	Cess
					UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7
ISD Invoice –eligible ITC						
ISD Invoice –ineligible ITC						
ISD Credit note –eligible ITC						
ISD Credit note –ineligible ITC						

#### PART- C

## 7. TDS and TCS Credit (including amendments thereof) received

GSTIN of Deductor /				Amount							
GSTIN of e- Commerce Operator	received / Gross Value	Sales Return	Net Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /UT Tax					
1	2	3	4	5	6	7					
7A. TDS					-						
7B. TCS											
	·		·								

## Form GSTR-3

[See rule 61(1)]

# Monthly return

Year		
Month		

1.	GST	IN										
2.	(a)	Legal name of the registered person	Α	uto	Pop	oula	ted					
	(b)	Trade name, if any	Α	uto	Pop	oula	ited					

## Part-A (To be auto populated)

(Amount in Rs. for all Tables)

3. Tur	nover										
Sr. No.	Type of Turnover	Amount									
1	2						3				
(i)	Taxable [other than zero rated]										
(ii)	Zero rated supply on payment of Tax										
(iii)	Zero rated supply without payment of Tax										
(iv)	Deemed exports										
(v)	Exempted										
(vi)	Nil Rated										
(vii)	Non-GST supply										
	Total										

## 4. Outward supplies

## 4.1 Inter-State supplies (Net Supply for the month)

Rate	Taxable Value	Amount	of Tax
		Integrated Tax	CESS
1	2	3	4
A. Taxab	ole supplies (other than reverse charge and zero rate	ed supply) [Tax Rate Wise]	
B. Suppl	ies attracting reverse charge-Tax payable by recipi	ient of supply	
C. Zero	rated supply made with payment of Integrated Tax		

D. Out of the supplies mentioned at A, the value of supplied TCS-[Rate wise]	s made though an e-commerce operator attracting
GSTIN of e-commerce operator	

# 4.2 Intra-State supplies (Net supply for the month)

Rate	Taxable Value		Amount of Tax	
		Central Tax	State /UT Tax	Cess
1	2	3	4	5
A. Taxab	le supplies (other than reverse charge) [Tax Ra	ite wise]		
B. Suppli	es attracting reverse charge- Tax payable by t	he recipient of suppl	у	
C. Out of [Rate	the supplies mentioned at A, the value of supwise]	plies made though a	n e-commerce operator at	tracting TCS
GSTIN of	e-commerce operator			

## 4.3 Tax effect of amendments made in respect of outward supplies

Rate	Net differential value		Amou	ınt of Tax	
		Integrated tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
(I) In	nter-State supplies	•	1		
A Taxal wise]	ple supplies (other than reverse charge and	Zero Rated supp	ly made with pa	yment of Integrated Ta	x) [Rate
B Zero	rated supply made with payment of Integra	nted Tax [Rate wi	ise]		
C Out o	f the Supplies mentioned at A, the value of	f supplies made the	hough an e-com	merce operator attraction	ng TCS
(II) Ir	ntra-state supplies	•	1		
A Taxal	ole supplies (other than reverse charge) [Ra	ate wise]			
		1' 1 .1	1		m.c.c
B Out of	the supplies mentioned at A, the value of	supplies made th	nough an e-comr	nerce operator attracting	ig TCS

5. Inward supplies attracting reverse charge including import of services (Net of advance adjustments)

## 5A. Inward supplies on which tax is payable on reverse charge basis

Rate of tax	Taxable Value	Amount of tax						
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT tax	CESS			
1	2	3	4	5	6			
(I) Inter-Sta	(I) Inter-State inward supplies [Rate Wise]							
(II) Intra-State inward supplies [Rate Wise]								

## 5B. Tax effect of amendments in respect of supplies attracting reverse charge

Rate of tax	Differential Taxable Value	Amount of tax					
	Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS		
1	2	3	4	5	6		
(I) Inter-Sta	te inward supplies (	Rate Wise)					
(II) Intra-Sta	te inward supplies (l	Rate Wise)					

## 6. Input tax credit

# $ITC \ on \ inward \ taxable \ supplies, including \ imports \ and \ ITC \ received \ from \ ISD \ [Net\ of\ debit\ notes/credit\ notes]$

Description	Taxable value	Amount of tax			Amount of ITC				
		Integrated	Central	State/	CESS	Integrated	Central	State/	CESS
		Tax	Tax	UT		Tax	Tax	UT Tax	
				Tax					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(I) On account of supplied	es received	and debit not	tes/credit n	otes recei	ved durii	ng the curren	t tax perio	d	
(a) Inputs									
(b) Input services									
(c) Capital goods									
(II) On account of amendments made (of the details furnished in earlier tax periods)									
(a) Inputs									
(b) Input services									
(c) Capital goods									

# 7. Addition and reduction of amount in output tax for mismatch and other reasons

Description		Add to or	Amount			
		reduce from output liability	Integrated tax	Central tax	State / UT tax	CESS
	1	2	3	4	5	6
(a)	ITC claimed on mismatched/duplication of invoices/debit notes	Add				
(b) Tax liability on mismatched credit notes		Add				
(c) Reclaim on rectification of mismatched invoices/Debit Notes		Reduce				
(d)	Reclaim on rectification of mismatch credit note	Reduce				
(e) Negative tax liability from previous tax periods		Reduce				
(f) Tax paid on advance in earlier tax periods and adjusted with tax on supplies made in current tax period		Reduce				
(g)	Input Tax credit reversal/reclaim	Add/Reduce				

# 8. Total tax liability

Rate of Tax	Taxable value	Amount of tax						
		Integrated tax	Central tax	State/UT Tax	CESS			
1	2	3	4	5	6			
8A. On outward supplie	es							
8B. On inward supplies	8B. On inward supplies attracting reverse charge							
8C. On account of Inpu	t Tax Credit Reversal/reclaim							
8D. On account of miss reasons								

# 9. Credit of TDS and TCS

		Amount				
		Integrated tax	Central tax	State/ UT Tax		
	1	2	2 3			
(a)	TDS					
(b)	TCS					

# 10. Interest liability (Interest as on ......)

On account of	Output liability on mismatch	ITC claimed on mismatched invoice	On account of other ITC reversal	Undue exces claims or excess reduction [refer sec 50(3)]	Credit of interest on rectification of mismatch	Interest liability carry forward	Delay in payment of tax	Total interest liability
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(a) Integrated Tax								
(b) Central Tax								
(c) State/UT Tax								
(d) Cess								

#### 11. Late Fee

On account of	Central Tax	State/UT tax
1	2	3
Late fee		

# Part B

# 12. Tax payable and paid

Description	Tax payable	Paid in cash		Tax Paid			
			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8
(a) Integrated Tax							
(b) Central Tax							
(c) State/UT Tax							
(d) Cess							

# 13. Interest, Late Fee and any other amount (other than tax) payable and paid

Description	Amount payable	Amount Paid
1	2	3
(I) Interest on account of		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		
II Late fee		
(a) Central tax		
(b) State/UT tax		

#### 14. Refund claimed from Electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (Drop						

# **15. Debit entries in electronic cash/Credit ledger for tax/interest payment [to** be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in	Tax paid in Cash Tax paid through ITC								
	Integrated tax Central Tax		Central Tax	State/UT Tax	Cess					
1	2	3	4	5	6	7	8			
(a) Integrated tax										
(b) Central Tax										
(c) State/UT Tax										
(d) Cess										

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

	Signatures of Authorised Signatory
Place	Name of Authorised Signatory
Date	Designation /Status

#### **Instructions:-**

1.	Terms	U	Jsed	:-

a) GSTIN:- Goods and Services Tax Identification Number

b) TDS:- Tax Deducted at source

c) TCS:- Tax Collected at source

- 2. GSTR 3 can be generated only when GSTR-1 and GSTR-2 of the tax period have been filed.
- 3. Electronic liability register, electronic cash ledger and electronic credit ledger of taxpayer will be updated on generation of GSTR-3 by taxpayer.
- 4. Part-A of GSTR-3 is auto-populated on the basis of GSTR 1, GSTR 1A and GSTR 2.
- 5. Part-B of GSTR-3 relates to payment of tax, interest, late fee etc. by utilising credit available in electronic credit ledger and cash ledger.
- 6. Tax liability relating to outward supplies in Table 4 is net of invoices, debit/credit notes and advances received.

- 7. Table 4.1 will not include zero rated supplies made without payment of taxes.
- 8. Table 4.3 will not include amendments of supplies originally made under reverse charge basis.
- 9. Tax liability due to reverse charge on inward supplies in Table 5 is net of invoices, debit/credit notes, advances paid and adjustments made out of tax paid on advances earlier.
- 10. Utilization of input tax credit should be made in accordance with the provisions of section 49.
- 11. GSTR-3 filed without discharging complete liability will not be treated as valid return.
- 12. If taxpayer has filed a return which was not valid earlier and later on, he intends to discharge the remaining liability, then he has to file the Part B of GSTR-3 again.
- 13. Refund from cash ledger can only be claimed only when all the return related liabilities for that tax period have been discharged.

occii dischargea.	
14. Refund claimed from cash ledger thro valid GSTR 3.	rugh Table 14 will result in a debit entry in electronic cash ledger on filing of
	Form GSTR – 3A
	[See rule 68]
Reference No:	Date:
То	
GSTIN	
Name	
Address	
Notice to re	eturn defaulter u/s 46 for not filing return
Tax Period -	Type of Return -
	e required to furnish return for the supplies made or received and to discharge eriod by due date. It has been noticed that you have not filed the said return
u/s 62 of the Act, based on the relevan	the said return within 15 days failing which the tax liability will be assessed at material available with this office. Please note that in addition to tax so interest and penalty as per provisions of the Act.
3. Please note that no further communication	on will be issued for assessing the liability.
4. The notice shall be deemed to have been the assessment order.	n withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of
	Or
Notice to return defaulter u/s 4	46 for not filing final return upon cancellation of registration

Date ---

Cancellation order No. --

Application Reference Number, if any -

Date -

Consequent upon applying for surrender of registration or cancellation of your registration for the reasons specified in the order, you were required to submit a final return in form **GSTR-10** as required under section 45 of the Act.

- 2. It has been noticed that you have not filed the final return by the due date.
- 3. You are, therefore, requested to furnish the final return as specified under section 45 of the Act within 15 days failing which your tax liability for the aforesaid tax period will be determined in accordance with the provisions of the Act based on the relevant material available with or gathered by this office. Please note that in addition to tax so assessed, you will also be liable to pay interest as per provisions of the Act.
- 4. This notice shall be deemed to be withdrawn in case the return is filed by you before issue of the assessment order.

Sign	nati	ire
DIE	шии	$u_1 \cup$

Name

Designation

#### FORM GSTR-3B

[See rule 61(5)]

Year	
Month	

1.	GSTIN															
2.	Legal name of the registered person	Auto Populated														

#### 3.1 Details of Outward Supplies and inward supplies liable to reverse charge

Nature of Supplies	Total Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)					
(b) Outward taxable supplies (zero rated)					
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)					
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)					
(e) Non-GST outward supplies					

# 3.2 Of the supplies shown in 3.1 (a) above, details of inter-State supplies made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders

	Place of Supply (State/UT)	Total Taxable value	Amount of Integrated Tax
1	2	3	4
Supplies made to Unregistered Persons			
Supplies made to Composition Taxable Persons			
Supplies made to UIN holders			

# 4. Eligible ITC

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5
(A) ITC Available (whether in full or part)				
(1) Import of goods				
(2) Import of services				
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)				
(4) Inward supplies from ISD				
(5) All other ITC				
(B) ITC Reversed				
(1) As per rules 42 & 43 of CGST Rules				
(2) Others				
(C) Net ITC Available (A) – (B)				
(D) Ineligible ITC				
(1) As per section 17(5)				
(2) Others				

# 5. Values of exempt, nil-rated and non-GST inward supplies

Nature of supplies	Inter-State supplies	Intra-State supplies
1	2	3
From a supplier under composition scheme, Exempt and Nil rated supply		
Non GST supply		

# 6.1 Payment of tax

Description	Tax		Paid throu	igh ITC		Tax paid TDS./TCS	Tax/Cess	Interest	Late Fee
	payable	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	105./105	paid in cash		ree
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integrated Tax									
Central Tax									
State/UT Tax									
Cess									

#### 6.2 TDS/TCS Credit

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4
TDS			
TCS			

Verification (by Authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

#### **Instructions:**

- 1) Value of Taxable Supplies = Value of invoices + value of Debit Notes value of credit notes + value of advances received for which invoices have not been issued in the same month value of advances adjusted against invoices
- 2) Details of advances as well as adjustment of same against invoices to be adjusted and not shown separately
- 3) Amendment in any details to be adjusted and not shown separately.

#### Form GSTR-4

[See rule 62]

#### Quarterly return for registered person opting for composition levy

Year		
Quarter		

1.		GSTIN												
2.	(a)	Legal name of the registered person	Auto Populated											
	(b)	Trade name, if any	Auto Populated											
3.	(a)	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year												
	(b)	Aggregate Turnover - April to June, 2017												

#### 4. Inward supplies including supplies on which tax is to be paid on reverse charge

GSTIN of supplier	Inv	oice deta	ails	Rate	Taxable value		Place of supply (Name of			
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS	State/UT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A. Inwa	4A. Inward supplies received from a registered supplier (other than supplies attracting reverse charge)									
4B. Inwa	ard suppl	ies recei	ved from	a regis	stered supp	lier (attracting	g reverse cha	arge)		
4C. Inwa	ard suppl	ies recei	ved from	an unr	egistered s	upplier				
4D. Import of service										

# 5. Amendments to details of inward supplies furnished in returns for earlier tax periods in Table 4 [including debit notes/credit notes and their subsequent amendments]

Details inv	of origi	inal	Revise	ed deta	ils of i	nvoice	Rate	Taxable value		Place of supply (Name of State/			
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated	Central	State/UT	Cess	UT)
									Tax	Tax	Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5A. Sup	plies []	Inform	ation fur	nished	in Tal	ole 4 of e	arlier re	eturns]-If	details furnis	shed earlie	r were incor	rect	
5B. Det	it Note	es/Cred	lit Notes	[origin	nal)]		T	T					
5C. Debit Notes/ Credit Notes [amendment of debit notes/credit notes furnished in earlier tax periods]										•			

#### 6. Tax on outward supplies made (Net of advance and goods returned)

Rate of tax	Turnover	Composition tax amount				
		Central Tax	State/UT Tax			
1	2	3	4			

# 7. Amendments to Outward Supply details furnished in returns for earlier tax periods in Table No. 6

Quarter	Rate		Original detail	ls	Revised details				
		Turnover	Central Tax	State/UT tax	Turnover	Central Tax	State/UT Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8		

#### 8. Consolidated Statement of Advances paid/Advance adjusted on account of receipt of supply

Rate	Gross	Place of supply			Amount					
	Advance Paid	(Name of State/UT)	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess				
1	2	3	4	5	6	7				
(I) Information for the current quarter										
8A. Advai	8A. Advance amount paid for reverse charge supplies in the tax period (tax amount to be added to output tax liability)									
8A (1). Intr	a-State supplie	es (Rate Wise)								
8A (2). Inte	8A (2). Inter-State Supplies (Rate Wise)									

	8B. Advance amount on which tax was paid in earlier period but invoice has been received in the current period [ reflected in Table 4 above] (tax amount to be reduced from output tax liability)										
101100			(144.1 44.110		Trom output tur						
8B (1	). Intra	a-State Supplie	es (Rate Wise)								
8B (2	8B (2). Intra-State Supplies (Rate Wise)										
II Ar	nendm	ents of infor	nation furnished in '	Table No. 8 (I) fo	or an earlier qu	arter					
Year		Quarter	Amendment relating No.(select)	ting to information furnished in S. 8A(1) 8A(2)			8B(1)	8B(2)			

# 9. TDS Credit received

GSTIN of Deductor	Gross Value	Amount				
		Central Tax	State/UT Tax			
1	2	3	4			

# 10. Tax payable and paid

Description	Tax amount payable	Pay tax amount
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		

# 11. Interest, Late Fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount Paid
1	2	3
(I) Interest on account of		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		
(II) Late fee		
(a) Central tax		
(b) State/UT tax		

#### 12. Refund claimed from Electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (D	rop Down	1)				

#### 13. Debit entries in cash ledger for tax/interest payment

[to be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in cash	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			
(d) Cess			

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Place Name of Authorised Signatory

Date Designation /Status

# **Instructions:**-

- 1. Terms used:
  - (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - (b) TDS: Tax Deducted at Source
- 2. The details in GSTR-4 should be furnished between 11<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> of the month succeeding the relevant tax period.
- 3. Aggregate turnover of the taxpayer for the immediate preceding financial year and first quarter of the current financial year shall be reported in the preliminary information in Table 3. This information would be required to be submitted by the taxpayers only in the first year and should be auto-populated in subsequent years.
- 4. Table 4 to capture information related to inward supplies, rate-wise:
  - (i) Table 4A to capture inward supplies from registered supplier other than reverse charge. This information will be auto-populated from the information reported by supplier in GSTR-land GSTR-5;
  - (ii) Table 4B to capture inward supplies from registered supplier attracting reverse charge. This information will be auto-populated from the information reported by supplier in GSTR-1;

- (iii) Table 4C to capture supplies from unregistered supplier;
- (iv) Table 4D to capture import of service;
- (v) Tax recipient to have the option to accept invoices auto populated/ add invoices, pertaining to reverse charge only when the time of supply arises in terms of section 12 or 13 of the Act; and
- Place of Supply (PoS) only if the same is different from the location of the recipient. (vi)
- 5. Table 5 to capture amendment of information provided in earlier tax periods as well as original/ amended information of debit or credit note received, rate-wise. Place of Supply (PoS) to be reported only if the same is different from the location of the recipient. While furnishing information the original debit/credit note, the details of invoice shall be mentioned in the first three columns, While furnishing revision of a debit note/credit note, the details of original debit /credit note shall be mentioned in the first three columns of this Table,
- 6. Table 6 to capture details of outward supplies including advance and net of goods returned during the current tax period.
- 7. Table 7 to capture details of amendment of incorrect details reported in Table 6 of previous returns.
- 8. Information of advance paid pertaining to reverse charge supplies and the tax paid on it including adjustments against invoices issued to be reported in Table 8.
- 9. TDS credit would be auto-populated in a Table 9.

#### Form GSTR-4A

[See rules 59(3) & 66(2)]

#### Auto-drafted details for registered person opting for composition levy

(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-5 and GSTR-7)

Yea	r															
Qua	ıarter															
1.	GST	TIN														
2.	(a)	Legal name of the registered person		Auto Populated												
	(b)	Trade name, if any		Auto Populated												
3 I	word	supplies received from registered person in	cluding	CIII	mlia	e of	trac	tina	rov	orco	cho	rac	,			

of	Inv	voice det	ails	Rate	Taxable value		Amount of tax					
supplier	No.	Date	Value			Integrated	Cess	(Name of State/UT)				
	NO.	Date	value			Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	State (C1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3A. In	ward su	pplies re	eceived f	rom a	registered	supplier (oth	er than supp	olies attracting	reverse ch	arge)		
3B. Inward supplies received from a registered supplier (attracting reverse charge)												

# 4. Debit notes/credit notes (including amendments thereof) received during current period

Details of docu	of origi ument		or detai	ls of o				Taxable value		Amount of tax			Place of supply (Name of State/UT)
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	State/01)
									1 ax	ıax	Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

# 5. TDS Credit received

GSTIN of deductor	Gross value	Amount of tax				
		Central Tax	State/UT Tax			
1	2	3	4			

# Form GSTR-5

[See rule 63]

# Return for Non-resident taxable person

Year		
Month		

1.	GST																
2.	(a)	Legal name of the registered person	Auto Populated														
	(b)	Trade name, if any	Auto Populated														
	(c)	Validity period of registration	Auto Populated														

# 3. Inputs/Capital goods received from Overseas (Import of goods

(Amount in Rs. for all Tables)

Detail	Details of bill of entry		Rate	Taxable	Amount		Amount of ITC available		
No.	Date	Value	Raic	value	Integrated Tax	Cess	Integrated Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

# 4. Amendment in the details furnished in any earlier return

Orig	inal details					Revised	details				Differentia	
Bil	l of entry	atry Bill		у	Rate	Taxable value	Amount		Amount of IT available		(+/_)	)
No	Date	No	Date	Value			Integrated Tax	Cess	Integrated Tax	Cess	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

#### 5. Taxable outward supplies made to registered persons (including UIN holders)

GSTIN/	Iı	ivoice de	tails	Rate		Amount				Place of
UIN	No.	Date	Value		value	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	Supply (Name of State/UT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 6. Taxable outward inter-State supplies to un-registered persons where invoice value is more than Rs 2.5 lakh

Place of Supply		Invoice de	etails	Rate	Taxable Value	Amou	nt
(State/UT)	No.	Date	Value			Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

# 7. Taxable supplies (net of debit notes and credit notes) to unregistered persons other than the supplies mentioned at Table 6

Rate of tax	Total Taxable value	Amount									
	value	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax	Cess						
1	2	3	4	5	6						
7A. Intra-State supply (Consolidated, rate wise)											
7B. Inter-State Suppl	ies where the value	e of invoice is upto	Rs 2.5 Lakh [	Rate wise]							
Place of Supply (Name of State)											

# 8. Amendments to taxable outward supply details furnished in returns for earlier tax periods in Table 5 and 6 [including debit note/credit notes and amendments thereof]

Details doc	of origi	inal			s of doc	ument or	Rate	Taxable Value	Amount				Place of supply
					redit No								
GSTIN	No.	Date	GSTI N	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8A. If the invoice details furnished earlier were incorn					re incorre	ect							
8B. Debi	t Notes	/Credit	Notes [c	origina	1)]								
8C. Debi	8C. Debit Notes/Credit Notes [amendment of debit n						es/crec	lit notes f	urnished in	earlier ta	x periods]		

# 9. Amendments to taxable outward supplies to unregistered persons furnished in returns for Earlier tax periods in Table 7

Rate of tax	Total taxable		Amou	ınt							
	value	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess						
1	2	3	4	5	6						
Tax period for which the details are being revised											
9A. Intra-State Suppl	ies [Rate wise]										
9B. Inter-State Supp	lies [Rate wise]										
Place of Supply (No	ame of State)										

# 10. Total tax liability

	Taxable		Am	ount of tax					
Rate of Tax	value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS				
1	2	3	4	5	6				
10A. On accoun	t of outward sup	ply							
10B. On account of differential ITC being negative in Table 4									

# 11. Tax payable and paid

Description	Tax payable	Paid in cash	Paid thro	Tax Paid	
			Integrated tax	Cess	
1	2	3	4	5	6
(a) Integrated Tax					
(b) Central Tax					
(c) State/UT Tax					
(d) Cess					

# 12. Interest, late fee and any other amount payable and paid

Description	Amount payable	Amount paid								
1	2	3								
I Interest on account of										
(a) Integrated tax										
(b) Central Tax										
(c) State/UT Tax										
(d) Cess										
II Late fee on accoun	t of									
(a) Central tax										
(b) State / UT tax										

# 13. Refund claimed from electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details	(Drop Do	own)				

# 14. Debit entries in electronic cash/credit ledger for tax/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in	Tax paid thro	Interest	Late fee	
	cash	Integrated tax	Cess		
1	2	3	4	5	6
(a) Integrated tax					
(b) Central Tax					
(c) State/UT Tax					
(d) Cess					

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place ....... Name of Authorised Signatory

Date ...... Designation / Status

#### **Instructions:-**

- 1. Terms used:
  - a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b. UIN: Unique Identity Number
  - c. UQC: Unit Quantity Code
  - d. HSN: Harmonized System of Nomenclature
  - e. POS: Place of Supply (Respective State)
  - f. B to B: From one registered person to another registered person
  - g. B to C: From registered person to unregistered person
- 2. GSTR-5 is applicable to non-resident taxable person and it is a monthly return.
- 3. The details in GSTR-5 should be furnished by 20<sup>th</sup> of the month succeeding the relevant tax period or within 7 days from the last date of the registration whichever is earlier.
- 4. Table 3 consists of details of import of goods, bill of entry wise and taxpayer has to specify the amount of ITC eligible on such import of goods.
- 5. Recipient to provide for Bill of Entry information including six digits port code and seven digits bill of entry number.
- 6. Table 4 consists of amendment of import of goods which are declared in the returns of earlier tax period.
- 7. Invoice-level information, rate-wise, pertaining to the tax period separately for goods and services should be reported as under:
  - i. For all B to B supplies (whether inter-State or intra-State), invoice level details should be uploaded in Table 5;
  - ii. For all inter-state B to C supplies, where invoice value is more than Rs. 2,50,000/- (B to C Large) invoice level detail to be provided in Table 6; and
  - iii. For all B to C supplies (whether inter-State or intra-State) where invoice value is up to Rs. 2,50,000/- State-wise summary of supplies shall be filed in Table 7.
- 8. Table 8 consists of amendments in respect of
  - i. B2B outward supplies declared in the previous tax period;
  - ii. "B2C inter-State invoices where invoice value is more than 2.5 lakhs" reported in the previous tax period; and
  - iii. Original Debit and credit note details and its amendments.
- 9. Table 9 covers the Amendments in respect of B2C outward supplies other than inter-State supplies where invoice value is more than Rs 250000/-.
- 10. Table 10 consists of tax liability on account of outward supplies declared in the current tax period and negative ITC on account of amendment to import of goods in the current tax period.

On submission of GSTR-5, System shall compute the tax liability and ITC will be posted to the respective ledgers.

#### Form GSTR-5A

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[See rule 64]

# Details of supplies of online information and database access or retrieval services by a person located outside India made to non-taxable persons in India

- 1. GSTIN of the supplier-
- 2. (a) Legal name of the registered person -
  - (b) Trade name, if any -
- 3. Name of the Authorised representative in India filing the return –
- 4. Period: Month Year -
- 5. Taxable outward supplies made to consumers in India

#### (Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5A. Amendments to taxable outward supplies to non-taxable persons in India

(Amount in Rupees)

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

6. Calculation of interest, penalty or any other amount

Sr. No.	Description	Amount	of tax due
		Integrated tax	CESS
1	2	3	4
1.	Interest		
2.	Others (Please specify)		
	Total		

7. Tax, interest, late fee and any other amount payable and paid

Sr. No.	Description	Amount pa	yable	Debit	Amount	paid
		Integrated tax	CESS	entry no.	Integrated tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tax Liability (based on Table 5 & 5A)					
2.	Interest (based on Table 6)					
3.	Others (Please Specify)					

#### Verification

I hereby	solemnly	affirm	and	declare	that	the	information	given	herein	above	is t	rue	and	correct	to	the	best	of	my
knowled	ge and beli	ef and	nothi	ng has b	een o	conc	ealed therefr	om.											

Place Name of Authorised Signatory
Date

#### Form GSTR-6

Designation /Status

[See rule 65]

# Return for input service distributor

Year		
Month		

1.	1. GSTIN										
2.	(a)										
	(b)	Trade name, if any									

# 3. Input tax credit received for distribution

of supplier	Inv	oice deta	ils	Rate	Taxable value	Amount of Tax						
	No	Date	Value			Integrated tax   Central Tax   State / UT   CE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

(Amount in Rs. for all Tables)

# 4. Total ITC/Eligible ITC/Ineligible ITC to be distributed for tax period (From Table No. 3)

Description	Integrated tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS
1	2	3	4	5
(a) Total ITC available for distribution				
(b) Amount of eligible ITC				
(c) Amount of ineligible ITC				

# 5. Distribution of input tax credit reported in Table 4

GSTIN of recipient/State, if recipient is unregistered	ISD	invoice	Distribution of ITC by ISD							
recipient is an agracied	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS				
1	2	3	4	5	6	7				
5A. Distribution of the amount	of eligible IT	CC								
5B. Distribution of the amount	of ineligible	ITC								

# 6. Amendments in information furnished in earlier returns in Table No. ${\bf 3}$

Origin	al deta	ails						Rev	ised details						
GSTIN of supplier	No.		GSTIN of supplier		nvoice/o	lebit te details		Taxable value		Amount of Tax					
				No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6A. Info	rmatic	n furn	ished in	Table	3 in an	earlier pe	riod w	as incorr	rect						
6B. Debi	it Note	es/Creo	lit Notes	receiv	ed [Ori	ginal]									
6C. Debi	it Note	es/Creo	lit Notes	[Ame	ndment	s]					<u> </u>				

# 7. Input tax credit mis-matches and reclaims to be distributed in the tax period

Description	Integrated	Central	State/	Cess
	tax	Tax	UT Tax	
1	2	3	4	5
7A. Input tax credit mismatch				
7B. Input tax credit reclaimed on rectification of mismatch				

# 8. Distribution of input tax credit reported in Table No. 6 and 7 (plus / minus)

GSTIN of	ISD c	redit no.	ISD	invoice	I	nput tax distr	ribution by ISI	)
recipient	No.	Date	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8A. Distribution of	the amou	nt of eligib	ole ITC					
8B. Distribution of	the amou	nt of inelig	gible ITC					

# 9. Redistribution of ITC distributed to a wrong recipient (plus / minus)

Origi	nal inpu	t tax credit	distribu	tion	Re	e-distribu	ition of i	input tax cre	dit to the c	correct rec	ipient			
GSTIN of	ISD inv	oice detail		credit	GSTIN of new	ISD i	nvoice	In	Input tax credit redistri					
original recipient	No.	Date	No	Date	recipient	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	CESS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9A. Dist	ribution	of the amou	ınt of el	igible IT	TC									
9B. Distr	ribution (	of the amou	ınt of in	eligible	ITC									
		·			_									

#### 10. Late Fee

On account of	Central Tax	State / UT tax	Debit Entry No.
1	2	3	4
Late fee			

# 11. Refund claimed from electronic cash ledger

Description	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4
(a) Central Tax			
(b) State/UT Tax			
Bank Account Details (	Drop Down)		

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Place Name of Authorised Signatory

Date Designation /Status

#### **Instructions:**-

1. Terms Used :-

a. GSTIN:- Goods and Services Tax Identification Number

b. ISD:- Input Service Distributor

c. ITC: - Input tax Credit.

- 2. GSTR-6 can only be filed only after 10<sup>th</sup> of the month and before 13<sup>th</sup> of the month succeeding the tax period.
- 3. ISD details will flow to Part B of GSTR-2A of the Registered Recipients Units on filing of GSTR-6.
- 4. ISD will not have any reverse charge supplies. If ISD wants to take reverse charge supplies, then in that case ISD has to separately register as Normal taxpayer.
- 5. ISD will have late fee and any other liability only.
- 6. ISD has to distribute both eligible and ineligible ITC to its Units in the same tax period in which the inward supplies have been received.
- 7. Ineligible ITC will be in respect of supplies made as per Section 17(5).
- 8. Mismatch liability between GSTR-1 and GSTR-6 will be added to ISD and further ISD taxpayer has to issue ISD credit note to reduce the ITC distributed earlier to its registered recipients units.
- 9. Table 7 in respect of mismatch liability will be populated by the system.
- 10. Refund claimed from cash ledger through Table 11 will result in a debit entry in electronic cash ledger.

#### Form GSTR-6A

[See Rule 59(3) & 65]

# Details of supplies auto-drafted form (Auto-drafted from GSTR-1)

Year		
Month		

1.										
2.	(a)	Legal name of the registered person								
	(b)	Trade name, if any								

#### 3. Input tax credit received for distribution

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN	Inv	oice det	ails	Rate	Taxable		Amount	of Tax	
of supplier					value				
	No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 309

# 4. Debit / Credit notes (including amendments thereof) received during current tax period

Details of or	riginal d	locument		Revised details of document or details of Debit / Credit Note										
GSTIN of	No.	Date	_	No.	Date	Value	Rate	Taxable		of tax				
supplier			of supplier					value	Integrated tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

# Form GSTR-7

[See rule 66 (1)]

#### **Return for Tax Deducted at Source**

					104					
				M	Iont	th				
,	GSTIN									

1.	GSTIN										
2.	(a) Legal name of the Deductor	A	uto l	Pop	ulat	ed					
	(b) Trade name, if any	Aı	uto l	Pop	ulat	ed					

# 3. Details of the tax deducted at source

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN	Amount paid to deductee on which tax is deducted	Amount o	of tax deducted at	source
of deductee		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5

# 4. Amendments to details of tax deducted at source in respect of any earlier tax period

	Original	details	Revised details					
Month	GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which	GSTIN	Amount paid to deductee on which	Amount o	of tax deducte	ed at source	
		tax is deducted	of deductee	tax is deducted	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	

# 5. Tax deduction at source and paid

Description	Amount of tax deducted	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

#### 6. Interest, late Fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
(I) Interest on account of TDS in respect	t of	
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(II) Late fee		
(a) Central tax		
(b) State / UT tax		

#### 7. Refund claimed from electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated Tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
Bank Account Details (Dro	p Down)					

# 8. Debit entries in electronic cash ledger for TDS/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in cash	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated Tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

# Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

	Signature of Authorised Signatory
Place:	Name of Authorised Signatory
Date:	Designation /Status

#### Instructions -

- 1. Terms used:
  - a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b) TDS: Tax Deducted at Source
- 2. Table 3 to capture details of tax deducted.
- 3. Table 4 will contain amendment of information provided in earlier tax periods.
- 4. Return cannot be filed without full payment of liability.

#### Form GSTR 7A

[See rule 66(3)]

#### **Tax Deduction at Source Certificate**

- 1. TDS Certificate No. –
- 2. GSTIN of deductor -
- 3. Name of deductor –
- 4. GSTIN of deductee-
- 5. (a) Legal name of the deductee -
  - (b) Trade name, if any -
- 6. Tax period in which tax deducted and accounted for in GSTR-7 -
- 7. Details of supplies Amount of tax deducted –

Value on which tax deducted	Amount of Tax deducted at source (Rs.)						
deducted	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax				
1	2	3	4				

Signature
Name
Designation
Office -

# Form GSTR - 8

[See rule 67(1)]

#### Statement for tax collection at source

Year		
Month		

	1.	1. GSTIN															
Ī	2.	(a)	Legal name of the registered person	Auto Populated													
		(b)	Trade name, if any	Auto Populated													

# 3. Details of supplies made through e-commerce operator

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of the	Details of s	t of tax collected	f tax collected at source					
supplier	Gross value of supplies made	Value of supplies returned	Net amount liable for TCS	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax		
1	2	3	4	5	6	7		
3A. Suppli	ies made to registe	red persons						
3B. Supplies made to unregistered persons								

# 4. Amendments to details of supplies in respect of any earlier statement

Original o	details	Revised details										
Month	GSTIN of	GSTIN of	Details of supp	Details of supplies made which attract TCS			e which attract					
	supplier	supplier	Gross value of supplies made	Value of supply returned	Net amount liable for TCS	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
4A. Supplies r	nade to regi	stered pers	ons									
4B. Supplies r	nade to unre	egistered pe	rsons									
		·		·								

#### 5. Details of interest

On account of	Amount in default	I	Amount of intere	est		
	iii derauit	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax		
1	2	3 4 5				
Late payment of TCS amount						

#### 6. Tax payable and paid

Description	Tax payable	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State / UT Tax		

#### 7. Interest payable and paid

Description	Amount of interest payable	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

# 8. Refund claimed from electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6
(a) Integrated tax					
(b) Central Tax					
(c) State/UT Tax					
Bank Account Details (D	Prop Do	wn)			

# 9. Debit entries in cash ledger for TCS/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in cash	Interest
1	2	3
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Place: Name of Authorised Signatory

Date: Designation /Status

#### **Instructions:-**

- 1. Terms Used:
  - a. GSTIN:- Goods and Services Tax Identification Number
  - b. TCS:- Tax Collected at source
- 2. An e-commerce operator can file GSTR- 8 only when full TCS liability has been discharged.
- 3. TCS liability will be calculated on the basis of table 3 and table 4.
- 4. Refund from electronic cash ledger can only be claimed only when all the TCS liability for that tax period has been discharged.
- 5. Cash ledger will be debited for the refund claimed from the said ledger.
- 6. Amount of tax collected at source will flow to Part C of GSTR- 2A of the taxpayer on filing of GSTR-8.
- 7. Matching of Details with supplier's GSTR-1 will be at the level of GSTIN of supplier.

#### Form GSTR -11

[See rule 82]

# Statement of inward supplies by persons having Unique Identification Number (UIN)

Year		
Month		

1 .	UIN								
2.	Name of the person having UIN	Auto populated							

# 3. Details of inward supplies received

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of supplier		nvoice/I ote/Cred: detail	it Note	Rate	Taxable value		Amo	unt of tax	
	No	Date	Value			Integrated	Central	State/	CESS
						tax	Tax	UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3A. Invoi	ices rec	eived							1
3B. Debi	t/Credi	t Note re	eceived	•					

#### 4. Refund amount

Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS
1	2	3	4
Bank details (	drop down)		

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best	of
my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	

Place Signature

Name of Authorised Signatory

Date

Designation /Status

#### **Instructions:-**

- 1. Terms Used:
  - a. GSTIN:- Goods and Services Tax Identification Number
  - b. UIN:- Unique Identity Number
- 2. UIN holder has to file GSTR-11 for claiming refund on quarterly basis or otherwise as and when required to file by proper officer.
- 3. Table 3 of GSTR-11 will be populated from GSTR-1.
- 4. UIN holder will not be allowed to add or modify any details in GSTR-11.

#### Form GST PCT - 1

[See rule 83(1)]

#### Application for Enrolment as Goods and Services Tax Practitioner

#### Part -A

Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B.

# PART B

1.	Enrolling Authority	Centre State
2.	State/UT	
3.	Date of application	
4	Enrolment sought as:	(1) Chartered Accountant holding COP
		(2) Company Secretary holding COP
		<ul><li>(3) Cost and Management Accountant holding COP</li><li>(4) Advocate</li></ul>
		(5) Graduate or Postgraduate degree in Commerce
		(6) Graduate or Postgraduate degree in Banking
		(7) Graduate or Postgraduate degree in Business
		Administration (8) Graduate or Postgraduate degree in Business Management
		(9) Degree examination of any recognized Foreign University
		(10) Retired Government Officials
5.	Membership Number	
5.1	Membership Type (drop down will change based the institute selected)	
5.2	Date of Enrolment / Membership	
5.3	Membership Valid upto	
6	Advocates registered with Bar (Name of Bar Council)	
6.1	Registration Number as given by Bar	
6.2	Date of Registration	
6.3	Valid up to	
7	Retired Government Officials	Retired from Centre/ State
7.1	Date of Retirement	
7.2	Designation of the post held at the time of retirement	Scanned copy of Pension Certificate issued by AG office or any other document evidencing retirement
8.	Applicant Details	
8.1	Full name as per PAN	
8.2	Father's Name	
8.3	Date of Birth	
8.4	Photo	
8.5	Gender	
8.6	Aadhaar	<optional></optional>
8.7	PAN	< Pre filled from Part A>
8.8	Mobile Number	<pre a="" filled="" from="" part=""></pre>
8.9	Landline Number	
8.10	Email id	< Pre filled from Part A>
9.	Professional Address	(Any three will be mandatory)
9.1	Building No./ Flat No./ Door No.	
9.2	Floor No.	
9.3	Name of the Premises / Building	
9.4	Road / Street Lane	
9.5	Locality / Area / Village	

[भाग II – खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 317

9.6	District				
9.7	State				
9.8	PIN Code				
10.	Qualification Details				
10.1	Qualifying Degree				
10.2	Affiliation University / Institute				
	Consent  I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled aadhaar="" based="" form="" in="" number="" on="" provided="" the=""> goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Reposited only for the purpose of authentication.  Verification  I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of a knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</pre-filled>				
	Place	< DSC /E-sign of the Applicant/EVC>			
	Date	< Name of the Applicant>			

#### Acknowledgment

Application Reference Number (ARN) -

You have filed the application successfully.

GSTIN, if available:

Legal Name:

Form No.:

Form Description:

Date of Filing:

Time of filing:

Center Jurisdiction:

State Jurisdiction:

Filed by:

Temporary reference number, (TRN) if any:

Place

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

Note - The status of the application can be viewed through "Track Application Status" at dash board on the GST Portal.

#### Form GST PCT-02

[See rule 83(2)]

#### **Enrolment Certificate of Goods and Services Tax Practitioner**

1.	Enrolment Number	
2.	PAN	
3.	Name of the Goods and Services Tax Practitioner	
4.	Address and Contact Information	
5.	Date of enrolment as GSTP	
Date		Signature of the Enrolment Authority
		Name and Designation.
		Centre / State

Reference No.

#### Form GST PCT-03

[See rule 83(4)] Date

To

Name	
Address of the Applicant	
GST practitioner enrolment No.	
5	Show Cause Notice for disqualification
It has come to my notice that you are	guilty of misconduct, the details of which are given hereunder:
1.	
2.	
	rause as to why the certificate of enrolment granted to you should not be rejected for ted to submit your response within <15> days to the undersigned from the date of
Appear before the undersigned	on (date) (Time)
	he stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and e on the basis of available records and on merits
	Signature
	Name
	(Designation)
	Form GST PCT-04
	[See rule 83(4)]
Reference No.	Date-
То	
Name	
Address	

**Enrollment Number** 

# Order of rejection of enrolment as GST Practitioner

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated ----.

- ☐ Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or
- ☐ Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or
- □ Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your enrolment is liable to be cancelled for following reason(s).

1.

2.

The effective date of cancellation of your enrolment is <<DD/MM/YYYY >>.

Signature

Name

(Designation)

# Form GST PCT-05

[See rule 83(6)]

# Authorisation / withdrawal of authorisation for Goods and Services Tax Practitioner

To		
The Auth	orised Officer	
Central T	ax/State Tax.	
	PART-A	
Sir/Mada	m	
	ame of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director ee of Associations/Board of Trustees etc.) do hereby	:/Members of Managing
	*solemnly authorise, *withdraw authorisation of	
	(Name of the Goods and Services Tax Practitioner), bearing Enrolment Number 8 read with rule 83 to perform the following activities on behalf of (Legal Nam	
Sr. No.	List of Activities	Check box
1.	To furnish details of outward and inward supplies	
2.	To furnish monthly, quarterly, annual or final return	
3.	To make deposit for credit into the electronic cash ledger	
4.	To file an application for claim of refund	
5.	To file an application for amendment or cancellation of registration	
2.	The consent of the (Name of Goods and Services Tax Practitioner) is attached	herewith*.
*Strike o	ut whichever is not applicable.	
	Signature of	the authorised signatory
		Name
		Designation/Status
Date		
Place		
	<u>Part -B</u>	
Consent	of the Goods and Services Tax Practitioner	
consent	of the Goods and Services Tax Practitioner>>< Enrolment Number> do here to act as the Goods and Services Tax Practitioner on behalf of (Legal name), of the activities specified by (Legal name), GSTIN	
	Signature	
	Name	
Date	Enrolment No.	

# Results of Matching after filing of the Returns of September (to be filed by 20<sup>th</sup> October)

		Bill of	Entry No. /Invo No	ice/Debit Note/Credit	IT	'C/Output	Liability			Interest		
	Month	Date	Number	Taxable Value	Integrated	Central	State / UT	Cess	Integrated	Central	State	Cess
A.	Finally Acc	epted Inp	ut Tax Credit			1	1	•	1	1	1	
A.1	Details of In	voices, De	ebit and Credit	Notes of the month of Se	ptember that	have match	ned					
1	September								Nil			
2	September								Nil			
A.2				Notes of the month of Au tified in the return for th						e month of	August	filed by
1	August								Nil			
2	August								Nil			
A.3	A.3 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of July and before but not earlier than April of the previous Financial Year which had become payable but the pairing supplier/recipient has included the details of corresponding document in his return of the month of September filed by 20th October and the reclaim is being allowed alongwith refund of interest.											
1	Month								Refund			
2	Month								Refund			
B.	Mismatches	/Duplicat	tes that have le	d to increase of liability	in the retur	n for Sept	ember file	d by 20tl	n October			
В.1	August but r	nismatch		Notes of the month of Ju d in the return for the n October								
1	July								Two Months			
2	July								Two Months			
B.2	Details of In September fi			it Notes of the month of	f August that	were four	nd to be d	uplicates	and have beco	ome payabl	e in the	return
1	August								One Month			
2	August								One Month			
В.3				Notes of the month of a		reversal v	was reclaii	ned in vi	olation of Secti	on 42/43	and th	at have
1	August								One Month- high			
2	August								One Month- high			
C.	Mismatches	/Duplicat	tes that will lea	d to increase of liability	in the retur	n for Octo	ber to be	filed by 2	20th November	•		
C.1	20th Septem	ber but n	nismatch was ne	Notes of the month of Au ot rectified in the return d 20th November	gust that wer for the mon	e found to t th of Septe	have mism mber filed	atched in by 20th	the return of th October and w	e month of vill become	August payablo	filed by e in the
1	August								Two Months			
2	August								Two Months			
C.2			ebit and Credit 20th November	Notes of the month of Se	ptember that	were found	d to be dup	licate and	d will be becom	e payable i	n the re	turn for
1	September								One Month			
2	September								One Month			
C.3				Notes of the month of S ber return to be filed by I			al was recl	aimed in	violation of Se	ction 42/4.	3 and t	hat will
1	September								One Month- high			
2	September								One Month- high			
D.	•	/Duplicat	tes that may lea	ı ad to increase of liabilit	y in the retu	rn for Nov	ember to	be filed b	_	ber	1	<u>.                                    </u>
	Details of In	voices, D	ebit and Credit	Notes of the month of S th December in case mis	eptember tha	t have been	n found to	have mis	smatched and n	nay become		e in the
1	September		•						Nil/Two Months			
2	September								Nil/Two Months			

# Form GST PMT -01

[See rule 85(1)]

#### **Electronic Liability Register of Registered Person**

(Part-I: Return related liabilities)

(To be maintained at the Common Portal)

GSTIN -

Name (Legal) -

Trade name, if any

Tax Period -

Act – Central Tax/State Tax/UT Tax /Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

Sr.	Date	Reference	Ledger	Description	Type of	Type of Amount debited / credited (Central				Balance (Payable)							
No.	(dd/mm/ yyyy)		used for discharging liability		Transaction [Debit (DR)		Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)				UT Tax/Integrated (Control Toy/State Toy/UT Toy/Integrated					grated	
					(Payable)] / [Credit (CR) (Paid)/]	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### Note -

- 1. All liabilities accruing due to return and payments made against the same will be recorded in this ledger.
- 2. Under description head liabilities due to opting for composition, cancellation of registration will also be covered in this part. Such liabilities shall be populated in the liability register of the tax period in which the date of application or order falls, as the case may be.
- 3. Return shall be treated as invalid if closing balance is positive. Balance shall be worked out by reducing credit (amount paid) from the debit (amount payable).
- 4. Cess means cess levied under Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.

#### Form GST PMT -01

[See rule 85(1)]

#### **Electronic Liability Register of Taxable Person**

(Part-II: Other than return related liabilities)

(To be maintained at the Common Portal)

Demand ID -- GSTIN/Temporary Id -

Demand date - Name (Legal) -

Trade name, if any -

Stay status – Stayed/Un-stayed Period - From ----- To ----- (dd/mm/yyyy)

#### Act - Central Tax/State Tax/UT Tax /Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

$\overline{}$
\ /
~

	Date (dd/ mm/		Period, if applicable	discharging		Transaction [Debit		Amount d Γax/State Τ		Tax/	Integrat		(	Central T	Γax/State	Tax	ayable) /UT Tax /Total)	k/Integ	rated
	уууу)			liability		(DR) (Payable)] / [Credit (CR) (Paid)] / Reduction (RD)/ Refund adjusted (RF)/]	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others		Status (Stayed /Un- stayed)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Note -

- 1. All liabilities accruing, other than return related liabilities, will be recorded in this ledger. Complete description of the transaction to be recorded accordingly.
- 2. All payments made out of cash or credit ledger against the liabilities would be recorded accordingly.
- 3. Reduction or enhancement in the amount payable due to decision of appeal, rectification, revision, review etc. will be reflected here.
- 4. Negative balance can occur for a single Demand ID also if appeal is allowed/partly allowed. Overall closing balance may still be positive.
- 5. Refund of pre-deposit can be claimed for a particular demand ID if appeal is allowed even though the overall balance may still be positive subject to the adjustment of the refund against any liability by the proper officer.
- 6. The closing balance in this part shall not have any effect on filing of return.
- 7. Reduction in amount of penalty would be automatic, based on payment made after show cause notice or within the time specified in the Act or the rules.
- 8. Payment made against the show cause notice or any other payment made voluntarily shall be shown in the register at the time of making payment through credit or cash ledger. Debit and credit entry will be created simultaneously.

#### Form GST PMT -02

[See rule 86(1)]

#### **Electronic Credit Ledger of Registered Person**

(To be maintained at the Common Portal)

GSTIN -

Name (Legal) -

Trade name, if any -

Period -

From ----- To ---- (dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State

#### Tax/UT Tax /Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

Sr No.	(dd/mm/	Reference No.	Period,	(Source of	Transaction Type			Credit	/ Debit					Balance	e available		
	уууу)		if any	credit & purpose of utilisation)	[Debit (DR) / Credit (CR)]	Central Tax		UT Tax	Integrated Tax	CESS	Total	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	CESS	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### **Balance of Provisional credit**

Sr. No.	Tax period		Amount of provisional credit balance							
		Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8			

#### Mismatch credit (other than reversed)

Sr. No.	Tax period		Amount of mismatch credit							
		Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8			

#### Note -

- 1. All type of credits as per return, credit on account of merger, credit due on account of pre-registration inputs, etc., credit due to opting out from composition scheme, transition etc. will be recorded in the credit ledger.
- 2. Description will include sources of credit (GSTR-3, GSTR-6 etc.) and utilisation thereof towards liability related to return or demand etc. Refund claimed from the ledger will be debited and if the claim is rejected, then it will be credited back to the ledger to the extent of rejection.

#### Form GST PMT -03

[See rules 86(4) & 87(11))]

#### Order for re-credit of the amount to cash or credit ledger on rejection of refund claim

Reference No. Date –

- 1. GSTIN -
- 2. Name (Legal) -
- 3. Trade name, if any
- 4. Address –

5. Period / Tax Period to which the credit relates, if any –

From ----- To -----

6. Ledger from which debit entry was made for claiming refund -

cash / credit ledger

- 7. Debit entry no. and date -
- 8. Application reference no. and date –
- 9. No. and date of order vide which refund was rejected
- 10. Amount of credit -

Sr. No.	Act (Central	Amount of credit (Rs.)									
	Tax/State Tax/ UT Tax Integrated Tax/ CESS)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8				

Signature

Name

Designation of the officer

#### Note -

'Central Tax' stands for Central Goods and Services Tax; 'State Tax' stands for State Goods and Services Tax; 'UT Tax' stands for Union territory Goods and Services Tax; 'Integrated Tax' stands for Integrated Goods and Services Tax and 'Cess' stands for Goods and Services Tax(Compensation to States)

#### Form GST PMT -04

[See rules 85(7), 86(6) & 87(12)]

#### Application for intimation of discrepancy in Electronic Credit Ledger/Cash Ledger/ Liability Register

1.	GSTIN			
2.	Name (Legal)			
3.	Trade name, if any			
4.	Ledger / Register in which discrepancy noticed	Credit ledg register	ger Cash	Ledger liability
5.	Details of the discrepancy			
	Date	Type of tax	Type of discrepancy	Amount involved
		Central Tax		
		State Tax		
		UT Tax		
		Integrated Tax		
		Cess		
6.	Reasons, if any			•

7.	Verification	
	I hereby solemnly affirm and declare that the inforbest of my knowledge and belief.	rmation given herein above is true and correct to the
		Signature
	Place	Name of Authorized Signatory
	Date	Designation /Status

#### Note -

'Central Tax' stands for Central Goods and Services Tax; 'State Tax' stands for State Goods and Services Tax; 'UT Tax' stands for Union territory Goods and Services Tax; 'Integrated Tax' stands for Integrated Goods and Services Tax and 'Cess' stands for Goods and Services Tax(Compensation to States)

#### Form GST PMT -05

[See rule 87(1)]

#### **Electronic Cash Ledger**

(To be maintained at the Common Portal)

GSTIN/Temporary Id –
Name (Legal) –
Trade name, if any

Period - From ----- To ---- (dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/All

(Amount in Rs.)

			date (by		Tax Period, if applicable		Type of Transaction [Debit (DR)		unt debite		`					Balan State Tax Tax/CESS	/UT		grated
	(dd/mm/ yyyy)						/ Credit (CR)]	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Note -

- 1. Reference No. includes BRN (Bank Reference Number), debit entry no., order no., if any, and acknowledgment No. of return in case of TDS & TCS credit.
- 2. Tax period, if applicable, for any debit will be recorded, otherwise it will be left blank.
- GSTIN of deductor or tax collector at source, Challan Identification Number (CIN) of the challan against which
  deposit has been made, and type of liability for which any debit has been made will also recorded under the head
  "description".
- 4. Application no., if any, Show Cause Notice Number, Demand ID, pre-deposit for appeal or any other liability for which payment is being made will also be recorded under the head "description".
- 5. Refund claimed from the ledger or any other debits made against any liability will be recorded accordingly.
- 6. Date and time of deposit is the date and time of generation of CIN as reported by bank.
- 7. 'Central Tax' stands for Central Goods and Services Tax; 'State Tax' stands for State Goods and Services Tax; 'UT Tax' stands for Union territory Goods and Services Tax; 'Integrated Tax' stands for Integrated Goods and Services Tax and 'Cess' stands for Goods and Services Tax(Compensation to States)

# Form GST PMT -06

# [See rule 87(2)]

# Challan for deposit of goods and services tax

CPIN		to Generated after sunation>>	ibmission o	f	Date	< <current< th=""><th>date&gt;&gt;</th><th></th><th>Challan Expi</th><th>iry Date</th></current<>	date>>		Challan Expi	iry Date
				•				•		
GSTIN		<filled auto="" in="" populated="">&gt;</filled>			Email	address			< <auto po<="" td=""><td>pulated&gt;&gt;</td></auto>	pulated>>
Name (Legal)	<	< <auto populated="">&gt;</auto>			Mobile	e No.			< <auto po<="" td=""><td>pulated&gt;&gt;</td></auto>	pulated>>
Address	<	< <auto populated="">&gt;</auto>								
			<u>.</u>							
				Det	tails of	f Deposit			(All Amoun	t in Rs.)
Governn	nent	Major Head					Min	or Head		
			Tax	Inter	est	Penalty		Fee	Others	Total
		Central Tax								
	nment o	· · ·								
		()								
		CESS								
		()								
		Sub-Total								
State (Na	ame)	State Tax								
		()								
UT (Nar	ne)	UT Tax								
		()								
Total Ch	nallan A	amount								
Total Ar	nount i	n words					<u> </u>			
		Mode of Payment	(relevant pa	art will	becom	ne active wl	hen the p	particular	r mode is sel	ected)
□ e-Pay	ment		Over the Counter (OTC)							
	CC/DC	de all modes of e-pay and net banking. Ta		Bank (Where cash o proposed to be depo				ent is		
will Clio	ose one	or uns)					Details	of Instrumen	t	
						Cash		☐ Chec	que	☐ Demand Draft
□ NEFT/RTGS								<u> </u>		
Remitting bank										
Benefici	ary nan	ne				GST				

Beneficiary Account Number (CPIN)			<cpin></cpin>	
Name of beneficiary bank			Reserve Bank f India	
Beneficiary Bank's Indian Financial System	Code (IFSC)		IFSC of RBI	
Amount				
Note: Charges to be separately paid by the	person making pe	ayment.		
Particulars of depositor				
Name				
Designation/ Status (Manager, partner etc.)				
Signature				
Date				
	Paid Challar	n Informati	ion	-
GSTIN				
Taxpayer Name				
Name of Bank				
Amount				
Bank Reference No. (BRN)/UTR				
CIN				
Payment Date				
Bank Ack. No. (For Cheque / DD deposited at Bank's counter)				

**Note** - UTR stands for Unique Transaction Number for NeFT / RTGS payment.

# Form GST PMT -07

[See rule 87(8)]

# Application for intimating discrepancy relating to payment

1.	GSTIN					
2.	Name (Legal)					
3.	Trade name, if any					
4.	Date of generation of challan from Common Portal					
5.	Common Portal Identification Number (CPIN)					
6.	Mode of payment (tick one)	Net banking	CC/DC	NEFT/RT	GS 🔲	OTC
7.	Instrument detail, for OTC payment only	Cheque / Draft No.	Date		Bank/brandrawn	nch on which
8.	Name of bank through which payment made					
9.	Date on which amount debited / realized					
10.	Bank Reference Number (BRN)/ UTR No., if any					
11.	Name of payment gateway (for CC/DC)					

12.	Payment detail	Central Tax	State	UT Tax	Integrated	Cess
			Tax		Tax	
13.	Verification (by authorized signa	tory)				
	I hereby solemnly affirm and do best of my knowledge and belief.		mation give	n herein abo	ve is true and o	correct to the
	-		Signat	ure		
	Place		Name of A	authorized Sig	gnatory	
	Date	I	Designation .	/Status		

#### Note -

- 1. The application is meant for the taxpayer where the amount intended to be paid is debited from his account but
  - CIN has not been conveyed by bank to Common Portal or CIN has been generated but not reported by concerned bank.
- 2. The application may be filed if CIN is not conveyed within 24 hours of debit.
- 3. Common Portal shall forward the complaint to the Bank concerned and intimate the aggrieved person.
- 4. 'Central Tax' stands for Central Goods and Services Tax; 'State Tax' stands for State Goods and Services Tax; 'UT Tax' stands for Union territory Goods and Services Tax; 'Integrated Tax' stands for Integrated Goods and Services Tax and 'Cess' stands for Goods and Services Tax(Compensation to States).

#### FORM-GST-RFD-01

[See rule 89(1)]

# **Application for Refund**

Select: Registered / Casual/ Unregistered/Non-resident taxable person

- 1. GSTIN/Temporary ID:
- 2. Legal Name:
- 3. Trade Name, if any:
- 4. Address:
- 5. Tax Period: From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>
- 6. Amount of Refund Claimed:

Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State Tax						
UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total				•		

- 7. Grounds of Refund Claim: (select from the drop down):
  - a. Excess balance in Electronic Cash ledger
  - b. Exports of goods / services- With payment of Tax
  - c. Exports of goods / services- Without payment of Tax, i.e., ITC accumulated
  - d. On account of assessment/provisional assessment/ appeal/ any other order
    - i. Select the type of Order:

Assessment/ Provisional Assessment/ Appeal/ Others

- ii. Mention the following details:
  - 1. Order No.
  - 2. Order Date <calendar>
  - 3. Order Issuing Authority
  - 4. Payment Reference No. (of the amount to be claimed as refund)

(If Order is issued within the system, then 2, 3, 4 will be auto populated)

- e. ITC accumulated due to inverted tax structure (clause (ii) of proviso to section 54(3))
- f. On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer or recipient of Deemed Exports
  - Select the type of supplier/ recipient:
    - 1. Supplier to SEZ Unit

    - Supplier to SEZ Developer
       Recipient of Deemed Exports
- g. Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued
- h. Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa
- i. Excess payment of tax, if any
- j. Any other (*specify*)
- 8. Details of Bank Account (to be auto populated from RC in case of registered taxpayer)
  - a. Bank Account Number
  - b. Name of the Bank
  - Bank Account Type C.
  - Name of account holder
  - Address of Bank Branch: e.
  - f. **IFSC**
  - **MICR** g.
  - **9.** Whether Self-Declaration filed by Applicant u/s 54(4), if applicable Yes No

#### **DECLARATION** (u/s 54(3)(ii))

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name -

Designation / Status

#### **DECLARATION** (u/s 54(3)(ii))

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making nil rated or fully exempt supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

### **DECLARATION** (See rule 89)

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature Name –

Designation / Status

#### **SELF- DECLARATION**

(Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to----, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under rule 96 of the CGST Rules)

#### 10. Verification

I/We < Taxpayer Name > hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

We declare that no refund on this account has been received by us earlier.

Place Signature of Authorised Signatory
Date (Name)

Designation/ Status

Note: 1) A separate statement has to be filed under sub-rule (4) of rule 89

#### **Statement 1:**

(Note: - All statements are auto populated from the corresponding returns taxpayer have to select the invoices accordingly and fields like egm/ebrc to be filled if the same was not filled in the return)

#### Annexure-1

Statement containing the number and date of invoices under 89 (2) (h) of CGST Rules,

## For Inward Supplies:

As per GSTR- 2 (Table 4):

#### Tax Period: .....

GSTIN/ Name of unregistered				Invoice	e deta	ils			State (in case of unregistered	T	grated ax		ntral ax		e Tax/ Tax	СЕ	SS	Col. 17	Col. 18			20/21/2	2/23	
supplier	No	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	Taxable value	UQC	QTY	supplier)	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (NA)	Amt.					Central Tax	State Tax/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	24A	24B	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Col. 17: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 18: Indicate if supply attracts reverse charge (Yes / No)

Col. 19: Eligibility of ITC as (inputs/capital goods/input services/ none)

Col. 20/21/22/23: Amount of ITC available

# For Outward Supplies:

## As per GSTR- 1 (Table 5):

## Tax Period: .....

					Invoice	detai	ls			Integ Ta		Cen Ta			e Tax/ `Tax	Ces	SS							
GSTI UIN	1		Date		Goods/ services (G/S)	HSN	Taxable Value	UQC	QTY	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt	Rate (NA)	Amt	Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20		Col. 22
1		2	3	4	5	6	7	23A	23B	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)

Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)

Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)

Col. 20: whether supply attracts reverse charge (Yes / No)

Col. 21: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)

Col. 22: GSTIN of e-commerce operator (if applicable)

Place	Signature of Authorised Signatory
Date	(Name)

Designation/ Status

### **Statement 2:**

### Statement in case of Application under rule 89 sub rule 2 (b) and (c):

## **Exports with payment of Tax:**

# Tax Period: .....

			Invoi	ice				Ship Bill	oping of ex	bill/ port	Tax paym	ent option	Integ Ta		Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes/No)		GM tails		RC/ RC
No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable value	Port Code	No.	Date	With Integrated Tax	Without Integrated Tax	Rate (%)	Amt.		Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	15A	15B	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15C	15D	15E	15F

# (\* Shipping Bill and EGM are mandatory; – in case of goods;

BRC/ FIRC details are mandatory- in case of Services)

Place	Signature of Authorised Signatory
Date	(Name)
	Designation/ Status

#### **Statement 3:**

## **Exports without payment of Tax:**

### Tax Period: .....

		Invoice Shipping bill of expor							Tax paym	ent option	Integr Ta	ated	Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)		GM tails		RC/ RC		
No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable value	Port Code	No.	Date	With Integrated Tax	Without Integrated Tax	Rate (%)	Amt.		Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	15A	15B	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15C	15D	15E	15F

(*	Shipping	Bill	and	<b>EGM</b>	– in	case of	f goods	are	mandat	ory;
----	----------	------	-----	------------	------	---------	---------	-----	--------	------

BRC/ FIRC details are mandatory- in case of Services)

Place	Signature of Authorised Signatory
Date	(Name)
	Designation/ Status

## **Statement 4:**

# Statement in case of Application under rule 89 sub rule 2 (d) and (e):

# **Refund by the supplier of SEZ/ Developer:**

**GSTR-1** Table 5

#### Tax Period: .....

GSTIN				Invoice	e deta	ils			ntegi Ta		Cen Ta		State UT		Се	ss	Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20	Col. 21		AF	RE	Date of Receipt	Payn Deta	
LIIN		Date	Value	Goods/ ervices (G/S)	HSN	axable Value	UQC	QTY	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt	Rate (NA)	Amt								No.	Date		Ref No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	23A	23B	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23C	23D	23E	23F	23G

- Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)
- Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)
- Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)
- Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)
- Col. 20: whether supply attracts reverse charge (Yes / No)
- Col. 21: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)

Col. 22: GSTIN of e-commerce operator (if applicable)

Col. 23 C/D: ARE (Application for Removal of Export)

Col. 23 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)

Col. 23 F/G: Particulars of Payment Received

(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt by SEZ/ Developer are mandatory;

In case of Services: Particulars of Payment Received is mandatory)

GSTR 5- Table 6

### Tax Period: .....

Co	ol.			Invo	ice detail	ls				Integ Ta		Cer Ta		Tax	ate / UT ax	Се				Col.					Date of		
1	1	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable Value	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (NA)	Amt.		17	18	19		No.	Date	Receipt	Ref	Date
1		2	3	4	5	6	21A	21B	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21C	21D	21E	21F	21G

Col. 1: GSTIN / UIN/ Name of the un registered recipient (Supplier to SEZ/ Developer)

Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)

Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)

Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)

Col. 20: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)

Col. 21 C/D: ARE (Application for Removal of Export)

Col. 21 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)

Col. 21 F/G: Particulars of Payment Received

(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt by SEZ/ Developer are mandatory;

In case of Services: Particulars of Payment Received is mandatory)

Place Signature of Authorised Signatory

Date (Name)

Designation/ Status

### **Statement 5:**

#### Statement in case of Application under rule 89 sub rule 2 (g):

# Refund by the EOU/ Recipient of Deemed Exports:

# Tax Period: .....

GSTIN/ Name of unregistered supplier	l			Invoice o	detail	s			State (in case of unregistered supplier)	Ta	rated ax	Cer Ta	ntral ax	Tax	ate / UT ax	CE			Col. 18		Col.	20/21/2	2/23		AF	RE	Date of Receipt
	No	Date		Goods/ Services (G/S)	HSN	Taxable value	UQC	QTY		Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (NA)	Amt.				Integrated Tax	Central Tax	State Fax/ UT Fax	Cess	No.	Date	
1	2	3	4	5	6	7	24A	24B	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24C	24D	24E
_																											

Col. 17: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 18: Indicate if supply attracts reverse charge (Yes / No)

Col. 19: Eligibility of ITC as (inputs/capital goods/input services/ none)

Col. 20/21/22/23: Amount of ITC available

Col. 24 C/D: ARE (Application for Removal of Export)

Col. 24 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)

(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt are mandatory)

Place Signature of Authorised Signatory
Date (Name)

Designation/ Status

#### Statement 6:

# Statement in case of Application filed under rule 89(2)(j)

[Refund u/s 77(1) & 77(2) -Tax wrongfully collected and paid ]

Order Details (issued in pursuance of Section 77 (1) and (2): Order No: Order Date:

GSTIN/ UIN Name	D	etails	of invo	oice coverin	g transaction transaction			tra –State	e / inter-State	Transact	ion which we	ere held inter subsequent		n-State supply
(in case B2C)		I	nvoice (	details	Integrated Tax	Central Tax	State Tax		Place of Supply (only if	Integrated Tax	Central Tax	State Tax		Place of Supply (only if different from
	No.	Date	Value	Taxable Value	Amt	Amt	Amt	Amt	different from the location of recipient)	Amt	Amt	Amt	Amt	the location of recipient)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						·							•	

#### **Statement 7:**

### Statement in case of application filed under rule 89(2)(k)

### Refund on account excess payment of tax

Sr. No.	Tax period	Reference no. of		Excess amoun	t available ir	n Liability R	egister
		return	filing return	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

### Annexure-2

[ See rule 89 (2) (m)]
<u>Certificate</u>
This is to certify that in respect of the refund amounting to INR << >> (in words) claimed by M/s (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID for the tax period <>, the incidence of tax and interest, ha not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the Books of Accounts, and other relevant records and Returns particulars maintained/ furnished by the applicant.
Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:
Name:
Membership Number:
Place:
Date:
This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.
FORM-GST-RFD-02
[See rules 90(2) & 95(2)]
Acknowledgment
Your application for refund is hereby acknowledged against <application number="" reference=""></application>
Acknowledgement Number :
Date of Acknowledgement :
GSTIN/ UIN/Temporary ID, if applicable :
Applicant's Name :
Form No. :
Form Description :
Jurisdiction (tick appropriate) :
Centre State/ Union Territory:
Filed by :
Refund Application Details
Tax Period

	Refund Application Details
Tax Period	
Date and Time of Filing	
Reason for Refund	

## Amount of Refund Claimed:

	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State Tax						
UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

provisional basis:

**Note 1**: The status of the application can be viewed by entering ARN through <Refund> Track Application Status" on the GST System Portal.

Note 2: It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

## FORM-GST-RFD-03

[See rule 90(3)]

# **Deficiency Memo**

Referen <dd m<="" th=""><th>ice No. : IM/YYYY&gt;</th><th>Date:</th></dd>	ice No. : IM/YYYY>	Date:
То		
	(GSTIN/ UIN/ Temporary ID)	
	(Name)	
	(Address)	
Subject:	: Refund Application Reference No. (ARN)	Dated <dd mm="" yyyy="">Reg.</dd>
Sir/Mad	dam,	
	is reference to your above mentioned application, certain deficiencies have been noticed be	eation filed under section 54 of the Act. Upon scrutiny of your low:
Sr No	Description( select the reason from the drop	p down of the Refund application)
1.	<multi option="" select=""></multi>	
2.		
	Other <text box=""> { any other reason of</text>	ther than the reason select from the 'reason master'}
You are	e advised to file a fresh refund application after	er rectification of above deficiencies
Date:		Signature (DSC):
Place:		Name of Proper Officer:
		Designation:
		Office Address:
	FOR	RM-GST-RFD-04
	$I^{\mathcal{S}}$	See rule 91(2)]
	n Order No: IM/YYYY>	Date:
To		
	(GSTIN)	
	(Name)	
	(Address)	
	Provisi	onal Refund Order
Refund	Application Reference No. (ARN)l	Dated
Acknow	vledgement NoDated<	MM/YYYY>
Sir/Mad	dam,	
With ref	ference to your above mentioned application f	For refund, the following amount is sanctioned to you on a

Sr. No	Description	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
i.	Amount of refund claimed					
ii.	10% of the amount claimed as refund (to be sanctioned later)					
iii.	Balance amount (i-ii)					
iv.	Amount of refund sanctioned					
	Bank Details					
v.	Bank Account No. as per application					
vi.	Name of the Bank					
vii.	Address of the Bank /Branch					
viii.	IFSC					
ix.	MICR					

•														
Date:												Sign	nature (DSC):	
Place:												Nan	ne:	
												Desi	gnation:	
												Offi	ce Address:	
							FORM-	GST	Γ-RFD-0	5				
						ſ	See rule 9	1(3)	, 92(4), 9	92(	(5) & 94]			
							Pa	ym	ent Advi	ice	•			
-	ent Adv MM/YY		: -										Date:	
To <0	Centre>	PAO	Trea	sury/ l	RBI/ Ba	ank								
Refun	d Sanct	ion Or	der No	)										

Refund Amount (as per Order):

Name: <>

GSTIN/ UIN/ Temporary ID <>

Order Date.....<DD/MM/YYYY>......

	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Net Refund amount sanctioned					
Interest on delayed Refund					
Total					

	Details of the Bank
i.	Bank Account no as per application
ii.	Name of the Bank
iii.	Name and Address of the Bank /branch
iv.	IFSC
V.	MICR

Date:	Signature (DSC):
Place:	Name:
	Designation:
	Office Address:
To	
(GSTIN/ UIN/ Temporary ID)	
(Name)	
(Address)	
EODM	COT DED AC
	-GST-RFD-06
	2(3),92(4),92(5) & 96(7)]
Order No.: <dd mm="" yyyy=""></dd>	Date:
To	
(GSTIN/ UIN/ Temporary ID)	
(Name)	
(Address)	
Show cause notice No. (If applicable)	
Acknowledgement No	Dated
Refund Sanct	ion/Rejection Order

### Sir/Madam,

This has reference to your above mentioned application for refund filed under section 54 of the Act\*/ interest on refund\*. Upon examination of your application, the amount of refund sanctioned to you, after adjustment of dues (where applicable) is as follows:

<sup>\*</sup>Strike out whichever is not applicable

Sr No.	Description	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
i.	Amount of refund/interest* claimed					

ii.	Refund sanctioned on provisional basis (Order Nodate) (if applicable)					
iii.	Refund amount inadmissible < <reason dropdown="">&gt;</reason>					
	<pre><multiple allowed="" be="" reasons="" to=""></multiple></pre>					
iv.	Gross amount to be paid (1-2-3)					
	1					
V.	Amount adjusted against outstanding demand (if any) under the existing law or under the Act.					
	Demand Order No date, Act Period					
	<multiple add="" be="" given="" possible-="" row="" rows="" to=""></multiple>					
vi.	Net amount to be paid					
*Strike out	whichever is not applicable	1		1	1	
&1. I hereby section 54)	y sanction an amount of INR to M/s of the Act/under section 56 of the Act <sup>@</sup>		_having GS	STINı	under sub-sec	etion (5) of
<sup>®</sup> Strike out	whichever is not applicable					
(b) the (c) an Ta	and the amount is to be paid to the bank account special amount is to be adjusted towards recovery of armount ofrupees is to be adjusted towards ble above and the remaining amount ofrupeed plication.	rears as speci recovery of	fied at serial	l number 5 specified at	t serial numb	er 5 of the
#Strike-out	whichever is not applicable.					
Or						
*2. I hereby the Act	credit an amount of INR to Consun	ner Welfare I	Fund under	sub-section	() of Sect	ion () of
	y reject an amount of INR to M/s _	1	having GST	TN ur	nder sub-secti	ion () of
	of the Act.			<del></del>		(,,,,
&Strike-out	whichever is not applicable					
Date:			·	nature (DSC	C):	
Place:			Nan			
				ignation:		
	FORM CC	T DED 05	Offi	ce Address	:	
	FORM-GS [See rule 92(1),		5)1			
Reference N	- , , , , ,	92(2) & 90(c	[((	Date:		
<dd mm="" td="" y<=""><td></td><td></td><td></td><td>Dute.</td><td></td><td></td></dd>				Dute.		
To						
	(GSTIN/UIN/Temp.ID No.)					
	<del></del> \					
	(Address)		D-4:	1		
Acknowled	gement No		Dated	l		

<DD/MM/YYYY>.....

## Order for Complete adjustment of sanctioned Refund

### Part- A

Sir/Madam,

With reference to your refund application as referred above and further furnishing of information/ filing of documents against the amount of refund sanctioned to you has been completely adjusted against outstanding demands as per details below:

	Refund Calculation	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	UT Tax	Cess
i.	Amount of Refund claimed					
ii.	Net Refund Sanctioned on Provisional Basis (Order Nodate)					
iii.	Refund amount inadmissible rejected < <reason dropdown="">&gt;</reason>					
iv.	Refund admissible (i-ii-iii)					
v.	Refund adjusted against outstanding demand (as per order no.) under existing law or under this law. Demand Order No date <multiple be="" given="" may="" rows=""></multiple>					
vi.	Balance amount of refund	Nil	Nil			Nil

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is completely adjusted against the outstanding demand under this Act / under the existing law. This application stands disposed as per provisions under subsection (...) of Section (...) of the Act.

OR

### Part-B

#### Order for withholding the refund

With reference to your refund application as referred above and further furnishing of information/ filing of documents against the amount of refund sanctioned to you has been withheld against following reasons as per details below:

Refur	Refund Order No.:					
Date	of issuance of Order:					
	Refund Calculation	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	UT Tax	Cess
i.	Amount of Refund Sanctioned					
ii.	Amount of Refund Withheld					
iii.	Amount of Refund Allowed					

Reasons for withholding of the refund:							
	< <text>&gt;</text>						
I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is withheld for the above mention reason. This order is issued as per provisions under sub-section () of Section () of the Act.							
Date:		Signature (DSC):					
Place:		Name:					
		Designation:					
		Office Address:					
	FORM-GST-RFD	-08					
	[See rule 92(3)]						
	Notice for rejection of applica	tion for refund					
SCN No	o.: M/YYYY>	Date:					
To							
	(GSTIN/ UIN/ Temporary ID)						
	(Name)						
	(Address)						
ACKNO	OWLEDGEMENT No						
		D/MM/YYYY>					
This has	s reference to your above mentioned application for refund, that refund application is liable to be rejected on account of	filed under section 54 of the Act. On examination, it					
Sr No	Description (select the reasons of inadmissibility of refund from the drop down)	Amount Inadmissible					
i.							
ii							
iii	Other{ any other reason other than the reasons mentioned in 'reason master'}						
should 1	e hereby called upon to show cause as to why your refund not be rejected for reasons stated above.  I are hereby directed to furnish a reply to this notice within fi	-					
	ou are also directed to appear before the undersigned on DD/	MM/YYYY at HH/MM.					

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits.

Date:	Signature (DSC):
Place:	Name:
	Designation:
	Office Address:

## FORM-GST-RFD-09

[See rule 92(3)]

## Reply to show cause notice

Date: <DD/MM/YYYY>

1.	Reference No. of Notice	Date of issue
2.	GSTIN / UIN	
3.	Name of business (Legal)	
4.	Trade name, if any	
5.	Reply to the notice	
6.	List of documents uploaded	
7.	Verification	
	Iinformation given herein has been concealed there	hereby solemnly affirm and declare that the above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing from.
		Signature of Authorised Signatory
		Name
		Designation/Status
		Designations
	Place	
	Date DD/MM/YYY	Y
1	İ	

Place Signature of Authorised Signatory

Date (Name)

Designation/ Status

### FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

1. UIN

3. Address

2. 3. 4.		: From <dd mm="" yy=""> To <dd mm="" yy=""></dd></dd>								
5.		: <inr> <in words=""></in></inr>								
		Amount								
	Central Tax									
	State Tax									
	UT Tax									
	Integrated Tax									
	Cess									
	Total									
6.	Details of Bank Account: a. Bank Account Number									
	b. Bank Account Type									
	c. Name of the Bank									
	d. Name of the Account Holder/Operator									
	e. Address of Bank Branc	1								
	f. IFSC									
	g. MICR									
7.	Reference number and date of fu	rnishing FORM GSTR-11								
8.	Verification									
	solemnly affirm and declare th knowledge and belief and nothin That we are eligible to claim so	ch refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and assy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified								
	Date:	Signature of Authorised Signatory:								
	Place:	Name:								
		Designation / Status: Form GST ASMT - 01								
		[See rule 98(1)]								
	Application for Provis	ional Assessment under section 60								
GSTI	(N									
Nam	e									

4. Details	of Commodity /	Service for which tax ra	ate / valuation	on is to be	e determined			
Sr. No.	HSN	Name of		Tax	rate		Valuation Average	
		commodity /service Central		State/	Integrated		monthly turnover of	
			tax	UT	tax			the commodity
				tax				/ service
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Reason	for seeking pro	visional assessment						
6. Docume								
7. Verifica	ntion-							
I	hereby solemr	nly affirm and declare th			ven hereinabo	ove is tru	ue and correct	t to the best of
my knowle	edge and belief	and nothing has been co	ncealed the	refrom.				
					Signature of	Authori	sed Signatory	7
					Name	7 tutilori	sed Signatory	
					Designation	/ Status		
					Date			
		TC.	own CST A	CMT 0	2			
		re	orm GST A [See rule		2			
Reference	No.:		isee ruie	)O(2)]		Da	ite:	
To								
	GSTIN	I						
	Name							
	(Addre	ess)						
Applicatio	n Reference No	. (ARN)			Dated			

Notice for Seeking Additional Information / Clarification / Documents for provisional assessment

Please refer to your application referred to above. While examining your request for provisional assessment, it has been found that the following information/documents are required for processing the same:

<< text >>

You are requested to appear before the undersigned for per	rsonal hearing on << Date	TimeVenue>
		Si
		Desi
Form GST ASM	$\Gamma - 03$	
[See rule 98(2	)]	
Reply to the notice seeking additional inform	ation	
1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of notice vide which additional information sought	Notice No.	Notice date
4. Reply		<u>I</u>
5. Documents filed		
cation-		

Name

Designation / Status

Date

		Form (	GST ASMT -	- 04		
		[Se	e rule 98(3)]			
Reference	No.:			Date		
То						
GSTIN -						
Name -						
Address -						
Applicatio	n Reference No. (	(ARN)	Dated	I		
		Order of Pr	ovisional As	sessment		
support of		application mentioned aborovisional assessment. Upoder:				
	<	<< text >>				
		is allowed subject to furnis and bond in the prescribed fo			3	(in words) in the
		and security are not furnis oid as if no such order has b		ne stipulated date, th	ne provision	nal assessment order
						Signature
						Name
						Designation
		Form (	GST ASMT .	05		
				. 03		
			e rule 98(4)] hing of Secu	rity		
				•		
1. GSTIN						
2. Name						
3. Order vide which security is prescribed			Order No		Order dat	te
4. Details	of the security fur	nished			<u> </u>	
Sr. No.	Mode	Reference no. / Debit entry no. (for cash payment)	Date	Amount		Name of Bank

Note – Hard copy of the bank guarantee and bond shall be submitted on or before the due date mentioned in the order.

#### 5. Declaration -

- (i) The above-mentioned bank guarantee is submitted to secure the differential tax on the supply of goods and/or services in respect of which I/we have been allowed to pay taxes on provisional basis.
- (ii) I undertake to renew the bank guarantee well before its expiry. In case I/We fail to do so the department will be at liberty to get the payment from the bank against the bank guarantee.
- (iii) The department will be at liberty to invoke the bank guarantee provided by us to cover the provisional assessment in case we fail to furnish the required documents/ information to facilitate finalization of provisional assessment.

Signature of Authorised Signatory
Name
Designation / Status ----Date -----

### Bond for provisional assessment

[Rule 98(3) & 98(4)]

/We,hereinafter called "obligor(s)", am/are held and firmly bound to the President of India hereinafter called "the President"/ the Governor of(State) (hereinafter called the "Governor") in the sum ofrupees to be paid to the President/ Governor for which payment will and truly to be made. I/We jointly and severally bind myself/ourselves and my/our respective heirs/ executors/ administrators/ legal epresentatives/successors and assigns by these presents; Dated thisday of
WHEREAS final assessment of Integrated tax/ central tax/ State tax / Union territory tax on
and whereas the obligor desires that the provisional assessment in accordance with the provisions of Section 60 be nade;
AND WHEREAS the Commissioner has required the obligor to furnish bank guarantee for an amount of
The condition of this bond is that the obligor and his representative observe all the provisions of the Act in respect of provisional assessment under section 60;

demandable after final assessment, are duly paid to the Government along with interest, if any, within thirty days of the date of demand thereof being made in writing by the said Officer, this obligation shall be void;

And if all dues of Integrated tax/ Central tax/ State tax/ Union territory tax or other lawful charges, which shall be

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force and virtue:

AND the President/ Governor shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of bank guarantee or by endorsing his rights under the above-written bond or both;

I/We further declare that this bond is given under the orders of the Central Government/ State Government for the performance of an act in which the public are interested;

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the obligor(s).

Signature(s) of obligor(s).	
Date:	
Place:	
Witnesses	
(1) Name and Address	Occupation
(2) Name and Address	Occupation
Date	
Place	
Witnesses	
(1) Name and Address	Occupation
(2) Name and Address	Occupation
	(month) (year) (Designation)
	for and on behalf of the President of India./ Governor of (state)".
Form	GST ASMT - 06
[Sc	ee rule 98(5)]
Reference No.:	Date:
To	
GSTIN -	
Name -	
Address -	
Application Reference No. (ARN)	Date
Provisional Assessment order no	Date
Notice for seeking additional information / clarifica	tion / documents for final assessment
Please refer to your application and provisional ass documents are required for finalization of provisional	sessment order referred to above. The following information / assessment:
<< text >>	
receipt of this notice to enable this office to take a d	on /documents within a period of << 15 days>> from the date of ecision in the matter. Please note that in case no information is to be rejected without making any further reference to you.
You are requested to appear before the unders	igned for personal hearing on << Date TimeVenue>>.

Signature

Name

Designation

### Form GST ASMT – 07

[See rule 98(5)]

		[56	ee rule	98(3)]		
Reference	No.:				Date	
T						
То	(CTT) I					
	STIN					
	ame					
A	ddress					
Provisiona	l Assessment ord	er No			dated	
		Final A	ssessn	nent O	rder	
	Preamble	- << Standard >>				
		the provisional assessment inal assessment order is iss				the basis of information available
	Brief facts	S —				
	Submissio	ons by the applicant -				
		n and finding -				
		n and order -				
T application		shed for the purpose car	ı be v	vithdrav	wn after complia	nce with the order by filing an
						Signature
						Name
						T (MILL)
						Designation
		Form			- 08	
		_		98(6)]		
		Application for	With	drawa	l of Security	
1. GSTIN						
2. Name						
3. Details vide which security furnished				ARN		Date
4. Details	of the security to	be withdrawn		1		
Sr. No.	Mode	Reference no. / Debit entry no. (for cash payment)	Dat	e	Amount	Name of Bank
1	2	3		4	5	6

5. Verification-		
I hereinahove is true and correct to the best of	hereby solemnly affirm and declare my knowledge and belief and nothing has been	
neremadove is true and correct to the best of	my knowledge and benef and nothing has been	concealed therefrom.
Signature of Authorised Signatory		
Name		
Designation / Status -		
Date -		
	Form GST ASMT - 09	
	[See rule 98(7)]	
Reference No.:	Date	
_		
To		
GSTIN		
Address		
Address		
Application Reference No	dated	
	ease of security or rejecting the application	
	r application mentioned above regarding releads)]. Your application has been examined and sed. <b>Or</b>	
	g release of security was examined but the sa	ame was not found to be in
<< text >	»>	
Therefore, the application for release	se of security is rejected.	
		Signature
		Name
		Designation
		Date
	Form GST ASMT - 10	
	[See rule 99(1)]	
D. C N	Division	
Reference No.:	Date:	
To GSTIN:		
Name:		
Address:		
Tax period -	F.Y	

# Notice for intimating discrepancies in the return after scrutiny

This is to inform that	during scrutiny	of the return	for the tax	period ref	ferred to above,	the following	discrepancies have
been noticed:							

//	text	>>

You are hereby directed to explain the reasons for the aforesaid discrepancies by (date). If no explanation
is received by the aforesaid date, it will be presumed that you have nothing to say in the matter and proceedings in
accordance with law may be initiated against you without making any further reference to you in this regard.

Signature

Name

Designation

# Form GST ASMT - 11

[See rule 99(2)]

# Reply to the notice issued under section 61 intimating discrepancies in the return

1. GSTIN								
2. Name								
3. Details of the notice			Reference	No.		Date		
4. Tax Period								
5. Reply to the	e disc	repancies						
Sr. No.		Discrepa	ancy				Reply	
6. Amount add	mitted	l and paid, if any -						
Act		Tax	Interest			Others		Total
7. Verification	1-							
Ι								t the information given
hereinabove is	s true	and correct to the be	est of my l	knowledge a	ind beli	ief and nothing ha	is been co	ncealed therefrom.
Signature of A	Author	rised Signatory						
Name								
Designation /	Status	S						
Date -								

	Form GST ASMT-12
	[See rule 99(3)]
Reference No.:	Date:
To CCTPL	
GSTIN Name	
Address	
Address	
Tax period -	F.Y
ARN -	Date -
Order of acceptance	of reply against the notice issued under section 61
	in response to the notice issued vide reference no dated ory and no further action is required to be taken in the matter.
	Signature Name
	Designation
	E COTE A CIMTE 12
	Form GST ASMT - 13  [See rule 100(1)]
Reference No.:	Date:
То	
GSTIN -	
Name -	
Address -	
Tax Period -	F.Y. – Return Type -
Notice Reference No	Date -
Notice Reference 110	Date -
	Assessment order under section 62

Preamble - << standard >>

The notice referred to above was issued to you under section 46 of the Act for failure to furnish the return for the said tax period. From the records available with the department, it has been noticed that you have not furnished the said return till date.

Therefore, on the basis of information available with the department, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction

Submissions, if any

Discussions and Findings

Conclusion

Amount assessed and payable (Details at Annexure):

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn; otherwise, proceedings shall be initiated against you after the aforesaid period to recover the outstanding dues.

Signature Name Designation

### Form GST ASMT - 14

[See rule 100(2)]

Reference No:	D	ate:
To		
Name		
Address		
Tax Period	F.Y	

## Show Cause Notice for assessment under section 63

	/firm, though liable to be registered under section of the ischarge the tax and other liabilities under the said Act as per
Brief Facts –	
Grounds –	
Conclusion -	
OR	
It has come to my notice that your registration has been c and that you are liable to pay tax for the above menti	ancelled under sub-section (2) of section 29 with effect from oned period.
	use as to why a tax liability along with interest not be created lespite being liable for registration and why penalty should not e rules made thereunder.
In this connection, you are directed to appear bet	fore the undersigned on (date) at (time)
	Signature
	Name
	Designation
Form GS	T ASMT - 15
[See r	ule 100(2)]
Reference No.:	Date:
To	
Temporary ID	
Name	
Address	
Tax Period -	F.Y. –
SCN reference no	Date -
Assessment	order under section 63
	eamble - << standard >>
The notice referred to above was issued to you t un-registered person, despite being liable to be registered	o explain the reasons for continuing to conduct business as an under the Act.
OR	
	o explain the reasons as to why you should not pay tax for the under sub-section (2) of section 29 with effect from
	ly was duly considered during proceedings held on
date(s).	

On the basis of information available with the department / record produced during proceedings, the amount

Introduction

assessed and payable by you is as under:

Submissions, if any

Conclusion (to drop proceedings or to create demand)

Amount assessed and payable:- (details at Annexure)

(Amount in Rs.)

Sr No.	Tax Period	Act	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by  $\ll$  date  $\gg$  failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name

#### Form GST ASMT - 16

[See rule 100(3)]

Reference No.: Date:

To

GSTIN/ID

Name

Address

Tax Period - F.Y. –

### Assessment order under section 64

Preamble - << standard >>

It has come to my notice that un-accounted for goods are lying in stock at godown ----- (address) or in a vehicle stationed at ----- (address & vehicle detail) and you were not able to, account for these goods or produce any document showing the detail of the goods.

Therefore, I proceed to assess the tax due on such goods as under:

Introduction

Discussion & finding

Conclusion

Amount assessed and payable (details at Annexure)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax	Interest, if any	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name

### Form GST ASMT - 17

[See rule 100(4)]

# Application for withdrawal of assessment order issued under section 64

1. GSTIN/ID		
2. Name		
3. Details of the order	Reference No.	Date of issue of order
4. Tax Period, if any		
5. Grounds for withdrawal		
6. Verification-		
	land a land of Comme	and the desired of the Control of th
Ihereinabove is true and correct to the	best of my knowledge and belief and no	and declare that the information given othing has been concealed therefrom.
Signature of Authorised Signatory		
Name		
Designation / Status		
Date -		

# Form GST ASMT - 18

[See rule 100(5)]

Reference No.:	Date:				
GSTIN/ID					
Name					
Address					
ARN -	Date –				
Acceptance or 1	Rejection of application filed under section 64 (2)				
The reply furnished by you vide application assessment order no dated	on referred to above has been considered and found to be in order and the stands withdrawn.				
The reply furnished by you vide application	n referred above has not been found to be in order for the following reasons:				
	< <text box="">&gt;</text>				
Therefore, the application filed by you for	withdrawal of the order is hereby rejected.				
	Signature				
	Name				
	Designation				
	Form GST ADT - 01				
	[See rule 101(2)]				
Reference No.:	Date:				
То,					
 GSTIN					
Name					
Address					
Period - F.Y.(s) -					

1	Notice for conducting audit
	dit of your books of account and records for the financial year(s)
And whereas you are required to:-	
(i) afford the undersigned the necessary facilities required in this context, and	ity to verify the books of account and records or other documents as may
(ii) furnish such information as may be require	ed and render assistance for timely completion of the audit.
	n or through an authorised representative on (date) ne undersigned and to produce your books of account and records for the it.
	e, it would be presumed that you are not in possession of such books of be initiated as per the provisions of the Act and the rules made thereunder spondence in this regard.
	Signature
	Name
	Designation
	Form GST ADT – 02
	[See rule 101(5)]
Reference No.:	Date:
То,	
GSTIN	
Name	
Address	
Audit Report No dated	
Aud	dit Report under section 65(6)

Your books of account and records for the F.Y..... has been examined and this Audit Report is prepared on the basis of information available / documents furnished by you and the findings are as under:

Short payment of	Integrated tax	Central tax	State /UT tax	Cess
Tax				
Interest				
Any other amount				

[Upload pdf file containing audit observation]

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 359

	ties in this regard as per the provisions of the Act and the rules made t may be initiated against you under the provisions of the Act.
	Signature
	Name
	Designation
Fo	orm GST ADT - 03
	[See rule 102(1)]
Reference No.:	Date:
To,	
GSTIN	
Name	
Address	
Tax period - F.Y.(s)	
Communication to the registered p	person for conduct of special audit under section 66
Whereas the proceedings of scrutiny of return /enqu	uiry/investigation/ are going on;
	ur books of account and records examined and audited by countant / cost accountant nominated by the Commissioner;
You are hereby directed to get your books of ac accountant.	ecount and records audited by the said chartered accountant / cost
	Signature
	Name
	Designation
Fo	orm GST ADT – 04
	[See rule 102(2)]
Reference No.:	Date:
To,	
GSTIN	
Name	
Address	

## **Information of Findings upon Special Audit**

Your	books	of	account	and	records	for	the	F.Y		has	been	examined	by		<ul> <li>(chartered</li> </ul>
accou	ntant/co	st a	accountan	t) an	d this A	Audit	Rep	ort is	prepared	on th	e basis	of inform	nation	available	documents
furnis	hed by	you	and the fi	inding	gs/discre	panc	ies a	re as u	nder:						

Short payment of	Integrated tax	Central tax	State /UT tax	Cess
Tax				
Interest				
Any other amount				

[Upload pdf file containing audit observation]

You are directed to discharge your statutory liabilities in this regard as per the provisions of the Act and the rules made thereunder, failing which proceedings as deemed fit may be initiated against you under the provisions of the Act.

Signature	 	 		٠.		٠.	
Name	 						
Designation	 	 					

# Form GST ARA -01

[See Rule 104(1)]

# **Application Form for Advance Ruling**

1.	GSTIN Number, if any/ User-id						
2.	Legal Name of Applicant						
3.	Trade Name of Applicant (Optional)	)					
4.	Status of the Applicant [registered / un-registered]						
5.	Registered Address / Address provided while obtaining user id	SS					
6.	Correspondence address, if different from above	nt					
7.	. Mobile No. [with STD/ISD code]						
8.	8. Telephone No. [with STD/ISD code]						
9.	Email address						
10.	Jurisdictional Authority		< <name, address="" designation,="">&gt;</name,>				
11.	i. Name of Authorise representative	ed	Optional				
	ii. Mobile No.		iii. Email Address				

12.	Nature of activity(s) (proposed / present) in respect of which advance ruling sought							
	A. Category							
	Factory / Manufacturing	Wholesale Business	Retail Business					
	Warehouse/Deport	Bonded Warehouse	Service Provision					
	Office/Sale Office	Leasing Business	Service Recipient					
	EOU/ STP/ EHTP	SEZ	Input Service Distributor (ISD)					
	Works Contract							
	B. Description (in brief)	(Provision for	r file attachment also)					
13.	Issue/s on which advance ruling require	ed (Tick whichever is applicable)	):-					
	(i) classification of goods and/or services or both							
	(ii) applicability of a notification issued under the provisions of the Act							
	(iii) determination of time and value of supply of goods or services or both							
	(iv) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid							
	(v) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both							
	(vi) whether applicant is required to be registered under the Act							
	(vii) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods and/or services or both amounts to or results in a supply of goods and/or services or both, within the meaning of that term							
14.	Question(s) on which advance ruling is required							
15.	Statement of relevant facts having a bearing on the question(s) raised.							
16.	Statement containing the applicant's interpretation of law and/or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s) (i.e. applicant's view point and submissions on issues on which the advance ruling is sought).							
17.	I hereby declare that the question raised	d in the application is not (tick) -						
	<ul><li>a. Already pending in any proceeding</li><li>b. Already decided in any proceeding</li></ul>		•					
18.	Payment details	Challan Identification Number	•					
	,	Date -	•					

	VERIFICATION	
	full and in block letters), son/daughter/wife of  ny knowledge and belief what is stated above and in the	
	his application in my capacity as	
	Signature	
Place	Name of Applicant/Authorised Signa	tory
Date	Designation/Status	

### Form GST ARA -02

[See Rule 106(1)]

# Appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling

Sr. No.	Particulars	Remarks				
1	Advance Ruling No.					
2	Date of communication of the advance ruling	DD/MM/YYYY				
3	GSTIN / User id of the appellant					
4	Legal Name of the appellant.					
5	Trade Name of the appellant (optional).					
6	Address of appellant at which notices may be sent					
7	Email Address of the appellant					
8	Mobile number of the appellant					
9	Jurisdictional officer / concerned officer					
10	Designation of jurisdictional officer / concerned officer					
11	Email Address of jurisdictional officer / concerned officer					
12	Mobile number of jurisdictional officer / concerned officer					
13	Whether the appellant wishes to be heard in person?	Yes/No				
14.	The facts of the case (in brief)					
15.	Ground of Appeal					
16.	Payment details	Challan Identification Number (CIN) –				
		Date -				
	Prayer	<u> </u>				
	<ul> <li>In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the Ld. Appellate Authority, <place> may be pleased to:</place></li> <li>a. set aside/modify the impugned advance ruling passed by the Authority for Advance Ruling as prayed above;</li> <li>b. grant a personal hearing; and</li> <li>c. pass any such further or other order (s) as may be deemed fit and proper in facts and circumstances of the case.</li> <li>And for this act of kindness, the appellant, as is duty bound, shall ever pray.</li> </ul>					

[भाग II–ख	ाण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	363
	VERIFICATION	
solemnly document	(name in full and in block letters), son/daughter/wife of declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above as is correct. I am making this application in my capacity as	and in the annexure(s), including the
		Signature
Place	Name of Appellant/Authoris	sed Signatory
Date	Designation/ St	atus
	Form GST ARA -03	
	[See Rule 106(2)]	
	Appeal to the Appellate Authority for Advance R	
Sr. No.	Particulars	Remarks
1	Advance Ruling No.	
2	Date of communication of the advance ruling	DD/MM/YYYY
3	GSTIN, if any / User id of the person who had sought advance ruling	
4	Legal Name of the person referred to in serial number 3.	
5	Name and designation of jurisdictional officer / concerned officer	
6	Email Address of jurisdictional officer / concerned officer	
7	Mobile number of jurisdictional officer / concerned officer	
8	Whether the jurisdictional officer / concerned officer wishes to be heard in person?	Yes/No
9.	Facts of the case (in brief)	
10.	Grounds of Appeal	
	Prayer	
	In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the Ld. Appella pleased to:  a. set aside/modify the impugned advance ruling passed by the Aut prayed above;  b. grant a personal hearing; and	hority for Advance Ruling as
	c. pass any such further or other order (s) as may be deemed circumstances of the case.	fit and proper in facts and
	VERIFICATION	
	(name in full and in block letters), son/daughter/wife of declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above as are correct. I am making this application in my capacity as	and in the annexure(s), including the

Signature

Name and designation of the concerned officer / jurisdictional officer

am competent to make this application and verify it.

Place \_\_\_\_\_

Date\_\_\_\_\_

#### Form GST APL - 01

[See rule 108(1)]

### **Appeal to Appellate Authority**

1.	GSTIN/	Temporary	ID/UIN –
----	--------	-----------	----------

- 2. Legal name of the appellant -
- 3. Trade name, if any –
- 4. Address -
- 5. Order no. Order date -
- 6. Designation and address of the officer passing the order appealed against -
- 7. Date of communication of the order appealed against -
- 8. Name of the authorised representative -
- 9. Details of the case under dispute -
- (i) Brief issue of the case under dispute -
- (ii) Description and classification of goods/ services in dispute-
- (iii) Period of dispute-
- (iv) Amount under dispute:

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/ Cess				
b) Interest				
c) Penalty				
d) Fees				
e) Other charges				

- (v) Market value of seized goods
- 10. Whether the appellant wishes to be heard in person Yes / No
- 11. Statement of facts:-
- 12. Grounds of appeal:-
- 13. Prayer:-
- 14. Amount of demand created, admitted and disputed

Particulars of demand/ refund	Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total a	amount
Terund		a) Tax/ Cess					< total >	
	Amount of	b) Interest					< total >	
	demand created	c) Penalty	-				< total >	< total >
	(A)	d) Fees	-				< total >	
		e) Other charges	-				< total >	
	Amount of demand admitted (B)	a) Tax/ Cess					< total >	
		b) Interest	-				< total >	
		c) Penalty	-				< total >	< total >
		d) Fees	-				< total >	
		e) Other charges	-				< total >	
		a) Tax/ Cess					< total >	
	Amount of	b) Interest	-				< total >	
	demand disputed	c) Penalty	1				< total >	< total >
	(C)	d) Fees	-				< total >	
		e) Other charges	1				< total >	

# 15. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:-

Details of payment required

Particulars			Centra 1 tax	State/ UT tax	Integr ated tax	Cess	Total a	amount
		Tax/ Cess					< total >	
		Interest					< total >	
	a) Admitted amount	Penalty					< total >	< total
		Fees					< total >	< total >
		Other charges					< total >	
	b) Pre-deposit (10% of disputed tax)	Tax/ Cess					< total >	

(a) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 10% of the disputed tax and cess)

Sr. No.	Description	Tax	Paid through Cash/ Credit	Debit	Amount of tax paid				
No.		payable	Ledger	entry no.	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Integrated tax		Cash Ledger						
	integrated tax		Credit Ledger						
2.	Central tax		Cash Ledger						
2.	Commun tux		Credit Ledger						

3.	State/UT tax	Cash Ledger			
		Credit Ledger			
4.	CESS	Cash Ledger			
<del>-</del> .	CLSS	Credit Ledger			

(b) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid

Sr. No.	Description		Amount payable			Debit entry	*			
110.		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS	no.	Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Interest									
2.	Penalty									
3.	Late fee									
4.	Others (specify)									

- 16. Whether appeal is being filed after the prescribed period - Yes / No
- 17. If 'Yes' in item 17 -
  - (a) Period of delay -
  - (b) Reasons for delay -

Verification	
I, <>, hereby solemnly affirm and declare that the information given here is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	einabove
Place: Date: <signature></signature>	
Name of the Applicant:	

#### Form GST APL - 02

[See rule 108(3)]

# Acknowledgment for submission of appeal

### <Name of applicant><GSTIN/Temp ID/UIN/Reference Number with date>

Your appeal has been successfully filed against < Application Reference Number >

- 1. Reference Number-
- 2. Date of filing-
- 3. Time of filing-

4.	Place of fili	ng-				
5.		e person filing the appeal	-			
6.		pre-deposit-				
7.		eptance/rejection of appe	al-			
8.	Date of app	earance- Time:				
9.	Court Num	ber/ Bench	Court:	Bench:		
Place: Date:						
					Signa	ature>
				]	Name:	
				]	Designation:	
				On	hehalf of Annell	ate Authority/Appellate
			Tı			or Joint Commissioner
			Form GST	APL - 03		
			[See rule 109(	(1)]		
		Application to the App	ellate Authority	under sub-sectio	n (2) of Section	107
1	. Name and	designation of the appella	ant		Name-	
					Designation-	
					Jurisdiction-	
					State/Center-	
					Name of the Sta	ate-
2.	. GSTI	IN/ Temporary ID /UIN-				
3.	. Orde	r no.	Date-			
4.	. Desig	gnation and address of the	officer passing t	he order appealed	against-	
5.	. Date	of communication of the	order appealed a	gainst-		
6.	. Detai	ls of the case under dispu	ite-			
	(i)	Brief issue of the case u	ınder dispute-			
	(ii)	Description and classifi	cation of goods/	services in dispute	<del>)</del> -	
	(iii)	Period of dispute-				
	(iv)	Amount under dispute-	-			
		Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
	a) Ta	x/Cess				

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/Cess				
b) Interest				

c) Penalty		
d) Fees		
e) Other charges		

- 7. Statement of facts-
- 8. Grounds of appeal-
- 9. Prayer-
- 10. Amount of demand in dispute, if any -

Particulars of demand/refund,	Particulars		Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess	Total ar	nount
if any	Amount of demand created, if any (A)	a) Tax/ Cess b) Interest c) Penalty d) Fees e) Other charges					< total >	< total >
	Amount under dispute (B)	a) Tax/ Cess b) Interest c) Penalty d) Fees e) Other charges					< total >   < total >	

Place:	
I lucc.	

Date:

Signature>

Name of the Applicant Officer:

Designation:

Jurisdiction:

# Form GST APL - 04

[See rules 113(1) & 115]

Summary of the demand after issue of order by the Appellate Authority, Tribunal or Court

Order no. - Date of order -

- 1. GSTIN/ Temporary ID/UIN -
- 2. Name of the appellant-
- 3. Address of the appellant-

4. Order appealed against-

Number-

Date-

5. Appeal no.

Date-

- 6. Personal Hearing –
- 7. Order in brief-
- 8. Status of order- Confirmed/Modified/Rejected
- 9. Amount of demand confirmed:

Particulars	Central tax		State/UT tax		Integrated tax		Cess		Total	
	Disputed	Determined	Disputed	Determined	Disputed	Determined	Disputed	Determined	Disputed	Determined
	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Tax										
b) Interest										
c) Penalty										
d) Fees										
e) Others										
f) Refund										

Dlaca.	
riace.	

Date:

Signature>

< Name of the Appellate Authority /Tribunal/

Jurisdictional Officer>

Designation:

Jurisdiction:

### Form GST APL - 05

[See rule 110(1)]

### **Appeal to the Appellate Tribunal**

- 1. GSTIN/ Temporary ID /UIN -
- 2. Name of the appellant -
- 3. Address of the appellant –
- 4. Order appealed against-

Number- Date-

- 5. Name and Address of the Authority passing the order appealed against -
- 6. Date of communication of the order appealed against -
- 7. Name of the representative -
- 8. Details of the case under dispute:
  - (i) Brief issue of the case under dispute
  - (ii) Description and classification of goods/ services in dispute
  - (iii) Period of dispute
  - (iv) Amount under dispute:

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/ Cess				
b) Interest				
c) Penalty				
d) Fees				
e) Other charges				

- (v) Market value of seized goods
- 9. Whether the appellant wishes to be heard in person?
- 10. Statement of facts
- 11. Grounds of appeal
- 12. Prayer
- 13. Details of demand created, disputed and admitted

Particulars of demand			Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess	Total a	mount
		a) Tax/ Cess					< total >	
	Amount demanded/	b) Interest					< total >	-
	rejected >,	c) Penalty					< total >	< total >
	if any (A)	d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	
		a) Tax/ Cess					< total >	
	Amount under dispute (B)	b) Interest					< total >	-
		c) Penalty					< total >	< total >
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	-
		a) Tax/ Cess					< total >	
	Amount	b) Interest					< total >	
	admitted	c) Penalty					< total >	< total >
	(C)	d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	-

14. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:

# (a) Details of amount payable :

	Particulars		Central	State/UT	Integrated	Cess	Total a	mount
			tax	tax	tax			
		Tax/ Cess					< total >	
	a) Admitted amount	Interest					< total >	
		Penalty					< total >	
		Fees					< total >	< total >
		Other charges					< total >	
	b) Pre-deposit (20% of disputed tax)	Tax/ Cess					< total >	

# (b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 20% of the disputed admitted tax and cess)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/ Credit	Debit entry no		Amount of	f tax paid	
No.		payable	Ledger	entry no.	Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated		Cash Ledger					
1.	tax		Credit Ledger					
2.	Central tax		Cash Ledger					
2.	Contrar tax		Credit Ledger					
3.	State/UT tax		Cash Ledger					
3.	State/O1 tax		Credit Ledger					
4.	CESS		Cash Ledger					
۲۰	CLOO		Credit Ledger					

# (c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid:

Sr. No.	Description	Amount payable				Debit Amount paid entry				
110.		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS	no.	Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Interest									
2.	Penalty									
3.	Late fee									
4.	Others (specify)									

### Verification

< ue and correct to the	>, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereina best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
Place:	
Date:	
	Signature>
	Name of the Applicant:
	Designation /Status:

# Form GST APL - 06

[See rule 110(2)]

# **Cross-objections before the Appellate Tribunal**

under sub-section (5) of section 112

Sr. No.	Particulars							
1	Appeal No Date of filing -							
2	GSTIN/ Temporary ID/UIN-							
3	Name of the appellant-							
4	Permanent address of the appellant-							
5	Address for communication-							
6	Order no. Date-							
7.	Designation and Address of the officer p	passing the order app	bealed against-					
8.	Date of communication of the order app	ealed against-						
9.	Name of the representative-							
10.	Details of the case under dispute-							
(i)	Brief issue of the case under dispute-							
(ii)	Description and classification of goods/	services in dispute-						
(iii)	Period of dispute-							
(iv)	Amount under dispute	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess			
	a) Tax							
	b) Interest							
	c) Penalty							
	d) Fees							
	e) Other charges (specify)							
(v)	Market value of seized goods-							

11	State or Union Territory and the Commissionerate (Centre) in which the order or decision was passed (Jurisdiction details)-							
12				ication filed with the App x, as the case may be-	ellate Tribunal by the ap	pellant or the		
	Whether	the decision of	or order appealed ag	gainst involves any question	on relating to place of su	pply -		
13	Yes	No						
14	In case of	of cross-object	ions filed by a perso	on other than the Commis	sioner of State/UT tax/C	entral tax		
		(i) Name of	of the Adjudicating	Authority-				
		(ii) Order M	Number and date of	Order-				
		(iii) GSTIN	/UIN/Temporary II	)-				
		(iv) Amoun	t involved:					
	Head	Tax	Interest	Penalty	Refund	Total		
	Integrate tax	ed						
	Central t	ax						
	State/UT	tax						
	Cess							
15	Details o	of payment						
13		1						
	Head	Tax	Interest	Penalty	Refund	Total		
	Central t	ax						
	State/UT							
	Integrate tax	ed						
	Cess							
	Total							
16	In case of	of cross-object	ions filed by the Co	ommissioner State/UT tax/	/Central tax:			
	(i)	Amount of t dispute	ax demand dropped	or reduced for the period	of			
	(ii)	Amount of i of dispute	nterest demand dro	pped or reduced for the pe	eriod			
	(iii)	Amount of r	refund sanctioned or	allowed for the period of				
	(iv)	Whether no	or lesser amount in	posed as penalty				
	TOTAL							

17	Reliefs claimed in memorandu	m of cross-objection	ons.			
18	Grounds of Cross objection			I		
		Verification				
	I,what is stated above is true to		the	e respondent, do l	nereby declare th	at
	Verified today, the		day of	20	) <u> </u>	
	Place:					
	Date:		<signa< td=""><td>ture&gt;</td><td></td><td></td></signa<>	ture>		
				Name o	f the Applicant/	Officer:
				Designation/Stat	us of Applicant/	officer:
		Form GST				
	Application to the A		e 111(1)] under sub-section	(3) of Section 1	12	
1.	Name and Designation of the ap	_		(3) of Section 1	14	
1.	Traine and Designation of the ap	penane	Desigr	nation		
			Jurisdi			
			State /	Center -		
			Name	of the State:		
2.	GSTIN/ Temporary ID /UIN-					
3.	Appellate Order no.	Date-				
4.	Designation and Address of t	he Appellate Auth	ority passing the or	der appealed aga	inst-	
5.	Date of communication of the	e order appealed ag	gainst-			
6.	Details of the case under disp	oute:				
	(i) Brief issue of the case ur	nder dispute-				
	(ii) Description and classific	ation of goods/ ser	vices in dispute-			
	(iii) Period of dispute-					
	(iv) Amount under dispute:					
	Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	
	a) Tax/ Cess					
	b) Interest					
	c) Penalty					7
	d) Fees					1
	e) Other charges					7

- 7. Statement of facts-
- 8. Grounds of appeal-
- 9. Prayer-

Place:

10. Amount demanded, disputed and admitted:

Particulars of demand, if	Part	ticulars	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total ar	nount
any	Amount of demand created, if any (A)	a) Tax/ Cess b) Interest c) Penalty d) Fees e) Other charges					< total >   < total >	
	Amount under dispute (B)	a) Tax/ Cess b) Interest c) Penalty d) Fees e) Other charges					< total >   < total >	

Date:	< Signature
	Name of the Officer:
	Designation:
	Jurisdiction:-

# Form GST APL - 08

[See rule 114(1)]

# Appeal to the High Court under section 117

1.	Appeal filed byTaxable person / Government of <>
2.	GSTIN/ Temporary ID/UIN-
	Name of the appellant/ officer-
3.	Permanent address of the appellant, if applicable-
4.	Address for communication-

- 5. Order appealed against Number Date-
- 6. Name and Address of the Appellate Tribunal passing the order appealed against-
- 7. Date of communication of the order appealed against-
- 8. Name of the representative
- 9. Details of the case under dispute:

<Signature>

- (i) Brief issue of the case under dispute with synopsis
- (ii) Description and classification of goods/ services in dispute
- (iii) Period of dispute
- (iv) Amount under dispute

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/ Cess				
b) Interest				
c) Penalty				
d) Fees				
e) Other charges				

1	$(\mathbf{v})$	Market	value	of seized	d goods
1	v	i wanket	varue	or serzec	i goods

10.	Statement of facts
11.	Grounds of appeal
12.	Prayer
13.	Annexure(s) related to grounds of appeal
	Verification
	>, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
Place:	
Date:	

Name:

Designation/Status:

### Form GST TRAN - 1

[See rule 117(1), 118, 119 & 120]

### Transitional ITC / Stock Statement

- 1. GSTIN -
- 2. Legal name of the registered person -
- 3. Trade Name, if any -
- 4. Whether all the returns required under existing law for the period of six months immediately preceding the appointed date have been furnished:- Yes/No
- 5. Amount of tax credit carried forward in the return filed under existing laws:

(a) Amount of Cenvat credit carried forward to electronic credit ledger as central tax (Section 140(1) and Section 140(4)(a))

Sl. no.	Registration no. under existing law (Central Excise and Service Tax)	Tax period to which the last return filed under the existing law pertains	Date of filing of the return specified in Column no. 3	Balance cenvat credit carried forward in the said last return	Cenvat Credit admissible as ITC of central tax in accordance with transitional provisions
1	2	3	4	5	6
	Total				

(b) Details of statutory forms received for which credit is being carried forward Period: 1<sup>st</sup> Apr 2015 to 30<sup>th</sup> June 2017

TIN of Issuer	Name of Issuer	Sr. No. of Form	Amount	Applicable VAT Rate
C-Form		•	•	-
Total				
F-Form				
Total				
H/I-Form				
Total		•		

(c) Amount of tax credit carried forward to electronic credit ledger as State/UT Tax (For all registrations on the same PAN and in the same State)

		C Fort	ns	F Forms	3		H/I Fo	rms	
	Balance of ITC of VAT and [Entry Tax] in last return	Turnover for which forms Pending	Difference tax payable on (3)	Turnover for which forms Pending	Tax payable on (5)	ITC reversal relatable to [(3) and] (5)	Turnover for which forms Pending	Tax payable on (7)	Transition ITC 2-(4+6- 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 6. Details of capitals goods for which unavailed credit has not been carried forward under existing law (section140 (2)).
- (a) Amount of unavailed cenvat credit in respect of capital goods carried forward to electronic credit ledger as central tax

Sr.	Invoice /	Invoice /	Supplier's	Recipients'	Details	of cap	ital	Total	Total	Total cenvat
no	Document	document	registration	registration	goods	on whi	ch	eligible	cenvat	credit
110	no.	Date	no.	no.	credit l			cenvat credit		unavailed
			under	under	partiall	y avail	led	under existing	availed under	under existing law
			existing	existing	Value	Dutie			existing	(admissible as
			law	law		taxes	paid	law	law	ITC of central
						ED/	SAD			tax) (9-10)
						CVD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Total								

(b) Amount of unavailed input tax credit carried forward to electronic credit ledger as State/UT tax (For all registrations on the same PAN and in the same State)

Sr.	Invoice /	Invoice /	Supplier's			regarding	Total	Total VAT	Total VAT [and
no	Document	document	registration	registration	_	goods on	eligible	[and ET]	ET] credit
no	no.	Date	no. under existing law	no. under existing law	which of availed  Value	Taxes paid VAT [and ET]	VAT [and ET] credit under existing law	credit availed under existing law	unavailed under existing law (admissible as ITC of State/UT tax) (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Total							

- 7. Details of the inputs held in stock in terms of sections 140(3), 140(4)(b), 140(5) and 140(6).
- (a) Amount of duties and taxes on inputs claimed as credit excluding the credit claimed under Table 5(a) (under sections 140(3), 140(4)(b) and 140(6))

Sr. no.	Details of inputs	s held in stoc	k or inputs	contained in semi-fini	ished or finished goods held in stock
	HSN (at 6 digit level)	Unit	Qty.	Value	Eligible Duties paid on such inputs
1	2	3	4	5	6
7A Whe	ere duty paid invoices are	e available	1	,	
Inputs					
Inputs co	ontained in semi-finished a	nd finished	goods		
	re duty paid invoices are r) – Credit in terms of Ru		ole (Applica	able only for person	other than manufacturer or service
	Inputs				

(b) Amount of eligible duties and taxes/VAT/[ET] in respect of inputs or input services under section 140(5):

Name of the supplier	Invoice number	Invoice date	Description	Quantity	UQC	Value	Eligible duties and taxes	VAT/[ET]	Date on which entered in recipients books of account
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(c) Amount of VAT and Entry Tax paid on inputs supported by invoices/documents evidencing payment of tax carried forward to electronic credit ledger as SGST/UTGST under sections 140(3), 140(4)(b) and 140(6)

	Ι	Details o	of inputs in	stock	Total input tax credit claimed	Total input tax credit related to	Total Input tax credit admissible
Description	Unit	Qty	Value	VAT [and Entry Tax] paid	under earlier law	exempt sales not claimed under earlier law	as SGST/UTGST
1	2	3	4	5	6	7	8
Inputs							
Inputs conta	ined in	n semi-f	inished and	finished goods			

(d) Stock of goods not supported by invoices/documents evidencing payment of tax (credit in terms of rule 117 (4)) (To be there only in States having VAT at single point)

	Γ	etails of in	puts in stock							
Description Unit Qty Value Tax paid										
1 2 3 4 5										

Details of description and quantity of inputs / input services as well as date of receipt of goods or services (as entered in books of accounts) is also required.

# 8. Details of transfer of cenvat credit for registered person having centralized registration under existing law (Section 140(8))

Sl. No.	Registration no. under	Tax period to which the	Date of filing of	Balance eligible	GSTIN of receivers (same		ribution ent /invoic	ITC of CENTRAL
	existing law (Centralized)	last return filed under the existing	the return specified in Column	cenvat credit carried	PAN) of ITC of CENTRAL TAX	No.	Date	TAX transferred
		law pertains	no. 3	forward in the said last return				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Total							

9. Details of goods sent to job-worker and held in his stock on behalf of principal under section 141

a. Details of goods sent as principal to the job worker under section 141

Sr.	Challan	Challan	Type of goods		Details	of goods w	vith job- wor	ker
No.	No.	date	(inputs/ semi-finished/ finished)	HSN	Description	Unit	Quantity	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GSTIN	of Job Worker,	if available						
	Total							

b. Details of goods held in stock as job worker on behalf of the principal under section 141

Sr. No.	Challan	Challan	Type of goods		Details	of goods w	vith job- wor	ker
	No.	Date	(inputs/ semi-finished/ finished)	HSN	Description	Unit	Quantity	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GSTIN	of Manufacture	r						
	Total							

- 10. Details of goods held in stock as agent on behalf of the principal under section 142 (14) of the SGST Act
- a. Details of goods held as agent on behalf of the principal

Sr.	GSTIN of Principal		De	etails of goo	ds with Agent	
No.		Description	Unit	Quantity	Value	Input Tax to be taken
1	2	3	4	5	6	7

b. Details of goods held by the agent

Sr.	GSTIN of Principal		]	Details of go	ods with Agent	
No.	Description Unit Quantity Value					Input Tax to be taken
1	2	3	4	5	6	7

11. Details of credit availed in terms of Section 142 (11 (c))

Sr. no.	Registration No of VAT	Service Tax Registration No.	Invoice/document no.	Invoice/ document date		VAT paid Taken as SGST Credit or Service Tax paid as Central Tax Credit
1	2	3	4	5	6	7
			Total			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 381

12. Details of goods sent on approval basis six months prior to the appointed day (section 142(12))

Sr	Document	Document   GSTIN no. of		Name &	Details of goods sent on approval basis					
No.	no.	date	recipient, (if applicable)	address of recipient	HSN	Description	Unit	Quantity	Value	
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	
	Total									

Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Signature

Place

Date

Name of Authorised Signatory

Danianatian 1

Designation /Status

### Form GST TRAN - 2

[See Rule 117(4)]

- 1. GSTIN -
- 2. Name of Taxable person -
- 3. Tax Period: month..... year.....
- 4. Details of inputs held on stock on appointment date in respect of which he is not in possession of any invoice/document evidencing payment of tax carried forward to Electronic Credit ledger.

Opening stock for the tax period					Out	Closing balance			
HSN (at 6 level)		Unit	Qty.	Qty	Value	Central Tax	Integrated Tax	ITC allowed	Qty
1		2	3	4	5	6	7	8	9

# 5. Credit on State Tax on the stock mentioned in 4 above (*To be there only in States having VAT at single point*)

Opening stock f		Outv	Closing balance					
HSN (at 6 digit level)	Unit	Qty.	Qty	Value	State Tax	Integrate d tax	ITC allowed	Qty
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

	Signature
Place Date	Name of Authorised Signatory
Date	Designation /Status
	[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]
	Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19<sup>th</sup>June, 2017, published vide G.S.R number 610 (E), dated the 19<sup>th</sup>June, 2017 and last amended vide notification No. 7/2017-Central Tax, dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, published vide G.S.R number 644 (E), dated the 27<sup>th</sup> June, 2017.